राजभाषा भारती

अक्तूबर—दिसम्बर 1984 अंक 27

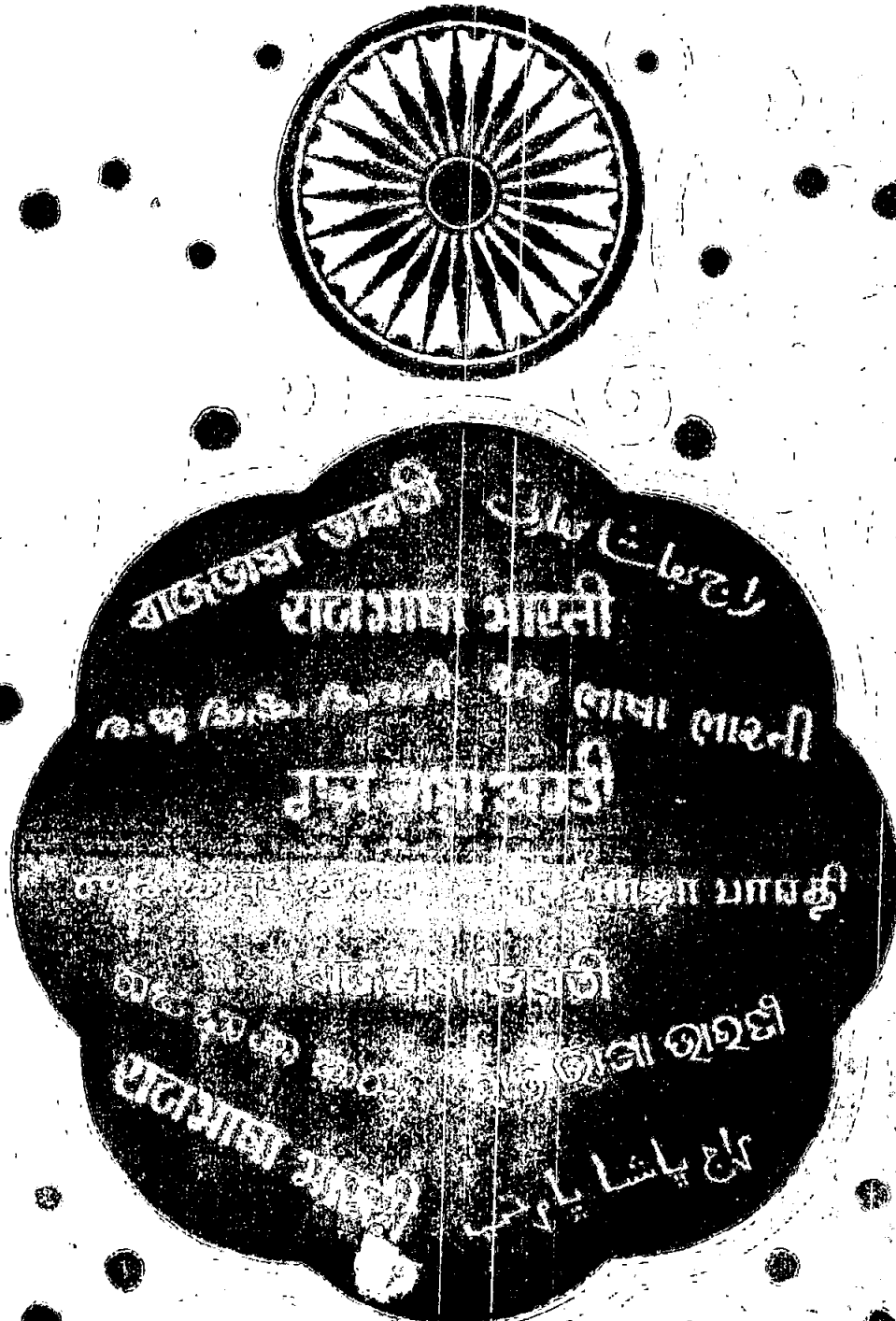

राजभाषा विभाग

गृह मंत्रालय, भारत सरकार

नई दिल्ली

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

अक्तूबर-दिसम्बर, 1984 वर्ष 7, अंक 27

संपादक
राजेन्द्र कुशवाहा
उप संपादक
जयपाल सिंह

पत्र व्यवहार का पता :
संपादक, राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
लोकनायक भवन (प्रथम तल),
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

फोन : 617657

पत्रिका में प्रकाशित लेखों की अभियुक्ति से राजभाषा विभाग का सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

(निःशुल्क वितरण के लिए)

विषय-सूची

	पृष्ठ
श्रीमती इंदिरा गांधी जी को राष्ट्र की श्रद्धांजलि—गृह मंत्री श्री नरसिंह राव	(iv)
कुछ अपनी———कुछ आपकी	1
1. राजभाषा हिन्दी : सरलता का प्रश्न—श्री कलानाथ शास्त्री	6
2. सरल हिन्दी—डा. कैलाश चन्द्र भाटिया	8
3. भाषा वही, जो भावों को सही अर्थ में प्रकट करे—डा. शंकर दयाल सिंह	11
4. प्रयोजनमूलक हिन्दी और उसमें अन्तर्निहित अनुवाद की प्रक्रिया—भैरवनाथ सिंह	13
5. तकनीकी हिन्दी का विकास : शोध की नई दिशाएं—डा. ओम विकास	15
6. हिन्दी देश के एकीकरण की भाषा—श्री वासुदेव सिंह	20
7. पुरानी यादें नए परिप्रेक्ष्य में—राहुल सांकृत्यायन	23
8. हिन्दी चली समुन्दर पार : सुरीनाम से एक रपट—डा. कामता कमलेश	26
समिति समाचार	
(1) केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक	30
(2) वाणिज्य मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक	32
(3) शिक्षा मंत्रालय	33
(4) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	34
(5) कृषि मंत्रालय	35
(6) संसदीय कार्य मंत्रालय	36
(7) श्रम और पुनर्वास मंत्रालय	36
(8) ग्रामीण विकास मंत्रालय	37
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन	
(1) बड़ौदरा	38
(2) नागपुर	39

विषयसूची—जारी

पृष्ठ

(3) भोपाल 42
(4) नई दिल्ली 43
(5) आगरा 44
(6) मुरादनगर 45

हिन्दी दिवस और हिन्दी सप्ताह समारोह का आयोजन

हिन्दी दिवस

(1) महालेखाकार कार्यालय, तमिलनाडु एवं पांडिचेरी 48
(2) महा डाकपाल, तमिलनाडु परिमंडल का कार्यालय 48
(3) मौसम विज्ञान के अपर महानिदेशक का कार्यालय 50
(4) आकाशवाणी, पुणे 51
(5) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क समाहर्ता मुख्यालय, पुणे 51
(6) केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्, इंडियन आयल शाखा, बम्बई 52
(7) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, बम्बई 52
(8) भारत प्रतिभूति मुद्रणालय / चलार्थ पत्र मुद्रणालय, नासिक 53
(9) राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी, नागपुर 54
(10) जीवन बीमा निगम, नागपुर 54
(11) हिन्दुस्तान कापर, कलकत्ता 55
(12) लोहा और इस्पात नियंत्रक, कलकत्ता 55
(13) आयकर आयुक्त रेंज-2, वड़ौदा 56
(14) पंजाब नैशनल बैंक, अहमदाबाद 56
(15) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, चण्डीगढ़ (पंजाब) 57
(16) पंजाब नैशनल बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, रोहतक 58
(17) सिंडीकेट बैंक, आगरा 58
(18) इलाहाबाद बैंक, भोपाल 59
(19) सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली 59
(20) कोयला खान श्रमिक कल्याण संस्था, धनबाद 60
(21) इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि., इलाहाबाद 61
(22) आयकर विभाग, आगरा 61

हिन्दी सप्ताह

(1) पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय, केरल परिमंडल 62
(2) पुणे टेलीफोन्स 62
(3) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पुणे 63
(4) गुजरात रिफाइनरी, वड़ौदा 63
(5) रेलवे स्टाफ कालेज, बड़ौदरा 64
(6) आयकर कार्यालय, नागपुर 64

विषय-सूची—जारी

पृष्ठ

(7) नागपुर टेलीफोन्स 65

(8) नगर हिन्दी सप्ताह समिति, बम्बई 66

(9) बैंक नोट मुद्रणालय, देवास 67

(10) दी फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया, नई दिल्ली 58

(11) दिल्ली दूर संचार 69

(12) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, नई दिल्ली 70

(13) मंडल रेल प्रबन्धक, कार्यालय, जोधपुर 70

(14) डाक-तार लेखा परीक्षा कार्यालय, लखनऊ 71

हिन्दी कार्यशालाएं

(1) डाक परिमंडल कार्यालय, तिरूवनंतपुरम 72

(2) दूरदर्शन केन्द्र, बम्बई 73

(3) आयुध निर्माणी, वरनगांव 74

(4) दि इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, बर्नपुर 74

(5) यूनाइटिड बैंक आफ इण्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली 75

(6) कैनरा बैंक, नई दिल्ली 76

(7) बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन, नई दिल्ली 77

(8) नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन, नई दिल्ली 78

(9) देना बैंक, नई दिल्ली 79

(10) सेन्ट्रल बैंक, नई दिल्ली 79

(11) गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग, नई दिल्ली 80

श्रीमती इंदिरा गांधी जी को राष्ट्र की श्रद्धांजलि

(माननीय गृह मंत्री श्री नरसिंह राव जी द्वारा आकाशवाणी से 11-11-1984 को 19-40 बजे प्रसारित)

देवतात्मा हिमालय के शिखरों पर दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा जी के अस्थि-पुष्प बिखेरे जाने के साथ आज वह दुखद और दारुण अध्याय भी पूरा हो गया जिसकी शुरुआत उनकी निर्मम हत्या से हुई थी। उनका इस समय, जबकि भारत एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, इस प्रकार सहसा बिछुड़ जाना करोड़ों भारतीयों के लिए ही नहीं, बल्कि विश्व के लिए एक दिल दहलाने वाली घटना थी जिससे भारत के साथ सारा विश्व अवाक्, स्तब्ध और शोक-मग्न हो गया। उन पर किया गया प्रहार किसी एक व्यक्ति पर किया गया प्रहार नहीं है बल्कि वह प्रहार है विश्वास पर, उदारता पर और मानवीय मूल्यों पर जिससे सम्पूर्ण मानवता कराह उठी है। उनके दुखद अकाल निधन से राष्ट्र को जो क्षति पहुंची है उसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। उन्होंने लम्बे समय तक राष्ट्र का कुशल मागदर्शन किया। वे चाहती थीं कि यह देश इतना मजबूत और शक्तिशाली बन जाए कि वह विश्व के अत्यधिक समुन्नत देशों में अपना सिर ऊंचा कर सके। यही उनका स्वप्न था जिसे कार्यरूप देते हुए उन्होने अपने प्राणों की आहूति दे दी। इंदिरा जी का विचार था कि भारत ही वह देश है जो आज नहीं तो कल विश्व का नेतृत्व करेगा। उनकी इस धारणा के पीछे उनका यह अटूट विश्वास था कि भारत की आत्मा अमर और अजेय है। वह बार-बार भारत की इस अजेय आत्मा की ओर संकेत करती थीं और कहती थीं कि वह अपने भीतर जो शक्ति पाती हैं उसका स्रोत भी भारत की यही अजेय आत्मा है। यद्यपि इंदिरा जी शहीद हो गई पर इंदिरा जी की आत्मा अमर है।

इंदिरा जी का निधन एक ऐसी रिक्तता है जिसे भरा नहीं जा सकता, एक ऐसी क्षति है जो पूरी नहीं की जा सकती, एक ऐसी कमी है जो हमेशा खटकती रहेगी। उनकी मृत्यु से विश्व ने एक महान राजनेता, भारत ने एक अनुपम जननेता और समूची मानवता ने एक महामानव खो दिया है।

इंदिरा जी जैसी इंसान थीं वैसे इंसान बिरले होते हैं। वे इंसानियत का ऋंगार थीं। ऐसे इंसान जीवन का मोह नहीं करते। वे मृत्यु से नहीं डरते। ऐसे अदम्य साहसी एवं निर्भीक व्यक्तित्व को भौतिक सुख-दुख विचलित नहीं करते। बाधायें उन्हें रोक नहीं पातीं कष्ट उन्हें अधीर नहीं बनाते तथा संकट उन्हें त्रस्त नहीं करते। वे चुनौतियां झेलते हैं, संघष करते हैं और मुश्किलों से लड़ते हैं, पर अपना मार्ग नहीं बदलते, अपने लक्ष्य से विमुख नहीं होते, अपने सिद्धांत नहीं छोड़ते। इंदिरा जी का व्यक्तित्व ऐसा ही जुझारू था, जिसने सारी जिन्दगी अन्याय से सतत संघर्ष किया, शोषण का विरोध किया तथा अत्याचार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलन्द की। उनका जीवन उच्च आदर्शों के लिए जीना था और मरना उच्च आदर्शों के लिए मरना था।

इंदिरा जी देश के करोड़ों लोगों के लिए आशा की किरण थीं। वे अंत्यजों, दलितों और शोषितों की आवाज थीं। वे उनकी आशाओं और आकांक्षाओं का केन्द्र थीं। उनसे अकिंचन और सर्वहारा वर्ग के जीवन में आशा के फूल खिलते थे, रातों का अंधेरा खत्म होता था और प्रकाश की नई किरण फूटती थी। उनके दिल की धड़कन करोड़ों भारतीयों के दिलों की धड़कन थी। उनकी आत्मा भारत की आत्मा थी। उनका दर्शन भारत का दर्शन था। जिधर वे झुकीं, करोड़ों मस्तक झुक गए। जिधर वे चलीं, करोड़ों चल पड़े। जिधर वे मुड़ीं, करोड़ों कदम मुड़ गए।

उनके जीवन का प्रति पल देश के लिए समर्पित था। इंदिरा जी जीवन भर देश की एकता और अखण्डता के लिए लड़ती रहीं। साम्प्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय सौहार्द के लिए उन्होंने भगीरथ प्रयास किए। राष्ट्र के उत्थान, विकास और प्रगति के लिए अहर्निश यत्नशील रहीं। जाति, धर्म और संस्कारों की भिन्नता के बावजूद सारे भारतीय उनके अपने थे। सभी भारतीयों के दुख, दर्द और सपने उनके थे। उन्हीं के लिए इंदिरा जी ने अपनी शहादत दी, एक ऐसी शहादत जो वतन की जिन्दगी होती है।

इंदिरा जी ने शासन की जिम्मेदारी संभालते ही कई ऐसे क्रांतिकारी कदम उठाए जिसने देश की उन्नति के लिए नये रास्ते खोल दिए। वे यह मानती थीं कि यह देश उन सब लोगों का है जो इस देश में रहते हैं, चाहे वे किसी भी वर्ग, धर्म या विश्वास के हों। वे चाहती थीं कि आजादी देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे और आजादी ने जो भी साधन और सुख सुविधाएं दी हैं उनका लाभ प्रत्येक देशवासी को पहुंचे। "गरीबी हटाओं" का नारा उन्होंने इसी उद्देश्य से दिया था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम इसी

लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बनाये गये थे। उनकी मान्यता थी कि जब तक निर्धन और दलित वर्गों को भी राष्ट्र-निर्माण के कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाएगा तब तक राष्ट्र का विकास सही दिशा में नहीं हो सकेगा। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े और कमजोर वर्गों के लिए उनके मन में विशेष सहानुभूति थी। वे सच्चे दिल से चाहती थीं कि इन वर्गों का जीवन-स्तर ऊपर उठे जिससे राष्ट्रीय उन्नति में वे अपनी भूमिका निभा सकें।

लोकतंत्र और धर्म-निरपेक्षता के मूल्यों से वे न केवल बहुत लगाव महसूस करती थीं बल्कि उनका दृढ़ विश्वास था कि भारत की अखण्डता को बनाए रखने के लिए इन मूल्यों का बहुत अधिक महत्व है। उनकी मान्यता थी कि लोकतंत्र और धर्म-निरपेक्षता दोनों ही भारतीय जन-मानस के अभिन्न अंग हैं और साथ ही देश की परंपरा के अनुकूल भी है। भारत जैसे देश में जहां विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं धर्म-निरपेक्षता एक ऐसी आवश्यकता है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। उन्हें ऐसी शक्तियों से बड़ी घृणा थी जो धर्म-निरपेक्षता को छिन्न-भिन्न करना चाहती थीं। इंदिरा जी ऐसी शक्तियों की कठोर शब्दों में निन्दा करती थीं और उन्हें विघटनकारी तत्व मानती थीं। सभी धर्मों के प्रति आदर का भाव जो भारतीय संस्कृति और चिन्तन की भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है, उनके व्यक्तित्व का एक अंग था। वे चाहती थीं कि विभिन्न धर्मों के अनुयायी आपस में मिलजुल कर रहें और सभी देशवासी इसी भावना से ओत-प्रोत हों। उनका विश्वास था कि भारतीय संस्कृति अनेकता में एकता का जो दृश्य प्रस्तुत करती है वह भारत की अपनी ही विशेषता है जिसे बनाए रखना बहुत आवश्यक है।

इंदिरा जी का देश प्रेम वास्तव में मानव-प्रेम का ही एक एक रूप था। अपने महान पिता की भांति उन्हें भी समस्त मनुष्य जाति से प्रेम था। वे चाहती थीं कि सभी देश अपनी जीवन पद्धति के अनुसार सम्मानपूर्वक जी सकें। बड़ा देश छोटे देशों के लिए खतरा न बने। प्रत्येक देश आत्म सम्मान के साथ अपना अस्तित्व बनाये रख सके। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन इसी दिशा में एक सार्थक प्रयास था। इस आन्दोलन के प्रवर्तकों में स्व. पं. जवाहर लाल नेहरू अग्रणी थे। इस आन्दोलन को इंदिरा जी ने नई शक्ति प्रदान की। इस दिशा में उन्होंने जो महत्वपूर्ण कार्य किये उनके फलस्वरूप गुट-निरपेक्ष देशों ने इस आन्दोलन के नेतृत्व का दायित्व उनको सौंप दिया। इससे भारत का गौरव बढ़ा और विश्व में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी। इसी प्रकार राष्ट्र मण्डलीय शासनाध्यक्षों का सम्मेलन भी एक ऐसी घटना थी जो इंदिरा जी के शासनकाल में घटी और जिसका पूरा श्रेय भी इंदिरा जी को ही है।

इंदिरा जी की आकांक्षा थी कि भारत की उन्नति सभी दिशाओं में हो। उन्हें जहां भारतीय परम्परा से अटूट लगाव था वहां वे यह भी चाहती थीं कि भारत आधुनिक विज्ञान और टैक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी खूब उन्नति करे। भारत अन्तरिक्ष युग में प्रवेश कर सका, इसका श्रेय भी इंदिरा जी को ही है। परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विज्ञान के क्षेत्रों में भारत ने जो अद्भुत प्रगति की है, वह भी उनके प्रयत्नों का ही फल है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने का श्रेय उन्हीं के कारण है।

इंदिरा जी के व्यक्तित्व के अनेक आयाम थे। अपनी व्यस्तताओं के बावजूद वे कला और साहित्य के लिए भी कुछ समय निकालती थीं। इस क्षेत्र में भी उनका संरक्षण चिर-स्मरणीय रहेगा। खेलों में भी उनकी रुचि थी और और इस क्षेत्र में भी वे देश का सिर ऊंचा करना चाहती थीं। नई दिल्ली में एशियाई खेलों का आयोजन उनके प्रयत्नों से ही हुआ और इससे देश की प्रतिष्ठा बढ़ी।

इंदिरा जी भले ही अपने पार्थिव शरीर से हमारे मध्य नहीं हैं, उनकी स्मृतियां हमारे साथ हैं, उनका आचरण हमारे समक्ष है और उनका दर्शन हमारे पास है। उनका पार्थिव शरीर नहीं रहा, उनकी यशस्काया दिग्दिगंत में व्याप्त है। उनकी कीर्ति युग-युगों तक शेष रहेगी। मृत्यु चाहकर भी उसे छू नहीं सकती, उसके काले हाथ उसे कलंकित नहीं कर सकते और छाया उसे कलुषित नहीं कर सकती।

आज सारे भारत में देशवासी मिलकर अपने प्रिय नेता की याद में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम उनके दिखाये रास्ते पर चलेंगे। हम संकल्प लेते हैं कि हम राष्ट्र की एकता और अखण्डता को सदा बरकरार रखेंगे। साम्प्रदायिक सद्भाव हर कीमत पर कायम रखेंगे। राष्ट्रीय सौहार्द के पथ से कभी विचलित नहीं होंगे। इंदिरा जी के आदर्शों, स्वप्नों और इच्छाओं के अनुरूप सशक्त, सक्षम और समर्थ भारत का निर्माण करेंगे तथा इस ध्येय की पूर्ति में समर्पित अपने प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के हाथों को दृढ़ संकल्प होकर मजबूत करेंगे।

□□□

कुछ अपनी

प्रस्तुत अंक ऐसे समय में प्रेस में जा रहा है जबकि सारा देश शोक संतप्त है। 31 अक्तूबर, 1984 को प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी देश की अखण्डता के लिये शहीद हो गईं। जनमानस पर एक वज्रपात हुआ। इस दुखद घटना से एक दिन पूर्व ही उन्होंने कहा था "अगर देश की सेवा के लिये मैं मर भी जाऊं तो मुझे इस बात पर गर्व ही होगा। मुझे यकीन है कि मेरे खून का हर कतरा इस देश के विकास में तथा इसे उन्नत व मजबूत बनाने में सहायक होगा।" क्या पता था कि दूसरे दिन ही यह सब घट जाएगा।

19, नवम्बर, 1917 को इलाहाबाद में जन्मी इंदिरा प्रियदर्शिनी पर उनके बचपन में महात्मा गांधी, पंडित मोतीलाल नेहरू, उनके पिता पंडित जवाहर लाल नेहरू और भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन के अन्य महान नेताओं का प्रभाव पड़ा। अपने जीवन के प्रारंभ से ही वे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय हो गई थीं।

श्रीमती इंदिरा गांधी की शिक्षा इलाहाबाद, पुणे, शांतिनिकेतन, बम्बई, स्विटजरलैंड और ऑक्सफोर्ड में हुई। अलग-अलग जगहों पर शिक्षा प्राप्त करने के कारण उन्होंने पूर्व और पश्चिम की संस्कृति को आत्मसात कर लिया था। श्रीमती इंदिरा गांधी 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य बनी, अगस्त, 1942 में कांग्रेस महासमिति के अधिवेशन में सम्मिलित हुई जिसमें "भारत छोड़ो" प्रस्ताव पारित हुआ। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और मई, 1943 तक उन्हें जेल में बंदी रहना पड़ा।

श्रीमती इंदिरा गांधी 1955 में कांग्रेस कार्य समिति की सदस्य तथा 1958 में कांग्रेस संसदीय मंडल की सदस्य बनी, 1959 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना लिया गया, 1964 में पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद वे लालबहादुर शास्त्री मंत्रिमंडल में सूचना व प्रसारण मंत्री के रूप में शामिल हुई।

श्री लालबहादुर शास्त्री के आकस्मिक निधन के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी 24 जनवरी, 1964 में प्रधान मंत्री बनीं। उन्होंने इस हैसियत से मार्च 1977 तक देश का नेतृत्व किया। 1977 में उनकी पार्टी लोकसभा के चुनाव में पराजित हो गई और वे जनवरी, 1980 में दुबारा चुनाव में विजय प्राप्त कर पुनः सत्ता में लौट आईं।

संयुक्त राष्ट्र संघ के आदर्शों के प्रति समर्पित, शांति की अग्रदूत, मुक्ति आंदोलन में अग्रणी श्रीमती इंदिरा गांधी राजभाषा हिन्दी के प्रति सदैव सजग रहीं। तीनों विश्व हिन्दी सम्मेलन श्रीमती इंदिरा गांधी के संरक्षकत्व में आयोजित किये गये। केन्द्रीय हिन्दी समिति की वे अध्यक्ष थीं। राजभाषा के सफल कार्यान्वयन के लिये श्रीमती इंदिरा गांधी के ही कार्यकाल में राजभाषा विभाग की स्थापना हुई। इस हृदयविदारक दुखद घटना से हम सब शोकसंतप्त हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा सुझाये गये मूल्यों का अनुसरण ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है।

राजभाषा भारती के 26वें अंक में पाठकों का ध्यान तकनीकी विषयों को हिन्दी में अभिव्यक्त करने की सामर्थ्य की ओर दिलाने की चेष्टा की गई थी। प्रस्तुत 27वें अंक में हिन्दी के सरलीकरण की ओर ध्यान देने की चेष्टा की जा रही है। प्रायः यह कहा जाता है कि हिन्दी को सरल किया जाना चाहिये। यह सरलीकरण सरल शब्दों के व्यवहार से किया जाए अथवा वाक्य रचना से ? क्या सरलीकरण का संबंध विषय वस्तु से है ? क्या केन्द्रीय कार्यालयों में ऐसी स्थिति आ गई है कि भाषा के सौष्ठव पर ध्यान दिया जाए आदि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन पर इस अंक में प्रकाश डाला गया है। राजस्थान सरकार के भाषा विभाग में निदेशक श्री कलानाथ शास्त्री ने राजभाषा हिन्दी और संपर्क भाषा भाषिक संरचना की दृष्टि से भाषा के सरलीकरण पर विचार किया है। सुधी पाठकों के चिंतन के लिये इसमें पर्याप्त सामग्री मिल जाएगी। प्रसिद्ध भाषा शास्त्री डा. कैलाश चन्द्र भाटिया ने भाषा विज्ञान की पृष्ठभूमि के आधार पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हिन्दी के सरलीकरण पर विचार प्रस्तुत किया है। आशा है डा. भाटिया के इस लेख से हिन्दी के सरलीकरण से संबंधित प्रश्नों का समाधान हो सकेगा। केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के निदेशक श्री भैरवनाथ सिंह ने अपने लेख में प्रयोजनमूलक हिन्दी और उसमें अन्तःनिहित अनुवाद की प्रक्रिया में हिन्दी के सरलीकरण पर भी प्रकाश डाला है। भूतपूर्व संसद सदस्य श्री शंकरदयाल सिंह ने अपने लेख "भाषा वही जो भावों को सही अर्थ में प्रकट करे" बड़े सरल सहज रूप में हिन्दी के सरलीकरण पर विचारणीय मुद्दे प्रस्तुत किये हैं।

उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री श्री वासुदेव सिंह ने अपने लेख 'हिन्दी देश के एकीकरण की भाषा' में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण संदर्भ में विचार प्रस्तुत किये हैं। डा. ओम विकास का लेख 'तकनीकी हिन्दी का विकास–शोध की नयी दिशाएं' के अन्तर्गत विचारणीय सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं।

राजभाषा भारती में 'पुरानी यादें-नये परिप्रेक्ष्य' नामक स्थायी स्तंभ प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत 25वें अंक में स्व. जवाहरलाल नेहरू एवं विश्वनाथ प्रसाद के लेख दिये जा चुके हैं तथा 26वें अंक में देवकीनन्दन खत्री और पंडित मदनमोहन मालवीय के लेख दिये गये हैं। इसी शृंखला में प्रस्तुत अंक में पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा 1948 में स्थापित प्रकाशन विभाग से प्रकाशित विचार और विमर्श से उद्धृत महापंडित राहुल सांकृत्यायन का लेख "भारत की राष्ट्र भाषा और लिपि" दिया जा रहा है। राहुल जी द्वारा प्रस्तुत किये गये विचार आज भी विचारणीय हैं।

इस अंक में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों/निगमों आदि में मनाए गए हिन्दी दिवस और हिन्दी सप्ताह के विवरणों को भी समाहित कर लिया गया है। विभिन्न मंत्रालयों/कार्यालयों/बैंकों द्वारा आयोजित हिन्दी कार्यशालाओं का विवरण भी इस अंक में दिया जा रहा है। स्थान के अभाव के कारण 'विविधा' एवं 'राजभाषा हिन्दी के बढ़ते चरण' दोनों स्तम्भ इस अंक में प्रकाशित नहीं किए जा रहे हैं।

कुछ आपकी

'राजभाषा भारती' का अप्रैल-जून, 1984 का अंक देखा। इसमें राजकीय स्तर पर हिन्दी के प्रचार तथा प्रसार का अच्छा प्रयास किया गया है।

पूरे देश में शासकीय कार्यों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। आज आवश्यकता इस बात की है कि विभिन्न राज्यों में हो रही हिन्दी की प्रगति के विवरण को भी इस पत्रिका के माध्यम से लोगों की जानकारी में लाया जाए। इसके साथ ही शासकीय कार्यों में हिन्दी के प्रयोग में एकरूपता हो, उसकी दिशा में पत्रिका के माध्यम से प्रयास किया जाना चाहिए।

वासुदेव सिंह
मंत्री, आबकारी एवं मद्य निषेध,
उत्तर प्रदेश

आपके द्वारा भेजा "राजभाषा भारती" का अप्रैल-जून 1984 का 25वां अंक प्राप्त हुआ। यह देखकर प्रसन्नता हुई कि "हिंदी" जिसे कि राष्ट्रभाषा घोषित किया जा चुका है, उसके विकास की दिशा में भारत सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहें हैं।

जैसा कि सबों को विदित है हिंदी सब भाषाओं में अधिक सरल, व आसानी से समझी व बोली जाने वाली भाषा है। इसका स्थान विश्व की चौथी भाषा में आज आता है। कुछ समझ में नहीं आता कि आज कतिपय जन इसका विरोध क्यों करते हैं। देश को एक सूत्र में बांधने के हेतु भाषा का योगदान अधिक हो सकता है। आज के युग में जब कि देश में विघटनकारी तत्व अशांति फलाने की ओर अग्रसर हैं, मेरे विचार से हिन्दी को अपनाकर हम देश को एक मजबूत कड़ी में रख सकने में समर्थ हों सकेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ में आप के प्रयासों की प्रशंसा करता हूं।

डा. ओंकारनाथ चतुर्वेदी
कुल सचिव, रूड़की विश्वविद्यालय, रूड़की

"राजभाषा भारती" का 25वां अंक प्राप्त हुआ। जो भी सूचना इस पत्रिका के माध्यम से दी जा रही है निश्चित रूप से विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों के लिए उपयोगी हैं।

राम सूरत
कुल सचिव
रूहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली
(उ. प्र.)

"राजभाषा भारती" का अप्रैल-जून 1984 का 25वां अंक मिला। "राजभाषा भारती" के माध्यम से सरकारी कामकाज एवं अन्य क्षेत्रों में हिन्दी के बढ़ते चरण इस पत्रिका की सफलता का उद्घोष करते हैं। इस अंक से "राजभाषा अधिनियम-अनुपालन और सरकारी कर्मचारियों की कर्तव्यनिष्ठा", "राजभाषा का स्वरूप और विकास" तथा 'हिन्दी का अखिल भारतीय स्वरूप" लेख पठनीय एवं अत्यंत उपयोगी है। मैं आशा करूंगी कि आगामी राजभाषा अकों में एक ऐसा भी स्थायी स्तम्भ हो जिसके द्वारा राज्य की राजभाषाओं की प्रगति के बारे में भी विचारों का आदान प्रदान किया जाए। वैसे यह कार्य कठिन अवश्य है किन्तु देश की राजभाषा के साथ-साथ यदि राज्यों की राजभाषाओं की प्रगति की भी जानकारी मिलती रहे तो वह सरकारी एवं अन्य क्षेत्रों में हिन्दी तथा राज्य की राजभाषाओं के उत्तरोत्तर विकास के लिए सहायक सिद्ध होगी। इसे मात्र एक सुझाव समझकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें यही हमं सब की अभिलाषा है।

डा. न. व. पाटील
भाषा संचालक
महाराष्ट्र शासन

"राजभाषा भारती" का अंक-25 (अप्रैल जून 1984) प्राप्त हुआ। राजभाषा के अनुपालन एवं सरकारी कर्मचारियों की तत्संबंधी प्रगति के बारे में यह पत्रिका उपयोगी सामग्री प्रकाशित करती रही है। इस अंक में भी "राजभाषा हिन्दी के बढ़ते चरण" शीर्षक के अंतर्गत विभिन्न सरकारी संस्थाओं द्वारा हिन्दी की प्रगति के संबंध में जानकारी हुई। पंडित जवाहर लाल नेहरू एवं. डा. विश्वनाथ प्रसाद के महत्वपूर्ण विचारों का प्रकाशन भी एक सराहनीय प्रयास है।

आशा है कि यह त्रैमासिकी इसी प्रकार राजभाषा के स्वरूप और विकास पर क्रमशः प्रकाश डालती रहेगी।

त्रिलोचन पाण्डेय
आचार्य एवं अध्यक्ष, हिन्दी एवं भाषा
विज्ञान विभाग, रानी दुर्गावती
विश्वविद्यालय, जबलपुर

आपका 3 सितम्बर, 1984 का पत्र मिला। मैं शीघ्र ही लेख भेज दूंगा। पत्रिका अच्छी और उपयोगी निकल रही है बधाई।

सुधाकर पाण्डे
संसद सदस्य (राज्यसभा)
प्रधान मंत्री
नागरी प्रचारिणी सभा,
वाराणसी

"राजभाषा भारती" का 24वां अंक प्राप्त हुआ। इस अंक की सामग्री हिन्दी के प्रचार व प्रसार अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी विशेष रूप से हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का "हिन्दी—विश्व मैत्री की एक कड़ी" तथा इसी आधार पर प्रकाशित अन्य लेख राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय मैत्री के लिये सहायक सिद्ध होंगे।

आपका यह अंक स्वदेशी एवं विदेशी मित्रता के माध्यम से हिन्दी के प्रचार प्रसार का प्रशंसनीय प्रयास है।

मैं इस अवसर पर राजभाषा भारती के सम्पादक मण्डल, तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के आयोजकों एवं समस्त लेखकों का अभिनन्दन करता हूं।

आई. वेंकटरामन
वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्र)
कार्यालय महालेखाकार महाराष्ट्र,
नागपुर

"राजभाषा भारती" का अंक 25 प्राप्त हुआ, धन्यवाद।

प्रस्तुत अंक में श्री देवेन्द्र चरण मिश्र का लेख "सांविधानिक परिप्रेक्ष्य में राजभाषा की प्रगति—एक विवेचन" बहुत उपयोगी लगा। "अखिल भारतीय स्वरूप" पर डा. राव तथा डा. तिवारी के आलेख मिलकर इस विषय पर परिचर्चा के लिए आधार भूमि तैयार करते हैं। "पुरानी यादें नए परिप्रेक्ष्य" नया स्तम्भ बहुत अच्छा लगा। नेहरू जी का यह निबंध पुस्तकाकार प्रकाशित है। वस्तुतः इससे ही प्रेरणा लेकर आवृत्ति के आधार पर प्रथम बहुप्रयुक्त 2000 शब्दों की सूची तैयार की गई थी जो मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से "हिन्दी की बेसिक शब्दावली शीर्षक से प्रकाशित है। इसी स्तम्भ में सन् 1927 में चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी द्वारा हिन्दी के महत्व पर लिखी गई भूमिका प्रकाशित होनी चाहिए। अब तो अंतरिक्ष में भी "हिन्दी" गुंजरित हो चुकी है।

ऐसी उपयोगी सामग्री से भरपूर अंक के लिए मेरी हार्दिक बधाइयां स्वीकार करें।

कैलाश चन्द्र भाटिया
प्रो. हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाएं
ला. बा. शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन
अकादमी, मसूरी-248179

"राजभाषा भारती" अंक 25 (अप्रैल-जून 1984) मिला। आपके संपादन में पत्रिका उत्तरोत्तर प्रगति कर रही है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं।

इस अंक में डा. कैलाश चन्द्र भाटिया का लेख "राजभाषा का स्वरूप और विकास" महत्वपूर्ण है। हिन्दी के ऐतिहासिक विकासक्रम को स्पष्ट करते हुए श्री भाटिया ने विभिन्न कालों में सरकारी कामकाज में आने वाली भाषा के रूप में इसके व्यवहृत होने के प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने सरकारी और गैर-सरकारी स्तर पर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों को रेखांकित किया है।

डा. शशि शेखर तिवारी ने अपने लेख में हिन्दी की सार्वदेशिकता की चर्चा करते हुए उसकी अन्तर्प्रांतीय शब्दों, पदबंध और वाक्य विन्यास की उपस्थिति बताई है तथा अंग्रेजी आदि भाषाओं से गृहीत शब्दावली के आधार पर उसमें अंतर्राष्ट्रीय भाषा की सामर्थ्य एवं संभावना की खोज की है।

पंडित जवाहर लाल नेहरू और डा. विश्वनाथ प्रसाद के महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित कर आपने एक प्रशंसनीय कार्य किया है।

जगदीश चतुर्वेदी
सहायक निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी
निदेशालय, रामकृष्णपुरम नई दिल्ली।

अंक 25 खूब निकाला है। सामग्री उपयोगी भी है, उपयुक्त भी। विशेष कर "राजभाषा का स्वरूप और विकास", "हिन्दी का अखिल भारतीय स्वरूप" तथा "पुरानी यादें, नए प्रपरिप्रेक्ष्य"। समिति समाचार के अतिरिक्त "महत्वपूर्ण अधिसूचना" भी बड़े काम की चीज है। पहिले आप हिन्दी में लिखी नई पुरानी ऐतिहासिक दस्तावेजों के ब्लाक भी छापते थे। उस फीचर को रद्द क्यों किया गया। हाँ, प्रूफ की भूलों से सचेत रहिएगा तथा छाया चित्रों की छपाई पर भी ध्यान समुचित दीजिएगा। अब की बार ये चित्र बहुत भद्दे छापे गए हैं।

प्रो. पृथ्वीनाथ पुष्प
भूतपूर्व निदेशक, पुस्तकालय एवं
अभिलेखागार, 33, गोगजी बाग,
श्रीनगर (काश्मीर)

राजभाषा भारती के 24वें अंक की प्रति प्राप्त हुई। धन्यवाद।

इस अंक में तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन से सम्बद्ध जो शेष सामग्री आपने प्रकाशित की है, वह अत्यन्त उपयोगी और महत्वपूर्ण है। इसमें सम्पादित और प्रकाशित लेख एक विश्वभाषा के रूप में हिन्दी की भावी सम्भावनाओं को उजागर करते हैं। दुनियां के दूसरे देशों में, हिन्दी की वर्तमान गति-प्रगति जानने की दृष्टि से यह अंक सर्वथा पठनीय और संग्रहणीय है।

डा. रवीन्द्र भ्रमर
वरिष्ट रीडर
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़

राजभाषा भारती का 25वां अंक मिला। राजभाषा के प्रचार-प्रसार की दृष्टि से पत्रिका की अपने आप में उपयोगिता है। डा. कैलाश चन्द्र भाटिया का 'राजभाषा का स्वरूप और विकास' लेख राजभाषा हिन्दी का कार्य करने वालों के लिए न केवल उपयोगी है, बल्कि राज्यशास्त्रों के अध्येताओं के लिए भी उपयोगी है।

जवाहर लाल नेहरू का राष्ट्रभाषा का प्रश्न पठनीय है और उसमें उठाये गए मुद्दे सचमुच आज भी विचारणीय हैं। राष्ट्रभाषा के रूप में अखिल भारतीय स्तर की भाषा कोई हो सकती है तो वह सिर्फ हिन्दी ही, नेहरू का यह विचार नहीं राष्ट्रीय दर्शन है।

राजभाषा भारती में पृष्ठ 43 पर समिति समाचार छपा है। केन्द्रीय हिन्दी समिति में त्रिभाषा सूत्र के क्रियान्वयन की बात उठी है। प्रधान मंत्री ने भी इससे सहमत होकर कहा कि इसके लिए निष्ठापूर्वक प्रयत्न किया जाना चाहिए।

त्रिभाषा सूत्र राष्ट्रीय एकता का सूत्र है। इस सूत्र को भारतीय संसद ने बहुमत से मान्यता दी है। त्रिभाषा सूत्रानुसार हिन्दी तथा हिन्दीतर प्रान्तों में भी राष्ट्रभाषा हिन्दी की पढ़ाई आवश्यक है। राजभाषा के रूप में हिन्दी को स्वीकार करने वाले राज्यों को चाहिए कि वे हिन्दीतर प्रादेशिक भाषाओं की पढ़ाई की व्यवस्था अपने राज्य में शाला स्तर पर करे। उसके लाभों से छात्रों तथा जनता को विभिन्न माध्यमों से अवगत किया जाना चाहिए। हिन्दी भाषी प्रान्तों में हिन्दीतर प्रादेशिक भाषाओं की पढ़ाई संविधान की धारा 351 के अनुसार हिन्दी की समृद्धि में साधक होगी। हिन्दी भाषी राज्यों के शिक्षितों को हिन्दीतर भाषी राज्यों में भी रोजगार तथा व्यापार का क्षेत्र अधिक वृहद होगा। आधुनिक हिन्दीतर भारतीय भाषाओं के समृद्ध साहित्य से हिन्दी भाषी बालकों का परिचय होगा तथा वे भारत की सामासिक संस्कृति को बल प्रदान करेंगे। आज भी त्रिभाषा सूत्र को योजनाबद्ध ढंग से कार्यान्वित करने की आवश्यकता है।

राजभाषा भारती के 25 वें अंक में 'अंतरिक्ष में गुंजरित हिन्दी के स्वर तथा 'राजभाषा और गौरवान्वित हुई, शीर्षक से प्रकाशित समाचार' महत्वपूर्ण है। ऐसे समाचारों तथा घटनाओं का राजभाषा भारती में समावेश आवश्यक है।

राजभाषा भारती एक उच्चकोटि की पत्रिका है। सम्पादक मण्डल बधाई का पात्र है।

विट्ठल नारायण चौधरी
महासचिव, अखिल भारतीय हिन्दी शिक्षक समिति,
रघुकुल, एम-11, नन्दनवन कालोनी,
नागपुर 440-009
(महाराष्ट्र)

राजभाषा भारती माह अप्रैल-जून, 1984 अंक 25 की एक प्रति प्राप्त हुई।

महामहिम राष्ट्रपति के मैक्सिको, अर्जेंटिना के विदेश यात्रा के समय दिए गए हिन्दी भाषण की जानकारी से लेकर अंतिम पृष्ठ में अंतरिक्ष में गुंजरित हिन्दी के स्वर तक सभी सामग्री बहुत ही पठनीय, उपयोगी, एवं मार्गदर्शक लगी। खासकर डा. भाटिया का राजभाषा का स्वरूप और विकास (भाग-1) डा. पाण्डुरंग राव का हिन्दी का अखिल भारतीय स्वरूप आदि के साथ गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा के कार्य के लिए जो प्रोत्साहन योजना शुरू की गयी है उससे जो व्यक्ति राजभाषा हिन्दी में कार्य करता होगा, अथवा करना चाहता है उन सभी को इससे प्रेरणा मिलेगी।

सेवकदास फुलमाली
प्राचार्य,
विभागीय प्रशिक्षण, केन्द्र,
खादी और ग्रमोद्योग आयोग,
त्रिम्बक विद्यामंदिर नासिक।

"राजभाषा भारती" का अंक 25 प्राप्त हुआ। राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा के प्रचार-प्रसार, चिंतन एवं स्वरूप के विषय में नवीनतम विवरण की, इसके द्वारा जानकारी मिलती है। हिन्दी के प्रसार एवं राजकीय विभागों में इसे लागू करने हेतु किए जा रहे प्रयासों के बारे में पढ़कर अत्यन्त संतोष होता है।

प्रस्तुत अंक भी इसं दृष्टि से संपूर्ण एवं श्रेष्ठ है। आपकी हिन्दी के प्रति यह महती सेवा स्तुत्य है।

प्रधानमंत्री
साहित्य मंडल, नाथद्वारा
(राजस्थान)

"राजभाषा भारती" का अप्रैल-जून, 1984 का 25वां अंक प्राप्त हुआ। धन्यवाद। इस अंक में विविध प्रकार की ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी सामग्री संचित की गई है, जिससे संघ सरकार के कामकाज के संबंध में संवैधानिक और कानूनी स्थिति की जानकारी प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार "राजभाषा भारती" सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग के निरंतर विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है।

ए. क. सेन
पोस्ट मास्टर जनरल
गुजरात सर्किल, अहमदाबाद-380009

राजभाषा भारती का 'राजभाषा भारती, अप्रैल-जून 1984 अंक-25 प्राप्त हुआ। धन्यवाद। इस बार लेख और अधिक सारगर्भित एवं समसामयिक बन पड़े हैं। निश्चित रूप से आपकी पत्रिका राजभाषा के

विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। इसी तरह से प्रस्तुत अंक संग्रहणीय है। बधाई स्वीकार करें।

नरेन्द्र सिन्हा
सम्पादक, आजकल

"राजभाषा भारती" का अप्रैल-जून 1984 का अंक पाकर बहुत खुशी हुई।

इस अंक में प्रकाशित भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में राजभाषा विभाग द्वारा किए गए प्रयासों का परिचय करवाता हुआ श्री देवेन्द्र चरण मिश्र, संयुक्त सचिव का निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण, मार्गदर्शक और उपयोगी सिद्ध हुआ तथा विद्वानों के अन्य निबंधों द्वारा राजभाषा हिन्दी के बार में वास्तविक स्थिति की जानकारी मिलती है और अपने कारोबार में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने की प्रेरणा प्राप्त होती है।

ग्या. तंगापंडी
प्रबंधक (विकास)
भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि.
एक्सप्रेस टावर्स, 10वां तल, पोस्ट बाक्स/
373, बम्बई-400021

राजभाषा भारती के अंक 24 की प्रति प्राप्त हुई।

यह प्रसन्नता की बात है कि राजभाषा भारती का रूप निरंतर निखरता जा रहा है तथा यह, जैसी कि आवश्यकता भी है, एक गंभीर, चिंतनपूर्ण और शैक्षिक महत्व की पत्रिका बनती चली जा रही है। इसे और अधिक उपयोगी बनाने के लिए सुझाव है कि इसमें नियमित रूप से प्रशासनिक हिन्दी के प्रयोग से संबंधित जानकारी तथा सामग्री भी जाए। प्रशासनिक अंग्रेजी से प्रशासनिक हिन्दी में अनुवाद के समस्यात्मक बिन्दु और उनके प्रस्तावित समाधान, प्रशासनिक हिन्दी के विविध उपभेदों के प्रतिमानगत प्रयोग, उनका भाषागत तथा सम्प्रेषणपरक पक्ष, अन्य भारतीय भाषाओं के प्रशासनिक भेद से प्रशासनिक हिन्दी की तुलना-समान तथा असमान बिंदु, प्रशासनिक हिन्दी की विभिन्न उपविधाओं के मानक प्रारूप, पारिभाषिक शब्दावली, विशिष्ट अभिव्यक्तियों तथा उनके उपयुक्त प्रयोग, आदि कुछ इसी प्रकार के बिन्दु हैं, जिनसे राजभाषा भारती का स्तर और भी ऊंचा उठ सकेगा।

अंत में विश्व हिन्दी सम्मेलन विशेषांक तथा परवर्ती अंक (सं. 24) की समृद्ध सामग्री के लिए हार्दिक बधाई।

डा. सुरेश कुमार
प्रोफेसर, अनुप्रयुक्त-भाषा विज्ञान, केन्द्रीय
हिन्दी संस्थान, आगरा।

'राजभाषा भारती' अप्रैल-जून 1984 के अंक की 25 प्रतियां प्राप्त। धन्यवाद

'राजभाषा भारती' में केन्द्रीय स्तर पर हिन्दी की स्थिति तथा उसे प्रशासनिक स्तर पर उचित स्थान प्रदान करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसका विस्तृत विवरण मिलता रहा है। प्रस्तुत अंक में 'राजभाषा हिन्दी के बढ़ते चरण', 'विविधा' स्तंभ के साथ-साथ 'महत्वपूर्ण अधिसूचना' प्रकाशित कर उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। राजभाषा भारती में 'विदेशों में हिन्दी' एक स्थायी स्तम्भ रहे तो अधिक उपयोगी रहेगा। 'राजभाषा भारती' के माध्यम से राजभाषा हिन्दी की प्रगति की जानकारी मिलती रहे यही कामना है।

जगदीश प्रसाद शर्मा
कार्यालय सचिव, अखिल भारतीय हिन्दी
संस्था संघ, 75, जवाहरलाल
नेहरू मार्ग, नई दिल्ली

'राजभाषा भारती' का अप्रैल-जून, 1984 अंक 25 आपके पत्र सं. 20034/13/83-सहित प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से यह पत्रिका विभिन्न सरकारी महकमों में हिन्दी में हो रहे काम काज संबंधी गति-विधियों की सही-सच्ची जानकारी देती है साथ ही हिन्दी के बढ़ते, प्रभाव क्षेत्र को भी इस अंक के कई लेखों में समेटे हुए हैं। साहित्यिक पत्र नहीं होने के बावजूद इसकी सरसता में कोई कमी नहीं है।

देवेन्द्र नाथ श्रीवास्तव
अवर सचिव (प्रशासन) भारतीय सांस्कृतिक संबंध
परिषद, आजाद भवन-इन्द्रप्रस्थ स्टेट
नई दिल्ली, 110002

81-M/B(N)387 MoHA—3(a)

राजभाषा हिन्दी—सरलता का प्रश्न

—कलानाथ शास्त्री

राजस्थान सरकार के भाषा विभाग के निदेशक श्री कलानाथ शास्त्री राजभाषा के प्रचार और प्रसार में सुपरिचित नाम है। प्रस्तुत लेख में शास्त्री जी ने राजभाषा हिन्दी और संपर्क भाषा हिन्दी की भाषिक संरचना की दृष्टि से भाषा के सरलीकरण पर विचार किया है। श्री शास्त्री जी का कथन है कि "भावी शब्द शास्त्री हिन्दी को सरल बनाने के लिए पर्यायों के बाहुल्य में थोड़ी कतरब्योंत का सहारा लेगा।"

जब से हिन्दी राजभाषा के रूप में विधि, प्रशासन और शिक्षा का माध्यम बनी है, एक बात सर्वदा इसके बारे में प्रत्येक मंच से कही जाती है, वह है उसकी कठिनता के बारे में। उसे सरल और सहज बनाने का अनुरोध विद्वानों द्वारा भी किया जाता है, नेताओं और अधिकारियों द्वारा भी। इस प्रश्न के पक्ष और विपक्ष में विचार मंथन की बहुत गुंजाइश है। जो सरलता की दलील बिना सोचे समझ देते हैं उन्हें बहुधा अनुभवी भाषाविद् यह कह कर समझाते हैं कि सरलता शब्द सापेक्ष है। किस प्रकार की सरलता आप चाहते हैं? कोई भी भाषा हो, उसके अनेक स्तर होंगे। बोलचाल की भाषा या चौराहे की भाषा अलग तरह की होगी (जिसे बहुत सरल कह लें) साहित्यक भाषा दूसरी तरह की, विज्ञान और उच्च शिक्षा की भाषा और भी अलग तरह की तथा कानूनी भाषा बिल्कुल अलग प्रकार की होगी। सड़कों पर बोली जाने वाली अंग्रेजी और कानूनी अंग्रेजी को ही देख लें, दोनों में कितना अन्तर है। उच्च शिक्षा और कानून की भाषा जन साधारण की भाषा से पृथक ही होगी, यह तो सार्वदेशिक स्थिति है। यह तर्क वस्तुनिष्ठ है और मान्य भी, किन्तु क्या इस तर्क के साथ ही सरलता कठिनता वाला यह प्रश्न सदा के लिये दफना दिया जाये।

यदि गहराई से सोचें तो इस प्रश्न के कुछ और आयाम निकलेंगे। यह मान लेने पर भी कि बोलचाल की हिन्दी और कानून या प्रशासन की हिन्दी (राजभाषा) अलग-अलग होगी, क्या यह आपको अनुभव नहीं होता कि अनेक स्थितियों में विधिक और प्रशासनिक हिन्दी केवल उस अर्थ में 'कठिन' मात्र नहीं है जिसमें बोलचाल की और स्तरीय भाषायें पृथक हो जाती हैं? उसमें कुछ और अधिक कृत्रिमता और असहजता स्पष्ट लगती है। हमें इसके कारणों को तलाशना होगा।

भाषाशास्त्रीय दृष्टि

वैसे भाषाशास्त्र का एक सामान्य सिद्धान्त है कि कोई शब्द कठिन या सरल नहीं होता, वह केवल अपरिचित और परिचित होता है। अपने आप में कठिन सा दिखने वाला शब्द यदि आपका परिचित है तो वह आपको सरल लगेगा। एक उदाहरण ही लें। हिन्दी का "ऊबड़ खाबड़" शब्द अपने आप में कठिन है पर हमें कठिन नहीं लगता। उसका एक संस्कृतनिष्ठ पर्याय है "अनजु"। शब्द तो यह छोटा सा है पर हमें कितना कठिन लगता है। कारण वही है। यह शब्द परिचित नहीं है। इस सिद्धान्त से यह तो स्पष्ट किया जा सकता है कि हिन्दी में विज्ञान, विधि या प्रशासन की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिये जो संज्ञायें नई बनानी पड़ी हैं उनमें से कुछ अपरिचित हैं इसलिये कठिन लगती हैं। यह कठिनता तब तक ही रहेगी जब तक वे परिचित न हो जायें। विधायक विधेयक आदि अनेक शब्द प्रारम्भ में कठिन लगे थे। अब परिचित हो गये हैं।

यह तो संज्ञाओं की बात हुई। कुल मिलाकर जिस हिन्दी का गठन आज अधिक कठिन और कृत्रिम लगता है उसका निदान अधिक गहराई में जा कर करना होगा। कानूनी और प्रशासनिक हिन्दी यदि नव-निर्मित टकसाली शब्दों के प्रयोग से बनाई जाये तो उसका गठन उसी प्रकार कृत्रिम लगता है जिस प्रकार कुछ आधुनिक साहित्यकारों द्वारा प्रयुक्त तथाकथित साहित्यिक भाषा जिसकी और एक बार अज्ञेय जी ने इशारा करते हुये कहा था कि बोलचाल में भी ऐसी, कृत्रिम, काव्यमयी सी भाषा बोलकर हम कौन सा नाटक करते हैं। इस कठिनता के दो कारण आसानी से सोचे जा सकते हैं। एक कारण तो यह है कि संज्ञाओं में भी इस अपेक्षा के कारण बहुत अधिक कृत्रिमता और जटिलता आ गयी है कि प्रत्येक शब्द अंग्रेजी शब्द का एक अलग हिन्दी पर्याय हो। इस अपेक्षा ने उपसर्ग लगा लगा कर बनाये गये अनेक अज्ञात और अनचीन्हे शब्दों को जन्म दिया है। डिफरेन्ट के लिये यदि भिन्न शब्द आ गया तो डिस्टिंक्ट के लिये सुभिन्न बनाना पड़ा। गवर्नमेंट के लिये शासन तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिये प्रशासन, अण्डर के लिये अधीन तो सब्जेक्ट टू के लिये अध्यधीन बनाना पड़ा। इससे कृत्रिमता बढ़ी है। "सुभिन्नतः" बोध के लिये यह दुर्बाधता क्यों? विज्ञान और विधि की कुछ अपेक्षायें अवश्य ही ऐसी है जो इस प्रकार अंग्रेजी के हर शब्द का अलग पर्याय चाहती हों। किन्तु सभी जगह ऐसी नटविद्या आवश्यक नहीं लगती। जैसे अंग्रेजी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो प्रसंग के कारण अलग-अलग स्थलों पर अलग अर्थ दे देते हैं वैसे ही संस्कृत और हिन्दी आदि सभी भाषाओं में ऐसे शब्द होते हैं। अंग्रेजी का "चार्ज" शब्द विभिन्न स्थलों पर कार्यभार (प्रशासन), आरोप (न्याय), आवेश (इंजीनियरी) आदि अनेक अर्थ दे देता है। उसके लिये हमारे यहां सभी अर्थ देने वाला कोई शब्द नहीं है। स्वभावतः हम प्रत्येक के लिये अलग-अलग, पर्याय रखेंगे। किन्तु हमारे यहां अनेक शब्द ऐसे हैं जो प्रयोग के द्वारा विभिन्न स्थलों पर अलग-अलग अर्थ दे सकते हैं। जैसे क्षेत्र शब्द खेत का

फील्ड का, स्फीयर का, सेक्टर का, फार्म का तथा अन्य अनेक सन्दर्भों का अर्थ देता रहा है। उसके लिये अलग-अलग पर्याय गढ़ने की दृष्टि से प्रक्षेत्र या क्षेत्रक जैसे शब्द बनाना जरूरी नहीं लगता। इसी प्रकार सहायता शब्द असिस्टेंस के लिये भी आ सकता है, हैल्प के लिये भी, एड के लिये भी। साधन मीन्स के लिये भी आता है और रिसोर्स के लिये भी। इन सब का अर्थ निर्धारण प्रयोग के द्वारा प्रसंगारूढ़ हो गया है। निश्चित ही भावी शब्दशास्त्री हिन्दी को सरल बनाने के लिये पर्यायों के बाहुल्य में थोड़ी कतरब्योंत का सहारा लेगा।

वाक्य गठन

वस्तुतः आज विधिक हिन्दी में जो कठिनता प्रतीत होती है वह कठिनता न हो कर कृत्रिमता या प्रकृति विरुद्ध गठन है। अंग्रेजी के अनुवाद की लम्बी प्रक्रिया के कारण हमने उसके गठन का भी उल्था जब से करना शुरू किया, यह कृत्रिमता अधिक पनपी है। अंग्रेजी में क्लाजों के द्वारा सम्मिश्र (पीरिओडिक) वाक्य गठन उसकी प्रकृति का अंग है। अनेक वाक्य विह्च और व्हैयर के द्वारा जुड़े हुये रहते हैं। उनके अनुवाद हिन्दी के एक वाक्य से करने की प्रवृत्ति उसे कृत्रिम ही बनायेगी। इसी का परिणाम है विधिक हिन्दी के ऐसे वाक्य "यतः ऐसा करना अभिप्रेत है अतः एतद्द्वारा यह अधिनियमित किया जाता है। "इसके बजाय वाक्य तोड़ कर लिखने से हिन्दी की प्रवृत्ति का अनुसरण होगा अतः यह सहज लगेगा जबकि उसके विधिक आशय को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। इस लचीले रुख से विधि क्षेत्र में चाहे कोई कानूनी अड़चन आशंकित हो, प्रशासन में तो कोई असुविधा नहीं लगती। इस प्रकार उसके स्वरूप को हम अधिक सरल ही बनायेंगे। अंग्रेजी वाक्य गठन की नकल के कारण अन्य अनेक ढांचे भी हिन्दी में ऐसे आ गये हैं जो अनगढ़ लगते हैं। कानूनी दस्तावेजों में खास कर आवेदन पत्रों मे प्रत्येक बिन्दु के बाद "यह कि" से वाक्य शुरू होना अंग्रेजी का सीधा प्रतिबिम्ब है। उनकी याचिकाओं में आवेदन का प्रत्येक वाक्य "दैट" से शुरू होता है। हिन्दी में उसकी नकल "यह कि" द्वारा करना कितना अजूबा लगता है, अनुभवी ही जान सकते है। इसी प्रकार उर्दू और अंग्रेजी के वाक्यों में पिता का नाम बाद में आने का जो प्रकार है (जैसे गोविन्द पुत्र गणेशीलाल या गोविन्द वल्द गणेशीलाल का उल्था है) वह भारतीय परम्परा में कभी नहीं था। यहां पिता का नाम पहले आता है (गणेशीलाल का पुत्र गोविन्द)। (महाराष्ट्र आदि जिन प्रान्तों में नाम के साथ ही पिता का नाम लगाते हैं वह परम्परा अलग है।) इस दृष्टि से इसमें अंग्रेजी के ढांचे की नकल करने के बजाय अपनी परम्पराओं के अनुरूप वाक्य गठन 'हिन्दी को निश्चित ही अधिक सहज बनायेंगे। इसी तरह का एक प्रयोग इन दिनों बहुत प्रचलित हुआ है। वह है विभक्ति चिन्हों के बीच में उप-वाक्य डालने का जैसे "प्रधान मंत्री, जो हाल ही में विदेश यात्रा से लौटी हैं, ने कहा कि"। इसम 'ने' को अलग लिख कर हम वाक्य को कितना अनगढ़ बनाते हैं। अच्छा हो 'प्रधान मंत्री ने' एक साथ लिख दिया जाये।

भाषिक विशेषताएं

ऊपर के विवरण में राजभाषा हिन्दी की कठिनता की ओर ही दृष्टिपात किया गया है। चूंकि राजभाषा के रूप में इस समय हिन्दी अंग्रेजी के आसन पर बैठने की प्रक्रिया में है और द्विभाषी स्थिति से गुजर रही है अतः यह तो निश्चित ही है कि यह कठिनता संक्रान्ति-कालीन और अस्थायी है। दूसरे शब्दों में, ज्यों-ज्यों नई संज्ञाएं परिचित होती जाएंगी उनसे लगने वाली कठिनाई घूलती जाएगी और जब हिन्दी में ही मूलतः प्रारूपण और चिंतन होने लगेगा। अनुवादकालीन 'उल्थाकरण'--जन्य अर्थात् अंग्रेजी गठन के प्रतिविम्ब के कारण उत्पन्न कृत्रिमता स्वतः समाप्त हो जाएगी। वैसे हिन्दी का उद्भव एक मिश्र भाषा के रूप में हुआ था अतः इसकी भाषिक संरचना में कुछ ऐसी कठिनाइयां भी आ गयी हैं जो मातृभाषा होने के कारण हिन्दी भाषियों को नहीं खलतीं किन्तु अहिन्दी भाषियों को बहुत पीड़ा देती हैं। ऐसी कुछ कठिनाइयों की ओर डा. सुनीति कुमार चाटुर्जा तथा कुछ दक्षिण भारतीय विद्वानों ने समय-समय पर संकेत भी किया है। एक कठिनाई तो है लिंग भेद की। यदि कुर्सी, लेखनी आदि इकारान्त शब्द स्त्री लिंग है तो हाथी, ज्ञानी आदि पुलिंग। माला, बालिका आदि अकारान्त शब्द स्त्रीलिंग हैं किन्तु मेला, ठेला आदि पुलिंग। इनकी कठिनाई हिन्दी भाषियों को नहीं लगती, किन्तु कमीज और पतंग जैसे अनेक शब्द हैं जो हिन्दी भाषियों में भी कभी स्त्री लिंग में और कभी पुलिंग में प्रयुक्त होते हैं। विदेशियों को और अहिन्दी भाषियों को सबसे बड़ी कठिनाई इन्हीं में आती है। इसका कारण तो वस्तुतः यह है कि हिन्दी ने केवल स्त्री लिंग और पुलिंग दो लिंग ही रखे हैं जबकि संस्कृत में तीन लिंग थे (नपुंसक लिंग भी था)। गुजराती जसी भारतीय भाषाओं में तीनों लिंग इस्तेमाल होते हैं।

इसका एक उपाय तो यह सुझाया गया था कि सब शब्दों को यदि पुलिंग में प्रयुक्त किया जाये और शुद्धिवादी उसे हेय न माने तो सीखने वालों की कठिनाई दूर हो सकती है। अंग्रेज लोग और फौजी अफसर इस तरह बोला करते थे "मेम साहब खाना नहीं खायेगा, हम बोलता है' आदि। व्याकरण की दृष्टि से इतना बड़ा शिथिलन सम्भव नहीं लगता फिर भी इस कठिनाई को देखते हुये इस दिशा में कुछ लचीला रुख अपनाने पर अवश्य विचार किया जाना चाहिये।

इसके अतिरिक्त हिन्दी के वाक्य गठन की कुछ कठिनाइयां ऐसी भी है जो उसकी संरचना की अंग हैं किन्तु बोध कठिनता जनक हैं जैसे रंजक क्रियायें। उठ बैठा, पी गया, लिख डाला आदि क्रियाओं में अर्थ तो है उठने, पीने और लिखने का किन्तु बैठने, डालने और जाने की क्रियायें केवल रंजक क्रिया के रूप में आई हैं। अहिन्दी भाषियों को इससे भ्रम हो जाता है। एक अन्य कठिनाई है विभक्तियों के चिन्हों की। राम ने रोटी खाई में कर्म का "को' विभक्ति चिन्ह नहीं है राम ने बच्चे को पीटा इसमें को विभक्ति चिन्ह है। अहिन्दी भाषी 'राम ने बच्चा पीटा' अवश्य लिखेंगे। ऐसी घटनाओं के कारण हिन्दी की सम्मिश्र प्रकृति है। इस दृष्टि से भी सरलता लाने पर विचार करना होगा, यदि इसे देश की सम्पर्क भाषा बनाने का मार्ग सुगम बनाना हैं। ये कुछ विन्दु ऐसे हैं जिन्हें आधार बनाकर हिन्दी के शब्द भण्डार और व्याकरण पर विचार किया जा सकता है। इसमें बर्तनी की कठिनाइयों को नहीं लिया गया है क्योंकि वह मराठी, हिन्दी और संस्कृत की मिली जुली थाती है और उसके सुधार पर विचार करते समय व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा। यहां केवल राजभाषा हिन्दी और सम्पर्क भाषा हिन्दी की भाषिक संरचना की दृष्टि से विचार के कुछ आधार विन्दु मात्र सुझाये गये हैं।

निदेशक, भाषा विभाग
राजस्थान शासन, सी/8 पृथ्वीराज रोड,
जयपुर

सरल हिन्दी

डा० कैलाश चन्द्र भाटिया

राजभाषा भारती के सुपरिचित लेखक डा० कैलाश चन्द्र भाटिया प्रस्तुत लेख में अपनी भाषा वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के आधार पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हिन्दी के सरलीकरण पर विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। डा० भाटिया का कथन है कि "हिन्दी का वाक्य विन्यास उसकी प्रकृति के अनुसार ही होना चाहिए।"

किसी भाषा की सरलता से कई आयामों से विचार किया जा सकता है। भाषा की ध्वनियां सुस्पष्ट हों तथा उच्चरित करने में सरलता हो, आक्षरिक संरचना में बहुप्रयुक्त सांचे अधिक आसान हों, शब्दों में स्पष्टता हो, साथ ही अर्थ-छटाओं को अभिव्यक्त करने की क्षमता हो, पदबंध में अर्थव्यंजकता हो और उपवाक्यों में ऐसा गठन हो कि वाक्य-संरचना सरल तथा स्पष्ट हो। जब हम भाषा की सरलता की बात करते हैं, तो उसमें ये सभी तत्व समाहित हो जाते हैं। आज अनुवाद के कारण वाक्य गठन में जटिलता आती जा रही है। हिन्दी स्वभाव से सरल भाषा है और सरलता की ओर निरन्तर उन्मुख है। फिर भी आज जब हम सरलता की बात करते हैं या सरल बनाने की कहते हैं तो उससे तात्पर्य है कि भाषा को एक ओर बोझिल शब्दों से बचाया जाए तो दूसरी ओर अटपटे शब्दों से। अगर हिन्दी कामकाज की भाषा है तो 'सरल हिन्दी' का ही प्रयोग होना चाहिए। कठिन शब्दों के प्रयोग से भाषा में स्वाभाविकता नहीं रहती। मात्र कठिन शब्दों से ही भाषा जटिल नहीं होती वरन् जटिल, उलझे, अस्पष्ट व लम्बे वाक्य विन्यास से भी भाषा में जटिलता आ जाती है। आजकल अनुवाद की भाषा और भी बेतुकी होती जा रही है जिसे आम आदमी आसानी से नहीं समझ पाता। जब किसी अनुच्छेद का आशय समझ में नहीं आता तो भाषा कठिन कही जाएगी। समय-समय पर साहित्य में हिन्दी भाषा की कई शैलियां चलती रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी।

'सरल हिन्दी' से तात्पर्य क्या है, इस ज्वलंत प्रश्न पर आधुनिक हिन्दी के जन्मदाता भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने सबसे पहले ध्यान दिया। शिवप्रसाद सिंह 'सितारे हिन्द' और राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा अपनाई गयी शैलियों में से मध्यम मार्ग आपने ही अपनाया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सन् 1882 में शिक्षा आयोग के समक्ष बाबू हरिश्चन्द्र ने प्रश्नावली भर कर भेजी जिसमें शिक्षा संबंधी 70 प्रश्न थे। इस शिक्षा समिति के अध्यक्ष विलियम हण्टर थे जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की थी। अपने इस प्रतिवेदन में उन्होंने एक शताब्दी पूर्व ही सरल भाषा का प्रतिपादन इस प्रकार किया था :—

> खड़ी बोली की दूसरी शाखा हिन्दी है, जो आर्य भाषा या 'साधु भाषा' भी कहलाती है। हिन्दी को संस्कृत शब्दों के प्रचुर प्रयोग से बोझिल करके हमारे पंडित लोग उसे कड़ी और कठिन बना देते हैं। उन शब्दों को सामान्य बुद्धि के लोग नहीं समझ पाते। दृष्टांत के लिये यह वाक्य ले लीजिए—"मार खाकर वह भाग गया" यह शुद्ध हिन्दी का वाक्य है। इसे मौलवी इन शब्दों में कहेगा—"वह जद को बर्दाश्त कर अपने मकान को फ़रार हो गया"। और पंडित कहेगा, "वह मार सहन करके स्वगृह को पलायन हो गया।" बाह्य शब्दों के इस सम्मिश्रण ने हिन्दी को बिगाड़ दिया। बाह्य शब्दों की अधिक सहायता बिना भी हिन्दी से हमारा काम चल सकता है।...... मौलवियों और पंडितों के लगातार युद्ध ने हिन्दी के हित को बहुत हानि पहुंचाई है। हमारी बोली न तो मौलवियों की भाषा है और न पंडितों की, वह कुछ इन दोनों के मध्य की चीज है, वह "सुनहला मध्यमान" है।

मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि फारसी के सब शब्दों का हमारी भाषा से बहिष्कार कर दिया जाये, यह हमारी शक्ति के बाहर है। "मतलब", "अदालत", "हजार", "जहाज", वजीर, "बादशाह", "जमाखर्च" "नेकनियत", "साहब", जैसे शब्दों को कौन हटा सकता है? ...... हिन्दी रचना से संपूर्ण फारसी शब्दों के निकालने का आग्रह करना भूल है। हम निम्न प्रकार की हिन्दी भी नहीं चाहते—"नभमण्डल घटघटाच्छन्न होने लगा। विविध बात बाहुल्य से इतस्तत: कुज्झटिका निपात द्वारा रागतल तमोमय हो गया"। और न निम्न शैली की उर्दू चाहते हैं—"चूंकि दावा-ए मुद्दई बिल्कुल बईद अज अक्ल व गुजिश्ता-अजहृद्द समआत वह खिलाफ अ्रज कानून-ए-मुरबिजा-ए-मुल्क-ए-महरुसा-स्परकार है"। हम विशुद्ध सरल भाषा चाहते हैं जिसे जनता समझती है और जो बहु संख्यक लोगों की लिपि में लिखी जाती, है। विज्ञान की पुस्तकों में अवश्य हमें प्राविधिक शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है क्योंकि उनके लिए हमारी भाषा में समानार्थक शब्द नहीं है। परन्तु हम चाहते हैं कि बच्चों की स्कूली पुस्तकों के लिये, अदालती कागज़ों में, समाचार पत्रों में और सार्वजनिक भाषणों में सरल और सामान्य वार्तालाप की भाषा का प्रयोग हो: उसे ही हम सच्चे और सही अर्थों में अपनी मातृ-भाषा कह सकते हैं

भारतेन्दु ने सबसे अधिक मातृभाषा के महत्व को प्रतिपादित किया:

निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल,
विन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल।

इस बात को ही 'सरस्वती' के यशस्वी संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने पत्र दिनांक 11-11-1915 में बहुत कम शब्दों में इस प्रकार स्पष्ट किया :

'जहां तक हो सके भाषा सरल बोलचाल की हो। क्लिष्ट संस्कृत शब्द न आने पावें। मुहावरे का ख्याल रहे। वाक्य छोटे-छोटे हों।'

एक वाक्य को कैसे अन्य प्रकार से लिखकर स्पष्ट तथा सुगठित बनाया जा सकता है इसका उदाहरण आचार्य द्विवेदी ने आचार्य किशोरी दास वाजपेयी को लिखे 5-8-1933 के पत्र में दिया :

'सम्पूर्ण मनोभावों को दो शैलियों में विभक्त कर दिया गया है। की अपेक्षा सम्पूर्ण मनोभाव दो श्रेणियों में विभक्त कर दिये गये हैं।' अच्छा मालूम होता है। सम्पूर्ण की जगह "सब" हो तो और भी अच्छा।

आचार्य द्विवेदी सीधी, स्पष्ट तथा सरल भाषा के पक्षपाती थे और उन्होंने अपनी इसी नीति से अनेक लेखकों को भाषा लिखनी सिखायी। इसी नीति को आगे पं. देवीलाल शुक्ल ने चलाया। उनके लिखे दिनांक 11-1-1932 के पत्र में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने स्वयं स्वीकार किया :

'भाषा कहीं कहीं कुछ क्लिक्ट हो गई है। प्रकरण ही ऐसा हो गया है। नहीं तो मेरी समझ में शैथिल्य आ जाता। फिर बिल्कुल सीधी भाषा में ही आपके लिए लिखा करूंगा, यदि यह पत्रिका के लिए कड़ी मालूम होगी।

'सरल हिन्दी' के नाम पर बड़ा विवाद सन् 1962 में चल पड़ा जब इस वर्ष के जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री गोपाल रेड्डी के कारण रेडियो की भाषा नीति में परिवर्तन किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसा करने का उद्देश्य नागरिकों के अतिरिक्त समस्त भारत की ग्रामीण जनता को लाभान्वित करना है। 'सरलीकरण' के नाम पर दोपहर एक बजकर चालीस मिनट वाले समाचार बुलेटिन की भाषा में अरबी-फारसी शब्दावली को बलात् ठूंसकर उसे विकृत करने का प्रयत्न किया जाने लगा। जगह जगह रेडियो की भाषा नीति के संबंध में प्रस्ताव पास किये गये। एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। संसद में दिनकर जी ने इसका विरोध किया जिसके फलस्वरूप पं० नेहरू ने घोषणा की 'भाषा' को आसान तो होना चाहिए लेकिन मंत्री जी एक कमेटी बना लें और उसी की राय से काम करें। सरल बनाने की कोशिश में भाषा की 'जीनियस' को बिगाड़ना नहीं है।

(दिनकर की डायरी से–दिनांक 5-8-62)

परिणाम यह हुआ कि श्री गोपाल रेड्डी की अध्यक्षता में ग्यारह संसद सदस्यों––मामावरेरकर, सेठ गोविन्द दास, महावीर त्यागी, गंगाशरण सिंह, डा. गोपालसिंह, दिनकर, प्रकाशवीर शास्त्री, नवल प्रभाकर, ललित सेन, एम. सत्यनारायण, प्रो, एच, एन. मुकर्जी की समिति बनाई गई जिसे यह काम सौंपा गया कि वह शीघ्र से शीघ्र विचार कर सरकार को अपनी राय दें।

समिति ने जो सुझाव दिये, वे आज भी 'सरलीकरण' के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं :

1. हिन्दी में जो शब्द प्रचलित हैं, समाचार बुलेटिनों में उनका प्रयोग जारी रहना चाहिए, भले ही वे शब्द संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी या अन्य भाषा से लिये गये हों।
2. तत्सम शब्दों के स्थान पर तद्भव शब्दों को तरजीह दी जाए। नए शब्द, मुहावरे और प्रयोग अपनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि वे हिन्दी भाषा की प्रकृति से मेल खाते हों।
3. जिन पारिभाषिक शब्दों के पर्याय हिन्दी में नहीं है, उनके लिए अन्य भारतीय भाषाओं में उनके पर्यायवाची शब्द ढूंढने के विशेष प्रयत्न किए जाएं। अगर अन्य भाषाओं में भी ये शब्द न मिलें तो ये संस्कृत से लिए जाएं. किन्तु साथ ही यह ध्यान रखा जाए कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय भाषाएं उन शब्दों को अपना सकें।

इन सुझावों को प्रभावी बनाने के लिए एक समिति श्री श्रीप्रकाश जी की अध्यक्षता में नियुक्त कर दी गई जिसमें श्री सुमित्रानन्दन पंत, डा. बच्चन, भवानी प्रसाद मिश्र सदस्य मनोनीत किये गये।

स्पष्ट है कि 'सरलीकरण' के संदर्भ में मात्र शब्दावली पर ही विचार हुआ। 'सरलता' एक सापेक्षिक शब्द है। एक संदर्भ में जो सरल है दूसरे संदर्भ में कठिन हो सकता है। एक क्षेत्र में जो शब्द सरल है दूसरे क्षेत्र में वही कठिन हो सकता है। क्षेत्र ही नहीं एक ही नगर वाराणसी में प्रसाद तथा प्रेमचन्द दो भिन्न प्रकार की शैली का प्रयोग करते रहे। इस संदर्भ में एक और प्रश्न भी विचारणीय है कि 'सरलता' की आड़ में 'कृत्रिमता' से बचा जाए और 'गलत' हिन्दी से बचने और मानक भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। दक्षिण भारत के मुसलमान भाई तक अरबी-फारसी मिश्रित भाषा को अच्छी तरह नहीं समझ पाते। 'प्रचलित शब्द' पर भी पर्याप्त खींचातानी की गुंजाइश है। दो भिन्न संदर्भों में भाषा की स्वाभाविक गति में कहीं एक शब्द उपयुक्त प्रतीत होता है, तो कहीं दूसरा।

यहां हिन्दी-तेलुगु-संस्कृत भाषा के प्रकांड पंडित डा. पांडुरंग राव के विचार भी उद्धृत करना चाहता हूं :—

'आजकल सरल हिन्दी के संबंध में काफी चर्चा हो रही है और इस संबंध में जनसाधारण में और शिक्षित समाज में भी काफी मतभेद हैं। उत्तर में जिस भाषा को सरल या आसान समझा जाता है, वह दक्षिण के पढ़े-लिखे आदमी के लिए दुर्बोध बन जाती है। संस्कृतनिष्ठ भाषा समझने में किसी को सुविधा होती है तो किसी को उर्दू के रोजमर्रा की ताजगी में अधिक आनंद आ जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना पर्यावरण होता है। भाषा भी पर्यावरण का एक अंग है। अपनी मातृभाषा के जिस पर्यावरण म एक व्यक्ति पलता है उसी को लेकर वह दूसरी भाषा के क्षेत्र में भी प्रवेश करत। है।

––राजभाषा भारती, अंक 25 से

इसी संदर्भ में राजभाषा विभाग ने दिनांक 17 मार्च, 1976 को एक ज्ञापन जारी किया जिसमें कहा गया है :—

"जैसा कि इससे पहले भी कई बार कहा जा चुका है सरकारी कामकाज में इस्तेमाल की जाने वाली हिन्दी सरल और सुबोध होनी चाहिए, जटिल और बोझिल नहीं। इस संबंध में कुछ मुद्दों को ध्यान में रखना उपयोगी होगा।

क्या नोट लिखने में और क्या पत्र लिखने में सरल हिन्दी का ही प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि सभी आसानी से समझ सकें। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं है कि लिखने वाला खुद समझ सके कि उसने क्या लिखा है, जरूरी तो यह कि है पढ़ने वाले को भी समझ में आ जाए कि आखिर लिखने वाला कहना क्या चाहता है।"

सरकारी काम में बोलचाल के शब्दों का ही अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए और लिखते समय दूसरी भाषाओं के प्रचलित-शब्दों का उपयोग करने में जरा भी हिचक नहीं होनी चाहिए। बहु-प्रचलित अंग्रेजी शब्दों का भी नागरी लिपि में लिप्यन्तरण करना कभी कभी अच्छा रहता है बजाय किसी अटपटे शब्द के गढ़कर लिख देने से।

हिन्दी का वाक्य-विन्यास उसकी प्रकृति के अनुसार ही होना चाहिए। आज सरकारी भाषा को कामकाज की भाषा बनाना है जिससे वह अधिक से अधिक लोकप्रिय हो सके। इस समस्या की ओर यशस्वी लेखकों ने समय-समय पर ध्यान दिया था और अब समय आ गया है कि इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। बापू ने भी हमें यही सिखाया था कि सरल तथा सुबोध भाषा अधिक ताकतवर होती है। हिन्दी के प्रचार-प्रसार में भी सरल भाषा सहायक सिद्ध होगी।

लाल बहादुर शास्त्री
राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी

"हम सब चाहते हैं कि हिन्दी आगे बढ़े। हिन्दी किस प्रकार की हो, वह सबको मिलकर निर्णय करना है। मुझे बहुत कठिन हिन्दी नहीं आती। इसलिए मेरी इच्छा होगी कि सरल हिन्दी हो लेकिन संग-संग जो दूसरे लोग हैं, चाहे महाराष्ट्र में हैं, चाहे गुजरात में हैं और चाहे मलयालम बोलते हैं, उनको दूसरी हिन्दी ज्यादा सरल पड़ती है जिसमें संस्कृत के शब्द हों। इसलिए इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। इतने बड़े मुल्क में हम रहते हैं तो जरा संतुलन बोध में से निकालना चाहिए।"

—श्रीमती इन्दिरा गांधी

भाषा वही, जो भावों को सही अर्थ में प्रकट करे

-शंकर दयाल सिंह

भूतपूर्व संसद सदस्य शंकर दयाल सिंह मूलतः साहित्यकार और भाषा चिंतक हैं। हिन्दी के पाठकों के लिए यह एक सुपरिचित नाम है। साहित्यिक हिन्दी, तकनीकी हिन्दी, कार्यालयीन हिन्दी आदि अनेक नामों से आज राजभाषा हिन्दी पर विचार किया जा रहा है। मूलभूत प्रश्न यही है कि भाषा का स्वरूप क्या हो। श्री शंकर दयाल सिंह ने अपने लेख के शीर्षक में ही इसे स्पष्ट कर दिया है –"भाषा वही जो भावों को सही अर्थ में प्रकट करे"। प्रस्तुत लेख अनेक प्रश्नों को स्पष्ट करेगा।

बराबर मैंने इस बात पर जोर दिया है कि जबान पर जो शब्द अनायास ही थिरक जायें और कलम की नोंक पर जो वाक्य बिना किसी परिश्रम के आ जायें—वही भाषा का सरल और सरस प्रवाह है। यह बात मैंने उन जगहों में बार-बार उठाई है, जहां लोगों को हिन्दी में लिखने या बोलने में झिझक होती रही है। और यह झिझक इस कारण से होती है कि हम जो लिख रहे हैं या जो बोल रहे हैं कहीं वह अशुद्ध तो नहीं हैं? और इस झिझक में पड़ कर बहुत से भाई जो हिन्दी में काम करना चाहते हैं, वे भी संकोचवश काम नहीं कर पाते।

प्रश्न बरकरार है कि हिन्दी हमारी राजभाषा किस परिमाण तक है और है तो फिर सभी काम-काज इसी में क्यों नहीं होते?

मैं इस प्रश्न को यहीं मौन रूप में पड़े रहने देना चाहता हूं। मैं मात्र अपने विचारों को इस रूप में केन्द्रित करना चाहता हूं कि भाषा को कभी भी आतंक, झिझक, संकोच, हीनता, असमर्थता का प्रतीक नहीं होने देना चाहिए। जो लोग सरकारी कामों में हिन्दी की चर्चा करते हैं उनके सामने यह सवाल बराबर नंगी तलवार के समान लटकता रहता है कि हिन्दी में किस तरह से शुद्ध काम हो। कहीं कोई भूल-चूक न हो जाये। फलां शब्द का सही हिन्दी पर्याय कौन सा शब्द है? हिन्दी लिखने में कहीं कोई विदेशी शब्द का व्यवहार तो हम नहीं कर रहे हैं? आदि-आदि।

यह भ्रम टूटना चाहिए। सरकारी कामकाज की हिन्दी और पाठ्यग्रंथों की हिन्दी में भेद हैं। जो लोग अपने पाठ्यक्रमों में बिहारी, मीरा, सूर, तुलसी, घनानन्द, भारतेन्दु श्रीधर पाठक, जैनेन्द्र, अज्ञेय आदि का पढ़कर सरकारी कार्यालयों में काम करने आते हैं, उन्हें कभी भी उन पाठ्यक्रमों के किसी भी अंश को काम में लाने की जरूरत नहीं होती। इसके विपरीत जिस तरह की नोटिंग और ड्राफ्टिंग का सिलसिला कार्यालयों में रहता है, उसकी पढ़ाई आजतक मैंने किसी विद्यालय-महाविद्यालय में नहीं देखी।

नतीजा साफ है कि ऐसे लोग न घर के रहते हैं, न घाट के। न वे सरकारी कार्यालयों के हो पाते हैं और न सूर, तुलसी, मीरा, बिहारी के।

तब फिर हो क्या?

पारिभाषिक शब्दकोशों और पर्यायवाची शब्दों की होड़ ने हमारी समस्या और भी दुरूह की है। नतीजा यह है कि जब कोई सरकारी पत्राचार अथवा लेखन कार्य, जो मुख्य रूप से अनुवाद के द्वारा ही सम्पन्न होता है, होने लगता है तो उसकी दुरूहता तथा शुष्कता देख कर मन झल्ला जाता है।

अतः मैं इस बात की डंके की चोट कहता हूं की सही राजकीय हिन्दी वह नहीं है, जिसका दिनरात प्रयोग हो रहा है, बल्कि सही मानी में हिन्दी वह है जो सहज और सरल रूप से जबान पर थिरक जाये और कलम की नोक पर आ जाये।

पाठ्यग्रंथों, स्कूलों, कालेजों, विद्वानों और पुस्तकों की हिन्दी तथा समाचार पत्रों की हिन्दी और जनता की हिन्दी में कहीं न कहीं कोई मौलिक भेद है। ग्रंथों में प्रयुक्त हिन्दी में किसी प्रकार की व्याकरणिक भूल, खिचड़ी भाषा और बेमेल शब्दों का प्रयोग अपराध है, लेकिन सरकारी कामकाज में इस तरह की भाषा का प्रश्न ही नहीं उठता। जनता आमफहम बातचीत में जिस तरह के शब्दों का अथवा भाषा का प्रयोग करती है, वह सरकार की भी भाषा नीति होनी चाहिए और बेझिझक इसका प्रयोग होना चाहिए।

यह राजभाषा हिन्दी वैय्याकरण कामता प्रसाद गुरू, किशोरीलाल बाजपेयी और हिन्दी के सुप्रसिद्ध विद्वान आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, श्यामसुन्दर दास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुरूप कभी नहीं हो सकती है, इसका चरित्र निर्माण महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू आदि राष्ट्रीय नेताओं की भाषा बोली का ही आधार बिन्दु होना संभव है।

संसद सदस्य के रूप में और संसदीय हिन्दी समिति के सदस्य के रूप में मैंने हिन्दी का जब कभी भी प्रश्न उठाया, तो समाधान स्वरूप यह भी कहने से नहीं चूका कि राजभाषा हिन्दी का स्वरूप वही है जो आम जनता की बोलचाल की भाषा है। बोलने अथवा लिखने में अंग्रेजी अरबी, संस्कृत, फारसी आदि के कोई भी प्रचलित शब्द जो जबान पर आ गये हैं, उनका सहज व्यवहार होता है तो उसे अपराध न माना जाये।

रेल के लिये धूम्र चालक शटक यान, रिक्शा के लिये त्रिचक्र, जहाज के लिए वायुयान, कलक्टर साहब के लिए दंडाधिकारी आदि शब्दों की तलाश हम कहां करते रहेंगे, जो हैं उसे मानें।

अत: मेरी अपनी निश्चित धारणा है कि हिन्दी को यदि सर्वमान्य बनाना है तथा सही मानी में राजभाषा और राष्ट्रभाषा के भेद को मिटाना है, तो गंभीरता से इस पथ का अनुसरण करना होगा :—

1. संविधान में हिन्दी को जो मान्यता मिली है और जो दर्जा उसे दिया गया है, वह सख्ती से लागू हो।

2. हिन्दी में जो आमफहम देशी अथवा विदेशी शब्द भंडार आ गये हों, उन्हें शब्दकोशों में मान्यता मिले तथा सरकारी कामकाज में उन का धड़ल्ले से व्यवहार हो।

3. सरकारी कार्य अनुवाद के सहारे न चलाये जायें, नहीं तो कभी भी हिन्दी प्रतिष्ठित नहीं होगी। अत: अनुवादों की जगह मौलिक रूप से हिन्दी का व्यवहार हो।

4. कार्यालयों में जो लोग काम करते हैं, उनकी संख्या बहुत बड़ी है। अत: ऐसे लोगों के लिए विद्यालयों-महाविद्यालयों में ही कोई एक पाठ्यक्रम निर्धारित हो, जिससे उन्हें इसका ज्ञान रहे।

5. भाषा को भावों का वाहक बनाया जाये और लिखते समय इस बात की सावधानी के लिए लोगों को प्रेरित किया जाये कि वे शुष्क भाषा का व्यवहार न करें। इसके लिए आवश्यक है कि लोग हिन्दी में ही सोचें और हिन्दी में ही लिखें। अभी ऐसा होता है कि लोग अंग्रेजी में सोचते हैं और उसी में वाक्य विन्यास करते हैं और तब अनुवाद के रूप में हिन्दी में लिखना शुरु करते हैं, जिससे शुष्कता आती है।

6. राजभाषा हिन्दी के संबंध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा 1984-85 के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम की घोषणा की गई है, उसका व्यापक प्रचार प्रसार हो तथा उसके अनुसार कार्य किए जायें।

7. प्राय: यह देखा जाता है कि हिन्दी की गति नीचे से ऊपर की ओर जाती है, जबकि होना यह चाहिए कि यह ऊपर से नीचे की ओर जाये।

8. हिन्दी में जो सरकारी कार्यों का ढंग-ढर्रा है, उससे ऐसा प्रतीत होता है, मानो जबरन इस कार्य में लोग लगे हैं और मजबूरी की हालत में कर रहे हैं। अत: वातावरण बनाया जाये कि स्वत: इस कार्य में लोगों की रुचि हो। अब तक जो हो रहा है, उसमें प्रदर्शन-पुरस्कार-दंड आदि ही मुख्य है। इसकी समाप्ति हो।

आजादी के पहले राष्ट्रीय नेताओं ने हिन्दी के प्रश्न को राष्ट्रीयता का एक आधार माना था तथा खादी, छुआछूत, रचनात्मक कार्यों के समान ही हिन्दी को भी विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत रखा था। गांधी जी तथा बिनोवाजी ने तो भाषा से भी अधिक महत्व नागरी लिपि को दिया। यह भावना जब तक पुन: जागृत नहीं होती, मात्र सरकुलर, आदेश तथा सेमिनार और प्रदर्शनी से हम हिन्दी की गाड़ी को घसीट सकते हैं, पूर्ण-रूपेण स्थापित नहीं कर सकते।

हम ऐसे मौकों पर सदा गांधी जी को याद करते हैं कि उनका दृष्टि-कोण क्या था। हिन्दी के संबंध में उनके द्वारा उद्बोधित इन बातों को हम अपने सामने रखें तो संभव है कि इससे ठोस मार्गदर्शन हम मिल सके।

"यदि हिन्दी बोलने में भूलें हो, तो भी उनकी कतई चिन्ता नहीं करनी चाहिए। भूलें करते-करते भूलों को सुधारने का अभ्यास हो जायेगा। भूलों की चिन्ता न करने की सलाह आलसी लोगों के लिए नहीं, वरन् मुझ जैसे भाषा सीखने के इच्छुक अध्यवसायी सेवकों के लिए है"

(गुजराती नवजीवन 1-6-1924)

राष्ट्रभाषा के लक्षण शीर्षक से गांधी जी ने जो स्थापनाएं दीं, वह निम्नलिखित हैं :—

1. वह भाषा सरकारी नौकरों के लिए आसान होनी चाहिए।
2. उस भाषा के द्वारा भारत का आपसी, धार्मिक, आर्थिक और राजनैतिक कामकाज शक्य होना चाहिए।
3. उस भाषा को भारत के ज्यादातर लोग बोलते हों।
4. वह भाषा राष्ट्र के लिए आसान होनी चाहिए।
5. उस भाषा का विचार करते समय क्षणिक या अस्थायी स्थिति पर जोर न दिया जाये।

मैं समझता हूं कि गांधी जी ने जो बातें आज से 50–60 वर्ष पूर्व कही थीं वह आज भी राजभाषा के संबंध में पूर्णतया लागू होती हैं।

— कामता सदन, बोरिंग रोड़ पटना —1

प्रयोजनमूलक हिन्दी और उसमें अंतर्निहित अनुवाद की प्रक्रिया

-भैरव नाथ सिंह

[केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के निदेशक श्री भैरवनाथ सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अनुभवी उच्च अधिकारी हैं। राजभाषा हिन्दी और हिन्दी के विभिन्न स्वरूपों के प्रति सतत चिंतनशील श्री सिंह का मत है कि साहित्यिक भाषा और प्रयोजनमूलक भाषा में मूलभूत अंतर है। प्रयोजन मूलक भाषा का प्रयोग दैनन्दिन प्रशासनिक कार्यों के लिए तथा कार्यालय कार्यविधि साहित्य के लिए किया जाता है और अनुवाद उसका प्रमुख उपकरण है। श्री भैरवनाथ सिंह इस पर विशेष बल देते हैं कि व्याकरणिक स्तर पर हिन्दी की स्वाभाविकता बनाई रखी जाए।]

जब हम प्रयोजनमूलक हिन्दी अथवा प्रकार्यात्मक हिन्दी अथवा व्यावहारिक हिन्दी अर्थात् (functional Hindi) की बात करते हैं तो हमारे सामने हिन्दी के दो रूप होते हैं–पहला उसका साहित्यिक रूप जिसकी परम्परा प्राचीन काल से चली आ रही है तथा जिसने भाव, रूप तथा अभिव्यक्ति की अनेक भंगिमाओं, शैलियों तथा पद्धतियों को जिया, भोगा तथा विकसित किया है। हिन्दी का यह साहित्यिक रूप बड़ा ही समृद्ध तथा सम्पन्न है। परम्परा और प्रयोग दोनों ही स्तरों पर वह दिशा और दृष्टि प्रदान करने तथा नवोन्मेश में सक्षम है। किन्तु आज हिन्दी का जो दूसरा रूप हमारे सामने है वह अपेक्षाकृत उसका नया रूप है किन्तु यही उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप है क्योंकि यह जीवन की विविध स्थितियों और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग किया जाने वाला भाषा-रूप है वस्तुतः यही प्रयोजनमूलक हिन्दी (functional Hindi) है। आर्थिक–समाजिक संदर्भों के बदलाव के साथ बदलती हुई स्थितियों की आवश्यकताओं के प्रयोजन विशेष अथवा कार्य विशेष के संदर्भ में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा प्रयोजनमूलक भाषा होती है। यहां प्रश्न यह भी उठ सकता है कि क्या कोई भाषा निष्प्रयोजन भी हो सकती है। किन्तु यहां "प्रयोजन" शब्द "निष्प्रयोजन" के विपरीत अर्थ में प्रयुक्त नहीं है। "प्रयोजनमूलक" विशेषण भाषा के व्यावहारिक पक्ष को अधिकाधिक उजागर करने के लिए प्रयुक्त किया गया है क्योंकि ललित साहित्य और उपयोगी साहित्य का अंतर करते हुए उनसे जुड़े भाषा-रूपों में भेद करना जरूरी है। वैसे भी साहित्यिक भाषा से पहले सामान्य भाषा (दैनन्दिन जीवन में प्रयुक्त भाषा) की शक्ति से परिचित होना जरूरी है।

प्रयोजनमूलक हिन्दी की आवश्यकता वस्तुतः तब पड़ी, जब हिन्दी राजभाषा के पद पर आसीन हुई और उसे सर्वथा नए किन्तु महत्वपूर्ण दायित्वों को वहन करना पड़ा तथा उन क्षेत्रों से गुजरना पड़ा जिनसे वह पहले कभी नहीं गुजरी थी। इससे पहले हिन्दी कभी प्रशासन की भाषा नहीं रही थी लोक-जीवन और लोक-मानस के अंतर में व्याप्त होने के कारण उसमें प्रयोग विधि की सम्भावनाएं, व्यापकता और गहनता तो विद्यमान थी, अर्थ स्तरों का वैविध्य भी मौजूद था किन्तु प्रशासनिक कार्यों के वास्ते इस्तेमाल के लिए अपेक्षित वस्तुनिष्ठ एकार्थता की अपेक्षा थी। ब्रिटिश शासन काल में सरकारी कार्य अंग्रेजी में होता था और उसके साथ उर्दू का भी इस्तेमाल होता था। प्रशासन कार्य-पद्धति की भाषा अंग्रेजी थी। उससे पहले मुगलकालीन शासन व्यवस्था की भाषा भी अरबी-फारसी थी। अतः प्रशासनिक शब्द-भण्डार की विरासत हमारे पास नहीं थी। हिन्दी में शासकीय कामकाज के प्रयोजन के लिए भाषा में नई अभिव्यक्तियों, नई प्रयोग-विधियों तथा नए शब्द भण्डार की आवश्यकता महसूस हुई। यह कार्य वस्तुतः कोई अनोखा कार्य नहीं था क्योंकि भाषा जिस प्रयोजन के संदर्भ में प्रयुक्त होती है उसी के संदर्भ में उसका शब्द भण्डार निर्मित और विकसित होता है। इसी अर्थ में भाषा को "कामधेनु" कहा भी गया है कि उससे जितना मांगा जाएगा उतना देगी। अतः यह कहा जाना कि भाषा नई अभिव्यक्तियों के लिए सक्षम नहीं थी वस्तुतः उपयुक्त नहीं है। कहा यह जाना चाहिए कि इस भाषा ने उस क्षेत्र में प्रवेश ही नहीं किया था अतः उक्त क्षेत्र इसके लिए अजनबी था। न्याय, तर्कशास्त्र, दर्शन, गणित, ज्योतिष, चिकित्सा शास्त्र, नाट्य शास्त्र, काव्य शास्त्र आदि ज्ञान-क्षेत्रों में चिन्तन की परम्परा तो प्राचीन-काल से ही भारत में विद्यमान थी और इनसे संबद्ध संकल्पनाओं के लिए प्रचुर मात्रा में शब्द-भण्डार भी उपलब्ध था। आवश्यकता उसके पुनःस्थापन, पुनःनियोजन और पुनरुत्थान की थी। किन्तु दैनन्दिन प्रशासनिक कार्यों में, जिनका ढांचा ब्रिटिश शासन के ढंग का था–प्रयोग के लिए हिन्दी के अनुकूलन की आवश्यकता हमें महसूस हुई और इसी "व्यावहारिक प्रयोजन" के लिए प्रयोजनमूलक हिन्दी की शुरूआत हुई।

प्रयोजन मूलक भाषा और साहित्यिक भाषा में मूल अंतर यह होता है कि साहित्यिक भाषा जहां अर्थबहुल, व्यंजनाश्रित अथवा लाक्षणिक, वक्र प्रयोग युक्त हो सकती है वहां प्रयोजनमूलक भाषा को अभिधापरक एकार्थक, स्पष्ट तथा सीधा होना नितांत आवश्यक है ताकि कहने अथवा लिखने वाले व्यक्ति की बात का निश्चित और सही आशय समझा जा सके। व्यंजनार्थकता की यहां वस्तुतः कोई गुंजाइश नहीं होती। साथ ही यहां भाषा की सुबोध-गम्यता नितांत आवश्यक होती है।

दूसरी ओर भाषा का प्रयोजनमूलक रूप उसके आम बोलचाल के रूप से भी भिन्न होता है क्योंकि उसमें एक तरफ जहां बोलचाल की भाषा की सी रवानी होती है वहीं दूसरी तरफ भाषा का एक मानक रूप होता है जिसमें एकरूपता, सुनिश्चितता एवं औचित्य अनिवार्य होता है।

प्रयोजनमूलक भाषा का इस्तेमाल सभी प्रकार के दैनन्दिन प्रशासनिक कार्यों के लिए तथा कार्यालय-कार्यविधि साहित्य (procedural literature) के लिए अपेक्षित होता है चाहे वह कार्य-रक्षा सेवाओं से संबंधित हो अथवा संसदीय कार्यों से अथवा राजस्व संबंधी कार्यों से या बैंकिंग सम्बन्धी कार्यों से या संचार माध्यमों संबंधी कार्यों से । टिप्पण, प्रारूपण, प्रतिवेदन,पत्र लेखन, संक्षेपण(noting, drafting, reporting, letter-writing, precise writing) आदि के लिए प्रयुक्त होने वाली मानक-भाषा ही वस्तुतः प्रयोजन मूलक भाषा है जिसमें पारिभाषिक शब्दावली (technical terminology) का विशिष्ट महत्व है । पारिभाषिक शब्द वह शब्द होता है जिसका किसी ज्ञान (discipline) विशेष के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयोग किया जाता है । उसका यह अर्थ परिसीमित कर दिया गया होता है तथा लक्षणा व्यंजना के सहारे उसका कोई अन्य अर्थ निकाले जाने की संभावाना नहीं होती । अब हिन्दी में प्रशासनिक कार्य शुरू किया गया तो हिन्दी में पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता पड़ी । साहित्यिक भाषा अथवा लोक भाषा के रूप में हिन्दी के पास प्रचुर शब्द भण्डार उपलब्ध था । किन्तु प्रकार्यात्मक भाषा अथवा व्यावहारिक भाषा के रूप में इसे शब्द-भण्डार की आवश्यकता पड़ी और यहीं से शब्दावली निर्माण तथा अनुवाद की प्रक्रिया आरम्भ हुई । कार्यविधि साहित्य, फार्म, संहिताएं, नियमावलियां आदि अंग्रेजी में उपलब्ध थी उनका हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत करके ही हिन्दी में कार्य सम्भव हो सकता था । केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने प्रशासनिक तथा विभिन्न विषयों की तकनीकी शब्दावलियां एवं शब्दकोश निकाले और अंग्रेजी शब्दों के लिए मानक हिन्दी पर्याय निर्धारित किए जिससे प्रशासनिक विषयों का अनुवाद सम्भव हो सका ।

जहां तक प्रयोजनमूलक हिन्दी में अंतर्निहित अनुवाद का संबंध है हमें यह कहना होगा कि यह अपने आप में एक विशिष्ट, महत्वपूर्ण किन्तु जटिल कार्य है । विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों से संबंधित कार्यालयों की मूल कार्यविधि, उनके कार्य क्षेत्र और कार्यान्वयन के प्रभाव क्षेत्र से संबद्ध होने के कारण यह और भी अधिक जटिल और श्रमसाध्य हो जाता है । यद्यपि साहित्यिक कृतियों का अनुवाद भी अपने आप में एक चुनौती पूर्ण कार्य होता है और अनुवादक की समझ और क्षमता की कसौटी होता है तथापि वहां अनुवादक के पास थोड़ी सी छूट होती है । यह छूट होती है अनुवाद की पुनर्सृजन प्रक्रिया के बीच अपनी सृजनात्मक प्रतिभा के समावेश की । कई ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जहां साहित्यिक कृतियों के अनुवाद मूल कृतियों से अधिक श्रेष्ठ और प्रख्यात सिद्ध हुए हैं । इसका कारण अनुवादक की मौलिक सृजनक्षमता तथा अभिव्यक्ति क्षमता ही है । किन्तु कार्यालय अनुवाद में अनुवादक को कोई छूट नहीं होती उसकी स्थिति मात्र उल्थाकार की सी होती है । वह मूल वक्ता की अथवा लेखक कीं बात में से न तो कुछ छोड़ सकता है और न ही उसमें कुछ जोड़ सकता है। स्रोत भाषा में जो बात जहां जितनी और जैसी है उतना और वैसा ही उसे लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत किया जाना है, जो निश्चय ही बड़ा दुःसाध्य कार्य है । इसके साथ ही अनुवादक को एक और गम्भीर दायित्व से गुजरना पड़ता है और वह दायित्व है भाषा की मूल प्रवृत्ति की रक्षा का । अधिकांश कार्यालयी अनुवाद अंग्रेजी से हिन्दी में किया जाता है । यदि अनुवादक के पास दोनों भाषाओं की गहरी समझ और व्यापक सूझबूझ भी है फिर भी जो बात उसे सदैव ध्यान में रखनी होती है वह है दोनों भाषाओं की पारस्परिक मूलभूत भिन्नता की । अंग्रेजी और हिन्दी का सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, सामाजिक संदर्भ, पारम्परिक ढाँचा और व्याकरणिक संरचना भिन्न-भिन्न है। ऐसी स्थिति में यह नितांत अनिवार्य हो जाता है कि स्रोत भाषा (जो बहुधा अंग्रेजी होती है) के पाठ के निहितार्थ को भली भांति समझते हुए उसे ज्यों का त्यों लक्ष्यभाषा अर्थात् हिन्दी में इस ढंग से पुनर्प्रस्तुत किया जाए कि वाक्य विन्यास से लेकर अर्थ बोध के स्तर तक वह हिन्दी का-सा लगे । यहां अनुवादक की जिम्मेदारी हिन्दी की सहज प्रकृति, उसका मुहावरा (idiom) उसकी अपनी प्रयोगविधि (usage) को बनाए रखने की तो होती ही है, किन्तु इसके साथ-साथ उसे भाषा में सुबोधगम्यता, प्रांजलता एवं सौष्ठव भी लाना पड़ता है जिससे कि पाठक उसमें मूल लेखन की सी सहजता का अनुभव कर सके । स्पष्ट है कि प्रयोजनमूलक हिन्दी अंग्रेजी की नकल नहीं है अपितु इसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है जो इसके सार्वजनिक व्यावहार से प्रमाणित है ।

इसके लिए जरूरी होता है कि व्याकरणिक स्तर पर हिन्दी की स्वाभाविकता बनाई रखी जाए । अंग्रेजी की वाक्य -रचना का क्रम होता है "कर्त्ता-क्रिया-कर्म" किन्तु हिन्दी की वाक्य रचना क्रम में" कर्त्ता-कर्म-क्रिया" आते हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी में कर्मवाच्य (Passive Voice) का काफी प्रचलन है किन्तु हिन्दी की प्रवृत्ति कर्त्तावाच्य (Active Voice) प्रधान है । अनुवाद में इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए । इसी प्रकार अंग्रेजी में कई खण्डों (clauses) के लम्बे-लम्बे वाक्य लिखने का प्रचलन है किन्तु हिन्दी की सहज प्रवृत्ति लम्बे वाक्यों की नहीं है । छोटे और स्वतंत्र वाक्यों की रचना ही यहां अभीष्ट होती है ।

अनुवादक के लिए इन सभी बातों का ध्यान रखना अत्यधिक आवश्यक होता है और जब वह ऐसा नहीं करता तो भाषा अटपटी, अनगढ़ और कृत्रिम हो जाती है जो न केवल अंग्रेजी की अनुगामिनी बन जाने का जोखिम ही उठाती है अपितु हास्यास्पद भी हो जाती है । अतः प्रयोजनमूलक हिन्दी में अंतर्निहित अनुवाद-प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि भाषा की अपनी अस्मिता और इयत्ता का गौरव उससे छीनने की भूल हम न करें । यह सच है कि यहां भाषा में अनेकार्थता की कोई गुंजाइश नहीं होती, कथ्य को किसी भी घुमाव-फिराव के बगैर स्पष्ट एवं निश्चित तथा एकार्थक रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वैयक्तिकता से सर्वथा बचा जाता है किन्तु इन सब के साथ जरूरी है –भाषा का सहज मुहावरा ।

प्रयोजनमूलक हिन्दी तथा उसमें निहित अनुवाद-प्रक्रिया अभी आरम्भिक अवस्था में हैं। भाषा को जो गम्भीर दायित्व सौंपा गया है उसके निर्वाह की क्षमता उसने दिखाई है । अब यह हमारे ऊपर है कि हम उसका विकास किस ओर करें । हम उसे जितना प्रयोजनसिद्ध बनाने का प्रयास करेंगे उतनी ही प्रयोजनपरक और प्रयोजनसफल वह बनेगी और यदि हम उस पर दुरूहता, अटपटेपन, अक्षमता और अभावग्रस्तता के आरोप लगाते रहेंगे तो वह निश्चय ही हास्य का पात्र बन कर रह जाएगी ।

निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो,
राजभाषा विभाग, नई दिल्ली ।

तकनीकी हिन्दी का विकास-शोध की नई दिशाएं

—डा० ओम विकास

राजभाषा भारती के सुपरिचित लेखक डॉ. ओम विकास अपने इस प्रस्तुत लेख में यह प्रतिपादित करते हैं कि भारतीय समाज को आविष्कारोन्मुखी बनाने में लोकभाषा हिन्दी के माध्यम से विज्ञान शिक्षण, प्रशिक्षण तथा शोध आदि की अत्यन्त आवश्यकता है। डॉ. विकास का मत है कि हिन्दी के दो पक्ष हैं—साहित्यिक और तकनीकी। तकनीकी हिन्दी के समुचित विकास के लिए प्रस्तुत लेख में डॉ. विकास ने हिन्दी के संदर्भ में कम्प्यूटर आदि टेक्नोलोजी के विकास की अनेक संभावनाओं और दिशाओं को प्रस्तुत किया है।

विज्ञान और टेक्नोलाजी का विकास समाज को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता। विकासशील देश नैसर्गिक सम्पदा पर निर्भर हैं, जबकि विकसित देश टेक्नोलॉजी के विविध प्रयोगों से लाभान्वित होते रहते हैं। वैज्ञानिक सिद्धान्तों के आधार पर ही टेक्नोलॉजी का विकास होता है। विकसित और विकासशील देशों के बीच का अन्तर जन सामान्य के लिए विज्ञान साहित्य की उपलब्धि से भी अनुमानित किया जा सकता है। विज्ञान के बढ़ते महत्व को नकारा नहीं जा सकता। भौतिक प्रगति के लिए विज्ञान का संबंल अनिवार्य प्रतीत होता है। विकसित देशों में विज्ञान बहुधा अंग्रेजी में उपलब्ध है। फ्रेंच, जर्मन और जापानी भाषाओं में भी विज्ञान विपुल मात्रा में मिलता है। विज्ञान की भाषा स्पष्ट, सरल और तर्क संगत होती है। भाषा विचारों की वाहिनी है। एक ही विचार के लिए विविध भाषा-भेद हो सकते हैं। समाज के सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्यों में भाषा का प्रमुख स्थान है।

हिन्दी के विकास के संदर्भ में दो पक्ष स्पष्ट हैं—(1) साहित्यिक और (2) तकनीकी। साहित्यिक पक्ष उत्तरोत्तर सबल होता रहा है जिससे हिन्दी सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक मूल्यों की अभिव्यक्ति में सक्षम बन गई है। तकनीकी पक्ष जिसके माध्यम से विज्ञान और टेक्नालॉजी के तथ्यों को आसानी से स्पष्टतः अभिव्यक्त किया जा सकता है, अभी सबल नहीं बन सका है। अब तक यह माना जाता रहा है कि अंग्रेजी के माध्यम से ही विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी को समझा और समझाया जा सकता है। इसके कारण जनता को विज्ञान की उपलब्धियों की सही जानकारी से वंचित रहना पड़ता है। यही कारण है कि भारतीय समाज का दृष्टिकोण यथावश्यक आविष्कारोन्मुखी नहीं बन पा रहा है जो कि प्रगतिमूलक आत्मनिर्भरता के लिए नितांत आवश्यक है। जन-सामान्य की भाषा में विज्ञान संबंधी जनाकारी उपलब्ध हो सके और शोध वैज्ञानिक जब सामान्य से तालमेल रख कर लोकोपयुक्त टेक्नोलॉजी का विकास कर सकें, इसके लिए लोक भाषा हिन्दी के माध्यम से शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध आदि की व्यवस्था करनी होगी।

अनेक प्रतिभासम्पन्न व्यक्तियों की वैज्ञानिक उपलब्धियां इसलिए प्रकाश में नहीं आ पाती क्योंकि उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति का अवसर नहीं मिल पाता। शोधरत वैज्ञानिकों के समक्ष भाषा का प्रश्न नहीं होता प्रत्युत वैज्ञानिक उपलब्धियां महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए वे उसे अनुवाद करा कर भी समझने की कोशिश करते हैं।

विश्लेषण करने पर विदित होता है कि भारत वर्ष में हिन्दी का प्रयोग विशेषतः विज्ञान के क्षेत्र में अनुवाद पर आश्रित रहा; मौलिक लेखन को प्रोत्साहन नहीं मिला, फलस्वरूप वैज्ञानिक विभागों में अनुवाद-प्रक्रिया की दीवार अभेद्य बनती गई।

तकनीकी विकास

ऐतिहासिक कारणों से भारतवर्ष में मौलिक तकनीकी विकास की गति धीमी रही। स्वतंत्रता के बाद इसको तीव्र गति देने का प्रयत्न किया गया परन्तु इसी बीच अधुनातम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने की स्पर्धा में टेक्नोलॉजी के आयात को प्राथमिकता दी गई जिसके फल स्वरूप मौलिक तकनीकी विकास को क्षति पहुंची है।

टेक्नोलॉजी में निरन्तर बदलाव होते रहते हैं और जब तक समाज आविष्कारोन्मुखी नहीं बन पाएगा, तब तक नये टेक्नोलॉजी के आयात का प्रलोभन प्रबल रहेगा।

हिन्दी के लिए अब तक जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है वह अंग्रेजी के लिए प्रयुक्त की जा रही टेक्नोलॉजी को येन केन प्रकारेण अपनाने तक ही सीमित रहा है। हिन्दी के लिए टेक्नोलॉजी का विकास शोध के रूप में नहीं लिया गया है। उदाहरण के लिए हिन्दी के लिए टाइपराइटर जैसी आसान टेक्नोलॉजी भी अभी तक आवश्यकता के अनुकूल विकसित नहीं की जा सकी है। यही बात टेलीप्रिंटर के संदर्भ में है। जापान ने जटिल जापानी भाषा के अनुकूल टाइपराइटर विकसित किए और प्रयोग किए। अपनी भाषायी आवश्यकता के अनुकूल टेक्नोलॉजी के मौलिक विकास का हमारे यहां अभाव है। हर्ष का विषय है कि कुछ कम्प्यूटर वैज्ञानिकों ने तकनीकी विकास के विविध पक्षों को मौलिक रूप से समझने की कोशिश की है जिसके अच्छे परिणाम निकले हैं। वैज्ञानिकों ने परिवर्द्धित देवनागरी के आधार पर ध्वनिलिपि कुंजी पटल एवं कम्प्यूटर के लिए सूचना आदान-प्रदान करके मानकीकरण प्रस्तुत किए हैं। जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर बनाए जाने वाले कम्प्यूटरों में किया जा रहा है।

अक्तूबर, 1983 में तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के अवसर पर 'देवनागरी कम्प्यूटर प्रदर्शनी' का आयोजन किया गया था। जिसमें 14 विभिन्न संस्थाओं ने भाग लिया। इसमें देवनागरी कम्प्यूटर के विविध प्रयोगों को दिखाया और समझाया गया था। प्रयोग के बतौर सम्मेलन के प्रतिनिधियों का संक्षिप्त विवरण भी कम्प्यूटर किया गया जिससे इसे सम्मेलन प्रबन्धन में काम लाया जा सके। देवनागरी कम्प्यूटर में हिन्दी के माध्यम से सामग्री प्रस्तुत करना और हिन्दी में रिपोर्ट तैयार करना संभव है। इसे रोमन के साथ-साथ हिन्दी और कुछ अन्य भारतीय भाषाओं के लिए भी काम में लाया जा सकता है। वस्तुतः यह बहुभाषी कम्प्यूटर है। देवनागरी कम्प्यूटर को किसी दूसरे कम्प्यूटर से जोड़ने में भी सफलता मिल गई है। इस प्रकार कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी को जीवन स्तर बेहतर बनाने, उत्पादन बढ़ाने और सूचना पर आधारित प्रशासनिक कार्यों को गति देने के लिए असानी से काम में लाया जा सकेगा। दूसरे शब्दों में देवनागरी कम्प्यूटर का विकास हिन्दी जगत के लिए युगान्तरकारी सिद्ध होगा। आधुनिक छपाई उद्योग कम्प्यूटर पर आधारित है और आशा की जाती है कि देवनागरी कम्प्यूटर के विकास से छपाई उद्योग में क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकेंगे।

आजकल शिक्षा का स्तर बेहतर बनाने के लिए कम्प्यूटर का प्रयोग किया जाने लगा है। भारत में स्कूल और कालेजों में छोटे कम्प्यूटर की मदद से विविध विषयों के शिक्षण की भी व्यवस्था की जा रही है। सामाजिक क्रांति में शिक्षा संस्थाओं का गुणित प्रभावकारी योगदान होता है। अनुमान लगा सकते हैं कि कम्प्यूटर से दी जाने वाली शिक्षा में केवल अंग्रेजी की ही व्यवस्था रहेगी तो विद्यार्थी और भावी नागरिकों में हिन्दी और भारतीय समाज के प्रति तिरस्कार का भाव जड़ जमाने लगेगा। सामान्य और शिक्षित वर्ग के बीच दूरी बढ़ने लगेगी। इसलिए सामयिक आवश्यकता है कि हिन्दी के माध्यम से कम्प्यूटर से शिक्षण सुविधाएं सुलभ हों; इसके लिए आवश्यक सोफ्टवेयर का विकास प्राथमिकता के आधार पर किया जावे।

इस तकनीकी विकास की प्रक्रिया का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि यह विकास वैज्ञानिकों की पहल पर संभव हुआ और उन्होंने भाषाविदों से तकनीकी परामर्श किया। यह तकनीकी विकास इलैक्ट्रोनिकी विभाग जैसे तकनीकी विभाग में सम्भव हो सका। विडम्बना है कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग और तकनीकी विभागों में तालमेल न होने के कारण ऐसी शब्दावली नहीं बन पाई जिसे सामान्य व्यवहार में प्रयोग किया जा सके। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में शोध की परिभाषा बदलती रहती है। नए शब्द जुड़ जाते हैं ये सब प्रयोग के आधार पर ही सम्भव होता है। तकनीकी शब्दावली गतिशील प्रक्रिया है इसमें वैज्ञानिकों को पहल करने का अवसर दिया जाना परम आवश्यक है।

संक्षेप में, तकनीकी विकास हिन्दी भाषा के समग्र अध्ययन के आधार पर है। टेक्नोलॉजी को हिन्दी के लिए येन-केन प्रकारेण अपनाने की नीति की प्राथमिकता न दी जावे। हिन्दी के लिए मैकेनिकल टाइपराइटर, के तकनीकी विकास पर भी शोध काय को गति दी जाए और वैज्ञानिक डिज़ायन के आधार पर निर्माण की व्यवस्था की जाए। हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के संदर्भ में विविध क्षेत्रों में देवनागरी कम्प्यूटर प्रयोग के लिए आवश्यक साफ्टवेयर तैयार किया जावें, जिससे कम्प्यूटरों को हिन्दी के माध्यम से प्रयोग में लाया जा सके। कम्प्यूटर से अनुवाद प्रारूप तैयार करना बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। इस पर समयबद्ध परियोजना आरम्भ की जावे।

3. शोध के विविध आयाम

तकनीकी हिन्दी के विकास के संदर्भ में वैज्ञानिकों और हिन्दी शोधार्थियों के लिए विविध शोध विषय प्रस्तावित हैं।

3.1. वैज्ञानिकों के लिए शोध विषयः—हिन्दी के समग्र विकास के लिए टेक्नोलॉजी का संबल अपरिहार्य है। कम्प्यूटर आदि के द्वारा हिन्दी भाषा की व्याकरण, शैली आदि विशेषताओं का अध्ययन किया जा सकता है और इससे भाषा और भाषा के विकासाक्रम को समझने में आसानी होगी भारतीय भाषाएं ध्वन्यात्मक हैं। इन्हें देवनागरी लिपि में ध्वन्यात्मक विशेषताओं को क्षति पहुंचाए बिना अभिव्यक्त किया जा सकता है। ध्वनि पहचान मशीनों का विकास किये जाने पर भारतीय भाषाओं में जो बोला जाएगा उसे मशीन द्वारा लिपिबद्ध करना सम्भव हो सकेगा। यह एक युगान्तकारी तकनीकी विकास होगा जो भारतीय समाज के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। इसी प्रकार कम्प्यूटर के अनुवाद बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। एक भारतीय भाषा से दूसरी भाषा में कम्प्यूटर से अनुवाद अपेक्षाकृत आसान है। इस प्रकार दिशा में किए गए तकनीकी विकास अन्ततोगत्वा राष्ट्रीय एकता में बहुत अधिक सहायक सिद्ध होंगे। इसे इस दिशा में शोध एवं विकास की बहुत सम्भावनाएं हैं निम्नलिखित क्षेत्रों में शोध एवं विकास को प्राथमिकता दी जा सकती है:—

(क) **ध्वनि पहचान मशीन**:—ध्वन्यात्मक भारतीय भाषाओं के लिए इस प्रकार की मशीन सम्भाव्य है।

(ख) **बोलती मशीनः**—हिन्दी ध्वन्यात्मक भाषा है। इसमें अक्षर एवं इसकी ध्वनि किसी भी अक्षर समूह में अपरिवर्तनीय है। इसलिये लिपिबद्ध सामग्री को ध्वनि समूह में बदला जा सकता है। इस दिशा में फिजीकल रिसर्च लेबारेटरी (अहमदाबाद) में आंशिक सफलता मिली है।

(ग) **अक्षर पहचान मशीन**:—पाठ्य सामग्री को कम्प्यूटर में संग्रहीत करने के लिए बहुत अधिक समय लगता है, यदि देवनागरी एवं अन्य भारतीय लिपियों के अक्षरों को पहचानने की मशीन का विकास हो जाए, तो समय की बहुत बचत होगी और यह आर्थिक दृष्टि से सस्ता भी होगा। प्रकाशनीय साधनों से अक्षर पहचानने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। फोटोकोपिंग मशीन म पाठ्य दृश्य सामग्री को प्रतिबिंबित करके इलक्ट्रास्टैटिक प्लेट पर लेते हैं और उस पर सूक्ष्म स्याही के दानों (ग्रेन्यूल) को फला कर फोटोकापी तयार करते हैं। इस विधि में तयार की गई इलेक्ट्रोस्टैस्टिक प्लेट पर बनी कापी को माध्यम बना कर अक्षरों की पहचान आसान प्रतीत होती है। यह शोध का विषय है।

(घ) **कम्प्यूटर से अनुवाद** :– एक भारतीय भाषा से दूसरी भारतीय भाषा में वर्ण क्रम एवं व्याकरण की समानता होने के कारण अनुवाद अपेक्षाकृत सरल है। इस दिशा में शोध आरम्भ करने के साथ हिन्दी की 'बेसिक शब्दावली' सुनिश्चित की जाए। यह कुछ सीमित क्षेत्रों में कम्प्यूटर से अनुवाद के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। बालकों के लिए पुस्तकें और तकनीकी सामग्री का कम्प्यूटर से अनुवाद संतोषजनक होने की आशा है।

(ङ) **देवनागरी कम्प्यूटर साफ्टवेयर** :– देवनागरी कम्प्यूटर के विकसित हो जाने से देवनागरी लिपि में किसी सामग्री को कम्प्यूटर में संग्रह किया जा सकता है और प्रोसेसिंग के बाद प्रिंट कराया जा सकता है। देवनागरी कम्प्यूटर को लोकप्रिय और उपयोगी बनाने के लिए आवश्यक है कि इस पर अधिक से अधिक प्रयोगों के लिए साफटवेयर तैयार किया गया हो। शब्द समायोजन (वर्ड प्रोसेसिंग) की सुविधा आफिस के वातावरण में अत्यन्त आवश्यक है।

शब्द प्रोसेसिंग में पंक्ति की निश्चित लम्बाई के आदि और अंत में अक्षरों को लाने के लिए शब्द समायोजन, पैराग्राफिंग शब्द को ढूंढ़ने और बदलने, नए शब्द जोड़ने, कई स्थानों पर प्रयुक्त किसी शब्द की वर्तनी सभी स्थानों पर बदलने, सम्पादन करने, एक पत्र को कई पतों पर मूल रूप में भेज सकने, आदि की सुविधा होती है।

बाल-शिक्षण और प्रौढ़-शिक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं हों जिससे किसी विशेष प्रोग्राम भाषा को समझे बिना देवनागरी कम्प्यूटर पर काम करना सम्भव हो। इसके लिए चित्रों के आधार पर उच्च स्तरीय प्रोग्राम भाषा की सुविधा उपलब्ध हो।

(च) **सूचना संहिता निर्माण** :–विविध क्षेत्रों में कम्प्यूटर से सूचना संहिताएं तैयार करके उनका उपयोग सामाजिक एंव आर्थिक उन्नयन के लिए किया जा सकता है। इनकी मदद से कम समय में सही योजनाएं तैयार करने में बहुत मदद मिलती है। कई क्षेत्रों में हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में सूचना संहिताएं बहुत उपयोगी सिद्ध होंगी। उदाहरणार्थ (पुलिस में) अपराधी, मतदाता, रोगी, शिक्षा, श्रम शक्ति सूचना संहिताएं आदि बहुत ही उपयोगी हैं। देवनागरी में सूचना संग्रह करना आसान होगा और उपयोगी भी। तकनीकी शब्दावली को कम्प्यूटर में संग्रह करके विषयवार शब्दावली बनाना आसान होगा। शब्दों के निर्माण एवं संदर्भ में जांच के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है।

(छ) **कम्प्यूटर से प्रिंटिंग** :–प्रिंटिंग के क्षेत्र में कम्प्यूटर एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। इससे प्रिंटिंग के लिए अक्षरों के विविध आकार आसानी से बनाए जा सकते हैं। प्रिंटिंग में अक्षर आकार के वैविध्य एवं सौन्दर्य आकर्षक होते हैं। इस दिशा में शोध स्तर पर कुछ सफलता मिली है जिसे मुर्त रूप देने के लिए प्रयत्न करने होंगे।

(ज) **इलेक्ट्रानिक पेन** :–नक्शे, ड्रांइग आदि में हिन्दी में लिखन के लिए स्टेंसिल का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। मुक्त लेखन से हिन्दी में लिखि सामग्री प्रभावी नहीं बन पाती है। प्रस्तावित है इलेक्ट्रॉनिक पेन का विकास जिसमें बिन्दु जाल (डॉट मेटिक्स) की सहायता से अक्षर चयन कर स्प्रिंग की मदद से पेन को दबाकर इसे प्रिंट करा सकते हैं। ड्राफ्टमेन के लिए तो यह वरदान सिद्ध होगा। इसे पत्र लिखने के लिए भी काम में ला सकते हैं।

3.2 तकनीकी हिन्दी में शोध:–हिन्दी भाषा के संदर्भ में हिन्दी पक्ष को सबल बनाने की दिशा में शोध की प्रक्रिया आरम्भ करनी पड़ेगी, जहां एक ओर वैज्ञानिकों को हिन्दी में लेखन के लिए प्रवृत्त करना है वहीं दूसरी ओर हिन्दी भाषा में विज्ञान संबंधी विषयों पर शोध कार्य करने की पहल करना आवश्यक है। सम्भव है कि विज्ञान संबंधी शोध की महत्ता से हिन्दी जगत को वैज्ञानिक स्वरूप मिल सकेगा। (डाक्टरेट) शोध के लिए कुछ विषय प्रस्तावित हैं जिन्हें हिन्दी विद्वानों और वैज्ञानिकों एवं तकनीकी विशेषज्ञों के पारस्परिक मार्गदर्शन में पूरा किया जा सकता है।

(क) **हिन्दी में विज्ञान लेखन**:–हिन्दी में साहित्य लेखन की परम्परा बहुत पुरानी है जबकि विज्ञान लेखन अपेक्षाकृत नया है। हिन्दी में विज्ञान साहित्य का अभाव है और प्रायः यह पाठ्य पुस्तकों के रूप में ही मिलता है। कुछ लोग बोलचाल की भाषा में लेख प्रकाशित करते हैं लेकिन यह लेख व्यावसायिक विज्ञान लेखकों तक ही सीमित रहते हैं। वैज्ञानिक उपलब्धियों को अनुवाद के द्वारा प्रकाशित करने के प्रयास किए गए हैं और किए जा रहे हैं। अनुवाद में विषय का सही प्रस्तुतीकरण सम्भव नहीं हो पाता है क्योंकि प्रायः अनुवादकों को विषय का ज्ञान नहीं होता है। और उन्हें इतना धैर्य भी नहीं है कि वे वैज्ञानिकों से परामर्श कर उसे सच्चाई के साथ प्रस्तुत कर सकें। हिन्दी में विज्ञान लेखन किस दिशा में जा रहा है? उसकी क्या शैली है? इसमें कहां तक सफलता मिल पा रही है। विज्ञान चिन्तन का अभाव होने पर भी लेख कितने सजीव होते हैं। आदि विषयों पर विचार किया जा सकता है। शोधकर्ता इनका समीक्षात्मक विवेचन कर सकते हैं। शोध के लिए विषय हो सकते हैं।

1. 'हिन्दी में विज्ञान लेखन की परम्परा',
2. 'हिन्दी में वैज्ञानिक शोध साहित्य',
3. 'हिन्दी का विज्ञान साहित्य',,
4. 'हिन्दी में विज्ञान कथाएं',।

(ख) **हिन्दी लेखकों पर आधुनिक विज्ञान का प्रभाव**:– हिन्दी लेखन में मानकीकरण एंव सृजनात्मक भाव होता है। विज्ञान समाज को प्रभावित करता है और यह समाज की भाषा के माध्यम से होता है। स्वाभाविक है कि हिन्दी लेखक भी आधुनिक विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी से प्रभावित होंगे। अंग्रेजी भाषा के लेखकों पर अद्यतन विज्ञान का प्रभाव स्पष्टतः नजर आता है। अंग्रेजी साहित्य में विज्ञान संबंधी काल्पनिक कथाएं भी प्रभूत मात्रा में मिलती हैं। हिन्दी में ये बहुत कम दिखाई देती हैं। इस संदर्भ में भी शोधार्थी तुलनात्मक अध्ययन कर सकता है। किन कारणों से हिन्दी

लेखकों पर आधुनिक विज्ञान का प्रभाव सीमित है और किस दिशा में है। इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक परम्पराओं का भी अपना महत्व है। विज्ञान का प्रभाव भाषा, शब्द-चयन और शैली पर भी दिखाई देगा। विज्ञान साहित्य की भाषा लोकप्रिय होनी चाहिए। यह भी विचारणीय है। तभी यह उपयोगी होगा।

इस संदर्भ में कुछ शोध विषय इस प्रकार हो सकते हैं :–

1. 'हिल्दी लेखकों पर आधुनिक विज्ञान का प्रभाव',
2. 'हिन्दी साहित्य का गणितीय स्वरुप और तुलनात्मक अध्ययन,
3. 'विज्ञान एवं तकनीकी के लिए हिन्दी भाषा का स्वरूप',
4. 'तकनीकी हिन्दी का स्वरूप',
5. 'विज्ञान एवं हिन्दी पत्रकारिता'।

(ग) तकनीकी शब्दावली :–वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग ने इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। लेकिन इसे व्यापक व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। तकनीकी शब्दावली के संदर्भ में ज्ञातव्य है कि शब्द अपेक्षाकृत जल्दी जल्दी बदलते हैं इनकी परिभाषा बदल जाती हैं और नए शब्द गढ़े जाते हैं। तकनीकी शब्दावली को टेक्नोलॉजी के मुख्य भागों में बांट कर विषयवार शब्दावली का प्रकाशन आवश्यक है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद तकनीकी शब्दावली का पूनर्मूल्यांकन आवश्यक प्रतीत होता है अन्यथा तकनीकी शब्दावली और तकनीकी विकास के बीच तालमेल नहीं होगा। आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स की शब्दावली तैयार की है, कम्प्यूटर शब्दावली तैयार करने मे बहुत विलम्ब हुआ है। इसी बीच कम्प्यूटर विज्ञान के स्वतंत्र विषय के रूप में विकसित हो गया है और आज इसकी शब्दावली तयार न होने से इस महत्वपूर्ण विज्ञान को हिन्दी के माध्यम से अभिव्यक्त करने में परेशानी होती है। आयोग ने शब्दों को गढ़ा तो है लेकिन इनके प्रयोग संवर्धन की दिशा में भी काम करना होगा। शब्दों को उनके निरन्तर प्रयोग के आधार पर ही प्रचलित करना सम्भव है।

(घ) हिन्दी के लिए तकनीकी विकास :–हिन्दी भाषा को समृद्ध बनाने में हिन्दी लेखकों, कवियों आदि साहित्यकारों का योगदान रहा है। हिन्दी को लोकप्रिय बनाने में और इसे राष्ट्रीय एकता का माध्यम बनाने में भारतीय संतों का योगदान सराहनीय है। आधुनिक युग में आर्थिक पहलू महत्वपूर्ण है, इसलिए हिन्दी के प्रसार में टेक्नोलॉजी की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जब हिन्दी के लिए उपयोगी टेक्नोलॉजी कम कीमत पर उपलब्ध होगी तो हिन्दी का प्रसार तेजी से और आसानी से हो सकेगा। हिन्दी के लिए टेलीप्रिंटर का विकास किया गया था लेकिन अंग्रेजी के टेलीप्रिंटर को येन-केन-प्रकारेण की निति अपनाने के कारण उसका प्रिंट स्वीकार्य नहीं बनाया जा सका। इसी कारण देवनागरी टेलीप्रिंटर का प्रयोग लोकप्रिय नहीं हो सका। हिन्दी के मूल स्वरूप को बिना क्षति पहुंचाए टेक्नोलॉजी का विकास परम्आवश्यक है तभी हम ऐसी सामग्री प्रस्तुत कर सकेंगे जो समाज के द्वारा स्वीकार की जा सके।

शिक्षा में कम्प्यूटर का प्रयोग अत्यन्त लाभकारी सिद्ध हो रहा है। देवनागरी कम्प्यूटर के विकास से विद्यार्थियों को विशेष लाभ होगा क्योंकि वे कम्प्यूटर से विषय वस्तु आसानी से हिन्दी में समझ सकेंगे। कम्प्यूटर में चित्र, ध्वनि, रंग, सजीवता के आकर्षक गुण हैं जो शिक्षण में प्रेरक एंव प्रभावी हैं।

हिन्दी में अनुवाद के लिए कम्प्यूटर का प्रयोग वांछनीय है। कम्प्यूटर में अनुवाद प्रारूप तैयार किए जा सकते हैं और इन्हें प्रयोजन मूलक बनाने की दृष्टि से सम्पादक के द्वारा इनमें यथोचित शब्द चयन और शैली परिवर्तन कर सकते हैं। कम्प्यूटर से अनुवाद मशीन मानव दोनों का सह कार्य है। इससे समय की बहुत बचत होगी और सम्पादक को और अधिक बौद्धिक स्तर का कार्य करने का अवसर मिल सकेगा।

हिन्दी के लिए टेक्नोलॉजी का विकास अनेक स्थानों पर हुआ है। उनके बारे में सारी जानकारी एकत्रित करके विचार करके विश्लेषण करना आवश्यक है। जिस तरह से हिन्दी के साहित्य का इतिहास लिखना आवश्यक है, उसी प्रकार हिन्दी के लिए टेक्नोलॉजी के विकास का इतिहास भी।

शोधार्थियों को इस विषय पर भारत सरकार के तकनीकी विभागों से जानकारी एकत्र करनी होगी। सूचना संग्रह एंव विश्लेषण के लिए कम्प्यूटर वैज्ञानिकों से विचार-विमर्श करना होगा।

कुछ शोध विषय इस प्रकार प्रस्तावित हैं :–

1. 'हिन्दी के टेक्नोलॉजी के विकास का इतिहास',
2. 'कम्प्यूटर से हिन्दी भाषा का शिक्षण',
3. 'कम्प्यूटर से भाषा विश्लेषण',
4. 'हिन्दी में कम्प्यूटर से शिक्षण की सम्भावनाएं',
5. 'हिन्दी के लिए टाइपराइटर का विकास',
6. 'हिन्दी के लिए टेलिप्रिंटर का विकास',
7. 'हिन्दी के लिए देवनागरी कम्प्यूटर का विकास',
8. 'भारतीय भाषाओं के लिए तकनीकी विकास एवं राष्ट्रीय एकता',
9. 'हिन्दी में पेटेंट कराने की व्यवस्था'
10. 'अनुवाद का मूल्यांकन',
11. 'विज्ञान प्रसार समस्याएं और सम्भावनाएं'
12. 'ग्रामीण विकास के संदर्भ में भौतिकी के मूल सिद्धान्त',
13. 'हिन्दी की बेसिक शब्दावली', इत्यादि।

4. आशुलिपि

भारतीय भाषाओं का आधार संस्कृत की वैज्ञानिक वर्णमाला देवनागरी है। ये ध्वन्यात्मक हैं। जैसा बोलें वसे लिख सकें। आशुलिपि के क्षेत्र में भी अंग्रेजी में प्रयुक्त आशुलिपि (पिटमैन) पद्धति को येन केन प्रकारेण अपनाने की कोशिश की है। हिन्दी का सामान्य आशुलिपिक अंग्रेजी के सामान्य आशूलिपिक की तुलना में बहुत कम संतोषजनक है। आशूलिपि पद्धति हिन्दी जैसी ध्वन्यात्मक भाषा के लिए अत्यंत प्रभावी सिद्ध होगी। सुझाव है कि येन केन प्रकारेण तकनीकी अपनाने की नीति को छोड़कर इस विषय पर शोध करके ध्वन्यात्मक आशुलिपि प्रस्तुत की जाए। इस दिशा में श्री सैनी के प्रयास उल्लेखनीय हैं।

5. तकनीकी हिन्दी में प्रशिक्षण

5.1 तकनीकी हिन्दी को कई विषयों के समागम विषय के रूप में समझा जा सकता है। इसमें हिन्दी साहित्य का परिचय, भाषा विज्ञान, तर्क सिद्धान्त, कम्प्यूटर विज्ञान, अनुवाद विज्ञान को उनकी पारस्परिक उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है । सुझाव है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 'तकनीकी हिन्दी म एम. फिल.' की व्यवस्था करे और राजभाषा विभाग वरिष्ठ हिन्दी अधिकारियों एंव विज्ञान अनुवादकों को नियुक्ति में इस डिग्री को प्राथमिकता दे ।

तकनीकी विभाग जैसे वैज्ञानिक एंव प्रौद्द्योगिकी विभाग, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग आदि से अनुरोध किया जाए कि वे तकनीकी हिन्दी में एम. फिल. के लिए 800 रु. प्रति मास की विशेष छात्रवृत्ति और तकनीकी विषयों पर पी. एच. डी. करने के लिए 1200 रु. प्रति मास फैलोशिप प्रदान करने की व्यवस्था करें ।

5.2 **प्रस्तावित है एम. फिल. के पाठ्यक्रम की एक रूपरेखा ।** इस पर चर्चा करके इसे जल्दी से जल्दी मानक पाठ्यक्रम का रूप दे दिया जाए जिससे इस दिशा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तुरन्त कदम उठा सके । एम. फिल. पाठ्यक्रम में विषय इस प्रकार हैं :–

(1) हिन्दी साहित्य परिचय
(2) सैट एंव सिस्टम्स थ्योरी
(3) तर्क सिद्धान्त
(4) भाषा विज्ञान-व्याकरण आदि
(5) कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग
(6) अनुवाद के सिद्धान्त
(7) कार्यशालाएं
(8) प्रोजेक्ट
(9) शोध वैज्ञानिकों से भेंट (कम से कम दो)

प्रोजेक्ट के लिए दो गाइड हों–एक हिन्दी भाषा से और दूसरा विज्ञान से । शोध प्रबन्ध को कम से कम दो बाहरी परीक्षकों से जंचवा लिया जाए ।

प्रवेश योग्यता

एम. एस. सी./बी.ई./बी. टैक./एम.बी.बी.एस.

अवधि

एक वर्ष

वित्तीय सहायता

रुपये 800 प्रति मास और रुपये 2000 पुस्तकें एंव अन्य शोध सामग्री खरीदने के लिए ।

5.3 तकनीकी हिन्दी में पी. एच. डी. :–

अनिवार्य विषय :–

(1) भाषा विज्ञान
(2) सैट एवं सिस्टम थ्योरी
(3) हिन्दी साहित्य परिचय

प्रवेश योग्यता :–

एम. एस. सी. एंव. समकक्ष ।

एम. फिल. (तकनीकी हिन्दी) को प्राथमिकता ।

अवधि :–

3 वर्ष या अधिक

वित्तीय सहायता :–

रुपए 1200 प्रति मास और रुपए 2000 पुस्तकें एवं अन्य शोध सामग्री खरीदने के लिए ।

6. उपसंहार

हिन्दी के लिए तकनीकी विकास पर बल देना सामयिक आवश्यकता है ? इस कार्य को समन्वित ढ़ंग से संचालित करने के लिए "हिन्दी तकनीकी विकास केन्द्र" की स्थापना की जा सकती है । तकनीकी हिन्दी को विकसित करने के लिए भी समन्वित प्रयास अपेक्षित हैं ।

इलैक्ट्रोनिक विभाग
लोकनायक भवन, खान मार्किट
नई दिल्ली ।

8 4-M/B(N)867MofHA—4

हिन्दी देश के एकीकरण की भाषा

—वासुदव सिंह

उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री वासुदेव सिंह अपने व्यस्त राजनैतिक जीवन से समय निकाल कर हिन्दी साहित्य और विशेष रूप से राजभाषा हिन्दी की समस्याओं पर निरंतर लिखते हैं।

श्री वासुदेव सिंह के इस सारगर्भित लेख में जहां यह स्थापना की गई है कि हिन्दी देश के एकीकरण की भाषा है वहां दूसरी ओर उनके इस लेख से राजभाषा हिन्दी के लिए कार्य कर रहे महानुभावों को प्रेरणा के साथ-साथ एक वैचारिक बल भी मिलेगा।

कभी जिस प्रकार संस्कृत द्वारा देश का एकीकरण हुआ था, वही कार्य पिछली कई शताब्दियों से हिन्दी करती आ रही है। यदि निष्पक्ष भाव से देश की भाषा-स्थिति का सवक्षण किया जाय तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि हिन्दी ने सभी भारतीय भाषाओं के हितों की रक्षा की। उसने सभी प्रादेशिक भाषाओं, प्रादेशिक जनों को एक सूत्र में बांधे रखने का कार्य किया। मध्यकाल में भी हमारे विशाल राष्ट्र का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां हिन्दी बोली और समझी न जाती हो। इतना ही नहीं राष्ट्र के सभी हिन्दीतर कहे जाने वाले क्षेत्रों में भी हिन्दी के बड़े समर्थ और प्रतिभाशाली कवि हो गये हैं। इनकी जो संख्या शोध स्तर पर प्रकाश में लायी गयी है, वह सैकड़ों में है। सम्भव है, वह हजार से अधिक भी हो और इन अहिन्दी भाषी लेखकों की कृतियां कुल मिला कर कई हजार की संख्या में उपलब्ध हो चुकी हैं और धीरे-धीरे उनका सम्पादन और प्रकाशन हो रहा है। राष्ट्रपिता बापू ने हिन्दी के इस सार्वदेशिक महत्व को पहचाना था और इसलिए देश के स्वतंत्र होने पर उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया था कि सबसे पहला और जरूरी काम यह करना चाहिए कि भारत को जिन समृद्ध प्रान्तीय भाषाओं का वरदान मिला है, उन्हें भी कायम किया जाय। यह दिमागी सुस्ती की अलावा और कुछ नहीं है कि हम यह दलील दें कि कचहरियों, स्कूलों और सैक्रेटेरिएट में यह तबदीली करनें में कुछ वर्ष लग जायेंगे। बेशक बम्बई, मद्रास जैसे बहुभाषा-भाषी प्रान्तों में कुछ कठिनाई महसूस होगी, जब तक भाषा के आधार पर प्रान्तों का पुनर्वितरण नहीं हो जाता प्रान्तीय सरकारें ऐसा रास्ता निकाल सकती हैं, जिससे कि इन सूबों की जनता यह अनुभव करने लगे कि अब जमाना उनका है। बापू ने भाषावार प्रान्त बनाने की हिमायत इसलिए की थी जिससे जनता को अपने देश में राजकाज में हिस्सा लेने की सुविधा प्राप्त हो सके। खेद है कि देश के स्वतंत्र होने पर बापू की इस इच्छा की पूर्ति जैसा वे चाहते थे उस रूप में नहीं हो पायी। हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के मार्ग में ऐसे तत्वों के बराबर रोड़े अटकाते रहने का काम संगठित रूप से किया जा रहा है, जो जनता को देश के शासन से दूर रखना चाहते थे।

वस्तुतः यह जानी-मानी बात है कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का काम अहिन्दी भाषी नेताओं और विद्वानों ने आरम्भ किया था। गुजरात, आन्ध्र, केरल, बंगाल सभी क्षेत्रों के स्वामी दयानन्द, राष्ट्रपिता बापू, लोकमान्य तिलक, बंकिम चन्द्र चटर्जी, केशवचन्द्र सैन जैसे नेताओं ने राष्ट्र की एकता सुदृढ़ बनाने के लिए हिन्दी की महिमा का अनुभव किया था और बहुत से महापुरूषों ने अपने राष्ट्र की एक भाषा के साथ एक ही देवनागरी लिपि होने की आवश्यकता पर बल दिया था। किन्तु आज हम अपने पूर्वजों के उस महान देश को भुला बैठे और अपने संकीर्ण स्वार्थ की पूर्ति के लिए हिन्दी के मार्ग में अनेक प्रकार की बाधायें उत्पन्न कर रहे हैं। इतिहास से यह सिद्ध है कि हिन्दी को सबसे पहले दक्षिण में बहमानी राज्य में राजभाषा का पद प्राप्त हुआ था। यद्यपि उत्तर भारत में मुगलों ने फारसी को राजभाषा बनाया था, किन्तु ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिनसे यह सिद्ध है कि हिन्दी का प्रयोग मुगल शासन में दूसरी भाषा के रूप में किया जाता था। बंगला के प्रसिद्ध विद्वान दिनेश चन्द्र सैन ने हिस्ट्री आफ बंगाली लैंग्वेज एण्ड लिटरेचर में लिखा है 'दिल्ली के मुसलमान शंहशाह के एकछत्र शासन के नीचे हिन्दी सारे भारत की सामान्य भाषा लिंगुआ फ्रांका हो गयी थी'। विलियम कैरी ने 1816 ई. में लिखा था कि हिन्दी का कोई अपना प्रदेश नहीं है। लोगों को इस देश में आने वाले विदेशियों को यह भ्रम हो जाता था कि प्रायः सारे देश में यही भाषा बोली जाती है। किन्तु अंग्रेजों ने अपने साम्राज्यवादी हितों के साधन के लिए हिन्दी को सब प्रकार से अपदस्त करने का प्रयत्न किया। पहला भ्रम उन्होंने यह फैलाया कि हिन्दी हिन्दुओं की भाषा है और फारसी अरबी शब्दों को मिला कर गढ़ी गयी उसकी दूसरी शैली उर्दू मुसलमानों की भाषा है। इस प्रकार उन्होंने उस हिन्दी को जो इस देश की साम्प्रदायिक एकता का सबसे बड़ा साधन थी, साम्प्रदायिक विद्वेष भड़काने का साधन बना दिया। सन् 1835 में मैकाले ने यह घोषणा की कि भारत में नेटिव लोग जो बोलियां बोलते हैं उनमें साहित्यिक और वैज्ञानिक जानकारी की बातें नहीं हैं। इसके अलावा वह इतनी दरिद्र और अनगढ़ है कि जब तक वे किसी और दिशा से समृद्ध न हो जाएं तब तक उससे किसी महत्वपूर्ण ग्रन्थ का अनुवाद भी नहीं किया जा सकता। उसने यह भी कहा कि जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने की स्थिति में हैं उनका बौद्धिक विकास किसी ऐसी भाषा के द्वारा ही सम्भव है जो उनके बीच बोली न जाती हो। आश्चर्य यह देख कर होता है कि हिन्दी और भारतीय भाषाओं के विरोध में अंग्रेजी प्रेमी अधिकारीगण जो तर्क देते हैं वे प्रायः वह

हैं जिनकी सद्भावना लगभग 150 वर्ष पूर्व लार्ड मैकाले ने की थी वास्तव में अंग्रेजों की प्रतिष्ठा हमारे देश में अंग्रेजों ने इसलिए की थी जिसे यहां के लोग गोरी जातियों को अपने से श्रेष्ठ मानें और काली जातियों को हीन समझें। उनके मानस में अपने देश, भाषा, साहित्य और संस्कृति के विषय में हीन भावना उत्पन्न हो और वे यह मान लें कि हम अंग्रेज के द्वारा शासित होने के लिए बनाये गये हैं। दुर्भाग्य की बता यह है कि अंग्रेजों के दुरभिसन्धि के सैकड़ों ज्वलन्त ऐतिहासिक प्रमाण होते हुए भी हमारे देशवासियों का अंग्रेजी मोह कम नहीं हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में अंग्रेजी माध्यम के प्राइमरी स्तर के विद्यालयों की इतनी तेजी से वृद्धि हुई है और होरही है कि यह अंग्रेजी का मोह एक राष्ट्रीय संकट के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। आज बहुत से शिक्षाविद् और नेता अंग्रेजी के महत्व को बहुत बढ़ा-चढ़ा कर विज्ञापित कर रहे हैं और शिक्षा वैज्ञानिक, शोध, जिला न्यायालयों से सर्वोच्च न्यायालय तक हिन्दी के कामकाज की भाषा बनाने में बाधा डाल रहें हैं। अंग्रेजी को राष्ट्र के जीवन के विविध क्षेत्रों में यह तर्क देकर कायम रखा जा रहा है कि अंग्रेजी बहुत समृद्ध भाषा है। वस्तुतः अंग्रेजी की समृद्धि का बड़ा अतिरंजित और अयथार्थ चित्र हमारे सामने बहुत दिनों से प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे अंग्रेजी की असलियत से हम परिचित नहीं हो पाये हैं। वस्तुतः अंग्रेजी को जितना समृद्ध कहा तथा समझा जाता है, उतनी समृद्ध वह नहीं हैं। हिन्दी और अंग्रेजी में एक उल्लेखनीय अन्तर यह है कि मध्यकाल में जब मुसलमानों के आक्रमण इस देश पर हुए थे उस समय भी हिन्दी ने विजित जाति की भाषा होते हुए भी अपनी राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा की। इसके विपरीत अंग्रेजी ऐसी विजित जाति की भाषा रही है, जो बराबर विजेताओं को भाषा बोलने और अपनाने का प्रयत्न करती रही है। डेन्मार्क के लोगों ने इंग्लैण्ड के लोगों पर आक्रमण किया और अपना शासन स्थापित किया। परिणाम यह हुआ कि डेनिश भाषा के न्याय संबंधी शब्द अंग्रेजी में प्रचलित हो गये। तत्पश्चात् फ्रान्स-वासियों का शासन इंग्लैण्ड पर हुआ। फलस्वरूप अंग्रेजी में शासन व्यवस्था संबंधी प्रायः सब शब्द फ्रेंच भाषा से ग्रहण कर लिये गये। कम ही लोगों को यह ज्ञात होगा कि स्टेट, गर्वनमेन्ट, कन्ट्री, पावर, मिनिस्टर, कौंसिल, पार्लियामेन्ट, पीपुल्स, नैशन, प्रिंस, ड्यूक, काउण्ट नोबल, वार, पीस, बैटिल, आर्मर, लान्स, अर्राट, सीज़, लैफ्टीनेन्ट, सारजैन्ट, सोल्जर्स, नेवी, जज, जूरी, कोर्ट, क्राइम, प्रापर्टी, रिलीजन, वर्जिन, एन्जिल, सैन्ट, एलर्जी, वायस, ड्यूटी, पिटी, मर्सी, एअर, एक्सचैन्ज, लार्ज, प्लेस, प्राइस, रीजन, आदि सैकड़ों शब्द अंग्रेजी में फ्रेन्च भाषा से आये हैं। आखैट, खेलकूद, आमोद-प्रमोद, कला और खाद्य सामग्री, के भी अधिकांश नाम अंग्रेजी में फ्रेन्च भाषा से लिये गये हैं। ध्यान देने की बात यह है कि इस तरह के अंग्रेजी शब्द फ्रेंच भाषा में नहीं पहुंचे हैं। अंग्रेजी का मूल रूप यदि कहीं सुरक्षित है तो इंग्लैण्ड के निम्न वर्ग में। उच्च वर्ग के लोग अब भी फ्रेन्च शब्दों को ग्रहण करते हैं और उनका मूल फ्रेन्च उच्चारण करने का भी प्रयत्न करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अंग्रेजी को जितना महान बताया जाता है, उतनी महान् वह नहीं है। फिर भी हमारे देशवासियों में अंग्रेजी की मानसिक दासता का बोध उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। यह घोर अराष्ट्रीय प्रवृत्ति है और देश में चारों ओर बढ़ती हुई अनेक विघटनकारी अराष्ट्रीय प्रवृत्तियों के कारणों में से एक प्रमुख कारण यह अंग्रेजी का मोह भी है। अंग्रेजी के इस मोह ने हमारी राष्ट्रीय चेतना को कुंठित कर दिया है और हम अनेकानेक आत्मघाती अराष्ट्रीय प्रवृत्तियों को अपनाते चले जा रहे हैं।

हिन्दी के विषय में यह भी जान लेना आवश्यक है कि विश्व की भाषाओं में इसका सर्व प्रमुख स्थान है। पिछले विश्व हिन्दी सम्मेलन में दिल्लीमें हिन्दी को विश्व की तीसरी भाषा कहा गया था। कारण यह कहा जाता है कि बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से अंग्रेजी और चीनी का स्थान हिन्दी के ऊपर है। वस्तुतः विश्वभाषा के रूप में हिन्दी के सही पक्ष को प्रस्तुत करने का गम्भीर प्रयास कभी न तो विद्वतजनों ने किया और न अपने देश की स्वंतत्र सरकार ने। हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान डा. राम विलास शर्मा ने सप्रमाण सिद्ध किया है कि चीनी भाषा बोलने वालों की संख्या हिन्दी भाषा बोलने वालों से अधिक नहीं है। उन्होंने लिखा है कि "लिखने के विचार से चीनी भाषा का पहला नम्बर है। भाषा भिन्नता होते हुए भी सामान्य लिपि द्वारा चीन में करोड़ों आदमियों को जिस तरह एक विशाल भू-खण्ड में सम्बद्ध किया गया है, वह विश्व इतिहास में अद्वितीय है। किन्तु जितने लोग सामान्य लिपि का व्यवहार करते हैं, उतने लोग सामान्य भाषा बोलते नहीं हैं। चीन में भिन्न-भिन्न भाषाएं बोलने वाली अनेक जातियां हैं जिन्हें चीनी का जाता है वे भी वास्तव में एक ही भाषा का व्यवहार नहीं करते। उत्तर और दक्षिण में चीनियों की भाषा में वैसा अन्तर नहीं है जैसा ब्रजभाषा और खड़ी बोली बोलने अथवा अवधी और भोजपुरी में है। उनमें वैसा भेद है जैसा हिन्दी और मराठी अथवा मराठी और तेलुगु में है। चीनी भाषा अथवा चीनी लिपि को व्यवहार करने वाली जाति से हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि का व्यवहार करने वाली जाति संख्या में ज्यादा नहीं है। डा. राम विलास शर्मा ने कुल मिला कर निष्कर्ष यह निकाला है कि "जनसंख्या की दृष्टि से अंग्रेजी बोलने वाले अधिक हैं उसके बाद दूसरा नम्बर हिन्दी का है "डा. शर्मा ने अंग्रेजी के विषय में भी कुछ विचारणीय तथ्य प्रस्तुत किये हैं। अंग्रेजी विश्व भाषा है। दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, सुदूर आस्ट्रेलिया और खास ब्रिटेन में अंग्रेजी का व्यवहार करने वाले लोग, एक ही जाति के अन्तर्गत नहीं हैं। जैसे जर्मनी और आस्ट्रिया में एक ही भाषा जर्मन बोली जाती है, किन्तु, वे दो राष्ट्र हैं। वैसे ही संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ब्रिटेन में एक ही भाषा अंग्रेजी बोली जाती है, किन्तु वे दो राष्ट्र हैं। इन दो दोशों में रहने वाले एक ही अंग्रेजी भाषी जाती के नहीं हैं। इस प्रकार जातीयता की दृष्टि से हिन्दी बोलने वालो की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है।

यदि संसार के विभिन्न राष्ट्रों में फैले हुए हिन्दी भाषियों की सही गणना करवाई जाय तो कुल मिला कर हिन्दी बोलने वालों की सांख्या अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या से अधिक ही होनी चाहिए। आज हिन्दी सभी दृष्टियों से अन्तर्राष्ट्रीय जगत में अपना स्थान बना चुकी है। एक समय था, जब अपने देश के सार्वदेशिक नेताओं के लिए हिन्दी की अच्छी जानकारी होना आवयक माना जाता था। महात्मा गांधी सुभाष चन्द्र बोस, लोक मान्य तिलक, सरदार पटेल हिन्दी को अपनी ही भाषा मानते थे और उसमें भाषण देते थे। उन लोगों को देश में जो लोक-प्रियता प्राप्त हुई वह आज के हमारे कितने नेताओं को प्राप्त है। अब स्थिति यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी अपने देश का वही नेता सम्मानित हो सकता है जो हिन्दी तथा अपने देश की अन्य भाषाओं का अनुरागी है। हमारे देश में संसार के एक महान जनतन्त्र

की स्थापना की गयी। किन्तु शासन में अग्रजी कायम रख कर उस जनतन्त्र की जड़ आरम्भ से ही बहुत कमजोर की गई। पढ़े लिखों की संख्या इस देश म 1951 में नियुक्त "आफिशियल लैग्वेज कमीशन" के अनुसार 16.6 प्रतिशत थी। इनमें अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों की संख्या केवल एक प्रतिशत थी। तात्पर्य यह है कि अंग्रेजी का व्यवहार करने की क्षमता वाले लोग 0.25 प्रतिशत से अधिक नहीं हैं। इस $\frac{1}{4}$ प्रतिशत के द्वारा संसार का हमारा सबसे बड़ा जनतन्त्र चलाया जा रहा है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि अंग्रेजी ने अपनी साम्राज्यवादी व्यवस्था में अंग्रेजी को जनता के उत्पीड़न का सहारा बनाया था। आज भी अंग्रेजी वही काम कर रही है। डा. राम विलास शर्मा ने लिखा है "यह छोटा सा वर्ग भारत भाग्य विधाता है। अंग्रेजी में उसका निहित स्वार्थ है। विदेशी भाषा के बल पर वह साहब बना हुआ है अपने देशवासियों पर राज करता है। उसकी पोशाक बदलती है। कभी बुशर्ट पेन्ट कभी सूट टाई या कभी शेरवानी या बन्द कालर का कोट लेकिन भाषा सर्वत्र अंग्रेजी।" स्पष्ट है जिस $\frac{1}{4}$ की रीढ़ भारत की एकता को स्थिर रखने का प्रयत्न किया जा रहा है वह आधार बड़ा कमजोर है। इस आधार के कभी भी नष्ट हो जाने का खतरा है। इसके नष्ट होने के साथ-साथ यह आशंका हो सकती है कि इस देश की बागडोर किसी तानाशाह को न सौंप दें। इसलिए देश की इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है हिन्दी की लोकतान्त्रिक चेतना की भूमि पर जनतन्त्र को मजबूत करना इसके लिए देश में बढ़ती हुयी विघटनकारी अराष्ट्रीय प्रवृत्तियों को उन्मूलित करने का प्रयत्न करना होगा। राष्ट्रपिता गांधी ने अंग्रेजों के शासन काल में लिखा था कि विदेशी माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने से हमारे देश के प्रत्येक बालक की आयु के 9 वर्ष बेकार हो जाते हैं। उन्होंने यह भी हिसाब लगाया था कि इस समय जितने बालक अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनकी संख्या को 6 से गुणा करने पर जो संख्या निकलती है वह हमारे राष्ट्रीय वर्ष हैं जो शिक्षातन्त्र की पराधीनता के कारण बर्बाद हो रहे हैं। आज अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की संख्या जिस तरह बढ़ रही है, इसको देखते हुए उसे एक प्रकार का उन्माद कहना अनुचित नहीं है। सुझाव है कि सरकार एक जांच कमीशन बैठा कर इन अंग्रेजी माध्यम के शिक्षालयों से होने वाले हानि-लाभ का लेखा-जोखा तैयार कराये।

हमारे राष्ट्रीय जीवन में ऐसा समय आया था जब हम पूर्ण समर्पण के भाव से राष्ट्र की अस्मिता और एकता के संरक्षक के रूप में हिन्दी को अधिकाधिक समृद्ध और श्रीसम्पन्न बनाने का प्रयत्न करते, किन्तु दुर्भाग्य ग्रह है कि स्वतंत्रता के बाद हिन्दी की हमारी बड़ी-बड़ी संस्थाओं को काठ जैसा मार गया है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन जिसके संस्थापक राजर्षि टण्डन थे और जिन्होंने हिन्दी की निःस्वार्थ सेवा का व्रत लिया था उसके भाग्य का निर्णय आज कानूनी अदालतों में किया जा रहा है। उसके कर्णधारों को टण्डन जी के नाम का स्मरण कर अपने कुकृत्यों पर लज्जा का भी बोध नहीं होता। काशी नागरी प्रचारिणी सभा, जिसे हम आचार्य बाबू श्याम सुन्दर दास की कीर्ति का सुमेरु कह सकते जिसके द्वारा हिन्दी के मानक और आकर ग्रन्थों का प्रकाशन हुआ था और जिसके द्वारा हिन्दी को विश्वविद्यालयों में गौरव पूर्ण स्थान प्राप्त, हुआ था, वह आज जिस स्थिति में हैं, यह किसी से छिपा नहीं है, किन्तु क्या प्रकाशनों का स्तर वही है जो आचार्य श्याम सुन्दर दास आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के समय में था। ऐसे अनेक प्रश्न हैं जो हमें अब यह सोचने को विवश करते हैं कि इन आत्महंता भाषायी एंव साहित्यिक राजनीति से इन संस्थाओं को मुक्त कैसे किया जा सकता है। एक समय था जब रु. 1200.00 का मंगला प्रसाद पारितोषिक और रु. 2000.00 का देव स्मारक पुरस्कार हिन्दी के सबसे बड़े पुरस्कार थे किन्तु आज हम डेढ़ लाख रुपये तक के पुरस्कार प्रतिवर्ष वितरित करने की स्थिति में हो गये हैं। हिन्दी प्रदेशों के अनेक सरकारी संस्थान यह कार्य करते हैं किन्तु देखना यह है कि क्या यह कार्य निष्पक्षता के साथ किया जा रहा है। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो इसमें हिन्दी का अहित अधिक हो रहा है। क्या हिन्दी प्रदेश की सरकारों में हिन्दी सेवा के लिए जो संस्थान गठित किये हैं, उनमें हिन्दी के सर्वोच्च कोटि के विद्वानों को कार्यकारिणी परिषद् के सदस्य के रूप में स्थान मिला है अथवा वहां भी कुछ पिट्ठू ही बिठाये जा रहे हैं। विदेशों में जो इस कोटि की साहित्यिक संस्थायें या अकादमियां हैं उनके कार्यकारी मण्डल में उस देश के केवल सर्वश्रेष्ठ विद्वान ही स्थान पाते हैं। हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। यह सब ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो गम्भीर चिन्तन और मनन की अपेक्षा रखते हैं। हिन्दी का यह विजय रथ जो मुगलों के शासनकाल में अप्रतिहत गति से आगे बढ़ता रहा और अंग्रेजों की कूटनीति भी जिसकी प्रगति में कोई बाधा न डाल सकी वही आज अपने ही लोगो के आत्महंता, स्वार्थी प्रवृत्तियों के कर्दम में फंस गया है। उसको इस कीचड़ से निकाल कर आगे बढ़ाने का काम वे ही लोग कर सकते हैं, जिनके हृदय में देश के हित और जनता के हित की भावना सर्वोपरि हो। हिन्दी और समस्त भारतीय भाषाओं का हित एक है। इसलिए हिन्दी की सेवा का काम इस देश की करोड़ों मूक जनता को वाणी देने का कार्य है। मैं तो समझता हूं कि हिन्दी के ठीक महत्व को समझ कर यदि हम काम करें तो देश की अनेक समसामयिक जटिल समस्याओं को सुलझाने में भी प्रभावशाली सहयोग प्रदान कर सकतें हैं। असम के लोगों को महापुरुष शंकर देव की वाणी की याद दिलायी जा सकती है और पंजाब के दिग्भ्रान्त आतंकवादियों को गुरुओं की हिन्दी वाणी का मर्म समझाकर उनको गुरुनानक देव और गुरु गोविन्द सिंह के कल्याण मार्ग पर चलने हेतु प्रेरित किया जा सकता है। सोचने की आवश्यकता है कि वह कौन सी महान् प्रेरणा थी, जिसने गुरुगोविन्द सिंह को हिन्दी में इतना विपुल साहित्य लिखने की प्रेरणा प्रदान की। उन्होंने किस प्रेरणा से रामकथा, कृष्ण कथा, चन्डी चरित्र, आदि लिखा। यह सारा साहित्य और गुरुओं की महिमामयी वाणी हिन्दी की ही विभूति तो है। इस समय देश को जिन आदर्शों की आवश्यकता है उनकी बहुत बड़ी धरोहर हिन्दी के पास है। हिन्दी जनतन्त्र की आधारशिला है, वह विश्व शक्ति की भाषा है, वह राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने का अमोघ साधन है। हिन्दी का पक्ष अपने में इतना प्रकाशमान है कि जब उसके पक्ष में तर्क और प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं रह गयी है।

आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम असलियत को समझने का प्रयत्न करें और देश की उन्नति के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले तत्वों के दमन के लिए कृत-संकल्प हों। इस कार्य में हिन्दी हमारी सबसे बड़ी सहायक सिद्ध होगी।

मंत्री, मद्य निषेध
उत्तर प्रदेश सरकार

पुरानी यादें नए परिप्रेक्ष्य में

–राहुल सांकृत्यायन

पंजाब विश्वविद्यालय ने हिन्दी और पंजाबी भाषाओं के साहित्यों को सम्पन्न तथा समृद्धिशाली बनाने के उद्देश्य से 1948 में प्रकाशन विभाग की स्थापना की थी। ज्ञान, विज्ञान तथा साहित्य संबंधी मौलिक ग्रंथों की रचना तथा अन्यान्य भाषाओं की इस प्रकार की उत्तमोत्तम पुस्तकों के अनुवाद का प्रकाशन करके पंजाब विश्वविद्यालय के प्रकाशन विभाग ने हिन्दी के प्रचार और प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान किया। 1951 में "विचार और विमर्श" का प्रकाशन किया गया। इस ग्रन्थ में हिन्दी के विचारात्मक निबन्धों का संग्रह किया गया था। महापंडित राहुल सांकृत्यायन का प्रस्तुत लेख "भारत की राष्ट्रभाषा और लिपि" इसी पुस्तक से उद्धृत किया जा रहा है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी महापंडित राहुल सांकृत्यायन जैसा व्यक्तित्व युगों के बाद ही अवतरित होता है। भारत की राष्ट्रभाषा और लिपि पर राहुल जी के विचार आज भी विचारणीय हैं।

हमारा देश अब वह नहीं रहा, जो सदियों से चला आ रहा था। जिस वक्त आज का हिन्दी भाषा भाषी भारत परतंत्र हुआ, उस वक्त हमारा हिन्दी का वह रूप गुजरात, कन्नौज पटना में बोला और लिखा जाता था, जो सातवीं सदी में आरम्भ हुआ था और जिसके अमर लेखक सरह, स्वयम्भू, पुष्पदन्त एवं हरिब्रह्म आदि थे। भाषा हमारी ही जैसी थीं, किन्तु वह तद्भव का रूप था। उस समय के बाद हमारी भाषा दासों की भाषा समझी गई। फारसी ने दरबारों और कचहरियों में अपना स्थान जमाया। धीरे-धीरे हिन्दी उस दयनीय दशा पर पहुंची, जबकि उन्नीसवीं सदी के आरंभ में लल्लूलाल जी ने 'प्रेमसागर' लिखा। फिर उन्नीसवीं सदी के अन्त में भारतेन्दु और उनके साथियों ने हिन्दी को अपना स्थान दिलाने के लिये भगीरथ प्रयत्न किया। स्वर्गीय गोविन्दनारायण मिश्र बद्रीनाथ चौधरी 'प्रेमधन', रामावतार शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक आदि कितने तपस्वी और मुनि जो स्वप्न देखते चले गए, वह आज पूरा हुआ। आज फिर अपने प्राचीनतम रूप अपभ्रंश हिन्दी की भांति हमारी हिन्दी स्वतंत्र भारत की सम्माननीय भाषा का पद प्राप्त कर रही है। सात सदियों का अन्तर है। कितने दिनों के अन्तर्धान के बाद हिन्दी सरस्वती पुनः बड़े वेग से अपने स्थान पर प्रकट हुई है और आज उसका दायित्व और कार्य-क्षेत्र बारहवीं सदी से कहीं अधिक है। यद्यपि दरबार में उस वक्त भी उसका सम्मान था,, कितने कागज पत्र भी लिखे जाते थे, तो भी अभी सब से ऊंचा स्थान मातृभाषा को नहीं, बल्कि संस्कृत को प्राप्त था। संस्कृत का कवि हो 'ताम्बूलद्वमास-नंच लभते' और ताम्र शासनों में भी संस्कृत का प्रयोग होता था। आज हमारे हिन्दी भाषा भाषी प्रांतों में हिन्दी के सर्वे सर्वा होने में कोई बाधा नहीं डाल सकता। उसे हिन्दी प्रांतों के न्यायालयों, पार्लियामेंटों और सरकारी शासन पत्रों की ही भाषा नहीं बनना है, बल्कि आज के विकसित विज्ञान की हर एक शाखा के अध्ययन का माध्यम भी बनना है। यह बहुत भारी काम है, लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारी हिन्दी उसे सहर्ष वहन करेगी।

आज फिर भारत एक संघ में बद्ध हुआ है। हमारे भारत संघ की कोई एक भाषा भी होनी आवश्यक है। संघ भाषा के बारे में कुछ थोड़े से लोग अपने व्यक्तिगत विचार और कठिनाइयों को लेकर बाधा डालना चाहते हैं। हम पूछेंगे कि जब संघ के काम के लिए भारत में बोली जाने वाली सभी भाषाओं को लेना संभव नहीं, तब किसी एक भाषा को हमें स्वीकार करना ही होगा।

आश्चर्य करने की बात नहीं, यदि अब भी कुछ दिमाग यह सोचने का कष्ट नहीं उठाते और अब भी अंग्रेजी भाषा को राष्ट्र भाषा बनाये रखने का आग्रह करते हैं। यह भी दासता के अभिशाप का अवशेष है। उन्होंने अंग्रेजी छोड़ किसी भारतीय भाषा पर अधिकार नहीं पाया, सदा साहबी ठाठ में रहे और कभी ख्याल भी नहीं किया कि देश की जनता भी किसी भाषा से सम्बन्ध रखती है और उसका साहित्य जहां तक शुद्ध साहित्य का सम्बन्ध है, विश्व की किसी भाषा से पीछे नहीं है।

कोई भी अविकृत मस्तिक आदमी आज अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा बनाने की कोशिश नहीं करेगा। यहां यह भी कह देना चाहिए कि हमारे रेडियो अब भी अंग्रेजी के अधिक प्रचार का साधन बन रहे हैं। उन्हें फ्रेंच और रूसी रेडियों के प्रोग्राम को देखना चाहिए कि वहां कितनें प्रतिशत मिनट प्रोग्राम अंग्रजी में चलते हैं।

सवाल है–हिन्दी और उर्दू दोनों भाषाओं और दोनों लिपियों का ही, क्यों न सारे संघ की राष्ट्र भाषा और राष्ट्र लिपि मान लिया जाए? पूछना है–अपनी मातृभाषा और उसके साहित्य के पढ़ने के साथ-साथ क्या दूसरी भाषा का बोझ ज्यादा लादना व्यवहार और बुद्धिमानी की बात है? संघ की राष्ट्र भाषा एक होनी चाहिए। स्वीजरलैंड की तीन भाषाओं का दृष्टांत हमारे यहां लागू हो सकता था, यदि हमारा देश एक तहसील या ताल्लुके के बराबर होता। हमारे यहां जो उदाहरण लागू हो सकता है, वह है सोवियत संघ का, जहां 66 भाषाएं बोली व लिखी जाती हैं।

द्रविड़ भाषाओं में तो अब भी 60-60 प्रतिशत तक संस्कृत शब्द मिलते हैं—वही संस्कृत शब्द जो उत्तरी भाषाओं में हैं, किन्तु सोवियत की मंगोल व तुर्की सम्बन्ध की पचासों भाषाओं का रूसी भाषा से कोई सम्बन्ध नहीं। तो भी वहां के लोगों ने संघ की एक भाषा मानते वक्त रूसी को वहीं स्थान दिया, क्योंकि वह दो तिहाई जनता की अपनी भाषा थी और देश में भी बहुत दूर तक प्रचलित थी। हिन्दी का भी वही स्थान है। इसलिए एक भाषा रखते वक्त हमें हिन्दी को ही लेना होगा। हिन्दी भाषा भाषी बहुत भारी प्रदेश तक फैले हुए हैं। इतना ही नहीं, बल्कि आसामी बंगला, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी ऐसी भाषाएं हैं जो हिन्दी जानने वालों के लिए समझने में बहुत आसान हो जाती है उनका एक दूसरे का बहुत निकट का संबंध है। मैंने उड़िया नहीं पढ़ी थी और, न उसे सुनने का वैसा मौका मिला था : लेकिन गत वर्ष कटक में मैं एक नाटक देखने गया। मैं डरता था कि शायद समझने में दिक्कत होगी, लेकिन पहले दिन के ही संवाद को मैं 80 प्रति सैकड़ा समझ गया और उड़िया भाषा ने अपने सौन्दर्य से मुझे बहुत आकृष्ट किया। मने यात्रा दर्शन और राजनीति के संबंध में गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगला भाषा भाषियों के सामने कितनी ही बार व्याख्यान दिये हैं और भारी संख्या में उनके सावधानतापूर्वक सुनने से सिद्ध था कि वे हिन्दी समझ लेते हैं। हां यहां इस बात का जरूर ध्यान रखना पड़ता था कि हिन्दी में जब तब आने वाले अरबी फारसी शब्दों की जगह तत्सम संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया जाय। इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि अरबी फारसी से लदी उर्दू भाषा को भारत के दूसरे प्रान्तों पर लादा नहीं जा सकता।

और लिपि ? उर्दू लिपि, जो कि वस्तुतः अरबी लिपि है, इतनी अपूर्ण लिपि है कि उसे खुद बहुत से इस्लामी देशों से देशनिकाला दिया जा चुका है। उसको लादने का ख्याल हमारे दिल में आना नहीं चाहिए।

हिन्दी के राष्ट्र भाषा होने के लिए जब कहा जाता है, तो कहीं-कहीं से आवाज निकलती है—"हिन्दी वाले सारे भारत पर हिन्दी का साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं? "यह उनका झूठा प्रचार है और वे हिन्दी से भिन्न भाषा भाषियों के मन में यह भय पैदा करना चाहते हैं कि हिन्दी के संघ भाषा बनने पर उनकी भाषा का साहित्य और अस्तित्व मिट जायेगा। यह विचार सर्वथा निर्मूल है। अपने क्षेत्र म वहां की भाषा ही सर्वे सर्वा होगी। बंगाल में प्रारंभिक स्कूलों व यूनिवर्सिटी तक, गांव की पंचायतों से प्रान्त की पार्लमेंट और हाईकोर्ट तक, सभी जगह बंगला का अक्षुण्णा राज्य रहेगा। इसी तरह उड़ीसा, आंध्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और आसाम में भी वहां की भाषाओं का साहित्यिक और राजनैतिक दोनों क्षेत्रों में निर्बाध राज्य रहेगा। हिन्दी, का काम तो वहां ही पड़ेगा जहां एक स्थान प्रान्त का दूसरे प्रांत से संबंध होगा। इसको कौन नहीं स्वीकार करेगा कि बंगाली, उड़िया मराठी, गुजराती, तेलुगु और कर्नाटकी जब एक जगह अधिकाधिक मिलेंगे तो उनके आपसी व्यवहार के लिए कोई एक भाषा होनी चाहिए।

इतिहास हमें बतलाता है कि ऐसी भाषा, भारत में जब-जब राजनतिक एकता या अनेकता भी रही, तब तब मानी गई। अशोक के शिला-लेखों की भाषा मैसूर, गिरनार, जौगढ़ (उड़ीसा) और कालसी (देहरादून) इसका प्रमाण है। फिर संस्कृत ने माध्यम का स्थान लिया, यद्यपि इसमें संदेह है कि वह कचहरियों और दरबारों की बहु प्रचलित भाषा न थी। अपभ्रंशकाल (7-13 वीं सदी) में हम आसाम से मुलतान, गुजरात महाराष्ट्र से उड़ीसा तक अपभ्रंश भाषा में कवियों को कविता करते पाते हैं। उनमें कितने ही दरबारी कवि हैं। इस अपभ्रंश भाषा में इन सारे प्रदेशों की भाषा का बीज मौजूद है, परन्तु उनकी शिष्ट भाषा अवध और ब्रज के बीच की भूमि पांचाल की भाषा थी, जिसका मुख्य नगर कन्नौज मौखरियों के समय से गहड़वारों के समय (6-12वीं सदी) तक उत्तरी भारत का सब से बड़ा राजनैतिक और सांस्कृतिक केन्द्र रहा। इस तरह अपभ्रंश उस समय सारे भारत में वही काम कर रही थी, जो गैर सरकारी तौर से आज तक और सरकारी तौर से आगे हिन्दी को सारे भारत में करना है।

हिन्दी को हिन्दी संघ के ऊपर राष्ट्रभाषा के तौर पर लादने का सवाल नहीं है। यह तो एक व्यवहार की बात है। मुसलमानी शासनकाल में भी कितनी ही हमारी अन्तः प्रान्तीय साधु संस्थाएं रहीं और वे आज तक चली आ रही है। उन्हीं को देखिए, किस भाषा को उन्होंने सुव्यवहार्य समझ कर अपने भाषण और लिखापढ़ी के लिए स्वीकार किया ? सन्यासियों या वैरागियों के अखाड़े और स्थान जाकर देखिए, वह समुद्र की तरह हैं, जहां सचमुच ही सैकड़ों नदियां जाकर मिलती हैं और नाम रूप विहाय समुद्र बन जाती है। इन अखाड़ों की बड़ी-बड़ी जमात चलती हैं और कुम्भ के मेलों के वक्त तो उनकी संख्या लाखों तक पहुंच जाती हैं। वहां जाकर पता लगाइये कि मालाबारी, तेलुगु, नेपाली, बंगाली, पंजाबी और सिंधी साधु सन्यासी किस भाषा में आपस में बातचीत करते हैं ? हिन्दी में और सिर्फ हिन्दी में। इसका, गांधी जी के दक्षिण हिन्दी भाषा प्रचार से कोई संबंध नहीं है। हमारी आज की हिन्दी संस्थाओं से सदियों पहले से यह काम हो रहा है। अखाड़ों में रखी अब भी आपकी दो-दो सौ वर्ष की और कुछ पुरानी भी बहियां और चिट्ठियां इस बात का सबूत देंगी। इन्हीं अखाड़ों के एक प्रतिनिधि अतिकेचनगिरि ने 1866 संवत् (1809 ई.) में सोवियत के बाकू नगर के पास ज्वाला जी के मन्दिर पर शिलालेख खुदवा कर लगाया—"116011 ओं श्री गणेशाय नमः ॥श्लोक॥ स्वस्ति श्री नरपति विक्रमादित्य राज साके। श्री ज्वाला जी निमत दरवाजा वणायाः अतिकेचनगिरि सन्यासी राम-दहावासी कोरेश्वर महादेव का ॥.....असौज वदी 8 संवत् 1866 ॥"

अस्तु, इससे यह तो साफ है कि जब जब व्यवहार की बात आई, तब तब हिन्दी ही सारे भारत की अन्तः प्रान्तीय भाषा स्वीकार की गई। यदि इस पुराने तजरुबे को नहीं मानते हैं। तो चाहें तो फिर तजरुबे कर लें। हिन्दी भाषा भाषियों को अलग रख कर पंजाबी, असामी, बंगाली, उड़िया आंध्र, तमिल, केरल, कर्नाटकी मराठी, गुजराती लोगों को ही व्यवहार के बारे में फैसला करने के लिए छोड़ दें। मैं समझता हूं, यदि वे सारे भारत की एकता के पक्षपाती हैं, तो उनका तजरुबा भी हिन्दी के पक्ष का समर्थन करेगा।

राष्ट्र भाषा हिन्दी स्वीकार करने पर भी कोई कोई भाई रोमन लिपि को स्वीकार करने के लिये कह रहे हैं। क्या वह अधिक वैज्ञानिक हैं। वैज्ञानिक का मतलब है—लिपि का उच्चारण के अधिक अनुरूप होना—लेकिन रोमन लिपि के 26 अक्षर हमारे सारे उच्चारणों को प्रकट नहीं कर सकते। नागरी अक्षरों में हम सब से ज्यादा शुद्ध रूप से किसी भी भाषा को लिख सकते हैं और बिना चिन्ह दिये। चिन्ह देने पर रोमन में जितने पैबन्द लगाये जाते हैं, उससे कम ही चिन्हों को लगा कर नागरी द्वारा हम दुनिया की हर भाषा के शब्दों को उच्चारणानुसार लिख सकते हैं। इसलिए जहां तक उच्चारण का संबंध है, हमारी नागरी दुनिया की सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि है।

रहा सवाल प्रेस और टाइपराइटर का, तो उसमें कुछ मामूली सुधार की आवश्यकता है अवश्य, और यह सुधार संयुक्त अक्षरों के टाइपों के अटाने, मात्राओं को 'अ' के ऊपर लगाने तथा दूसरे अक्षरों पर लटकती मात्राओं के शरीर को अपने शरीर तक समेट कर किया जा सकता है, इससे हिन्दी टाइप की संख्या 485 की जगह 104 हो जाएगी । अंग्रेजी में 147 टाइपों का फांट होता है । अंग्रेजी की तरह छोटे बड़े अक्षरों का अनावश्यक बोझ हमारी लिपि पर न होने से टाइपराइटर में और सुविधा है और अंग्रेजी टाइपराइटर के बोर्ड पर ही सारे टाइप लग जाते हैं।

इस प्रकार सारे संघ की राष्ट्र भाषा और राष्ट्र लिपि हिन्दी ही होनी चाहिए। इसका यह अर्थ नहीं कि उर्दू पढ़ने वालों के लिए सुविधा ही न दी जाय। हर एक को अपनी भाषा और अपनी लिपि पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। उर्दू भाषा भाषी अपनी शिक्षा उर्दू भाषा द्वारा लेना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। वे स्कूलों में ही नहीं, चाहे तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में उर्दू को माध्यम रख सकते हैं। लेकिन जो समय सामने आ रहा है. उसे देखते हुए मैं उन्हें परामर्श दूंगा कि लिपि के आग्रह को छोड़कर उर्दू के लिए भी वे नागरी लिपि को अपनाएं। आखिर पश्चिमी एशिया के ताजिक और तुर्की भाषाओं को अरबी लिपि से सम्बन्ध विच्छेद कर लेने पर हानि नहीं, बल्कि भारी लाभ हुआ है। सोवियत संघ की ये भाषाएं रूसी लिपि में लिखी जाती हैं, जो 32 अक्षर की होने से रोमन से कहीं अधिक वैज्ञानिक है।

कोई कोई उर्दू वाले कहने लगे हैं कि क्यों न रोमन लिपि को अपनाया जाए ? यदि हिन्दी (नागरी) लिपि अरबी लिपि की तरह दोषपूर्ण होती तो हमें रोमन लिपि अपनाने में कोई उज्र न होता। लेकिन रोमन पक्षपाती उर्दू वाले भाइयों को नागरी जैसी लिपि को अपनाने में आनाकानी क्यों ? सिर्फ इसलिये कि अगर अरबी लिपि जाती है तो साथ-साथ हिन्दी लिपि का भी बेड़ा गर्क हो।

उनका भारतीयता के प्रति यह विद्वेश सदियों से चला आया है सही, किन्तु नवीन भारत में कोई भी धर्म भारतीयता को पूर्णतया स्वीकार किये बिना फल-फूल नहीं सकता। ईसाइयों, पारसियों और बौद्धों को भारतीयता में एतराज नहीं, फिर इस्लाम ही को क्यों ? इस्लाम की आत्मरक्षा के लिये भी आवश्यक है कि वह उसी तरह हिन्दुस्तान की सभ्यता, साहित्य, इतिहास, वेश-भूषा, मनोभाव के साथ समझौता करे, जैसे उसने तुर्की, ईरान और सोवियत मध्य एशिया के प्रजातंत्रों में किया। धर्म को समाज के हर क्षेत्र में घुसेड़ना आज के संसार में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अभी हमारे राष्ट्रीय मुसलमान भाई भी नहीं समझ पाये हैं कि उनकी संतानों को नव भारत में कहा तक जाना है। नवीन भारत ऐसे मुसलमानों को चाहेगा, जो अपने धर्म के पक्के हों, किन्तु साथ ही उनकी भाषा-वेश-भूषा और खान पान में दूसरे भारतीयों से कोई अन्तर न हो, भारत के गौरवपूर्ण इतिहास के प्रति आदर रखने में वे दूसरे से पीछे न हों। भारतीय संघ के मुसलमानों की भी आज की तीसरी पीढ़ी में हिन्दी के अच्छे-अच्छे कवि और लेखक उसी परिमाण में होंगे, जिस परिमाण में वे उर्दू में हैं। वह समय भी नजदीक आयेगा जब कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन का सभापति कोई हिन्दी का धुरंधर साहित्यकार मुसलमान होगा। आखिर पाकिस्तान के आधे से अधिक हिस्से में अरबी लिपि और अरबी मिश्रित भाषा न होन से पूर्वी बंगाल म इस्लाम को खतरा नहीं है, फिर हिन्दी से उन्हें क्यों खतरा मालूम होता है ?

सारे संघ की राष्ट्रभाषा के अतिरिक्त हिन्दी का अपना विशाल क्षेत्र है। हरियाणा, राजपुताना, मेवाड़, मालवा, मध्य प्रदेश, युक्तप्रान्त और बिहार हिन्दी की अपनी भूमि है। यही वह भूमि है जिसनें हिन्दी के आदिमकवियों सरह, स्वयम्भू आदि को जन्म दिया। यही भूमि है जहां अश्वघोष, कालिदास, भवभूति और बाण पैदा हुए। यही वह भूमि है, जहां (मेरठ, अम्बाला कमिश्नरियों) पंचाल (आगरा, रुहेलखंड कमिश्नरियों) की भूमि में वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज ने ऋग्वेद के मंत्र रचे और प्रवाहण उद्दालक और याज्ञावल्क ने अपनी दार्शनिक उड़ाने की। इस भूमि के सारे भाग की हिन्दी मातृभाषा नहीं है, किन्तु वह है मातृभाषा जैसी ही। इस विशाल प्रदेश के हर एक भाग में शिक्षित, अशिक्षित; नागरिक और ग्रामीण सभी हिन्दी को समझते हैं। इस लिए यहां हिन्दी को राजभाषा के तौर पर, शिक्षा के माध्यम के तौर पर स्वीकार किया जाना बिल्कुल स्वाभाविक है।

हिन्दी भारतीय संघ की राष्ट्र भाषा होगी और उसके आधे से अधिक लोगों की अपनी भाषा होने के कारण वह अन्तर्राष्ट्रीय जगत में एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करेगी। चीनी भाषा के बाद वही दूसरी भाषा है, जो इतनी बड़ी जन-संख्या की भाषा है। हिन्दी के ऊपर इसके लिए बड़ा दायित्व आ जाता है। हिन्दी को एक विशाल जनसमूह के राजकाज और बातचीत को ही चलाना नहीं है, बल्कि उसी के शिक्षा का माध्यम बनना है। फिर आजकल शिक्षा सिर्फ कविता, कहानी और साहित्यिक निबन्धों तक ही सीमित नहीं है। विश्व की प्रत्येक उन्नत भाषा का साहित्य अधिकतर साइन्स के ग्रन्थों पर अवलम्बित है। अभी तक तो साइन्स की पढ़ाई अंग्रेजी ने अपने सिर पर ले रखी थी, किन्तु अब अंग्रेजी के साथ अंग्रेजी का राज्य जा चुका है। सरह, स्वयम्भू से पन्त, निराला, महादेवी तक का हिन्दी काव्य साहित्य बहुत सुन्दर और विशाल है। नाटक छोड़कर सभी अंगों में विश्व के किसी भी प्राचीन और नवीन साहित्य से उसकी तुलना की जा सकती है। कथा साहित्य में प्रेमचन्द ने जो परम्परा छोड़ी है वह काफी आगे बढ़ी है। किन्तु अब हिन्दी में सारा ज्ञान-विज्ञान लाना होगा। कुछ लोग इस बहुत, शायद शदियों का काम समझते है, परन्त मेरी समझ में यह उनकी भूल है। आज जिस चीज की मांग हो, उसे साहित्य जगत में सृजन करने वालों की कमी नहीं होती।

हमारे स्वतन्त्र देश के सामने बहुत और भारी-भारी काम हैं। हमारी चिरदासता ने हमें दुनियां के और देशों से बहुत पीछे रखा है। विदेशी शासक इसी में अपना हित समझते थे। अब सदियों की पिछड़ी यात्रा को हमें वर्षों में पूरा करना है इसमें साहित्य की सहायता अब से अधिक आवश्यक है। हमें ऐसा साहित्य तैयार करना है, जो दुनियां की दौड़ में आगे बढ़ने में सहायक हो, न कि हमें पीछे खींचे। निराशावाद के लिये मैं कहीं भी गुंजाइश नहीं देखता। हमारे पास बुद्धि-बल है। हमारी भारत मही सचमुच वसुन्धरा है। हमारे बहत्तर करोड़ हाथ हैं। हमें विश्व की सब से बड़ी तीन शक्तियों में अपना स्थान लेना है। इसलिए भारत के हरेक पुत्र और पुत्री के विश्राम लेने का मौका नहीं है। सब को एक साथ लेकर आगे कदम बढ़ाना है? देश के उद्योगीकरण और कृषि को विज्ञान-सम्मत बनाने में हमारे साहित्य को बहुत बड़ा भाग लेना है। आगे पच्चीस साल देश का सब से अधिक कर्मठ जीवन होना चाहिए। हम भारत माता के प्रति अपने कर्त्तव्य का पालन करें।

हिन्दी चली समंदर पार

सूरीनाम से एक रपट

डा० कामता कमलेश

आज से 111 वर्ष पूर्व 5 जून, 1873 को दक्षिणी अमेरिका स्थित सुरीनाम देश में भारतीय श्रमिकों का दल प्रथम बार पहुंचा था। ये श्रमिक लालरुख जहाज से 'श्री राम देश' पहुंचने के भ्रम में बहका कर लाए गए थे, ऐसा यहां के लोगों का मानना है।तब से 1916 तक 64 जहाजों से इस देश में 36000 श्रमिक भारत से आमे थे। ये सब श्रमिक विशेष कर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार आदि के थे। इनकी मातृभाषा भोजपुरी और अवधी थी जो कि यहां जाकर वर्तमान समय म 'हिन्दुस्तानी बोली' के नाम से अभीहीत हो चुकी है। इसकी रक्षा एवं प्रगति के लिए समय-समय पर अनेक संस्थाओं, समाजों, धार्मिक संस्थानों एवं व्यक्तियों ने अथक प्रयास किए किन्तु विगत सात वर्षों से 'सूरीनाम हिन्दी परिषद' नामक संस्था इस दिशा में प्रशंसनीय कार्य कर रही है। परिषद के प्रसार से ही यहां राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की प्रवेश, प्रथमा, माध्यमा, उत्तमा, परिचय, कोविद और रत्न की परीक्षाएं प्रति वर्ष होती हैं जिसमें सैकड़ों विद्यार्थी बैठते हैं।

परिषद अब तक तीन विराट सम्मेलनों का आयोजन कर चुकी है। सन् 1982 का सम्मेलन अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दो सम्मेलन था जिस में गयाना, ट्रिनीडाड, अमेरिका, हालैण्ड और भारत आदि देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारत से प्रसिद्ध पत्रकार एवं लेखक श्री मनोहर श्याम जोशी पधारे थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय के हिन्दी प्रोफसर एवं समीक्षक प्रो. विष्णुकांत शस्त्री इस संस्था के आमंत्रण पर सव प्रथम आकर अपनी ज्ञान धारा में सब को स्नान करा चुके हैं। भारतीय संस्कृति के पोषक, हिन्दी, संस्कृत के विद्वान डा. कर्ण सिंह का स्वागत कर यह परिषद् गौरवान्वित हो चुकी है। विगत तृतीय विश्व हिन्दी सम्मलन, नयी दिल्ली में सूरीनाम के प्रसिद्ध वास्तुविद् चित्रकार एवं परिषद् के वतमान अध्यक्ष इंजीनियर हरनारायण जानकी प्रसादसिंह, प्रसिद्ध हिन्दी लेखक एवं संपादक पं. शिवरतन शास्त्री, परिषद क भू. पू. सचिव श्री सूर्य प्रसाद बोरे शुरवारे ने सूरीनाम के प्रतिनिधि के रूप में भी भाग लिया था। हिन्दी के प्रति ऐसी नष्ठिक एवं कर्तव्यशील संस्था के तत्वावधान में विगत 16 एवं 17 जून को 'लालरूख सभागार' में एक दो दिवसीय हिन्दी संगोष्ठी का स्तरीय आयोजन हुआ। लालरुख भवन वह स्मारक है, जिस जहाज में सर्वप्रथम भारतीय बीर पुंगव यहां आए थे। उसी नाम पर बना लालरुख भवन आज प्रत्येक आप्रवासी भारतीय के गौरव की मूक गाथा अहोरात्रि कहता रहता है। इसका मानचित्र हिन्दी प्रेमी वास्तुविद् इंजीनियर हरनारायण जानकी प्रसाद सिंह ने बनाया था।

संगोष्ठी का प्रारम सूरीनाम के राष्ट्रगीत एवं प्रार्थना से हुआ। सव-प्रथम परिषद् के सभापति श्री जानकी प्रसाद सिंह ने अपने स्वागत वक्तव्य में सूरीनाम हिन्दी परिषद् का काय विवरण एवं परिचय दिया तथा प्रसन्नता के साथ बताया कि हमारी हिन्दी परीक्षाओं को सूरीनाम सरकार ने मान्यता देकर हमारा उत्साह बढ़ाया है अतः यह परिषद् उनकी आभारी है। हिन्दी की यह संगोष्ठी विगत कार्यों के मूल्यांकन एवं भविष्य में कार्य करने की योजनाओं के लिए की जा रही है। सूरोनाम में अब हिन्दी की बोली से बढ़ाकर साहित्य तक पहुंचाना है इसलिए आज की संगोष्ठी का नारा है हिन्दी न सिर्फ पढ़ो वरन् लिखो भी। इसी ध्येय को अब हमें क्रियात्मक रूप देना है:

संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए सूरीनाम सरकार के शिक्षा सचिव श्री आन्तोनियस ने कहा कि हिन्दी सूरीनाम की संस्कृति का एक प्रमुख अंग है। देश के विकास में इसके योगदान को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। हिन्दी धर्म ग्रन्थ, रमायण, गीता आदि आध्यत्मिक उन्नति के लिए बहुत आवश्यक हैं और यह ज्ञान हिन्दी के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। हिन्दी सूरीनाम की संस्कृति को दिग्दर्शित कराती है। अतः इसके प्रचार में योगदान देने के लिए सूरीनाम सरकार विचार कर रही है। मुझे आशा है कि भविष्य में शीघ्र ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। (अभी कुछ माह पूर्व परिषद् की हिन्दी परीक्षाओं को सूरीनाम सरकार ने मान्यता देकर इस ओर प्रशंसनीय कदम उठाया है। इस काय के लिए सम्पूर्ण हिन्दी जगत धन्यवाद व्यक्त करता है।

इसके बाद भारत के राजदूत महामहिम श्री बच्चूप्रसाद सिंह ने मुख्य अतिथि पद से बोलते हुए कहा कि आप को हिन्दी के माध्यम से अपनी शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का प्रसार करना चाहिए। हिन्दी विश्व की तीन प्रमुख भाषाओं में एक है और इस के माध्यम से भारतीय संस्कृति और सभ्यता की जानकारी सुगम हो जाती है। भारत के बाहर बसे हुए भारतवासियों के मध्य हिन्दी का प्रचार प्रसार समुचित ढंग से हो ताकि उनकी अस्मिता और संस्कृति सुरक्षित रहे। राजदूत महोदय ने आगे कहा कि सूरीनाम के हिन्दी विद्धानों को चाहिए कि वे अब साहित्य निर्माण की ओर अग्रसर हों और अपने परिवेश में हिन्दी को आगे बढ़ाएं। हिन्दी ही उनकी मातृभाषा है और विश्व के विशाल जन समदाय के हृदय की भाषा है जिसमें प्रेम और शांति का संदेश सदा से निहित रहा है। सूरीनाम में हिन्दी जन-जीवन और धर्म के कार्यों से ऐसी जुड़ी है जो सांस्कृतिक पहलू को उजागर करती है। केरिबियन देशों में सूरीनाम ही एक ऐसा देश है, जहां हिन्दी पूर्णतया सुरक्षित रही और अब वर्तमान पीढ़ी

का यह दायित्व है कि अपने पुरखों से विरासत में प्राप्त अपनी भाषा और संस्कृति को समृद्ध और सम्पन्न बनायें तथा विराट विश्व हिन्दी परिवार के साथ अपने को जोड़ें। यह कार्य उत्कृष्ट लेखन और प्रकाशन के द्वारा ही सम्भव होगा।

संगोष्ठी के प्रथम दिवस के प्रमुख वक्ता डा. कामता कमलेश ने कहा कि सूरीनाम में जो हिन्दुस्तानी बोली जाती है अब उसे व्याकरण से सजा कर भाषा का रूप दिया जाना चाहिए, तब साहित्य का निर्माण होगा। बोली और भाषा में अंतर होता है। बोली नष्ट हो सकती है किन्तु उसमें लिखा गया साहित्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। सूरीनाम के प्रथम हिन्दी कवि स्व. रहमान खान ने दो पुस्तकें 'दोहा शिक्षावली' और 'ज्ञान प्रकाश' लिखकर अपना नाम अमर कर लिया। भले ही उसमें काव्य-शास्त्र के गुण न हों किन्तु उस कृति के आधार पर तात्कालीन मनोवृति का परिचय तो मिल ही जाता है। सन् 1935 में पूज्य महात्मा गांधी ने आप के देश के स्व. पं. भवानी भोख को पत्र लिख कर हिन्दी और हिन्दुस्तानी को दैनिक जीवन में सदा प्रयोग करने पर बल दिया था।

डा. कमलेश ने आगे कहा कि हिन्दी को देवनागरी में ही लिखा जाना चाहिए। लिपि परिवर्तन की जो बात यहां चल रही है कि इसे रोमन लिपि में लिखा जाए किन्तु देखने में आया है कि यहां रोमन के स्थान पर डच भाषा के आधार पर हिन्दी का लिप्यन्तरण हो रहा है। डच भाषा की अपनी कोई लिपि नहीं है। वह अंग्रेजी के अक्षरों से ही लिखी जाती है किन्तु उसका उच्चारण काफी भिन्न होता है तथा वर्तनी काफी दुरुह। अतः डच जानने वालों के लिए या अन्य भाषा-भाषी के लिए हिन्दी का साहित्य सहज रूप में पढ़ना कठिन हो जाता है। अतः इसे रोमन लिपि न कह कर डच की भांति लिखा जाना कहा जा सकता है। सूरीनाम में चल रहे 'सूरीनामी हिन्दी' के प्रश्न पर बोलते हुए डा. कमलेश ने कहा कि सूरीनामी हिन्दी नाम अपने परिवेश को संकेतित करने के लिए उपयुक्त हो सकता है किन्तु हिन्दी से अलग सूरनामी हिन्दी का कोई अस्तित्व नहीं है। जिसे लोग 'सरनामी हिन्दी' कहते हैं वस्तुतः वह अवधी, भोजपूरी, मगही, बैसवारी बोलियों का एक मिश्रित रूप है। अभी न तो इसका व्याकरण है और न साहित्य। अतः यहां के विद्वानों को सर्व प्रथम व्याकरण और भाषा पर ध्यान देना चाहिए सूरनामी हिन्दी का अर्थ सहज रूप में यह लिया जा सकता है कि यहां की बोली में भारतीय परिवेश के विम्बों, उपमानों एवं प्रतीकों को बदल कर यहां के परिचित शब्दों को रखकर जो साहित्य रचा जाय और वह यहां के पाठकों को सहज सम्प्रेषणीयता दे सके, वही 'सूरीनामी हिन्दी' है।

विषय परिवर्तन करते हुए सूरीनाम परिषद् के उपाध्यक्ष श्री हरिदेव सहतु ने राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, वर्धा के पाठ्यक्रम की सामयिकता पर ध्यान दिलाते हुये कहा कि प्रथमा, मध्यमा, उत्तमा, कोविद, रत्न, परिचय आदि के पाठ्यक्रमों को अब नये मानदण्डों से देखना होगा जो कि सूरीनाम के छात्रों के लिय हितकर हों? भारत हमारी मातृभाषा का स्रोत अवश्य है किन्तु उसके सभी रूप यहां ग्राह्य नहीं है। इसका समर्थन करते हुए परिषद् के सचिव स्वयंबरसिंह ने कहा कि हमारे यहां जो छात्रों को व्यावहारिक कठिनाइयां हैं, उनके लिए हम लोग अब नए सिरे से सोचने को विवश नहीं, अपितु सहर्ष तैयार हैं।

विचारिक मंथन के बाद एक काव्य गोष्ठी हुई जिसमें यहां के श्रेष्ठ कवि श्रीनिवासी ने अपनी कई कविताएं सुनाई। उनकी एक कविता 'मरने से पहले हमें लिखने दो' एक सुन्दर सी कविता अपनी मातृभूमि पर अपनी मातृभाषा में'। लोगों को बहुत पसंद आई। कवि श्री अमरसिंह रमण ने लोकगीत शैली में 'छूट गैले हिन्दुस्तानवा बबुआ पेटवा के लिऐ'। बड़ी मार्मिक रही। नवोदित कवि महाबीर ने अपने सस्वर पाठ से सबको मोहित कर लिया। पुरानी शैली में श्री सूरजदीन रामभजन ने अपनी कविता सुना कर भक्ति काल की कुंडलिया चौपाई और दोहा को सूरीनाम की धरती पर वर्तमान युग में साकार कर अपनी काव्य-कला का परिचय दिया। रात्रि को यूनेस्कों के सौजन्य से प्राप्त भारतीय संस्कृति और बौद्ध-धर्म के प्रतीक एण्डोनिसिया स्थित बोरीबुदूर मंदिर पर एक फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया।

दूसरे दिन प्रातः काल सभी प्रतिनिधियों ने लालरुख से प्रातः 6 बजे पदयात्रा का कार्यक्रम किया जिसका नेतृत्व परिषद् के उपाध्यक्ष श्री हरिदेव सहतू ने किया। पदयात्रा लगभग दस किलोमीटर की हुई। हिन्दी सेवकों की यह पदयात्रा सूरीनाम देश के लिये नवीन एवं प्रेरणा-स्पद कार्यक्रम था।

दूसरे दिन की बैठक में सर्व प्रथम सूरीनाम के प्रसिद्ध विद्वान एवं लेखक डा. ज्ञान हंसदेव अधीन का हिन्दी परीक्षाओं के मूल्यांकन पर सारगर्भित भाषण हुआ। उन्होंने कहा कि भारत से आने वाले प्रश्नपत्र को सूरीनाम के परिवेश में बनाना चाहिए क्यों कि हमें छात्रों को सर्व प्रथम सूरीनाम से परिचय कराना है और उसी के माध्यम से भारतीय संस्कृति भाषा और जन-जीवन से तादात्मय स्थापित करना है। यहां सर्व प्रथम 1962 में हिन्दी परीक्षाएं हुई। उनका मत था कि हिन्दी को होलान्स में न लिख कर 'नागरी लिपि' में लिखा जाए क्यों कि भाषा चिट्ठी है और लिपि लिफाफा है। होलान्स में 'अ' ध्वनि कई प्रकार से व्यक्त होती है जो कि अन्य भाषा भाषियों के लिए कठिन है किन्तु हिन्दी में ऐसी बात नहीं है। रोमन लिपि में रोटी रोती एक प्रकार से लिखे जाने से बहुत भ्रम हो सकता है। इस भ्रम से बचने के लिए देवनागरी लिपि में ही हिन्दी का लेखन होना चाहिए। यहां की हिन्दी को रोमन में लिखने का यह तात्पर्य नहीं है कि हिन्दी का अनुवाद होलांस में हो गया अपितु यह लिपि परिवर्तन है।

इसके बाद गोष्ठी का एक दूसरा चरण भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र में हुआ। जहां केन्द्र के निर्देशक एम. जेसू दास ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि भारतीय दूतावास के अंतर्गत चलने वाले इस केन्द्र में संगीत, नृत्य और हिन्दी भाषा की पढ़ाई होती है। यहां सभी नागरिकों को हम समान रूप से भारतीय शिक्षा देते हैं। इसके बाद केन्द्र के हिन्दी प्राध्यापक डा. कामता कमलेश ने कहा कि यहां हिन्दी प्रचार-प्रसार के लिए हम सहयोग तो देते ही हैं साथ ही हिन्दी के रचनात्मक पहलू पर भी सही निर्देश देते हैं। केन्द्र के विशाल पुस्तकालय से सभी को लाभ उठाकर इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यहां के पाठ्यक्रम निर्माण में भी हमारा सहयोग चल रहा है। इसके बाद भारत के राजदूत परम श्रेष्ट श्री बच्चूप्रसाद सिंह ने कहा कि सूरीनाम में हिन्दी की स्थिति अन्य केरेबियन देशों की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ है क्यों कि यहां हिन्दी उनके जनजीवन में ऐसी समायी है कि उसका निकल पाना सहज संभव नहीं है, फिर भी आप सबको चाहिए कि हिन्दी के प्रयोग को अपने दैनिक प्रयोग में भी लाएं।

तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन की चर्चा करते हुए महामहिम ने कहा कि सुरीनाम के जो प्रतिनिधि उसमें भाग लेने के लिए गए थें उन्होंने स्वयं देखा कि हिन्दी का एक विशाल समुदाय सारे विश्व में फैला है। अत: हिन्दी अपनी विशालता की दृष्टि से बड़ी तो है ही किन्तु साहित्य, दर्शन और संस्कृति की दृष्टि से उसकी अपनी गहराई और मौलिकता भी है अत: हिन्दी का अध्ययन अध्यापन जहां आप के पूर्वजों की मधुर स्मृति है, वही आप को विश्व की विशाल देन से भावात्मक एवं भाषात्मक रूप से जोड़ती भी है।

इसके बाद गोष्ठी का कार्यक्रम पुन: लालरुख भवन में सम्पन्न हुआ, जहां सूरीनाम में बीस वर्ष से हिन्दी पढ़ाने वाले अध्यापक श्री रामप्रोत बुद्धा ने अपने अनुभव के आधार पर कहा कि छात्रों को मात्र पढ़ाया न जाय वरन् कुछ सिखाया भी जाय। उन्होंने 'सत घड़ा' की उपमा देते हुए कहा कि जैसे एक घड़े में रोज एक मुट्ठी चावल डालो और उसमें से रोज एक मुट्ठी निकालो भी। इस दृष्टि से समाज से जितना लो उतना उसे लौटा भी दो, तभी शिक्षा की सार्थकता है। इस अवसर पर सूरीनाम के सबसे बयोवृद्ध हिन्दी अध्यापक श्री आर. सोमई, जिनकी वर्तमान आयु 86 वर्ष की है, का अभिनन्दन भी किया गया।

हिन्दी की विदूषी कु. इन्दिरा ज्वालाप्रसाद तिवारी ने हिन्दी अध्यापकों की अध्यापन शैली और उनके प्रशिक्षण पर बल देते हुए कहा कि अध्यापकों को शब्दार्थ, व्याकरण के साथ प्रसंगों पर भी ध्यान देना चाहिए तथा छात्रों को अपनी बातचीत से हिन्दी की ओर आकर्षित करना चाहिए। कवि नाटककार श्री अमरसिंह रमण का मत था कि अध्यापकों को अधिक व्याकरण नहीं देना चाहिए वरन् प्रशिक्षण के अनुकूल प्रक्रिया का सहारा लेते हुए और छात्रों को स्रोत भाषा को ध्यान में रखते हुए सरलता से कठिनता की ओर ले चलना चाहिए। कहानीकार श्री स्वंयवर सिंह का मत था कि उम्र के आधार पर भाषा का ज्ञान देना अधिक हित कर होगा। तभी हिन्दी का प्रचार संभव हो सकता है। अंत में कवि श्री हिर देव सहतू 'अंकल' ने एक निम्नलिखित प्रस्ताव रखा जिसको सभी प्रतिनिधियों ने हृदय से समर्थन कर पारित कर दिया।

1. अब हमें साहित्य निर्माण के लिये संकल्प करना चाहिए।
2. अपना पाठ्यक्रम स्वयं तैयार करना चाहिए।
3. हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिए तन, मन, धन से जुट जाना चाहिए।
4. घर पर बच्चों से हिन्दी में वार्तालाप करते हुए उन्हें हिन्दी सिखानी चाहिए।
5. पाठशाला में हिन्दी के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए।

इसके बाद एक संगीत कार्यक्रम हुआ और नाटककार, निर्देशक श्री रामदेव रघुवीर द्वारा लिखित, गुरू की कृपा डा. उपदेव रामदास, अकलू, सतनारायण बालक तथा मन्नीसिंह ने भाग लिया। इस अवसर पर 'जयप्रकाश हिन्दी संस्थान' द्वारा एक पुस्तक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई थी जिसमें सूरीनाम के हिन्दी लेखकों की प्रकाशित कृतियों के साथ मारिशस और फिजी का भी हिन्दी साहित्य प्रदर्शित किया गया।

इस प्रकार सूरीनाम में दो दिवसीय हिन्दी संगोष्ठी का समापन एक नए आयाम, नई आशा एवं नूतन उत्साह के साथ हुआ। फलत: इस देश में हिन्दी के उज्जवल भविष्य की सहज ही कल्पना की जा सकती है।

भारतीय दूतावास
पारामारीबो सूरीनम

केन्द्रीय हिन्दी समिति की उप-समिति की 17वीं बैठक का आयोजन

केन्द्रीय हिंदी समिति की उप-समिति की 17वीं बैठक दिनांक 4 सितम्बर, 1984 को माननीय गृह मंत्री श्री पी. वी. नरसिंह राव जी की अध्यक्षता में उनके कमरे में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्यगण उपस्थित थे :—

1. श्री सुधाकर पाण्डे, संसद सदस्य।
2. श्री श्रीकान्त वर्मा, संसद सदस्य।
3. श्री अक्षय कुमार जैन, भूतपूर्व प्रधान संपादक, नवभारत टाइम्स
4. श्री वे. राधाकृष्णमूर्ति, विशेषाधिकारी, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, हैदराबाद।
5. श्री राज कुमार शास्त्री, सदस्य-सचिव सचिव, राजभाषा विभाग एवं भारत सरकार के हिंदी सलाहकार।

बैठक में निम्नलिखित अधिकारी भी उपस्थित थे :–

1. श्री देवेन्द्र चरण मिश्र, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग।
2. श्री टी. एन. धर, संयुक्त शिक्षा सलाहकार, शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय।
3. श्री गोविन्द दास बेलिया, उप सचिव, राजभाषा विभाग।
4. श्री के. के. पाण्डे, संयुक्त निदेशक (तकनीकी) राजभाषा विभाग।

बैठक की कार्रवाई आरम्भ होने से पूर्व गृह मंत्री जी ने उप-समिति के सभी आगत सदस्यों का स्वागत किया।

उप-समिति ने दिनांक 6-1-1984 को प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय हिंदी समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा की। अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया कि संबंधित विभाग के अधिकारियों को चर्चा के लिए उपस्थित रहने से ही संबंधित विषयों पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध हो सकती है। उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मद संख्या 4 पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय से पूरी जानकारी प्राप्त की जाए।

मद संख्या 8 के संबंध में श्री सुधाकर पाण्डे का विचार था कि केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा हिंदी से प्रादेशिक भाषाओं में तथा प्रादेशिक भाषाओं से हिंदी में छपवाये गये शब्द कोशों का मूल्य बहुत अधिक है। उचित होगा कि शिक्षा मंत्रालय इस पर पुनः विचार करें।

राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए मंत्रालयों में उच्चाधिकारियों के पदों का सृजन तथा पदों संबंधी मानदण्ड में परिवर्तन :

प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करते हुए तथा राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में पदों संबंधी वर्तमान व्यवस्था की अपर्याप्तता को ध्यान में रखते हुए एवं सरकार द्वारा राजभाषा के रूप में हिंदी की प्रगति के लिए किए जाने वाले व्यय का वास्तव में सदुपयोग करने के हेतु उप-समिति ने यह सिफारिश की कि राजभाषा विभाग केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में संयुक्त सचिव के पदों के सृजन के लिए आवश्यक कार्रवाई तुरन्त शुरू करें। ये संयुक्त सचिव अपने मंत्रालय/विभाग में केवल राजभाषा नीति के अनुपालन का कार्य करेंगे। उप-समिति ने यह महसूस किया कि उपयुक्त योग्यता एवं रूचि वाले अधिकारियों को इस कार्य के लिए आकर्षित करने हेतु विशेष वेतन की आवश्यकता है। इसलिए समिति ने यह सिफारिश की कि इस प्रकार के प्रस्तावित पद के लिए विशेष वेतन या राजभाषा भत्ता जो कम से कम रु. 300 हो, के प्रावधान का प्रस्ताव भी रखा जाए।

उप-समिति ने सिद्धांत रूप से यह भी स्वीकार किया कि राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए वर्तमान में प्रचलित निम्नतम मानदण्ड में परिवर्तन की आवश्यकता है। विशेषकर ऐसे संगठनों में जहां अधिकांश कर्मचारी तकनीकी या वैज्ञानिक श्रेणी के या दूर-दर्शन तथा आकाशवाणी जैसे संगठनों में जहां विभागीय कलाकारों की संख्या काफी रहती है, ऐसे संगठनों में हिंदी के पदों के सृजन के लिए अनुसचिवीय श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या को ही आधार के रूप में न लिया जाए बल्कि समस्त कर्मचारियों को संख्या को आधार बनाया जाए।

हिंदी आशुलिपिकों/टाइपस्टों की कमी को दूर करने के संबंध में क, ख तथा ग क्षेत्र में क्रमशः 50, 25, 10 प्रतिशत हिंदी जानने वाले कर्मचारियों के भर्ती के संबंध में उप-समिति का सुझाव था कि राजभाषा विभाग इस संबंध में अलग से प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

द्विभाषी कम्प्यटर, टेलीप्रिंटर आदि का लगाया जाना :

उप-समिति ने केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों उपक्रमों में केवल रोमन लिपि के इलैक्ट्रानिक उपकरणों जैसे कम्प्यूटर, इलैक्ट्रिक/इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर तथा टेलीप्रिंटर आदि के बढ़ते हुए प्रयोग पर चिन्ता व्यक्त की। उप-समिति ने इस बात पर सहमति प्रकट की कि केन्द्रीय कार्यालयों में जो भी आधुनिक उपकरण लगाए जाएं वे द्विलिपीय (देवनागरी और रोमन) हों। फिर भी, उप-समिति का मत था कि इस संबंध में निश्चित अनुदेश जारी करने से पूर्व यह उचित होगा कि सभी संबंधित मंत्रालयों, संगठनों जिसमें राजभाषा विभाग के साथ-साथ उत्पादक, प्रयोगकर्त्ता तथा योजना आयोग आदि शामिल हों, से विस्तृत रूप से विचार-विमर्श कर लिया जाए और इसके लिए गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में संबंधित उच्च अधिकारियों आदि की बठक का आयोजन किया जाए।

हिन्दी में काम करने की अनिवार्यता–दिल्ली स्थित हर अधिसूचित मंत्रालय/विभाग और सम्बद्ध कार्यालय में कम से कम एक अनुभाग अधिकारी के नीचे सारा काम हिंदी में होना चाहिए और सप्ताह में एक दिन अधिसूचित कार्यालयों में सारा कार्य केवल हिंदी में होना चाहिए :

राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में समिति का यह मत था कि इस प्रस्ताव की विस्तार से जांच करवा ली जाए।

राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए जनसंचार के साधनों का प्रयोग :

प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करते हुए इस संबंध में उप-समिति ने यह सिफारिश की कि राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए जनसंचार के साधनों का समुचित उपयोग किया जाए। इसके लिए दूरदर्शन एवं चलचित्र के वास्ते वृत्त चित्र, व्यंग्य चित्र तथा छोटी-छोटी कार्टून फिल्में तैयार करके प्रदिर्शत की जाएं।

अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी उनके सराहनीय कार्य पर इंदराज का प्रावधान :

इस संबंध में उप-समिति का मत था कि किसी निर्णय से पहले इस विषय पर आगे और विचार कर लिया जाए।

हिंदी सलाहकार समितियों की उप-समितियों का गठन :

हिंदी सलाहकार समितियों की उप-समितियों के गठन पर विचार-विमर्श के बाद उप-समिति ने निर्णय किया कि इस प्रकार की उप-समितियों का गठन उचित न होगा। वर्तमान नीति से मंत्रालयों को पुनः अवगत करा दिया जाये।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों को हिंदी क्षेत्रों में केवल हिंदी में जारी करना :

इस संबंध में उप-समिति का मत था कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) में उल्लिखित कागजात को दोनों भाषाओं में जारी किया जाना उचित होगा।

संविधान में उल्लिखित सभी भाषाओं की सम्पूर्ण पारिभाषिक शब्दावली सभी विषयों के लिए एक हो :

इस संबंध में चर्चा के दौरान एक सदस्य ने यह बताया कि भिन्न-भिन्न मंत्रालयों में शब्दावली का अलग-अलग रूप से निर्माण किया जा रहा है, जिससे उनमें एकरूपता नहीं रह पाती। इस पर अध्यक्ष महोदय ने यह मत व्यक्त किया कि इस पर आगे विचार करने से पूर्व अद्यतन स्थिति का पता लगाया जाए।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात उप-समिति की बैठक की कार्रवाई समाप्त हुई। □□□

समिति समाचार

केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक

केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 14 वीं बैठक दिनांक 24 सितम्बर, 1984 को विज्ञान भवन में भारत के हिंदी सलाहकार तथा सचिव, राजभाषा विभाग, श्री राज कुमार शास्त्री की अध्यक्षता में संम्पन्न हुई।

सदस्य-सचिव श्री वी. पी. सिंह (उप सचिव, राजभाषा विभाग) ने बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए राजभाषा विभाग द्वारा सरकारी कामकाज में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने के लिए चालू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला।

अध्यक्ष महोदय ने विभिन्न मंत्रालयों विभागों से आये प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए इस बात का विशेष उल्लेख किया कि इस बठक का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है कि वर्ष 1949 में इसी महीने 14 तारीख को संविधान-सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में अपनाने का निणय किया था। विभिन्न मंत्रालयों विभागों की सलाहकार समितियों तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की वठकों के संबंध में अपने अनुभवों का उल्लेख करते हुए उन्होंने वताया कि इन में चर्चा के दौरान प्रगामी प्रयोग के संबंध में जो चित्र उभर कर सामने आता है वह संतोषजनक नहीं है। अतः आज की वठक में हम आत्म-विश्लेषण करते हुए खुले दिल से हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए चर्चा करना चाहेंगें। हमारे वार्षिक कार्यक्रम के अत्यन्त सरल प्रकार के होने पर भी अपेक्षाकृत लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई है। अतः इस दिशा में हमें ऊंचे स्तर पर समुचित नेतृत्व और पहल की आवश्यकता है।आज की बैठक में भी सभी मंत्रालयों के संबंधित संयुक्त सचिवों की उपस्थिति अति आवश्यक थी।

गत तिमाही रिपोर्टों से समेकित आंकड़ों के आधार पर उन्होंने कतिपय मंत्रालयों और विभागों में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के क्षेत्र में पाई गई कमियों उल्लंघनों का उल्लेख करते हुए इस ओर विशेष ध्यान देने का अनरोध किया।

सदस्यों की सहमति से पिछले कार्यवृत्त की उपमद संख्या 13 में राज्य सरकारों के स्थान पर इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन को रखने का सुझाव स्वीकार करते हुए सदस्यों की सहमति से पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

तत्पश्चात् कार्यसूची की मदों पर मदवार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिस पर विशेष चर्चा चलती रही।

अनुवाद कार्य के लिए जो मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं, उन पर पुनर्विचार किए जाने और तकनीकी और गैर तकनीकी काम के लिए पृथक-पृथक मान दण्ड निर्धारित करने के संबंध में राजभाषा विभाग की ओर से बताया गया कि वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षण एकक (एस. आई. यू.) के परामर्श से मानदण्डों की समीक्षा करने के बाद निर्णयों से सदस्यों को अवगत करा दिया जाएगा। इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधि ने इसे तकनीकी मामला बताते हुए कहा कि इस संबंध में मानदण्ड निर्धारित करते समय कुछ तकनीकी विशेषज्ञों को भी सम्बद्ध किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय ने इस संबंध में बनी हुई समिति में इस पर पुन: विचार करने का निदेश दिया।

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा बनाए गए अनुवादकों के पैनल में नामांकित व्यक्तियों से काम कराने का पारिश्रमिक तय करने के संबंध में विधि मंत्रालय, महासागर विकास और कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधियों के विचारों को सुनकर संयुक्त सचिव महोदय ने आश्वासन दिया कि पारिश्रमिक तय करते समय कार्य प्रकार और कार्य के महत्व का ध्यान रखा जायेगा।

सदस्यों ने अपनी सहमति व्यक्त की कि राज्यों के सहयोग से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में केन्द्रीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए विशेष प्रबंध किया जाये।

जिन कर्मचारियों को हिंदी टाईपिंग/हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण दिया गया है, उन्हें प्रतिमास कुछ अतिरिक्त पारिश्रमिक दिये जाने के लिए हिंदी में कार्य करने पर प्रोत्साहन भत्ते की योजना पहले से ही लागू है। सदस्यों का मत था कि वर्तमान प्रोत्साहन राशि कम है जिसे बढ़ाया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया।

टिप्पण और आलेखन में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए नकद पुरस्कार योजना को सरल और उदार बनाने के संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा चलाई गई प्रोत्साहन योजना पर सदस्यों ने अपनी सहमति व्यक्त की।

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का पूर्ण रूप से अनुपालन किये जाने के संबंध में आंकड़ों के आधार पर अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि कुछ मंत्रालयों में अभी भी धारा 3(3) का पूर्णरूपेण पालन नहीं हो रहा है। उन्होंने सदस्यों की इस बारे में राय जाननी चाही कि क्या राजभाषा विभाग की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट जिसे संसद में प्रस्तुत किया जाता है, में इसका उल्लेख किया जाए। अधिकांश सदस्यों का मत था कि स्टाफ की कमी एवं अन्य तकनीकी कारणों से इस धारा का शत-प्रतिशत पालन करने में बाधा पड़ रही है। कुछ सदस्यों का मत था कि यह कानूनी उपबंध है अतः इसके उल्लंघन के लिए दण्ड दिया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने यह निदेश दिया कि इस मामले को विचारार्थ केन्द्रीय हिन्दी समिति के समक्ष रखा जाए।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति से संबंधित निरीक्षण दौरों के कार्य में तेजी लाने के संबंध में राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव ने सूचित किया कि निरीक्षण संबंधी एक कार्यालय बंबई में खोल दिया गया है और दो कार्यालय हैदराबाद तथा कलकत्ता में खोलने की कार्रवाई चल रही है। उन्होंने बताया कि कुछ मंत्रालयों और विभागों में निरीक्षण दल गठित किए जा चुके हैं और यह आग्रह किया कि अन्य- मंत्रालय/विभाग भी ऐसे दल बनाएं। राजभाषा विभाग इसमें अपना पूरा सहयोग प्रदान करेगा।

देवनागरी लिपि के टेलीप्रिन्टर का निर्माण शीघ्र किए जाने के संबंध में संचार मंत्रालय के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि संचार मंत्री महोदय द्वारा दिए गए आश्वासन को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।

राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव महोदय ने उनसे आग्रह किया कि वे बिहार सरकार द्वारा मांगे गए 50 इलेक्ट्रिक टाप्राइटरों की सप्लाई यथाशीघ्र कराने की व्यवस्था करें।

सदस्यों के विचारों से सहमति व्यक्त करते हुए अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस संबंध में एक आदेश जारी होना चाहिए कि भविष्य में सरकारी उपयोग के लिए जो भी यांत्रिक उपकरण खरीदे जाएं वे द्विभाषिक हों।

1984-85 के वार्षिक कार्यक्रम पर चर्चा के दौरान 1984-85 के कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में पाई गई कमियों की ओर ध्यान दिलाते हुए अध्यक्ष महोदय ने इस बात पर असंतोष व्यक्त किया कि पिछले कई वर्षों से एक ही तरह के लक्ष्यों की पुनरावृत्ति केवल इसलिए जा रही है कि विभिन्न मंत्रालय और विभाग इनको पूरा करने के लिए गंभीरता से कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। उनका विचार था कि उच्च अधिकारियों के सक्रिय सहयोग के बिना निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति संभव नहीं है। अतः सभी मंत्रालयों एंव विभागों के उच्च स्तरीय अधिकारियों का यह दायित्व है कि वे इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपना पूरा सहयोग प्रदान करें।

हिन्दी शिक्षण, हिन्दी टाईपिंग और हिन्दी आशुलिपि की प्रगति के संबंध में विभिन्न सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों तथा जमशेदपुर तथा फरीदाबाद में प्रशिक्षण केन्द्र खोलना एंव प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ के परीक्षा परिणामों में रोल नंबर के अतिरिक्त नाम भी देने के संबंध में नीचे लिखे निर्णय लिए गए :–

(क) सं. सचिव रा. भा. ने बताया कि फिलहाल फरीदाबाद में प्रशिक्षण केन्द्र खोलना संभव नहीं है।

(ख) जमशेदपुर में हिन्दी टंकण एंव हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षण आ. टी. आई. में प्राप्त किया जा सकता है और 10 से अधिक प्रशिक्षार्थी होने पर हिन्दी शिक्षण योजना की ओर से परीक्षा केन्द्र खोल दिया जाएगा।

(ग) भविष्य में हिन्दी शिक्षण योजना के परीक्षा परिणामों में रोल नंबर के साथ-साथ नाम भी दिए जाएंगे।

औद्योगिक संस्थानों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के बारे में यह सूचित किया गया कि यह मामला अभी भी विचाराधीन है।

तिमाही रिपोर्ट के प्रोफार्म में संशोधन के संबंध में कृषि और सहकारिता विभाग के प्रतिनिधि ने तिमाही रिपोर्ट के आंकड़ों को प्राधिकृत रूप में प्राप्त करने के लिए एक रजिस्टर रखवाने की चर्चा की। इस पर सहमति प्रकट करते हुए यह निर्णय लिया गया कि सभी मंत्रालयों/विभागों से ऐसा रजिस्टर रखने का अनुरोध करते हुए ज्ञापन जारी किया जाएगा।

जो विभाग अधिसूचित हो उसके एक अनुभाग में या सारे विभाग में एक सप्ताह में एक दिन केवल हिन्दी में कार्य करने के संबंध में सदस्यों के विभिन्न सुझावों को सुनने के बाद अध्यक्ष महोदय ने निम्न-लिखित तीन विकल्प रखते हुए यह आग्रह किया कि इनमें से किसी को भी सुविधानुसार लागू किया जा सकता है।

(क) एक या एकाधिक विषय चुन लिया जाए और उसके बारे में सभी कार्रवाई हिन्दी में की जाए।

(ख) किसी विशेष अनुभाग को चुना जाए और उसम सारा काम हिंदी में किया जाए।

(ग) सभी मंत्रालयों और विभागों में सप्ताह या महीने में एक दिन सारा काम हिंदी में किया जाए।

इसे कारगर ढंग से लागू करने के लिए निर्णय मंत्रालय/विभाग के उच्च स्तर पर लिये जाएं।

हिन्दी कार्यशालाओं में व्याख्यान देने वालों को दिये जाने वाले मानदेय की राशि बढ़ाये जाने के संबंध में यह सूचित किया गया कि इस बारे में संबंधित विभाग मानदेय की राशि को निश्चित करने में स्वंय सक्षम है। राजभाषा विभाग इस संबंध में एक कार्यालय ज्ञापन जारी करेगा।

नेहरू प्लेस काम्पलेक्स में हिन्दी टाईपिंग और हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के संबंध में यह बताया गया कि नेहरू प्लेस में हिन्दी टाईपिंग और हिंदी आशुलिपि केन्द्र खोलने का सिद्धांत रूप में निर्णय ले लिया गया है। शीघ्र ही ग्रामीण विद्युतीकरण निगम एन. टी. पी. सी. के द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थान पर केन्द्र खोलने की कार्रवाई की जा रही है।

(1) जो विभाग या मंत्रालय किसी नियम, विनियम आदि का हिन्दी पाठ तयार कराना चाहते हैं वे अक्टूबर में ही राजभाषा खंड को सूचित करें ताकि उसे 1985 के कार्यक्रम म सम्मिलित कर लिया जाए।

(2) सूचित करने क साथ ही नियम, विनयम आदि की प्रामाणिक और अद्यतन प्रति राजभाषा खण्ड को भेजी जाए।

(3) अद्यतन पाठ के लिए राजभाषा खण्ड के अनुरोध पर समुचित ध्यान दिया जाये।

इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि जो भी मंत्रालय/विभाग अपनी सामग्री अनुवाद के लिए विधायी विभाग, राजभाषा खंड को भेजें उसकी दो प्रतियां भेजी जाएं। संयुक्त सचिव (राजभाषा विभाग) ने कहा कि इस संबंध में राजभाषा विभाग की ओर से एक पत्र जारी कर दिया जाए कि विधायी विभाग को भेजे जाने वाले कागजात को

प्रारूप स्तर पर ही अनुवाद के लिए भेज दिया जाए। संयुक्त सचिव, विधायी विभाग के इस सुझाव पर सभा में सहमति व्यक्त की गई। एफ. आर. तथा एस आर. का हिंदी रूपांतर प्रकाशित करने के बारे में कार्मिक विभाग को लिखा जाए ।

वाणिज्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक

वाणिज्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की सातवीं बैठक वाणिज्य राज्य मंत्री श्री निहार रंजन लस्कर की अध्यक्षता में 20 जुलाई, 1984 को 3.30 बजे अपराहन कमेटी रूम "डी" विज्ञान भवन, नई दिल्ली में हुई। निम्नलिखित सदस्यों ने बैठक में भाग लिया :—

श्री निहार रंजन लस्कर, वाणिज्य राज्य मंत्री, अध्यक्ष, श्री आबिद हुसैन, वाणिज्य सचिव, सदस्य, श्री हरवंस सिंह, सचिव (वस्त्र), श्री रामचन्द्र भारद्वाज, संसद सदस्य (राज्य सभा), सदस्य, श्री राम नरेश कुशवाहा, संसद सदस्य (राज्य सभा), सदस्य, श्रीमती कृष्णा कौल, संसद सदस्य (राज्य सभा) सदस्य, श्री अजीत सिंह दाभी, संसद सदस्य (लोक सभा), सदस्य, श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह, सदय, श्री हरिहरनाथ मिश्र, सदस्य, श्री डी. सी. मजूमदार, निदेशक, निर्यात निरीक्षण परिषद, नई दिल्ली, सदस्य डा. ह. प्र. भट्टाचार्य, प्रबंध निदेशक, नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन, सदस्य, श्री उमेश प्रसाद सिंह, निदेशक, वाणिज्य मंत्रालय, सदस्य सचिव ।

अध्यक्ष ने बैठक में उपस्थित सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने समिति को संबंधित करते हुए मंत्रालय में सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग की स्थिति पर प्रकाश डाला। उन्होंने समिति को सूचित किया कि आयात-निर्यात नीति पुस्तकें और आयात-निर्यात क्रिया-विधि हैंडबुक अंग्रेजी व हिंदी में साथ-साथ प्रकाशित की गई हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि मंत्रालय के विभिन्न संगठन सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने के उद्देश्य से समय-समय पर गोष्ठियां तथा हिंदी से संबंधित कार्यक्रम आदि आयोजित करते रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कार्य-सूची के विभिन्न मुद्दों और सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में सदस्यों से सुझाव एवं उनके विचार आमंत्रित किए ।

चर्चा की शुरुआत करते हुए श्री राम नरेश कुशवाहा, संसद सदस्य ने कहा कि कार्य-सूची से यह स्पष्ट नहीं है कि क्या कभी हिंदी सलाहकार समिति की उपसमितियां बनाई गई और उन्होंने राजभाषा अधिनियम तथा राजभाषा नियमों के उपबंधों के अनुसार सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में मंत्रालय के विभिन्न संगठनों द्वारा की गई प्रगति का जायजा लेने के लिए मंत्रालय के कार्यालयों का दौरा किया। अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन होने से इस बीच इसकी उपसमितियां भी पुनर्गठित की जा चुकी हैं हैं और कहा कि इस मामले में शीघ्रतापूर्वक कार्यवाही की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पुनर्गठित हिंदी सलाहकार समिति की उपसमितियों द्वारा विभिन्न संगठनों के दौरों के कार्यक्रम नियमित रूप से बनाए जाएं और उन्हें अमल में लाया जाए ।

श्री राम नरेश कुशवाहा, संसद सदस्य और श्री रामचन्द्र भारद्वाज, संसद सदस्य ने कहा कि मूल पत्र व्यवहार के लिए हिंदी के प्रयोग में प्रगति संतोषजनक नहीं है और कहा कि इस संबंध में कुछ गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए ताकि वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। अध्यक्ष महोदय ने टिप्पणी की कि इस संबंध में कदम उठाए जाएंगे और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्य पूरे हो जाएं ।

श्री राम नरेश कुशवाहा, संसद सदस्य ने सुझाव दिया कि रोजमर्रा के सरकारी कामकाज में सरल हिंदी का प्रयोग किया जाना चाहिए। श्री अजीत सिंह दाभी, संसद सदस्य और श्रीमती कृष्णा कौल, संसद सदस्य का भी यह विचार था कि सरकारी कार्य में हिंदी के सरलीकरण की दिशा में ही हमारे प्रयास होने चाहिए । इस संबंध में श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह ने कहा कि यह एक आधारभूत प्रश्न है जिस पर निर्णय लिया जाना है कि क्या प्रयोग में आ रही हिंदी भाषा वास्तव में कठिन है या यह केवल इस कारण से है कि हमें हिंदी का प्रयोग करने की आदत नहीं है। इस संबंध में श्री रामचन्द्र भारद्वाज ने कहा कि समिति के सदस्यों के भाषा के ढांचे से संबंधित बातों की गहराई में जाने की जरूरत नहीं है और इसकी बजाए उन्हें राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियमों के कार्यान्वयन पर जोर देना चाहिए । भाषा के बारे में उठे इस विवाद के संदर्भ में अध्यक्ष महोदय ने राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि से इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा। राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि ने कहा कि हिंदी को अंग्रेजी व साथ ही देश की अन्य भाषाओं के शब्द लेकर तथा उन्हें खपा कर सरल एवं अधिक व्यापक बनाया जा सकता है।

श्री राम नरेश कुशवाहा, संसद सदस्य और श्री राम चन्द्र भारद्वाज संसद सदस्य ने राय व्यक्त की कि हिंदी का ज्ञान रखने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों को हिंदी में अधिक काम करने के लिए कहा जाना चाहिए क्योंकि हिंदी राजभाषा है और अंग्रेजी केवल सहभाषा के रूप में है, ताकि हिंदी टाइपराइटरों की आवश्यकता में वृद्धि होने से उनकी संख्या बढ़ाई जा सके और धीरे-धीरे अंग्रेजी टाइपराइटरों की संख्या में कमी की जा सके ।

श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह ने सुझाव दिया कि जब भी मंत्रालय के अन्य संगठनों को हिंदी में पत्र भेजे जाएं तो उनसे कहा जाना चाहिए कि वे उनका उत्तर हिंदी में ही दें। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि जिला स्तर पर इकाइयों के साथ अथवा अन्य उपक्रमों के साथ पत्र-व्यवहार हिंदी में किया जाना चाहिए । श्री हरिहर नाथ मिश्र ने सुझाव दिया कि कम से कम एक अनुभाग अधिकारी एवं एक अवर सचिव को एक ऐसे अनुभाग प्रभारी बनाकर तैनात किया जाना चाहिए जिसके सभी कर्मचारी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखते हों और वह अनुभाग अपने सभी कागजात-फाइलें उन्हें हिंदी में ही प्रस्तुत करें। श्री आबिद हुसैन, वाणिज्य सचिव ने इन सुझावों के संबंध में स्थिति स्पष्ट की और उनके कार्यान्वयन में व्यावहारिक कठिनाई व्यक्त की। तथापि, उन्होंने सदस्यों को आशवासन दिया कि सरकारी कार्य में हिंदी के प्रयोग से संबंधित विभिन्न हिदायतों को कार्यान्वित करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे ।

श्री राम चन्द्र भारद्वाज, संसद सदस्य ने इस बात पर बल दिया कि मंत्रालय को राजभाषा अधिनियम तथा राजभाषा नियमों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए । सभी वरिष्ठ अधिकारियों को राजभाषा अधिनियमों तथा नियमों की जानकारी प्राप्त कर लेनी

चाहिए ताकि वे उनके कार्यान्वियन के लिए उपयुक्त कदम उठा सकें ।

श्री राम चन्द्र भारद्वाज, संसद सदस्य ने यह भी कहा कि "एम. एम. टी. सी. न्यूज" नाम से खनिज तथा धातु व्यापार निगम की पत्रिका, जिसकी प्रति उन्हें बैठक के दौरान दी गई थी, में हिंदी में केवल पांच पृष्ठ हैं जब कि अंग्रेजी के पृष्ठों की संख्या 19 है । उन्होंने सुझाव दिया कि यह पत्रिका द्विभाषी होनी चाहिए और उसका आवरण पृष्ठ भी द्विभाषी होना चाहिए । उन्हें आश्वासन दिया गया कि इसके लिए खनिज तथा धातु व्यापार निगम को आवश्यक अनुदेश दिए जाएंगे । उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि इस प्रकार के निदेश ऐसे अन्य संगठनों को भी दिए जा सकते हैं जो इस प्रकार की पत्रिकाएं निकाल रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय को धन्यावाद देने के बाद बैठक समाप्त हुई।

शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय

शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की 1984 की पहली बैठक 10-7-1984 को 3.30 बजे (अपराह्न, सम्मेलन कक्ष "127" "सी विंग" शास्त्री भवन , नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। शिक्षा तथा संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती शीला कौल ने बैठक की अध्यक्षता की 1 बैठक में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :-

श्रीमती शीला कौल, (शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय,) अध्यक्ष, श्रीमती सुमति उरांव (संयुक्त सचिव) सदस्य, श्रीमती रागिनी मिश्र सदस्य, श्री राम पूजन पटेल, संयुक्त सचिव, सदस्य, डा. शशि तिवारी सदस्य, प्रो. वी. डी. कृष्णन, सदस्य, श्री सुधाकर पाण्डे, संयुक्त सचिव सदस्य, श्री राम भगत पासवान, संयुक्त सचिव, सदस्य, श्री बाबूराव परांजपे, संयुक्त सचिव, सदस्य, श्री प्रभात शास्त्री, सदस्य, श्रीमती सरला ग्रेवाल, सचिव, सदस्य, श्रीमती कपिला वात्सायन, अपर सचिव सदस्य, श्री डी. एस. मिश्र, संयुक्त सचिव, सदस्य, श्री चन्द्र शेखर झा, शिक्षा सलाहकार, सदस्य, श्री मनमोहन सिंह, वित्त सलाहकार सदस्य, श्री एस. एस. श्रीनिवासन, संयुक्त शिक्षा सलाहकार, सदस्य श्री जयदेव गुप्ता संयुक्त सचिव (शिक्षा), सदस्य, श्री प्रसन्न कुमार पटनायक, संयुक्त सचिव, सदस्य, श्री योगेन्द्र नाथ चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव, सदस्य, श्री एस. के. खन्ना, सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सदस्य, श्री राज कुमार शास्त्री, सचिव, राजभाषा विभाग, सदस्य श्री देवेन्द्र चरण मिश्र, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, सदस्य, प्रो. मलिक मोहम्मद, अध्यक्ष, सदस्य, श्री रवीन्द्र कुमार आनन्द, पत्र सूचना अधिकारी, सदस्य, श्रीमती फ० बेगम, (वी. पी. पी.), सदस्य, श्री लक्ष्मी प्रसाद सिहारे, निदेशक, (रा.सं.), सदस्य, श्री जय लाल, लेखा निदेशक, सदस्य, श्रीमती पद्मा सेठ (बाल भवन), सदस्य, श्री कपिल देव त्रिपाठी, सदस्य, श्री सतवीर (आयुक्त, के. वी. एस), सदस्य, श्रीमती आदर्श मिश्र, निदेशक (भाषा), सदस्य, श्री राजमणि तिवारी, निदेशक (के. हि. नि०), सदस्य, श्री सुरेन्द्र कुमार तनेजा, निदेशक (प्रौढ़शिक्षा), सदस्य श्री पी. एल. मल्होत्रा (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद), सदस्य, श्री एच. एस. दुग्गल अपर महानिदेशक, सदस्य, श्री चिंतामणि व्यास, (रा. क. सं.), सदस्य, श्री कृष्ण गोपाल रस्तोगी, (राष्ट्रीय शैक्षिक अनसंधान और प्रशिक्षण परिषद); सदस्य ।

मंत्री महोदय ने सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्रवाई शुरू की । उन्होंने शिक्षा मंत्रालय में हिंदी की प्रगति पर प्रकाश डाला और सदस्यों को विभिन्न क्षेत्रों का विवरण दिया । संक्षेप में उन्होंने मंत्रालय के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी की प्रगति पर भी जानकारी दी ।

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय में पत्रों को मूल रूप से हिंदी में भेजने वित्तीय संस्वीकृतियां हिंदी में जारी करने, चैक हिंदी में जारी करने के बारे में, जांच बिंदु (चैक प्वाइंट) की स्थिति, हिंदी के प्रयोग की स्थिति, विभिन्न कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों, आदि-आदि से अवगत कराया गया ।

समिति की बैठक में, 1 जुलाई, 1983 से 31 मार्च, 1984 तक की अवधि में, हिंदी के प्रगामी प्रयोग के बारे में चर्चा हुई । समिति ने इस बात को नोट किया कि इस दौरान, जिन दस्तावेजों को द्विभाषी जारी किया जाना चाहिए था, वे द्विभाषी भेजे गए । केवल अंग्रेजी में कोई भी कागज जारी नहीं किया गया । समिति ने स्थिति पर संतोष व्यक्त किया ।

कुछ सदस्यों ने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि शिक्षा मंत्रालय में अंग्रेजी टाइपराइटरों (544) के मुकाबले हिन्दी टाइपराइटरों (65) की संख्या बहुत कम है और इसे बढ़ाया जाना चाहिए । सदस्यों को बताया गया कि जब भी आवश्यकता होगी नए टाइपराइटर मंगाए जाएंगे । इसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं है ।

सदस्यों ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि शिक्षा मंत्रालय में कुल टाइपिस्ट 233 हैं और इनमें से केवल 20 को अभी तक हिंदी टाइपिंग का प्रशिक्षण दिया गया । इसी प्रकार कुल आशुलिपिक 142 हैं जिनमें से केवल 7 को हिंदी आशुलिपिक का प्रशिक्षण दिलाया गया है । सदस्यों को आशवासन दिया गया कि इस पर नज़र रखी जाएगी और प्रशिक्षण के लिए वाछनीय संख्या में लोगों को भेजा जाएगा ।

कम्प्यूटरों के बारे में काफी व्यापक चर्चा हुई । सदस्यों की राय थी कि चूंकि शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा के क्षेत्र में कंम्प्यूटरों के इस्तेमाल को, तथा कंम्प्यूटरों की जानकारी को, काफी बड़े पैमाने पर शुरू कर रहा है इसलिए इस बात की संभावनाओं की खोज की जाए कि द्विभाषी कम्प्यूटर कैसे जल्दी उपलब्ध कराए जा सकते हैं । सचिव, शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय श्रीमती सरला ग्रेवाल ने यह विचार व्यक्त किया कि ऐसी अनेक नई टेक्नोलोजी आने वाली हैं उस पर ध्यान दिया जाए, वह सब हिंदी में हों ताकि 36 सालों के गुजरने के बाद, हम लोग कुछ और आगे बढ़े । राजभाषा विभाग से उन्होंने अनुरोध किया कि वे उन्हें बताते रहें कि कैसे आगे बढ़ा जाए ।

श्री प्रभात शास्त्री ने बताया कि उनके पास एक ऐसा पत्र हिंदी में आया है जिसमें व्याकरण आदि की अशुद्धियां थीं । संयुक्त सचिव (प्रशासन) ने कहा कि शुरू शुरू में, हिंदी की अशुद्धियों आदि की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए अगर ऐसा पत्र समझ में आ जाता है तो हो सकता है कि इस पत्र को ऐसे व्यक्ति ने हिन्दी में लिखने का प्रयत्न किया हो, जो हिंदी में प्रवीण न हो । अगर हम

उनके प्रयासों की आलोचना करने लगेगें तो उन को बड़ी निराशा होगी। वे हिन्दी में पत्र लिखने का प्रयास छोड़ देंगें। समिति के शेष सदस्यों ने इस भावना का समर्थन किया।

बैठक का समापन करते हुए मंत्री महोदय ने पुनः सदस्यों को आह्वान किया कि वे अपनी बहुमूल्यराय देते रहें, ताकि हिंदी का काम आगे बढ़े।

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

दिनांक 26-6-84 को प्रातः 10.30 बजे विज्ञान भवन, नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री हर किशन लाल भगत की अध्यक्षता में 23वीं बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :–

1. श्री हर किशन लाल भगत, सूचना और प्रसारण मंत्री, अध्यक्ष
2. श्री वाई० एस० महाजन, संसद सदस्य
3. श्री धर्म दास शास्त्री, संसद सदस्य
4. श्री रामचन्द्र भारद्वाज, संसद सदस्य
5. श्री जगन्नाथ मिश्र
6. डा. रामजी सिंह
7. श्री गिरिजा कुमार माथुर
8. डा. राम सहाय पाण्डेय
9. श्री शंकर राव लोढ़े
10. डा. एन. एस. दक्षिणामूर्ति
11. श्री राम प्रकाश गुप्त
12. पं. कमलापति त्रिपाठी
13. डा. नगेन्द्र
14. श्रीमती भगत
15. श्री वाल्मीकि चौधरी
16. श्री एम. के. वेलायुधन नायर
17. श्री सुशील स्वरूप वर्मा, महानिदेशक, आकाशवाणी
18. श्री यू. सी. तिवारी, प्रधान सूचना अधिकारी, पत्र सूचना कार्यालय
19. श्री विजेन्द्र सिंह जाफा, संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय
20. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव, संसद सदस्य

सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही शुरू की।

पिछली बैठक में दिए गए सुझावों पर की गई कार्रवाई की चर्चा करते हुए मंत्री महोदय ने बताया कि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को परिचय-पत्र दिए जाने के संबंध में उन्होंने गृह मंत्री की स्वीकृति प्राप्त कर ली है तथा जिन सदस्यों के फोटो प्राप्त हो गये हैं, उनके परिचय-पत्र भी तैयार कर लिये गये हैं। शेष सदस्यों के परिचय-पत्र भी उनके फोटो प्राप्त होते ही तैयार करा लिये जायेंगे।

दूरदर्शन द्वारा हास्य रस के कार्यक्रमों को हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में भी तैयार किए जाने के बारे में श्री जगदम्बी प्रसाद यादव के प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया कि दूरदर्शन हास्य रस के कार्यक्रमों को हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में बनाने की दिशा में प्रयत्नशील हैं। इस संबंध में हास्य रस के प्रख्यात लेखकों की एक बैठक बुलाई गई थी तथा एक और बैठक शीघ्र ही बुलाई जायेगी।

डा. रामजी सिंह ने कहा कि हिन्दी टाइपिस्टों की भर्ती हिन्दी टाइपिंग टेस्ट के आधार पर होनी चाहिए न कि अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट के आधार पर मंत्री महोदय ने इस मामले की जांच का आश्वासन दिया।

श्री राम प्रकाश गुप्त के एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बैठक में बताया कि वे इस बात से सहमत हैं कि फिल्में चाहे विदेशी भाषाओं की हों या दक्षिण भारतीय भाषाओं की, उनकी डबिंग सब टाइटिलिंग हिन्दी में होनी चाहिए। इस प्रस्ताव पर विचार कर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

श्री एम. के. वैलायुधन नायर ने कहा कि अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित आकाशवाणी केन्द्रों में हिन्दी कार्यक्रमों को तैयार करने वाले व्यक्ति हिन्दी जानने वाले होने चाहिए। महानिदेशक, आकाशवाणी ने बताया कि अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के आकाशवाणी केन्द्रों में हिन्दी कार्यक्रमों की योजना आदि बनाने के लिए कार्यक्रम एक्जीक्यूटिव के पद हैं और वे हिन्दी जानते हैं। किन्तु, जिन केन्द्रों में हिन्दी के कार्यक्रम कम होते हैं, उनमें प्रोड्यूसर (हिन्दी) के पद नहीं हैं और वहां कार्यक्रमों के लिए बाहर से हिन्दी के विद्वानों की सहायता ली जाती है। मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया कि इस संबंध में विचार-विमर्श किया जाएगा। मंत्री महोदय ने यह भी आश्वासन दिया कि विचार-विमर्श के लिये श्री वेलायुधन नायर को भी लिया जायेगा।

श्री रामचन्द्र भारद्वाज ने कहा कि विदेश मंत्रालय को लिखा जाना चाहिए कि वे "इण्डियन एण्ड फारेन रिव्यू" का हिन्दी संस्करण भी निकलवाएं। मंत्री महोदय ने कहा कि इस विषय पर विदेश मंत्रालय को लिखा जायेगा।

डा. रामजी सिंह ने कहा कि हिन्दी की समाचार एजेंसियों को सुदृढ़ किए बिना हिन्दी के समाचार-पत्रों को समृद्ध नहीं किया जा सकता है और हिन्दी के समाचार-पत्रों को समृद्ध किए बिना हिन्दी में समाचार उपलब्ध कराने का कार्य कमजोर रहगा। अतः उन्होंने आग्रह किया कि सरकार हिन्दी की समाचार एजेंसियों की सहायता करे। श्री धर्मदास शास्त्री, श्री राम सहाय पाण्डेय, श्री राम प्रकाश गुप्त, पं. कमलापति त्रिपाठी और जगदम्बी प्रसाद यादव ने भी इस बात से सहमति व्यक्त की।

मंत्री महोदय ने बताया कि सरकार न तो किसी समाचार एजेंसी को सरकारी एजेंसी बनाना चाहती है और न ही उनके कामकाज में हस्तक्षेप करना चाहती है। सरकार की यह नीति है कि समाचार एजेंसियां स्वतंत्र और आत्म-निर्भर हों। प्रैस की स्वतंत्रता के लिए यह आवश्यक है। तथापि, हिन्दी समाचार एजेंसियों में कार्यरत पत्रकारों व अन्य कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि उन्हें आशा है कि इन एजेंसियों को चलाने वाले व्यक्ति इन पत्रकार कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करेंगे।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव के एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा कि मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से की जाएंगी और आवश्यकता पड़ने पर इसकी बैठकें दो महीने में एक बार करने का प्रयास किया जायेगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि इस मंत्रालय की विभिन्न मीडिया यूनिटों का निरीक्षण करने का भी कालबद्ध कार्यक्रम बनाया जायेगा। निरीक्षण करते समय हिन्दी सलाहकार समिति के किसी न किसी सदस्य को भी शामिल करने की कोशिश की जायेगी।

अध्यक्ष का धन्यावाद कर बैठक की कार्यवाही यहीं समाप्त हो गई।

कृषि मंत्रालय

कृषि मंत्रालय हिन्दी सलाहकार समिति की पुस्तक चयन समिति की प्रथम बैठक डा. महीप सिंह की अध्यक्षता में. 127, कृषि भवन, नई दिल्ली में हुई। इसमें निम्नलिखित सदस्यों या उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया :–

डा. महीप सिंह, हिन्दी विभाग, खालसा कालेज, नई दिल्ली। डा. मन्नू लाल यदु, हिन्दी विभाग, रायपुर विश्वविद्यालय, रायपुर। श्री जयवंशी झा शास्त्री, ए-1 सिद्धार्थ वस्ती, पी. ओ. जंगपुरा, नई दिल्ली। डा. आर. एस. कुशवाहा, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, राजभाषा विभाग, लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली। श्री आनन्द स्वरूप भटनागर, विधि सलाहकार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली। श्री स. स. रिजवी, सयुक्त सिचव (प्र.) कृषि और सहकारिता विभाग। श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, निदेशक (राजभाषा) कृषि विभाग। श्री शक्ति त्रिवेदी, वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली। डा. परमात्मा शरण बंसल, उप निदेशक (हिन्दी)। श्री गोविन्द राम, हिन्दी अधिकारी। श्री ए. पी. सिंह, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक।

बैठक के प्रारंभ में निदेशक (राजभाषा) ने समिति के सभी सदस्यों का स्वागत किया और उनसे निवेदन किया कि वे कृषि मंत्रालय और उसके संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों के पुस्तकालयों के लिए हिन्दी पुस्तकें खरीदने के लिए श्रेष्ठ पुस्तकों के नाम सुझायें।

समिति के अध्यक्ष, डा. महीप सिंह ने कार्य-सूची के साथ लगाई गई पुस्तक-सूची का जिक्र करते हुए कहा कि उसमें अच्छे लेखकों की श्रेष्ठ पुस्तकें शामिल की गई हैं और पुस्तकों का चुनाव बहुत बढ़िया है। अतः इन्हें खरीदा जाना चाहिए। परन्तु ये सभी पुस्तकें हिन्दी के कुछ मुख्य प्रकाशकों की ही हैं। आज बड़े-बड़े प्रकाशक हिन्दी की उतनी पुस्तकें नहीं प्रकाशित करते, जितनी छोटे-छोटे प्रकाशक करते हैं और उनके द्वारा प्रकाशित पुस्तकें भी उच्च कोटि की हैं। अतः हमें अखिल भारतीय प्रकाश संघ के अध्यक्ष, श्री दयानंद वर्मा (डब्ल्यू-21, ग्रेटर कैलाश, पार्ट-1, नई दिल्ली) से भारत के सभी हिन्दी प्रकाशकों की सूची प्राप्त करनी चाहिए और फिर उन सभी प्रकाशकों से उनकी पुस्तक सूची मंगाई जानी चाहिए। इसके आधार पर एक विस्तृत पुस्तक-सूची बनाकर आगामी नवम्बर में इस समिति की दूसरी बैठक में प्रस्तुत की जाए।

बैठक में राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि ने सवाल उठाया कि पुस्तकों आदि की खरीद के लिए नियत कुल रकम में से हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा। इस पर श्री एस. एस. रिज़वी, संयुक्त सचिव (प्र.) ने कहा कि हिन्दी की पुस्तकें खरीदने के लिए कृषि विभाग में पसे की कमी को आड़े नहीं आने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्य मुद्दा अच्छी पुस्तकों के चुनाव का है। इसमें पाठकों की रुचि का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके साथ-साथ जो भी किताबें पुस्तकालय में हों, उनकी पूरी तरह से इंडेक्सिंग हो और ये पाठकों को आसानी से मुहैया हों।

संयुक्त सचिव (प्र.) ने सदस्यों को यह भी सूचना दी कि कृषि विभाग के पुस्तकालय में हिन्दी की कुल 1485 पुस्तकें हैं और इन सभी पुस्तकों की इंडेक्सिंग करके जारी करने की व्यवस्था की जाएगी। डा. महीप सिंह ने यह जानना चाहा कि पुस्तकालय में हिन्दी की कितनी पत्रिकाएं आती हैं और उनके नाम क्या-क्या हैं। इनकी सूची उस समय सुलभ नहीं थी। अतः यह बता दिया गया कि आगामी बैठक में सभी हिन्दी पत्रिकाओं की सूची प्रस्तुत कर दी जाएगी।

अध्यक्ष ने कहा कि 'संचेतना' 'जागृति', साक्षात्कार' और अनुवाद आदि साहित्यिक पत्रिकाएं पुस्तकालय में मंगाई जानी चाहिए। उनसे ऐसी पत्रिकाओं की सूची भेजने का अनुरोध किया गया और उन्होंने इनकी सूची देने का आश्वासन दिया।

श्री जयवंशी झा शास्त्री ने कहा कि प्रेम चन्द आदि जैसे हिन्दी के प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकों का पूरा सेट पुस्तकालय में सुलभ होना चाहिए। ऐसे लेखकों की जो पुस्तकें उपलब्ध हैं, उनको छोड़ कर दूसरी पुस्तकों को खरीद कर उनके सेट पूरे किए जा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हिन्दी में अनूदित प्राचीन श्रेष्ठ संस्कृत साहित्य भी पुस्तकालयों में सुलभ होना चाहिए। इस पर भी रिज़वी, संयुक्त सचिव (प्र.) ने कहा कि हमारे यहां पुस्तकालय में जो पुस्तकें हैं, उनकी सूची आगामी बैठक में प्रस्तुत कर दी जाएगी। उसके बाद समिति जो फैसला करेगी, उस पर अमल किया जाएगा। इस पर डा. महीप सिंह ने कहा कि संस्कृत के साथ-साथ भारत की अन्य भाषाओं इससे हिन्दी में अनूदित श्रेष्ठ साहित्य भी पुस्तकालय में सुलभ होना चाहिए। इसे देश के विभिन्न भागों के लोगों के जीवन की जानकारी मिलेगी और राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़ेगी और हिन्दी के पाठकों को अन्य भाषाओं के श्रेष्ठ साहित्य का भी ज्ञान हो सकेगा। राजभाषा विभाग के वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी डा. कुशवाहा ने विचार विमर्श को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हिन्दी भाषी राज्यों में कई अकादमियां हैं और वे हिन्दी की श्रेष्ठ पुस्तकों को पुरस्कृत करती हैं। इसी प्रकार साहित्य अकादमी, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें भी हिन्दी में तकनीकी और अन्य श्रेष्ठ पुस्तकों को पुरस्कृत करती हैं। ऐसी सभी अच्छी पुस्तकें पुस्तकालय में सुलभ करने की व्यवस्था की जाए। इसके लिए ऐसी अकादमियों और विभिन्न सरकारों को पत्र लिख कर उनकी पुस्तक-सूचियाँ मंगवाई जाएं और उनकी सूची तैयार की जाए।

अंत में संयुक्त सचिव (प्र.) ने गैर-सरकारी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे हिन्दी में अच्छी पुस्तकें और पत्रिकाएं खरीदने के संबंध में अपने सुझाव भेजने की कृपा करें ।

राजेन्द्र प्रसाद गुप्त
निदेशक (राजभाषा)
कृषि और सहकारिता विभाग
नई दिल्ली ।

संसदीय कार्य विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक

संसदीय कार्य विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति की प्रथम बैठक सरदार बूटा सिंह, संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री की अध्यक्षता में 4 अगस्त, 1984 को पूर्वाह्न 11-00 बजे, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई । इस बैठक में श्री एच. के. एल. भगत, संसदीय कार्य तथा सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री, श्री मल्लिकार्जुन, संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास उप मंत्री, श्री उमाकान्त मिश्र, संसद सदस्य, श्री राम चन्द्र भारद्वाज, संसद सदस्य, श्री अश्विनि कुमार, संसद सदस्य, श्री गिरिधर गोमेंगो, संसद सदस्य, श्री सुधाकर पाण्डे, संसद सदस्य तथा डा. लक्ष्मी नारायण दुबे, डा. सत्येन्द्र चतुर्वेदी, श्री कृपा नारायण, श्री टी. वी. सुब्रहमण्यम शास्त्री, श्री मुकुल चन्द पाण्डेय एवं श्री ईश्वरी प्रसाद, सचिव, संसदीय कार्य विभाग ने भाग लिया ।

सर्वप्रथम समिति की प्रथम बैठक में अध्यक्ष महोदय ने सभी का स्वागत किया । सभी सदस्यों ने समिति के गठन पर बधाई दी और कहा कि यह सही दिशा में एक सही कदम है ।

श्री रामचन्द्र भारद्वाज, संसद सदस्य ने कहा कि हमें संसद में ही हिन्दी का प्रयोग नहीं दिखाई पड़ता है क्योंकि संसद में सदस्यों के नाम आज भी अंग्रेजी में ही है । उन्होंने बताया कि निम्नलिखित कार्यों के लिए हिन्दी का प्रयोग संसद के सचिवालयों द्वारा नहीं किया जाता है :

(1) निमंत्रण-पत्र केवल अंग्रेजी में होते है ।

(2) विभिन्न समितियों में परिचालित सदस्यों के जीवन-वृत केवल अंग्रेजी में होते है ।

(3) बैठकों में दुभाषिये नहीं होते हैं । कार्यवाही केवल अंग्रेजी में होती है ।

(4) विदेशियों के समक्ष बैठकों में भाषण केवल अंग्रेजी में होते है । जबकि विदेशी अतिथि-गण अपनी राष्ट्रभाषा में भाषण देते हैं ।

(5) संसद सदस्यों को परिचालित साहित्य अंग्रेजी में या हिन्दी में दिया जाता है, दोनों भाषाओं में नहीं । परिचालित साहित्य दोनों भाषा में, और एक साथ दिया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस सम्बन्ध में अध्यक्ष, लोक सभा/सभापति, राज्य सभा से बातचीत कर इस समस्या को हल करने का यत्न किया जाएगा ।

डा. लक्ष्मी नारायण दुबे के इस प्रस्ताव पर कि संसदीय कार्य विभाग एक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन करे जिसमें लोकतन्त्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता, संसदीय कार्य प्रणालियां एवं विश्व के संविधान आदि पर लेख प्रकाशित हों, यह निर्णय लिया गया कि यह समिति को सौंपे गए कार्यों की सीमा से बाहर होगा अतः समिति द्वारा इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

श्री मुकुल चन्द पाण्डेय के इस सुझाव पर कि राजनीतिक दलों के साथ पत्राचार द्विभाषी रूप में हो, अध्यक्ष महोदय ने कहा कि विभाग में, "क" क्षेत्र के राज्यों, वहां स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और व्यक्तियों के साथ पत्राचार हिन्दी में होगा अथवा द्विभाषी होगा । राजनीतिक दलों के साथ पत्राचार भी द्विभाषी रूप में होगा ।

श्री सुधाकर पाण्डेय जी ने कहा कि सरकार द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट, आदि पर शीर्षक हिन्दी में अंग्रेजी के मुकाबले मे छोटे प्रिन्ट में दिए जाते हैं । अध्यक्ष महोदय ने इस सम्बन्ध में उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया ।

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की छठी बैठक 23-8-1984 को कमेटी रूम-डी, विज्ञान भवन, नई दिल्ली में हुई । चूंकि संसद में व्यस्त होने के कारण श्रम और पुनर्वास मंत्री जी बैठक में पधार नहीं पाए, इस लिए बैठक की अध्यक्षता श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री महोदय ने की । बैठक में निम्नलिखित सदस्य अधिकारी उपस्थित थे :—

1. श्री धर्मवीर, श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री 2. श्री बी. जी. देशमुख, सचिव, श्रम और पुनर्वास 3. श्री राजकुमार शास्त्री, सचिव, राजभाषा विभाग 4. श्री एस. वेंकटरमानी, महानिदेशक, रोजगार और प्रशिक्षण, 5. श्री बी. बी. माथुर, निदेशक, कारखाना सलाह सेवा और श्रम विज्ञान केन्द्र महानिदेशालय, 6. श्री वे. सी. रामस्वामी, सदस्य, महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, 7. श्री डी. वी. रामचन्द्रन, 8. श्री विपुल कान्ति भट्टाचार्य, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, 9. श्री करनैल सिंह, संयुक्त सचिव (के.), श्रम विभाग । बैठक में निम्नलिखित गैरसरकारी सदस्य भी उपस्थित थे-1. डा. प्रीतिलता त्रिपाठी, समाज सेविका 2. श्री मुकुल चन्द पाण्डे, महामंत्री, हिन्दी व्यवहार संगठन, 3. श्री निशीथ कुमार राय, पेवराबाद, इलाहाबाद, 4. श्री एम. के. वेलायुधन नायर, मंत्री, केरल हिन्दी प्रचार सभा, 5. श्री कन्हैया लाल नन्दन, 6. श्री गंगाशरण सिंह, 7. श्री केशरी कुमार सिंह ।

सर्वप्रथम उन्होंने सदस्यों को स्वागत किया और बाद में प्रगति आदि के बारे में ब्यौरा दिया । तदोपरान्त बैठक की कार्यसूची पर विचार आरम्भ हुआ ।

सदस्यों ने विचार व्यक्त किया कि मंत्रालय के कुछ सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है । उदाहरणार्थ रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय और कारखाना सलाह

सेवा और श्रम विज्ञान केन्द्र महानिदेशालय द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया, जिनके अनुसार "क" क्षेत्र के राज्यों और व्यक्तियों को भेजे गए कुल 2156 पत्रों में से हिन्दी में केवल 6 पत्र ही लिखे गए थे। उक्त महानिदेशालय के महानिदेशक ने बताया कि इनमें से अधिकांश पत्र कारखानों को लिखे गए हैं, जो हिन्दी में उत्तर न चाह कर अंग्रेजी में उत्तर चाहते हैं। इस पर सदस्यों ने आपत्ति की और कहा कि लगता है कि अधिकारियों को, राजभाषा अधिनियम, उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों और सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग के बारे में समय-समय पर जारी किए गए राजभाषा विभाग के निर्देशों का समुचित ज्ञान नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि अधिकारियों के लिए कोई पुनश्चर्या पाठ्यक्रम होना चाहिए ताकि उन्हें हिन्दी के प्रयोग के संबंध में अद्यतन जानकारी मिल सके। सचिव, राजभाषा विभाग ने संक्षेप में बताया कि कहां-कहां अनिवार्यतः हिन्दी काप्रयोग किया जाना है और कहां-कहां हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों का प्रयोग किया जाना है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी बातों की समीक्षा वास्तव में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में की जानी चाहिए, जिनके अध्यक्ष संयुक्त सचिव होते हैं। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि सदस्यों द्वारा जो चिन्ता और उत्सुकता व्यक्त की गई है, वह उनकी भावनाओं का आदर करते हैं और उन्होंने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही वह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक का आयोजन करेंगे ताकि हिन्दी के प्रयोग को प्रभावी रूप से सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की जा सके।

राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में हिन्दी सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को प्रेक्षकों के रूप में सहयोजित करने के बारे में चर्चा हुई। सदस्यों ने बताया कि कुछ राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में गैर-सरकारी सदस्यों को प्रेक्षक के रूप में रखा गया है। मंत्रालय की ओर से यह बताया गया कि प्राप्त जानकारी के अनुसार मंत्रालयों/विभागों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में गैरसरकारी व्यक्तियों को प्रेक्षक के रूप में आमंत्रित नहीं किया जाता है और राजभाषा विभाग ने भी इस संबंध में आदेशात्मक निदेश नहीं निकाले हैं। राजभाषा विभाग के सचिव ने बताया कि इस मामले पर 4-9-1984 को केन्द्रीय राजभाषा समिति की उप-समिति की बैठक में विचार किया जाएगा। मंत्री महोदय ने कहा कि इस मामले पर पुनः विचार किया जाएगा।

मंत्री महोदय ने इस बात पर बल दिया कि सबको हिन्दी के प्रयोग की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

इसके बाद अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हुए सभा विसर्जित हुई।

ग्रामीण विकास मंत्रालय

हिन्दी सलाहकार समिति की उपसमिति की दूसरी बैठक दिनांक 1 अगस्त, 1984 को आचार्य देवेन्द्र नाथ शर्मा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :—

(1) आचार्य देवेन्द्र नाथ शर्मा, अध्यक्ष
(2) डा. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
(3) श्री सुधाकर पाण्डेय
(4) श्री हरिवंस भाटिया
(5) श्री एम. के. वेलायुधन नायर
(6) श्री सत्य प्रकाश विश्नोई, संयोजक
(7) श्री एन. पी. सिंह, उपसचिव (हिन्दी)
(8) श्री भारत सिंह भदौरिया, वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी

केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा हिन्दी भाषी राज्यों से ग्रामीण विकास के क्षेत्र में निकाले गये प्रकाशनों/पुस्तकों की प्रतियां तथा सूची उप-समिति के सदस्यों के समक्ष रखी गई। सदस्यों ने विभिन्त मंत्रालयों/विभागों की सामग्री का अवलोकन किया। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जो प्रकाशन साहित्य निकाला जाए, वह ग्रामीण लोगों को ध्यान में रखते हुए सरल भाषा में लिखा जाना चाहिए और सुझाव दिया कि देहात के लोगों के स्वास्थ्य तथा सफाई, उनके लिये संतुलित आहार तथा जलापूर्ति आदि के बारे में साहित्य निकाले जायें। समिति को अवगत कराया गया कि प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण विद्युतीकरण, प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण जलापूर्ति आदि जसे विषयों से इस मंत्रालय का केवल "नाडल" उत्तरदायित्व है। इन विषयों की मुख्य जिम्मेदारी संबंधित मंत्रालयों की है और उनके लिए साहित्य वे ही निकालते हैं। यह सुझाव दिया गया कि इस उपसमिति की राय से संबंधित मंत्रालयों को अवगत करा दिया जाए और जहां संभव हो, इस मंत्रालय द्वारा निकाले जा रहे साहित्य में ग्रामीण लोगों के लाभ के लिये अन्य कार्यक्रमों के बारे में कुछ जानकारी दें तो तथा उचित रहेगा।

समिति को बताया गया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रमों/योजनाओं पर हिन्दी में मूल रूप में पुस्तकें लिखवाने के लिए "ग्रामीण विकास साहित्य पुरस्कार" योजना आरम्भ की जा चुकी है और उसके अन्तर्गत मूल रूप में पुस्तकें लिखने के लिए लेखकों को आमंत्रित किया गया है।

उप-समिति का विचार था कि "ग्रामीण विकास साहित्य पुरस्कार" योजना सही है, लेकिन इस योजना के अंतर्गत पुस्तकें आदि लिखवाने और उन पर निर्णय लिए जाने में काफी समय लग जायेगा। चूंकि ग्रामीण विकास मंत्री जी ग्रामीण विकास के बारे में शीघ्र साहित्य प्रकाशित करने के बारे में काफी उत्सुक हैं, अतः ग्रामीण विकास के बारे में शीघ्र साहित्य निकाला जाना चाहिए। यह निर्णय लिया गया कि मंत्रालय के अधिकारियों से कहा जाये कि वे अपने विषयों से संबंधित सामग्री पहले अंग्रेजी में तैयार करें और बाद में मंत्रालय में हिन्दी ज्ञाता अधिकारियों या बाहर के सक्षम लोगों से उसके आधार पर मूल-रूप में हिन्दी में साहित्य तैयार करा लें और उप-समिति की अगामी बैठक में उसे अंतिम रूप दे दिया जाये।

भूमि-सुधार तथा पंचायती राज विषयों के साथ-साथ समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के बारे में भी सामग्री तैयार कर ली जाये और बाद में उसे मूल रूप में हिन्दी में लिखवा लिया जाय।

यह भी निर्णय लिया गया कि इस प्रकार का साहित्या/पुस्तकें तैयार करके 'क' व 'ख' क्षेत्रों में भेजा जाये और ब्लाक स्तर से यह सुझाव मंगवाया जाये कि क्या ये पुस्तकें उनके लिए उपयोगी हैं।

मंत्रालय के उपरोक्त चुने हुए कायक्रमों क बारे म सबंधित प्रभाग अधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंपी जाए कि वे अपने-अपने प्रभाग से संबंधित विषयों के बारे में एक विस्तृत लेख संबंधित सामग्री सहित

हिन्दी प्रभाग को 15 सितम्बर, 1984 तक उपलब्ध करायें । 30 सितम्बर, 1984 तक इन विषयों में मूल-रूप से पाण्डुलिपि तैयार कराने की चेष्टा की जाए ।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह सामग्री मिल जाने के बाद हिन्दी सलाहकार समिति की आगामी बैठक में उसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

बडोदरा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अयोजन

बड़ौदरा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 5 वीं बैठक दिनांक 27-7-84 को केन्द्रीय उत्पादन और सीमा शुल्क समाहर्त्ता श्री ना. ब. सोनावणे की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । बैठक में नगर के केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों ने भाग लिया ।

केन्द्रीय सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष ने नगर के प्रत्येक केन्द्रीय सरकारी कार्यालय में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित कानूनी प्रावधानों के त्वरित कार्यान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया । उन्होंने कहा कि विभागीय अध्यक्ष इस बारे में कार्य-योजनाएं तैयार करें और उन कार्य-योजनाओं को वे अपने-अपने कार्यक्षेत्रों में लागू करवाएं ।

समिति की दिनांक 15-2-84 को आयोजित पिछली बैठक के निर्णयों के लागू होने की स्थिति की समीक्षा करते समय अध्यक्ष ने महसूस किया कि सदस्य-कार्यालय इस बारे में हुयी कार्यवाही पर समूचित रिपोर्ट नहीं भेज रहे हैं । उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि बैठकों में लिए गए निर्णयों पर अनुपालन रिपोर्ट और हिन्दी के प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट की प्रति नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को भिजवायी जानी चाहिए ।

समिति ने निम्नलिखित निर्णय लिए जिनका अनुपालन नगर के केन्द्रीय सरकारी संगठनों द्वारा किया जाना है :

(क) **हिन्दी प्रशिक्षण**—हिन्दी न जानने वाले कर्मचारियों को हिन्दी में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए । इस प्रयोजन के लिए हिन्दी कक्षाएं गठित की जाएं ।

(ख) **हिन्दी टंकण और आशुलिपि में प्रशिक्षण**—नगर में हिन्दी टंकण और अशुलिपि प्रशिक्षण की अपर्याप्त सुविधाओं को देखते हुए इन प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था के लिए राजभाषा विभाग से संपर्क स्थापित किया जाना चाहिए ।

(ग) **हिन्दी कार्यशाला**—नगर के सभी कार्यालय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन करें ।

(घ) **हिन्दी में पत्र-व्यवहार**—कार्यालयों द्वारा कम से कम 40 प्रतिशत मूल पत्र हिन्दी में भेजे जायें । यह लक्ष्य अग्रेषण पत्र, अनुस्मारक और अन्य रूटिन पत्र हिन्दी में भेज कर प्राप्त किया जा सकता है ।

राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) और राजभाषा नियम 1976 केनियम 6 व्यवस्थाओं का अनुपालन :—राजभाषा अधिनियम की धार 3 (3) में उल्लिखित दस्तावेज द्विभाषिक रूप में जारी किये जायें क्योंकि राजभाषा नियम 1976 के नियम 6 के अनुसार इस संबंध में अनुपालन की जिम्मेदारी इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर वाले अधिकारी की है ।

(च) **हिन्दी में मिले पत्रों का उत्तर हिन्दी में देना**—हिन्दी में मिले पत्रों का उत्तर बिना किसी अपवाद के हिन्दी में देना चाहिए ।

(छ) **राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 की व्यवस्थाओं का अनुपालन**—यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 में उल्लिखित सभी वस्तुएं हिन्दी को ऊपर रखते हुए हिन्दी और अंग्रेजी में हैं ।

(ज) **हिन्दी के प्रयोग से संबंधित कानूनी व्यवस्थाओं के अनुपालन के लिए जांच बिन्दु स्थापित करना**—राजभाषा अधिनियम और नियमों की व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक कार्यालय में उपयुक्त जांच बिन्दु स्थापित किये जाने चाहिए ।

(झ) **हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने से संबंधित वर्ष 1984-85 का वार्षिक कार्यक्रम**—संदर्भगत वार्षिक कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को लागू किया जाना चाहिए ।

(ट) **"हिन्दी सप्ताह" मनाना**—14 सितम्बर, 1949 को हिन्दी संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में अपनायी गयी । नगर के प्रत्येक कार्यालय में इस ऐतिहासिक घटना की याद में दिनांक 7 सितम्बर से 14 सितम्बर, 1984 तक हिन्दी सप्ताह मनाया जाय । सप्ताह के दौरान हिन्दी कार्यशालाएं, संगोष्ठियां, हिन्दी वाद-विवाद, निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकती हैं । कार्यालयों में रचनात्मक वातावरण बनाने के लिए निम्नलिखित विवरण के बैनर भी प्रदर्शित किये जा सकते हैं :—

1. हिन्दी संविधान द्वारा प्रतिष्ठित संघ की राजभाषा है हिन्दी का सम्मान, संविधान का सम्मान
2. बोल-चाल की सरल हिन्दी का प्रयोग कीजिए ।
3. हिन्दी में काम करना आसान है । एक बार शुरू करके तो देखिए ।
4. राजभाषा अधिनियम तथा राजभाषा नियम 1976 की व्यवस्थाओं का अनुपालन कीजिए ।

हिन्दी सप्ताह के दौरान आयोजित कार्यक्रमों पर एक रिपोर्ट नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को भिजवायी जाय, ताकि राजभाषा विभाग नई दिल्ली को तदनुसार सूचित किया जा सके ।

5. समिति के सामने निम्नलिखित बातें सदस्य कार्यालयों की सूचना और आवश्यक कार्यवाही के लिए रखी गयी :—

(क) **राजभाषा विभाग द्वारा लागू हिन्दी में मूल नोट/ड्राफ्ट लिखने के लिए नकद पुरस्कार योजना –**

(क) राजभाषा विभाग द्वारा लागू हिन्दी में मूल नोट/ड्राफ्ट लिखने के लिए नकद पुरस्कार योजना– समिति को योजना की जानकारी दी गयी । यह नोट किया गया कि राजभाषा विभाग, नई दिल्ली

चित्र समाचार

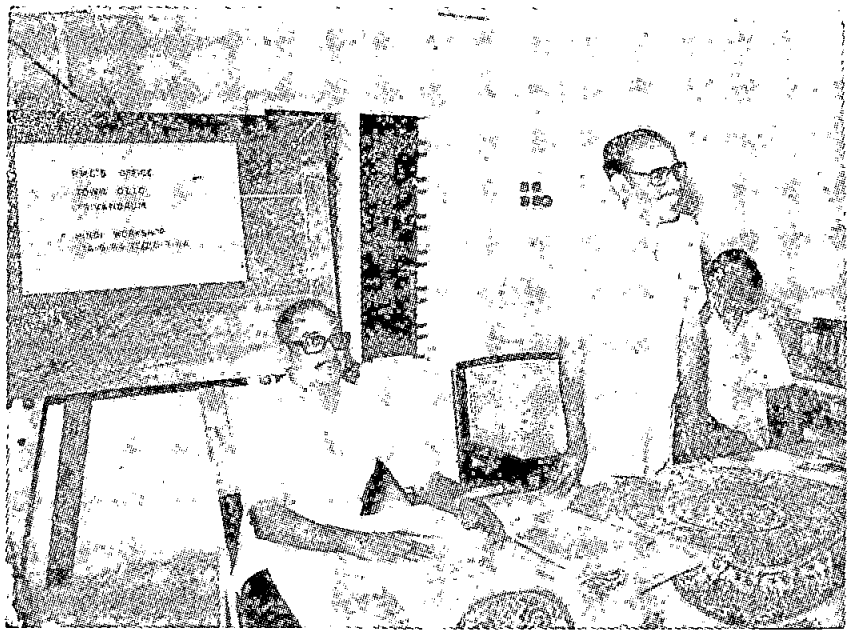

केरल डाक परिमंडल कार्यालय में तिरुवनंतपुरम नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा आयोजित हिन्दी कार्यशाला में डाक सेवा निदेशक श्री एम. तोमस वर्गीस उद्घाटन भाषण देते हुए । समिति के सचिव श्री डी. कृष्णपणिक्कर (बायें) तथा सहायक डाकसेवा निदेशक श्री एस. कृष्ण पै (दायें) बैठे हुए हैं ।

पंजाब नेशनल बैंक, अंचल कार्यालय, पटना द्वारा आयोजित हिन्दी दिवस के अवसर पर वाद-विवाद प्रतियोगियों के बीच राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री देवेन्द्रचरण मिश्र (बाँए से दूसर बैठे हुए) ।

नागरी प्रचारिणी सभा, नई दिल्ली में तुलसी जयंती समारोह के अवसर पर अध्यक्षीय पद से बोलते हुए विदेश राज्य मंत्री श्री रामनिवास मिर्धा, उनके दांये —(1) रत्नाकर पाण्डेय, संयोजक, ना. प्र. सभा, श्री एच. एम. बेग, अल्प संख्यक आयोग के अध्यक्ष, श्री सुधाकर पाण्डेय, प्रधान मंत्री, नागरी प्रचारिणी सभा व संसद सदस्य एवं श्री किरीट जोशी, शिक्षा सलाहकार भारत सरकार ।

भारत मौसम विज्ञान कार्यालय में आयोजित हिन्दी दिवस समारोह के अध्यक्ष श्री क्षेमचन्द्र सुमन का स्वागत करती हुई हिन्दी अनुभाग की श्रीमती एम. अनुराधा । साथ में (बैठे हैं) श्री एस. के. दास, मौसम विज्ञान के महानिदेशक ।

बैंक आफ इंडिया द्वारा आयोजित वरिष्ठ अधिकारियों के लिए कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए गुजरात सरकार के शिक्षा एवं गृह मंत्री श्री प्रबोध रावल । चित्र में (दायें से बायें) आंचलिक प्रबन्धक, श्री ए. के. श्राफ, महाप्रबन्धक, श्री नन्दकुमार परुलेकर, आचार्य भगवानदेव, संसद सदस्य, एवं मुख्य प्रबन्धक श्री के. के. श्रीधर ।

पश्चिम रेलवे, कोटा मंडल द्वारा आयोजित हिन्दी सप्ताह समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के पद से अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए डा. कन्हैयालाल शर्मा, यू. जी. सी. प्रोफेसर । उनके दाएं—मंडल राजभाषा अधिकारी एवं अपर मंडल, रेल प्रबन्धक श्री अवतार सिंह एवं श्री तारा चन्द्र, हिन्दी अधिकारी ।

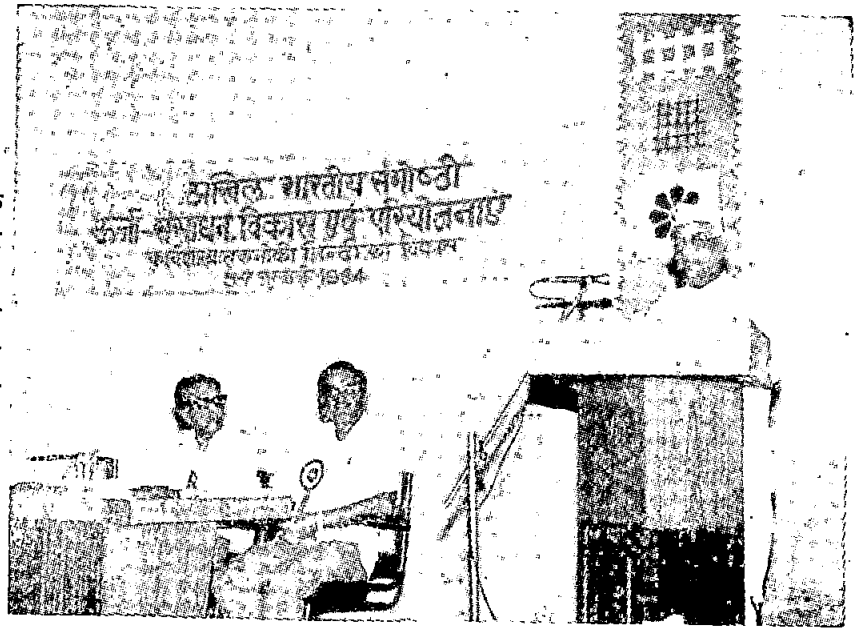

"ऊर्जा-संस्थान विकास ए. परियोजनाएं" के तत्वावधान में "तकनीकी हिन्दी का विकास" विषय पर हिन्दी कार्यशाला के आयोजन के अवसर पर प्रो. भरतसिंह, उप कुलपति, रुड़की विश्वविद्यालय, डा. नटवर जी दवे, उप निदेशक, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की और भाषण देते हुए प्रो. वासुदेव सिंह उत्तर प्रदेश के आबकारी एवं मद्यनिषेद्ध मंत्री।

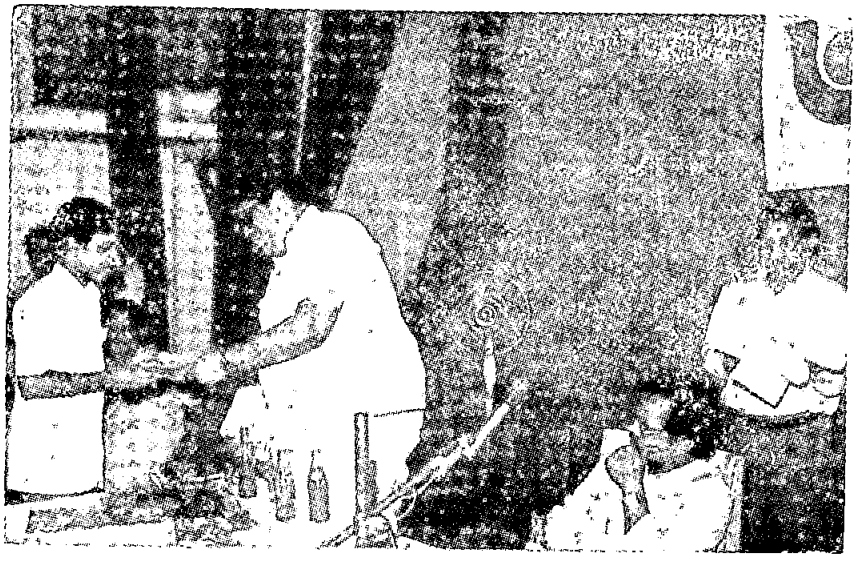

पटना स्थित पंजाब नेशनल बैंक में "हिन्दी दिवस" के अवसर पर पटना अंतर बैंक वाद-विवाद प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार देते हुए श्री देवेन्द्र चरण मिश्र, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग।

कार्पोरेशन बैंक, प्रधान कार्यालय, मंगलूर में द्वितीय राजभाषा अधिकारी सम्मेलन के उद्घाटन समारोह के अवसर पर (बाएं से दाएं) उप महाप्रबन्धक, श्री के. आर. राममूर्ति, उप महाप्रबन्धक, श्री के. आर. शेणि, महा-प्रबन्धक व अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति श्री टी. वी. राव (बोलते हुए), सहायक महा प्रबन्धक, श्री वी. एन. भट्ट तथा कर्मचारी प्रशिक्षण विद्यालय के प्राचार्य श्री एस. आर. मल्लया।

केनरा बक के संसद मार्ग, नई दिल्ली कार्यालय में हिन्दी दिवस समारोह में बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव एवं केनरा बैंक के निदेशक श्री वी. के. सिब्बल, मुख्य अतिथि के रूप में तथा श्री जगदीश सेठ, उप निदेशक (हिन्दी) प्रमुख वक्ता के रूप में ।

बम्बई महानगर में हिन्दी सप्ताह के अवसर पर दिनांक 14 सित० 84 को पूर्व संध्या को उद्घाटन भाषण करते हुए महाराष्ट्र विधान सभा के अध्यक्ष श्री शरद दिघे । उनके दायीं ओर सप्ताह समिति के अध्यक्ष श्री हरिशंकर तथा बायीं ओर उपकुलपति डा० ज्योति त्रिवेदी एवं हिन्दी विभागाध्यक्ष डा० उमा शुक्ला ।

गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग में दिनांक 12-9-84 से 22-9-84 तक आयोजित हिन्दी कार्यशाला के उद्घाटन समारोह के अवसर पर भाषण करते हुए श्री रमेश ग्रोवर, संयुक्त सचिव । साथ श्रीमती माधुरी अग्रवाल, हिन्दी अधिकारी, श्री हरजीत सिंह, में वरिष्ठ सूचना एवं प्रचार अधिकारी तथा राजभाषा विभाग के उप-सचिव श्री गोविन्द दास बेलियां ।

के दिनांक 25-5-84 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-11/12013/1/84-रा. भा. (क-2) के जरिए लागू उक्त योजना का परिचालन नगर के सभी सदस्य-कार्यालयों में कर दिया गया है। इस संबंध में सदस्य कार्यालय आवश्यक कार्यवाही करें।

(ख) रेलवे स्टाफ कालेज ने 95.9 प्रतिशत निर्धारित दस्तावेज हिन्दी और अंग्रेजी में जारी किए हैं।

(ग) केन्द्रीय उत्पादन और सीमा शुल्क ने 40 प्रतिशत पत्र मूलतः हिन्दी में भेजने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। यह लक्ष्य उन्होंने अग्रेषण पत्र-अनुस्मारक और इसी तरह के अन्य रूटिन पत्र हिन्दी में भेज कर सिद्ध किया है। यूनियन बैंक आफ इंडिया ने भी हिन्दी मूल पत्र-व्यवहार का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। रेलवे स्टाफ कालेज, आकाशवाणी, कम-से-कम 40 प्रतिशत मूल पत्र हिन्दी में भेजने का प्रयास कर रहे हैं।

(ड) केन्द्रीय उत्पादन और सीमा शुल्क सभी श्रेणियों के सरकारी चैक हिन्दी में जारी कर रहे हैं।

(ण) पैट्रोलियम कोआपरेटिव्स लिमिटेड, यूनियन बैंक आफ इंडिया और इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड हिन्दी में आवधिक पत्रिकाएं प्रकाशित कर रहे हैं।

चन्द्र गोपाल शर्मा, सचिव
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

नागपुर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नागपुर की बैठक का आयोजन दिनांक 30 जुलाई, 1984 को किया गया। इस बैठक में सर्वश्री ले. कर्नल अनिल कुमार टक्ले, ब्रिगेड आफ दि गार्ड प्रशिक्षण केन्द्र, कामठी मेजर रा. ज. जैन, स्टेशन हैडक्वार्टर्स (मुख्यालय), कामठी, कप्तान संदीप कुमार, राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रशिक्षण स्कूल कामठी, नारायण सिंह नेगी, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, नागपुर, गो. न. नन्देश्वर, स्टेशन प्रबंधक इंडियन एयरलाइंस, के. डी. बनर्जी, अधीक्षण पुरातत्वविद, शिवनन्दन लाल सक्सेना, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षामण्डल, बी. एस. कस्तूरिया, पावर इंजीनियर प्रशिक्षण सोसायटी, प्र. मु. मिशीकर, राष्ट्रीय बचत संगठन, शरच्चन्द्र पुरुषोत्तम हरदास, तिलकधारी सिंह, भारत सरकार पर्यटक कार्यालय, ह. घागुड़े, इलाहाबाद बैंक, टी. एन. सेतुमाधवन, बैंक आफ बड़ौदा, एल. के. दोशी, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, अमजद अली खां, भारत अर्थमूवर्स के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

इस बैठक में उपस्थितों के विषय में उल्लेखनीय है कि अधिकांश सदस्य कार्यालयों के उच्च अधिकारी स्वयं उपस्थित थे। अनेक ऐसे कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी भी उपस्थित थे जिनके मुख्यालय नागपुर से बाहर हैं और वे वहां से अपने नागपुर स्थित कार्यालयों में हिंदी संबंधी गतिविधियों को नियंत्रित एवं विनियमित करते हैं।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री बि. जे. चाको ने सभी आगंतुकों का हार्दिक स्वागत किया और बड़ी संख्या में सदस्य कार्यालयों की उपस्थिति पर हर्ष व्यक्त किया। उन्होंने श्री केदारनाथ जी, आयकर आयुक्त, विदर्भ, नागपुर से बैठक की अध्यक्षता करने का अनुरोध किया जिसे आयकर आयुक्त महोदय ने स्वीकार कर लिया।

इस बैठक में हुई परिचर्चा के आधार पर यथोचित कार्रवाई पूरी लगन, निष्ठा और गंभीरता के साथ की जाएगी। सदस्य-सचिव के इस कथन पर सभी ने हर्ष प्रकट किया। भारतीय जीवन बीमा निगम, पंजाब नेशनल बैंक आदि अनेक कार्यालयों पर राष्ट्रीय अकादमी के निदेशक एवं नगर समिति के अध्यक्ष तथा नगर-समिति के सदस्य-सचिव को इस बात के लिए बधाई दी कि पिछले एक वर्ष में नागपुर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति अत्यधिक सक्रिय हुई है। प्रेस सूचना अधिकारी श्री हरीश कांबले ने आशा व्यक्त की कि इस सक्रियता को निरंतर बनाए रखा जाएगा।

श्री गोविंद दास बेलिया, उप सचिव, राजभाषा विभाग ने वार्षिक कार्यक्रम के उद्देश्य और लक्ष्यों को सविस्तार स्पष्ट किया। उपसचिव महोदय ने जोर देकर इस बात को दोहराया कि इस कार्यक्रम पर अमल करने और अमल कराने की पूरी जिम्मेदारी सीधे विभागाध्यक्ष और कार्यालय अध्यक्ष की है। यह कार्यक्रम संसद के संकल्प के अनुरूप प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में बनी समिति ने बनाया है। उन्होंने कुछ कार्यालयों द्वारा पिछले वर्ष के कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य पूरे न करने पर खेद प्रकट किया और आशा व्यक्त की कि सभी कार्यालय वर्तमान कार्यक्रम निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त परिश्रम करेंगे।

कार्यक्रम योजना—सदस्य सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि (क) प्रतिशता के स्थान पर कार्य विशेष को हिंदी में करने पर जोर होना चाहिए, (ख) वार्षिक कार्यक्रम सभी मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों अथवा नगर समितियों के सहयोग से बनाया जाना चाहिए तथा नगर को इकाई माना जाना चाहिए, (ग) अधिसूचित कार्यालयों के लिए विशेष लक्ष्य निश्चित किए जाने चाहिए, और (घ) क्षेत्रवार कार्यक्रम बनाने की वर्तमान प्रणाली पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। राजभाषा विभाग से इन सुझावों पर विचार करने का अनुरोध किया गया।

उपस्थित प्रतिनिधियों ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

प्रोत्साहन योजना—सदस्य सचिव ने राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/12013/1/84-रा. भा. (क-2), दिनांक 25 मई, 1984 द्वारा प्रतिपादित योजना की सविस्तार चर्चा की। उन्होंने सभी प्रतिनिधियों से अपील की कि वे इस योजना का लाभ सभी कर्मचारियों तक पहुंचाएं। सरकारी क्षेत्र के बैंक/उपक्रम से भी सिफारिश की गई कि वे इस योजना को अपना लें।

प्रोत्साहन में एकरूपता––भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि श्री तंवर ने प्रोत्साहन योजनाओं की विसंगतियों पर सविस्तार प्रकाश डाला और सभी प्रोत्साहन योजनाओं की एकरुपता पर बल दिया। विचार-विमर्श के बाद तय हुआ कि भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों उपक्रमों तथा केन्द्र सरकार के कार्यालयों के सहयोग से एक सारगर्भित "पेपर" तैयार करें ताकि उसे राजभाषा विभाग के विचारार्थ भेजा जा सके। श्री तंवार ने इस पर सहमति व्यक्त की।

इस बात पर आम सहमति व्यक्त की गई कि प्रोत्हासन योजनाओं को वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल आकर्षक बनाने की आवश्यकता है।

मानदेय

सभी सदस्य इस बात पर एकमत थे कि कार्य शाला के व्याख्यानों/हिन्दी के अन्य कार्य कलापों पर दी जाने वाली मानदेय की राशि बहुत कम है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के प्रतिनधि श्री नन्दकिशोर मालवीय से अनुरोध किया कि वे इसका अध्ययन कर एक प्रस्ताव तैयार करें। श्री मालवीय ने इसे स्वीकार कर लिया।

स्थायी वेतन वृद्धियां–

समिति का ध्यान आकृष्ट किया गया कि विभिन्न विभागीय परीक्षाएं पास करने पर एडवांस इन्क्रीमेंट दिए जाते हैं। हिन्दी संबंधी विभिन्न परीक्षाएं पास करने पर विभागीय परीक्षा पास करने पर मिलने वाले लाभ मिलने चाहिए। राजभाषा विभाग से अनुरोध किया गया कि वे इस पर गंभीरता से विचार करें।

हिन्दी कक्षों का सर्जन–

इस पर अनेक सदस्यों ने गंभीर असंतोष प्रकट किया। समिति ने महसूस किया कि सभी कार्यालयों में हिन्दी कक्षों की स्थापना की जानी चाहिए।

मुख्य अतिथि ने हस्तक्षेप करते हुए यह व्यवस्था दी कि ये अनुदेश मार्ग दर्शी हैं। सभी कार्यालयों को चाहिए कि वे अपनी यथार्थ आवश्यकताओं का मूल्यांकन करें और समुचित प्रस्ताव अपने प्रशासनिक/मंत्रालय को भेजें। उन्होंने सभी उचित प्रस्तावों को राजभाषा विभाग के समर्थन का आश्वासन दिया।

किसी भी कार्यालय में हिन्दी टाइपिस्ट की न्यूनतम आवश्यकता है। मुख्य अतिथि का मत था कि इस बारे में किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उन्होने पुनः स्पष्ट किया कि संबद्ध कार्यालय अपने प्रस्ताव सामान्य माध्यम से अपने-अपने प्रशासनिक मंत्रालयों को भेजें। यदि कार्यक्रमों पर अमल करने में बाधा आती है तो राजभाषा विभाग अवश्य सहायता करेगा तथापि हम सभी को देश की आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखना है।

बैंकों में हिन्दी पद–

अनेक बैंकों के प्रतिनिधियों ने वर्तमान व्यवस्था पर अपनी अप्रसन्नता जाहिर की। समिति ने इस बात को गंभीरता से महसूस किया कि बैंकों में हिन्दी अनुवादकों के पद बनाए जाएं और हिन्दी अधिकारियों को,खासकर जोनल या एरिया आफिस में––हिन्दी आशुलिपिक देने पर विचार किया जाए आर्थिक कार्य विभाग के बैंकिंग प्रभाग/बैंक मैनेजमेंट से अनुरोध किया गया कि वे बैंक के हिन्दी अधिकारियों की यथार्थ आवश्यकताओं और न्यूनतम भौतिक सुविधाओं की ओर ध्यान दें। भारतीय स्टेट बैंक से अनुरोध किया गया कि वे वर्तमान व्यवस्था में समुचित परिवर्तन करें। और रीजनल स्तर पर अन्य बैंकों की तरह पूर्ण कालिक हिन्दी अधिकारी की नियुक्ति करें।

वेस्टर्न कोल फील्डस–

इस कम्पनी के विस्तृत कार्य क्षेत्र और कार्य की विविधता को देखते हुए वहां वरिष्ठ स्तर के हिन्दी अधिकारी की आवश्यकता महसूस की गई। आशा है, संबंधित मैनेजमेंट इस पर समुचित विचार करेगा।

अन्य संस्थान–

रिचर्डसन एण्ड ब्रडाज जैसे संस्थानों को इस दिशा में सक्रिय रूप से विचार करना चाहिए ताकि वर्तमान अधिकारी को आवश्यक न्यूनतम सुविधाएं मिल सकें।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति :–

इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की गई कि पिछली बैठक में हुई परिचर्चा के अनुरूप भारतीय जीवन बीमा निगम, आदि में समितियों का पुनर्गठन हुआ है। इस बात पर जोर दिया गया कि राजभाषा विभाग के अनुदेशों के अनुरुप इस समिति के प्रत्येक कार्यालय में यथा आवश्यकता इस प्रकार पुनर्गठित कर लिया जाए :

अध्यक्ष : विभाग-अध्यक्ष (छोटे कार्यालय में कार्यालय प्रमुख)
सदस्य : (1) प्रत्येक विभाग प्रभाग अनुभाग का प्रमुख।
(2) हिन्दी के कार्य में संलग्न अधिकारी कर्मचारी आदि।
सदस्य सचिव : यह भार हिन्दी अधिकारी अथवा हिन्दी अधिकारी के अभाव में किसी अन्य अधिकारी को सौंपा जाए।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति डिवीजनल स्तर पर भी गठित की जाएं। 25 कर्मचारियों की संख्या एकदम रिजिड नहीं है।

नगर-समिति द्वारा स्थापित स्थायी उपसमितियां–

समिति ने स्थायी उप-समितियों की आवश्यकता और उपयोगिता की पुष्टि की। मुख्य अतिथि के अलावा भारतीय जीवन बीमा निगम, टेलिफोन्स, रेलवे पंजाब नेशनल बैंक, आदि ने अपना जोरदार समर्थन दिया।

भारतीय खान ब्यूरो के प्रतिनिधि द्वारा उठाए गए तर्कों को समिति ने एकमत से स्वीकार कर दिया। उप सचिव महोदय ने सुझाव दिया कि भारतीय खान ब्यूरो की अध्यक्षता में गठित उप-समिति की बैठक समय-समय पर बुलाई जानी चाहिए। उन्होंने इन उप-समितियों के कार्यों की सराहना की।

सदस्य सचिव ने विस्तृत ब्यौरा देते हुए निवेदन में बताया कि इन उप-समितियों के कारण हिन्दी के विकास की दिशा में कितनी प्रगति हुई है। पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पनी में प्रतिपादित किया कि छोटी-छोटी उप-समितियों से कायन्वियन अच्छा होता है। नगर-समिति की बैठक वर्ष में केवल दो बार होती हैं। उप-समिति यथा-सुविधा 3-3, 4-4 मास के अंतराल से मिल सकती हैं। उप-समिति की बैठक कब हो उप-समिति के अध्यक्ष को तय कर लेना चाहिए।

नगर-समिति–

नगर समिति की सक्रिय गतिविधियों पर सभी प्रतिनिधियों ने प्रसन्नता व्यक्त की और अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव को बधाई दी। सदस्य-सचिव ने अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की।

हिन्दी शिक्षण और हिंदी टाइपिंग/स्टेनोग्राफी प्रशिक्षण–

परिचर्चा का शुभारंभ श्री सर्वदेव मिश्र, हिन्दी अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक ने किया। श्री मिश्र ने प्रशिक्षण को कार्यान्मुख बनाने पर बल दिया।

पीठासीन अधिकारी श्री केदारनाथ ने हिन्दी शिक्षण योजना की सहायक निदेशक श्रीमती जे वनर्जी को विशेष रुप से आमंत्रित किया। यह महसूस किया गया कि हिंन्दी शिक्षण योजना का नागपुर कार्यालय उपेक्षा-सी महसूस करता है। श्री केदारनाथ जी ने मुख्य अतिथि से आग्रह किया वे इस ओर तत्परता से ध्यान दें।

परिचर्चा के दौरान यह बात उभर कर सामने आई कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी सीखने वाले अधिकारी कर्मचारी नहीं के बराबर हैं। यही स्थिति कमोवेश बैंकों और दूसरे सरकारी उपक्रमों में भी है। कुछ उपक्रमों का मत था कि ये योजना उनके लिए विशेष लाभकारी नहीं है।

राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी के प्रतिनिधि ने शिकायत की कि हिंन्दी शिक्षण योजना की सुविधाएंआम आदमी को नहीं मिल पा रही हैं। फलतः कुछ प्रोबेशनरों को प्राईवेट परीक्षा देनी पड़ी है। हिन्दी शिक्षण योजना के प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया 8-8, 10-10 लोगों के लिए प्राध्यापक देना संभव नहीं है।

राजभाषा विभाग की ओर से आश्वासन दिया गया कि नगर में शीघ्र हिन्दी स्टेनोग्राफी टाइपिंग का केंन्द्र खोल दिया जाएगा।

श्री पेढारकर, हिंन्दी अधिकारी ने आग्रह किया कि भोपाल की तरह व्यवस्था यहां भी की जाए। हिन्दी शिक्षण योजना के प्रतिनिधि से अनुरोध किया गया कि वे विचारविमर्श कर एक प्रस्ताव राजभाषा विभाग को भेजें।

आयकर आयुक्त श्री केदारनाथ ने घोषणा की कि आयकर विभाग में सुलभ सुविधा सभी को उपलब्ध हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रस्तावित केंद्र आयकर भवन में चलाया जा सकता है। श्रीमती जे. बेनर्जी से अनुरोध किया गया कि वे इस प्रस्ताव पर आयकर आयुक्त महोदय से मिलें और इसे अमल में लाएं।

पंजाब नेशनल बैंक और बैंक आफ इंडिया के प्रतिनिधियों ने भर्ती के समय हिन्दी ज्ञान की अनिवार्यता पर बल दिया। यद्यपि यह प्रस्ताव विचारणीय है पर वतमान परिस्थितियों में इसे स्वीकार करना कठिन है तथापि पंजाब नेशनल बैंक इस बारे में अपना प्रस्ताव तैयार करे।

विभागीय परीक्षाओं में हिन्दी–

एक गंभीर प्रश्न है। परिचर्चा के बाद तय हुआ कि (क) रिजर्व बैंक, (ख) बैंक आफ इंडिया और (ग) पंजाब नेशनल बैंक के प्रतिनिधि इस पर गंभीर रूप से विचार विमर्श करें वे यथा आवश्यकता अन्य कार्यालयों के प्रतिनिधियों से भी मंत्रणा करें। रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि से अनुरोध किया गया कि वे इस मामले में अगुआई करें। सदस्य सचिव ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

हिन्दी दिवस का आयोजन–

केन्द्रीय भूजल परिषद के प्रस्ताव पर गंभीर चर्चा हुई। आम मत यह था कि इस निमित्त व्यय "आफिस एक्सपेंडीचर" से किया जा सकता है। वर्ष 1984 में हिन्दी दिवस सभी कार्यालय अपने-अपने यहां मनाएं। आगामी वर्ष सामूहिक कार्यक्रम पर विचार किया जा सकता है।

प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए हिन्दी संकाय–इस विषय पर संक्षिप्त चर्चा हुई। सदस्य-सचिव का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया कि इस पर मद संख्या के साथ ही विचार कर लिया जाए इस निमित्त केन्द्रीय भूजल परिषद्, आयकर विभाग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक आफ इंडिया और बैंक आफ महाराष्ट्र के प्रतिनिधियों के सहयोग का आह्वान किया। संयोजन का भार वहन करने का सर्वदेव मिश्र, हिन्दी अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक से अनुरोध किया गया।

हिंन्दी कार्यशालाएं-विचार-विमर्श के बाद यह महसूस किया गया कि हिंन्दी कार्यशालाओं का आयोजन इस वर्ष प्रत्येक कार्यालय को करना चाहिए। सदस्य कार्यालय अपनी सुविधानुसार पूर्णकालिक अथवा अशंकालिक कार्यशालाओं का आयोजन कर सकते हैं। मुख्य अतिथि ने स्पष्ट किया कि राजभाषा विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। हिंन्दी कार्यशालाओं का नियमित आयोजन अनिवार्य अवाश्यकता है।

सदस्य सचिव ने आग्रह किया कि इस वर्ष इस कार्य शाला में अधिक से अधिक कर्म चारियों को शामिल करने का प्रयास होना चाहिए।

भारत पैट्रोलियम द्वारा तैयार सामग्री–श्री श्याम सुंदर शर्मा, हिन्दी अधिकारी ने चर्चा में भाग लते हुए अपने संस्थान के अनुभव और उपलब्धियों की जानकारी दी। श्री शर्मा ने इस निमित्त अपने यहां तैयार की गई सामग्री अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत की। अध्यक्ष महोदय ने श्री शर्मा के प्रयासों की सराहना की तथा अन्य हिन्दी अधिकारियों को भी इस प्रकार के प्रयास करने की प्रेरणा दी।

समिति सचिवालय को सहायता–यह बात तीव्रता से अनुभव की गई कि नगर–समिति के बैठकों के संयोजन एवं आयोजन के लिए समुचित स्टाफ और वित्तीय सहायता दिया जाना अपरिहार्य है। मुख्य अतिथि ने समिति की भावना से सहमति व्यक्त करते हुए आश्वासन दिया कि इस दिशा में जल्दी ही कुछ किया जाएगा।

हिन्दी के पद–सभी कार्यालयों के लिए समान संवर्ग बनाया जाना चाहिए और हिन्दी कर्मियों की प्रोन्नति के समुचित अवसर होने चाहिए। वर्तमान में इनका नितांत अभाव है।

किसी भी विभाग अथवा कार्यालय के मुख्यालय पर वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी तथा क्षेत्रीय कार्यालय में हिन्दी अधिकारी होना चाहिए । इस निमित्त समुचित "कैरियर प्लानिंग" की जानी चाहिए ।

नागपुर में केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो की शाखा और कार्यान्वयन पक्ष में क्षेत्रीय कार्यालय खोलना :— सदस्य-सचिव ने नागपुर की भाषायी स्थिति और ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि का उल्लेख करते हुए प्रस्ताव रखा कि नागपुर में (क) कार्यान्वयन पक्ष में क्षेत्रीय कार्यालय, और (ख) केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो की शाखा खोली जाए । समिति ने सर्व सम्मति से इस प्रस्ताव को करतलध्वनि के बीच अपनी स्वीकृति प्रदान की । राजभाषा विभाग से आग्रह किया गया कि वे उपर्युक्त कार्यालयों को बम्बई में खोलने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करें । मुख्य–अतिथि ने आश्वासन दिया कि नागपुर की भावना से राजभाषा विभाग को अवगत करा देंगे ।

आयकर विभाग की ओर से प्राप्त सुझावों को पीठासीन अधिकारी के निदेश पर सदस्य सचिव ने प्रस्तुत किया । वे नीचे दिए हैं ।

महाराष्ट्र राज्य की टाईपिंग परीक्षा को मान्यता :—मुख्य अतिथि ने स्पष्ट किया कि सरकार राजभाषा विभाग द्वारा हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन आयोजित परीक्षाओं को मान्यता देती है । फिलहाल इस नीति में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

हिन्दी अधिकारियों को विभागीय प्रशिक्षण :—सभी इस बात पर सहमत थे कि हिन्दी अधिकारियों को विभागीय कामकाज का समुचित प्रशिक्षण दिया जाए । इस विषय में संबंधित कार्यालय अपना प्रस्ताव अपने शासनिक मंत्रालयों के सामने रखें । राजभाषा विभाग की ओर से आश्वासन दिया गया कि वे ऐसे किसी भी प्रस्ताव को समुचित समर्थन देंगे ।

हिन्दी संबंधित पदों पर कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को पदोन्नति :—आयकर विभाग से अनुरोध किया गया कि वे अपनी सुस्पष्ट योजना राजभाषा विभाग को विचारार्थ भिजवा दें ।

नकद पुरस्कार योजना में संशोधन :—आयकर विभाग से अनुरोध किया गया कि वे "वैकल्पिक ढांचे" का प्रारुप राजभाषा विभाग को भिजवा दें ।

हिन्दी कार्यशाला योजना में आशोधन :—स्पष्ट किया गया कि सभी कार्यालय अपनी–अपनी आवश्यकताओं के अनुसार समुचित फेरबदल करने के लिए सक्षम एवं स्वतंत्र है ।

मुख्य अतिथि ने बैठक में उठे मुद्दों को प्रासंगिक बताया और राजभाषा विभाग की आर्थिक कठिनाइयों का उल्लेख किया । उन्होंने आश्वासन दिया कि राजभाषा विभाग इस सभी बातों पर अवश्य ध्यान देगा । उन्होंने कहा कि हिन्दी के कार्य को हमें अपना नैतिक दायित्व समझते हुए आगे बढ़ाना चाहिए । उन्होंने आग्रह किया कि सभी कार्यालय अपनी रिपोर्ट समिति सचिवालय को अवश्य भेज दें ताकि बैठक में प्रगति का सही चित्र उभर कर सामने आ सके ।

अध्यक्ष पद से बोलते हुए आयकर आयुक्त श्री केदारनाथ जी ने इस बैठक में उपस्थिति पर विशेष प्रसन्नता व्यक्त की और आयोजकों का साधुवाद किया । उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम से वर्तमान युग पर विहंगम दृष्टि डालते हुए इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान आयोजन के माध्यम से हम अपने राष्ट्रीय कर्तव्य की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं । हिन्दी का विकास और भारतीय भाषाओं का विकास हमारा राष्ट्रीय संकल्प है और इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें आगामी पीढ़ियों का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए । उन्होंने ले. कर्नल टकले और मेजर जैन का विशेष रूप से साधुवाद किया जो इस राष्ट्रीय यज्ञ में शामिल हुए ।

आयकर आयुक्त महोदय ने आयकर विभाग की ओर से आश्वासन दिया कि हिन्दी के विकास में सभी कार्यालयों को उनका पूर्ण समर्थन और सहयोग सदा मिलता रहेगा ।

यह बठक लगभग तीन घंटे चली । सदस्य-सचिव के आभार प्रदर्शन के पश्चात बैठक विसर्जित हुई ।

राज किशोर
सदस्य सचिव

भोपाल

विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी, भोपाल की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठक दिनांक: 16-8-1984 को अपराह्न 3.00 बजे सहायक केन्द्र निदेशक, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी, भोपाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई । इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :—

(1) श्रीमती उर्वशी जोशी,
(2) श्री जी. सुब्रह्मणियम,
(3) श्रीमती (डा.) एन जयलक्ष्मीअम्माल,
(4) श्री बी. एन. बोस,
(5) श्री सी. एल. ठाकुर,
(6) श्रीमती ओ. ए. कुट्टी,
(7) श्री एच. ओ. कुलभास्कर,
(8) श्री यू. एस. आतराम,
(9) श्री एस. आर गजभिए,
(10) श्रीमती सावित्री एम. करूप,
(11) श्री एम. एस. काम्बले,
(12) श्री प्रकाश चन्द मालवीय,
(13) श्रीमती अन्नम्मा वर्गिश,
(14) श्री हैरमन तिग्गा,
(15) श्री आर. एल. मना,
(16) श्री के. पी. तिवारी,
(17) श्री जी. एस. ठाकुर,
(18) श्री दिनेश राठी,
(19) श्री चन्दशेखर मंगाले ।

अध्यक्ष महोदया ने सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत कर बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की। पिछली बैठक का कार्यवृत्त उपस्थित सभी सदस्यों को पढ़ कर सुनाय गया तथा सभी सदस्यों को पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही से अवगत कराया गया।

बैठक में रखे गए मुख्य-मुख्य प्रस्ताव तथा लिए गए निर्णय :

(1) सभी उप-विभागों में हिन्दी में प्राप्त पत्रों तथा उन पर की गई कार्यवाही की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए विभाग प्रमुखों से रजिस्टर खोलने को कहा गया।

(2) सभी कर्मचारी अधिकारी, जो हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखते हैं, उनको अध्यक्ष महोदय ने सचेत किया कि वे अवकाश-आवेदन-पत्र हिन्दी में ही प्रस्तुत करें अन्यथा उन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(3) बैठक में यह भी निश्चित किया गया कि सभी फाइलों पर अंकित संख्या तथा लिखे गए वाक्य व फाइलों पर टिप्पणी हिन्दी में ही की जाये।

(4) दैनिक उपस्थिति रजिस्टरों पर हस्ताक्षर हिन्दी में किए जाने का प्रस्ताव रखा गया जिसका सर्वसम्मति से अनुमोदन हुआ।

(5) मुख्य-मुख्य हिन्दी समाचार पत्र तथा पत्रिकायें नियमित रूप से मंगवाने का निर्णय लिया गया।

(6) द्विभाषी रूप में सभी आदेश जारी करने को कहा गया साथ ही—हिन्दी अनुवादक की कमी महसूस की गई।

(7) उपस्थित सदस्यों को पुन: हिन्दी पुस्तकें पढ़ने का सुझाव अध्यक्ष महोदय द्वारा दिया गया। साथ ही अच्छी हिन्दी पुस्तकें खरीदने के लिए सदस्यों के सुझाव आमंत्रित किए गए।

(8) हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए उपस्थित सदस्यों से कहा गया कि वे सुझाव अध्यक्ष महोदया को दे सकते हैं

(9) अध्यक्ष महोदया ने उपस्थित सदस्यों से बीस-सूत्रीय कार्यक्रम से संबंधित हिन्दी रूपक, लेख तथा कहानी लिखने के लिए अहवान किया।

श्रीमती उर्वशी जोशी,
सहायक केन्द्र निदेशक (विज्ञापन)
विज्ञापन प्रसार सेवा, आकाशवाणी,
भोपाल।

नई दिल्ली

दिनांक 12-9-1984 को सांय 4.00 बजे समिति कक्ष में निदेशक महोदय की अध्यक्षता में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :—

(1) निदेशक

(2) उप-निदेशक

(3) डी. बी. एन. टण्डन, आचार्य तथा विभागाध्यक्ष, जठरान्त्ररोगविज्ञान विभाग

(4) डा. पी. उपाध्याय, आचार्य तथा विभागाध्य, शल्य-विज्ञान विभाग

(5) डा. ए. एन. सफाया, चिकित्सा अधीक्षक, अ. भा. आयु. सं.

(6) डा. ए. के. बनर्जी, आचार्य, तंत्रिकाशल्यविज्ञान विभाग

(7) डा. वाई. दयाल, आचार्य, डा. राजेन्द्र प्रसाद नेत्र-विज्ञान केन्द्र

(8) डा. जी. आर. गोडे, आचार्य तथा विभागाध्यक्ष, संवेदना-हरण विभाग

(9) श्री भुपिन्दर सिंह प्रशासन अधिकारी (नि. का.), अ. भा. आयु. सं.

(10) श्रीमती सरला प्रकाश, कल्याण अधिकारी, अ. भा. आयु. सं.

(11) श्री बी. के. दास, जन-सम्पर्क अधिकारी, अ. भा. आयु. सं.

(12) श्री दिनेश चन्द्र शर्मा, कार्यभारी अधिकारी, हिन्दी अनुभाग, अ. भा. आयु. सं.

(13) श्री गणेश चन्द्र थपल्याल, हिन्दी अनुवादक, हिन्दी अनुभाग।

सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय ने सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को महत्वपूर्ण बतलाते हुए कहा कि सरल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके बाद कार्य-सूची पर विचार-विमर्श हुआ।

अध्यक्ष ने आदेश दिया कि भविष्य में हिन्दी के प्रयोग के बारे में सरकारी नीति सम्बन्धी आदेशों की एक प्रति कल्याण अधिकारी (वेलफेयर आफिसर) को भी दी जाया करे।

प्रशासन अधिकारी (नि. का.) उन कर्मचारियों की एक सूची कार्यभारी अधिकारी हिन्दी अनुभाग को भेजें, जिन्हें हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत हिन्दी शिक्षण अपेक्षित है।

प्रशासन अधिकारी, कल्याण अधिकारी (वेलफेयर आफिसर) तथा कार्यभारी हिन्दी अधिकारी, इन तीनों की एक समीक्षा समिति (रिव्यू कमेटी) बनाई जाय, जो कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति के पिछले सभी कार्यवृत्त (मिनिट्स) सहित वर्तमान प्रस्तावों को अमल में लाने के बारे में समय-समय पर स्थिति का जायजा लेयें।

हिन्दी अनुभाग का कार्य केवल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के कार्यवृत्त (मिनिट्स) को जारी (सर्कुलेट) करना ही नहीं होना चाहिए बल्कि उनको अनुपालन करवाने में भी उचित कदम उठाने चाहियें। जो अधिकारी इसके अनुपालन में विलम्ब दिखाये उनका ब्यौरा उप-निदेशक (प्रशासन) को प्रस्तुत करना चाहिए।

कार्य-सूची में हिन्दी अनुभाग में कर्मचारियों की कमी पर विचार करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिए गए :—

(1) अगले दो मास, अक्तूबर, नवम्बर, 1984 के काम का बोझ (वर्क लोड) का विस्तृत ब्यौरा उप-निदेशक (प्रशासन) को प्रस्तुत किया जाय।

(2) हिन्दी अनुभाग द्वारा जिन फार्मों का अनुवाद किया गया था उनको निदेशक को प्रस्तुत किया जाये ।

(3) बैठक में निर्णय लिया गया कि तीन स्थानों पर स्थापना अनुभाग (एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन), चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय तथा डा. रा. प्र. नेत्रविज्ञान केन्द्र के लिये तीन हिन्दी अनुवादकों के पदो का सृजन करके उन्हें भरा जाए।

(4) बैठक में निर्णय लिया गया कि हिन्दी में कार्य करने के लिए केवल हिन्दी अनुवादक या हिन्दी अनुभाग पर ही निर्भर न रहें, बल्कि हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारी हिन्दी में स्वंय कार्य करें और हिन्दी अनुभाग से मार्गदर्शन (गाइडेंस) प्राप्त करें।

(5) बैठक में निर्णय लिया गया कि संस्थान के सभी आशुलिपिकों (स्टेनोग्राफरों), वैयक्तिक सहायकों तथा टाइपिस्टों को हिन्दी स्टेनोग्राफी तथा हिन्दी टाइपिंग का प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) चरणबद्ध (बेच वाइज) रूप से प्रदान करने की व्यावस्था की जाय। ऐसा करना भारत सरकार की नीति के अनुरूप होगा ।

(6) बैठक में निर्णय लिया गया कि संस्थान के 2280 कर्मचारियों में से 1613 को हिन्दी का कार्य-साधक ज्ञान प्राप्त है, लेकिन उन्हें हिन्दी में नोटिंग, ड्राफ्टिंग का प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) दिया जाना चाहिये, जिससे कि रुटीन किस्म का काम हिन्दी में करने के लिये प्रोत्साहित करके इस दिशा में सुधार लाने की कोशिश की जा सके ।

(7) बैठक में निर्णय लिया गया कि 'क' क्षेत्र के राज्य सरकारों/गैर सरकारी व्यक्तियों को सभी पत्र-व्यवहार हिन्दी में तथा 'ख' क्षेत्र में स्थित राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों आदि को यथासम्भव हिन्दी में ही पत्र-व्यवहार करने का भरसक प्रयास किया जाय। इस विषय पर अध्यक्ष महोदय ने प्रशासन अधिकारी से जोर देकर पूछा और इस दिशा में सख्ती से पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया।

(8) बैठक में निर्णय लिया गया कि चिकित्सा अधीक्षक को देखना चाहिये कि ओ. पी. डी. ब्लाक में कई स्थानों पर कठिन हिन्दी में साइन-बोर्ड आदि लगे हुए हैं और कहीं-कहीं उनकी स्पेलिंग भी ठीक प्रकार से नहीं हैं, उन्हें सरल भाषा में, तथा सही रूप में लिखवाने का प्रबन्ध करना चाहिए,

आगरा

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, आगरा की छठी बैठक. मण्डल प्रबन्धक, कैनरा बैंक के सौजन्य से दिनांक 25, अगस्त, 1984 को प्रातः 10.30 बजे होटल क्लार्क शीराज में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता माननीय श्री त्रिलोकी नाथ पाण्डेय आई. आर. एस. आयकर आयुक्त, आगरा ने की। उस बैठक में राजभाषा विभाग की ओर से उप निदेशक डा. मोती लाल चतुर्वेदी तथा आगरा स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/विभागों/बैंकों/निगमों के अधिकारियों ने भाग लिया ।

बैठक, केनरा बैंक के मण्डल-प्रबन्धक श्री पे. के. एन. कामथ के स्वागत् भाषणा से प्रारम्भ हुई। उन्होंने अध्यक्ष श्री त्रिलोकी नाथ पाण्डेय, राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि डा. मोती लाल चतुर्वेदी तथा समिति के समस्त सदस्यों का हार्दिक स्वागत करते हुए केनरा बैंक में हिन्दी की प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने अपने भाषण में यह बताया कि उनके यहां आगरा मण्डल में कार्यरत 48 शाखाओं में से 43 शाखाएं धारा–10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित की जा चुकी हैं, उनमें अधिकांश कार्य हिन्दी में हो रहा है। उसको देखते हुए ही वर्ष 1983 में 15 शाखाएं हिन्दी शाखाएं घोषित की गई हैं और इस वर्ष उनका लक्ष्य 25 शाखाएं घोषित करने का है, जिनमें समस्त कार्य हिन्दी में होता है। उनका विचार था कि हिन्दी मात्र इसलिए आवश्यक नहीं है कि सरकारी आदेश है, और इसलिए ही हमें हिन्दी में कार्य करना चाहिए, किन्तु आवश्यक है कि यह हमारे व्यवसाय की भाषा है, जनता की भाषा है। यदि हमें अपनी योजनाओं के बारे में जनता को जानकारी देनी है, अपने लेन-देन के व्यापार को बढ़ाना है तो जनभाषा अर्थात् हिन्दी अपनानी होगी। हमारा यह प्रयास रहा है कि बैंक हिन्दी प्रयोग की दिशा में अग्रणी रहे। उनका बैंक हिन्दी के प्रगामी प्रयोग हेतु समर्पित है।

भारतीय जीवन बीमा निगम के मण्डल प्रबन्धक श्री मोहन लाल जैन, सिंडीकेट बैंक के मण्डल प्रबन्धक श्री वी. दक्षिणामूर्ति, भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री विजय किरन पुष्प, हवाई वितरण एंव अनुसंधान विकास-संस्थापन के निदेशक श्री इन्द्रसेन गुप्त, 509 आर्मीबेस वर्कशाप के लैफ्टीनेन्ट कर्नल श्री नीलकंठप्पा, मध्य रेलवे के क्षेत्रीय अधीक्षक श्री आर. के. बंसल, केन्द्रीय जल आयोग अधिशाषी अभियन्ता श्री भगवान दास पटैरिया, प्रवर अधीक्षक श्री भूपाल सिंह शर्मा, पश्चिम रेलवे कोटा, अधीक्षक श्री श्याम लाल निर्भय कैनरा बैंक के राजभाषा अधिकारी श्री उपेन्द्र नारायण सेवक पाण्डेय और आयकर आयुक्त कार्यालय, आगरा के हिन्दी अधिकारी श्री रामचन्द्र मिश्र ने अपने कार्यालयों में हुई हिन्दी प्रगति पर प्रकाश डालते हुए अपने-अपने विचार प्रकट किए और आश्वासन दिया कि आगरा वर्ग क्रम के अनुसार जिस प्रकार पहले आता है, उसी प्रकार इस दिशा में भी आगे होगा ।

निदेशक श्री इन्द्रसेन गुप्त का कथन था कि प्रशासन के समस्त कार्यों में हिन्दी का प्रयोग आसानी से हो सकता है कठिनाई वैज्ञानिक और तकनीकी प्रकार के कार्यों में आ सकती है, किन्तु उसे भी प्रयत्न और अभ्यास से दूर किया जा सकता है। भारतीय जीवन बीमा निगम के मण्डल प्रबन्धक श्री मोहन लाल जैन ने बताया कि उनके यहां

अधिकांश कार्य हिन्दी में ही हो रहा है। सिंडीकेट बैंक के मण्डल प्रबन्धक श्री वी. दक्षिणामूर्ति ने सदस्यों से अनुरोध किया कि हमारी हिन्दी में काम करने की भावना स्वेच्छा से होनी चाहिए न कि सरकारी आदेशों पर अथवा प्रोत्साहन मिलने पर। उन्होंने अपने यहां के बारे में बताया कि मथुरा जिले की तीन-चार शाखाओं को हिन्दी में ही काम करने के निर्देश जारी कर दिये हैं और अपने यहां के हिन्दी अधिकारी को चैक प्वांइंट बनाया है। जब तक कि पत्र उनके राजभाषा अधिकारी नहीं देख लेते वे पत्रों पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं। वे राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में अत्यन्त सजग हैं। यह आश्वासन दिया कि आगे चल कर सिंडीकेट बैंक की स्थिति किसी से कम नहीं होगी।

भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री पुष्प ने अपने यहां की प्रगति में यह उल्लेख किया कि 1982-83 में केवल पांच शाखाएं ऐसी थीं, जो शत-प्रतिशत हिन्दी में कार्य कर रही थीं। आज 43 शाखाएं ऐसी हैं जो शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में कर रही हैं। मूल पत्राचार का प्रतिशत भी जो 1982-83 में 23 प्रतिशत था उसका प्रतिशत अब 55 है। समय-समय पर उनके यहां कार्यशालाएं भी आयोजित होती रही हैं और क्षेत्रीय प्रबन्धक तथा उनके राजभाषा अधिकारी बैंकों में जाकर निरीक्षण भी करते रहते हैं। मध्य रेलवे के क्षेत्रीय अधीक्षक श्री बंसल ने कहा कि दुनिया का प्रत्येक कार्य प्रत्येक भाषा में हो सकता है, यदि भावना हो तो। वह स्वंय राजभाषा विभाग में उपसचिव और केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो में निदेशक के पद पर रहे हैं। उन्होंने कभी कोई कठिनाई हिन्दी के प्रयोग में महसूस नहीं की। लैफ्टीनैन्ट कर्नल श्री नीलकंठप्पा ने कहा कि उनके यहां हिन्दी का प्रयोग होता है। कभी-कभी बोलने में गलतियां भी हो जाती हैं, जिनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। श्री भूपाल सिंह शर्मा, प्रवर अधीक्षक डाक ने हिन्दी के प्रयोग पर अधिक बल दिया और बताया कि उनके यहां डाक विभाग में अधिकांश कार्य हिन्दी में हो रहा है।

श्री रामचन्द्र मिश्र, ने आयकर विभाग की स्थिति बताई और उनके साथ ही समिति की गतिविधियों के बारे में भी बताया। 1982 में जो स्थिति थी आज उसमें बहुत बड़ा अन्तर परिलक्षित हो रहा है। आज जो स्थिति आगरा में आयकर विभाग के साथ-साथ आगरा नगर के अन्य कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग की बनी है, उसका श्रेय अध्यक्ष महोदय को है। यदि उनकी प्रेरणा और आर्शीवाद न मिला होता तो पूर्व-स्थिति ही बनी रहती। श्री चुन्नीलाल आय कर आयुक्त एंव श्री देवेन्द्र सिंह संधू आयकर आयुक्त ने सदैव-हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित ही किया है। इससे भी अधिक सौभाग्य की बात है कि श्री त्रिलोकी नाथ पाण्डेय, आई. आर. एस. आयकर आयुक्त ने केवल कर्मचारियों और अधिकारियों को हिन्दी के प्रयोग पर जोर दे रहे हैं अपितु स्वंय भी काफी कार्य हिन्दी में निपटा रहे हैं। प्रभाग में हिन्दी पुस्तकालय की स्थापना हुई। झांसी में कार्यशाला हुई और हिन्दी दिवस के अवसर पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए निर्देश दिये हैं। यह समिति सम्पर्क का कार्य भी कर रही है और विभिन्न प्रकार की जानकारी भी देती है। समिति के सचिव विभिन्न कार्यालयों में समय-समय पर गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वे समय-समय पर आयोजित की जाने वाली कार्यशालाओं, बठकों को भी व्यक्तिगत रूप से जाकर सहायता प्रदान करते रहे हैं।

इसके पश्चात् डा. चतुर्वेदी ने राजभाषा सम्बन्धी आदेशों के कार्यान्वयन के बारे में सदस्यों को जानकारी दी और यहां के कार्य की सराहना की कि आगरा में हिन्दी के प्रयोग का जो वातावरण बना हुआ है, वह उन्होंने कहीं भी नहीं देखा है। उन्होंने यह अनुभव किया कि हिन्दी का प्रयोग यहां निरन्तर बढ़ रहा है।

आयकर आयुक्त श्री त्रिलोकी नाथ पाण्डेय, आई. आर. एस. ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि मानसिक परिवर्तन के बिना हिन्दी को राजभाषा का स्थान दिलाने के लिए न कोई आदेश, न कोई प्रक्रिया और न कोई व्यवस्था ही सफल होगी और जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक हम भाषा के क्षेत्र में अपनी तथा देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने का गौरव प्राप्त नहीं कर सकते। आपने इस दिशा में सामूहिक चिन्तन, प्रयास और सतत् कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया। अध्यक्ष महोदय ने अपने भाषण में हिन्दी के प्रयोग में अभावों की चर्चाओं को निरर्थक बताते हुए कहा कि आज हिन्दी के प्रयोग में सरकार की ओर से काफी छूट मिली हुई है तथा भाषा भी इतनी सरल और सक्षम है कि इसमें हर तरह का काम करना सरल और सम्भव है। आपने मातृभाषा के प्रेम को मातृभाषा की भांति स्वाभाविक बताया। अध्यक्ष महोदय ने हिन्दी भाषा के प्रयोग में कल्पित अवरोधों की चिन्ता न करते हुए हिन्दी राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए सब लोगों से अपनी अन्तः प्रेरणा जागृत करने और सरकार का एक राष्ट्र, एक ध्वज और एक भाषा के स्वप्न को साकार करने का आह्वान किया।

अन्त में आयकर आयुक्त महोदय ने कैनरा बैंक और भारतीय स्टेट बैंक को हिन्दी के प्रयोग के बारे में प्रथम और द्वितीय स्थान घोषित करते हुए क्रमशः उनके मण्डल प्रबन्धक श्री. पी. के. एन. कामथ और क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री विजय किरन पुष्प को चल वैजयन्तियां प्रदान कीं। इसके अलावा हिन्दी के प्रति लगन और निष्ठा से कार्य करने वाले श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं के रूप में श्री इन्द्रसेन गुप्त, निदेशक हवाई वितरण एंव अनुसंधान विकास संस्थान और श्री रामचन्द्र मिश्र हिन्दी अधिकारी, आयकर आयुक्त कार्यालय, आगरा को "कप" प्रदान कर सम्मानित किया।

राम चन्द्र मिश्र,
सचिव, न० रा. भा. का. समिति,
एवं हिन्दी अधिकारी

मुरादनगर

राजभाषा कार्यान्वयन समिति, आर्डिनेन्स फैक्टरी, मुरादनगर की तिमाही बैठक श्री सी. बी. गुप्त, महा-प्रबन्धक की अध्यक्षता में दिनांक 3-8-84 को अपराहन 3.30 बजे सम्मेलन कक्ष में हुई।

अध्यक्ष महोदय ने राजभाषा कार्यान्वयन समिति के महत्व पर प्रकाश डालते हुए यह आशा व्यक्त की कि राजभाषा कार्यान्वयन

समिति में सम्बद्ध स्थापनाओं के समन्वय से अपने लक्ष्य की प्राप्ति में निश्चय ही सफलता मिलेगी और हिन्दी के प्रचार प्रसार में प्रगति होगी ।

पत्रिका के प्रकाशन के संबंध में यह सूचित किया गया कि वेतन भोगी सहकारी ऋण समिति तथा हिंडन प्रिन्टर्स मुरादनगर के सौजन्य से पत्रिका का मुख पृष्ठ छपवाकर जनवरी--मार्च, 1984 का अंक बैसाखी एंव हिन्दी नव वर्ष सम्बत् 1986 के आरम्भ के शुभावसर पर जारी किया गया । द्वितीय अंक भी शीघ्र ही जारी किया जा रहा है ।

बैठक में यह भी सूचित किया गया कि दिनांक 1-3-84 से हिन्दी कार्यशाला पुनः आरम्भ कर दी गई है । प्रशिक्षक के कार्य के लिए कोई राजपत्रित अधिकारी उपलब्ध नहीं होने के कारण समिति के निर्णयानुसार सर्वश्री सतीश चन्द्र सपरा, प्लानर, डी. पी. मल्होत्रा, चार्जमैन तथा सुरेन्द्र सिंह त्यागी, प्रवर श्रणी लिपिक प्रशिक्षण दे रहे हैं ।

महा-प्रबन्धक महोदय ने सुझाव दिया कि हिन्दी कार्यशाला में पूरे सत्र में प्रशिक्षण देने के लिए यदि कोई अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो कम से कम अतिथि वक्ता के रूप में श्री पी. सी. गुप्ता के अतिरिक्त एक अन्य अधिकारी का नाम आमंत्रित किया जाए ।

महा-प्रबन्धक महोदय ने सुझाव दिया कि राजभाषा प्रोत्साहन मंडल के स्थान पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति तथा केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् की स्थानीय शाखा ही मिल कर राजभाषा प्रोत्साहन सम्बन्धी कार्यक्रमों का आयोजन करे ।

सदस्य श्री सपरा ने समिति को सूचित किया कि कुछ ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जहां हिन्दी में कार्य करने वाले कर्मचारियों को उनके अनुभागाध्यक्षों/अधिकारियों द्वारा आपत्ति की जाती है, जिससे कर्मचारी निरूत्साहित हो जाते हैं । इस पर महा-प्रबन्धक महोदय ने कहा कि फैक्टरी में उपलब्ध सभी हिन्दी टाइपिस्टों एंव हिन्दी टाइप मशीनों का सरकारी कामकाज में पूर्ण सदुपयोग होना चाहिए । इस सम्बन्ध में पुनः परिपत्र जारी कर दिया जाए और जो अधिकारी/अनुभाग प्रभारी हिन्दी में सरकारी काम करने के लिए आपत्ति करता है, उसकी सूचना उन्हें दी जाए ।

आर्डीनेन्स फैक्टरी बोर्ड, कलकत्ता के पत्र संख्या 153 ए राजभाषा, दिनांक 17-2-84 के अंतर्गत मांगे गए बकाया पुरस्कारों का नया प्रस्ताव स्वीकृति हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 231/राजभाषा/प्रतियोगिता दिनांक 3-3-84 द्वारा भेज दिया गया तथा वर्ष 1982 की प्रतियोगिताओं के 29 व्यक्तियों को नगद पुरस्कार की स्वीकृति प्राप्त हो गई है, जिसको फैक्टरी आदेश भाग 2 संख्या 1432 दिनांक 31-7-84 में प्रकाशित कर दिया गया है तथा इनका वितरण 15 अगस्त, 1984 को किया जाएगा । वर्ष 1980 एंव 1981 के अखिल भारतीय पुरस्कारों के लिए आर्डीनेन्स फैक्टरी बोर्ड को पुनः लिखा गया है

फैक्टरी स्तर पर राजभाषा प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु आर्थिक सहयोग के लिए इस फैक्टरी की कार्य समिति से अनुरोध किया गया था, परन्तु कार्य समिति ने दिनांक 26-2-84 को हुई अपनी बैठक में आर्थिक सहयोग देने के लिए असहमति प्रटक की है ।

समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि फैक्टरी स्तर पर राजभाषा प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु कुछ धनराशि स्वीकृत करने के लिए आर्डीनेन्स फैक्टरी बोर्ड को लिखा जाए तथा कार्यसमिति आर्डीनेन्स फैक्टरी, मुरादनगर से भी पुनः अनुरोध किया जाए ।

बैठक में बताया गया कि दिनांक 31-1-84 का 231/राजभाषा/विविध संख्यक परिपत्र जारी करके सभी अनुभागाध्यक्षों से अनुरोध किया गया था कि 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों को भेजे जाने वाले पत्रों/तारों का हिन्दी में जारी करना सुनिश्चित करें ।

प्रेषण अनुभाग द्वारा प्रेषित डाक की सामयिक जांच करने पर पाया गया कि इस सम्बन्ध में प्रगति तो हुई है, परन्तु इसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता ।

समिति ने सुझाव दिया कि पिछली तिमाही की प्रगति रिपोर्ट की स्थिति बताते हुए पुनः परिपत्र जारी करके स्थिति में सुधार के लिए अनुरोध किया जाए ।

बैठक में सूचित किया गया कि 4-84 से 6-84 की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा उक्त तिमाही की प्रगति रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई । रिपोर्ट के अवलोकन के पश्चात् महा प्रबन्धक महोदय ने बताया कि निम्नलिखित मदों में अभी प्रगति की गुजांइश है और सभी अधिकारियों, कर्मचारियों के थोड़ा सा ध्यान देने पर निश्चय ही काफी प्रगति हो सकती है :--

(1) हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारियों की संख्या की तुलना में उन अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या जो अपना 25 प्रतिशत या अधिक सरकारी काम हिन्दी में करते हैं, बहुत ही कम है ।

(2) हिन्दी टाइप जानने वाले सभी कर्मचारियों से काम नहीं लिया जा रहा है ।

(3) सामान्य आदेशों/परिपत्रों, प्रेस विज्ञप्तियों, टेण्डर नोटिस तथा टेण्डर फार्मों आदि की संख्या बहुत ही कम है, जबकि ये सभी अनिवार्य द्विभाषि रूप में जारी किए जाने चाहिए ।

(4) 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय राज्य सरकार के कार्यालयों, गैर सरकारी व्यक्तियों को हिन्दी में भेजे गए पत्रों/तारों की संख्या भी बहुत ही कम है, जबकि इन क्षेत्रों को पत्र केवल हिन्दी में ही भेजे जाने चाहिए ।

इस संबंध में महा प्रबन्धक महोदय ने सुझाव दिया कि प्रशासनिक कार्यालयों द्वारा इन क्षेत्रों को भेजे जाने वाले पत्रों को हिन्दी में जारी करके सुधार किया जा सकता है । अतः जुलाई, 84 में प्रेषित डाक रजिस्टर से अनुभाग अनुसार ब्यौरा कि 'क' 'ख' क्षेत्रों को किस

अनुभाग से कितने पत्र हिन्दी में जारी किए गए हैं, तैयार करके उन्हें बताया जाए और सम्बन्धित अनुभागों को प्रगति के लिए लिखा जाए ।

समिति को बताया गया कि राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) से प्राप्त वर्ष 1984-85 के कार्यक्रम के आवश्यक उद्धरण इस अनुभाग के परिपत्र सं. 231 /राजभाषा/वा. का. दिनांक 31-7-84 द्वारा सभी अधिकारियों/आनुभागाध्यक्षों को कार्यान्वयन हेतु भेज दिया गया है ।

बैठक में नगरीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के गठन करने का मुद्दा भी उठाया गया । महा प्रबन्धक महोदय ने सुझाव दिया कि वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु सभी मदों में लक्ष्य निर्धारित करके सभी अधिकारियों/अनुभागाध्यक्षों को सूचित किया जाए और उनसे लक्ष्य प्राप्ति की तिमाही रिपोर्ट मांगी जाए तथा बैठक में उस पर समीक्षा की जाए तथा जहां सुधार की गुजाइंश दिखाई दे उसके लिए कार्रवाई भी की जाए ।

बैठक में निम्नांकित प्रस्ताव रखे गए :—

प्रस्ताव सं० 1—सचिव, श्री सी. पी. सेठी ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से यह प्रस्ताव रखा कि टेलीफोन डायरेक्टरी को हिन्दी में प्रकाशित कराया जाए ।

अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट किया कि इस मद में हाल ही में व्यय किया जा चुका है । निकट भविष्य में जब दूसरी डायरेक्टरी छपवाई जाएगी, तब उसे द्विभाषी रूप में ही छपवाया जाएगा । विषय समाप्त ।

प्रस्ताव सं० 2—सदस्य श्री सपरा ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि राजभाषा अनुभाग के लिए एक अंग्रेजी टाइप मशीन तथा टेलीफोन की सुविधा दी जाए ।

महा प्रबन्धक महोदय ने अध्यक्ष महोदय से अंग्रेजी टाइप मशीन के बारे में स्थिति स्पष्ट करने को कहा । अध्यक्ष महोदय ने बताया कि अभी हम इस स्थिति में नहीं हैं कि राजभाषा अनुभाग को अंग्रेजी टाइप मशीन दे सकें । नई मशीनें आने पर ही यह संभव हो सकेगा । टेलीफोन के सम्बन्ध में महा प्रबन्धक महोदय ने बताया कि शीघ्र, ही कुछ नए टेलीफोन की स्वीकृति आने वाली है तभी यह सुविधा दी जा सकती है । इस समय नहीं ।

प्रस्ताव सं० 3—सचिव महोदय ने प्रस्ताव रखा कि अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से नगद पुरस्कार सार्वजनिक उत्सवों में भी प्रदान किए जाने चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय ने इसमें सहमति प्रगट की तथा कहा कि इस समय जो भी पुरस्कार देय हैं, वे 15 अगस्त, 1984 (स्वतन्त्रता दिवस) के अवसर पर प्रदान किए जाएं ।

महा प्रबन्धक महोदय ने सुझाव दिया कि समिति की प्रतिमाह की एक बैठक अध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में तथा तिमाही बैठक उनकी उपस्थिति में की जाए ।

□ □ □

"राष्ट्र के एकीकरण के लिए सर्वमान्य भाषा से अधिक बलशाली कोई तत्व नहीं है । मेरे विचार में हिन्दी ऐसी ही भाषा है ।

सरलता और शीघ्र सीखी जाने योग्य भाषाओं में हिन्दी सर्वोपरि है ।"

—लोक मान्य तिलक

हिन्दी दिवस और हिन्दी सप्ताह का आयोजन

महालेखाकार कार्यालय, तमिलनाडु एवं पांडिचेरी मद्रास में हिंदी दिवस

महालेखाकार (लेखा परीक्षा-1) तथा (लेखा परीक्षा-2) तमिलनाडू एंव पांडिचेरी मद्रास के कार्यालय के वर्ष 1984-85 का हिंदी दिवस दिनांक 27-7-1984 में मनाया गया।

समारोह का शुभारंभ "वन्देमातरम" से किया गया। श्री सी. बी. राधाकृष्णन, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी ने अपने स्वागत भाषण में हिंदी दिवस का महत्व एंव इसके मनाने की आवश्यकता को स्पष्ट किया। उन्होंने इस कार्यालय में राजभाषा के कार्यान्वियन में श्रीमती गीता जोन्स, हिंदी प्राध्यापिका के सहयोग को विशेष रूप से सराहा।

श्री ए. एस. रामन, उप महालेखाकार (प्रशासन) ने इस कार्यालय में हिंदी के प्रचार-प्रसार में हुई प्रगति पर संतोष प्रकट किया।

श्री एम. रंगनाथन, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी ने राजभाषा हिंदी के बारे में एक भाषण दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिकांश भारतीयों की बोलचाल की भाषा हिंदी ही है और जिस देश में विभिन्न प्रान्तो के लोग विभिन्न भाषाएं बोलते हैं उस देश के लिए एक ही राष्ट्रभाषा होना आवश्यक है। यह भी बताया कि हिंदी तो विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली पांच भाषाओं में एक है। इसके प्रयोग और प्रसार के लिए सभी प्रकार के प्रयत्न किए जाने चाहिए।

श्री एन. चंद्रशेखर नायर, वरिष्ठ उप महालेखाकार (वाणिज्य) ने निम्न कर्मचारियों को नकद पुरस्कार दिए।

क्रम सं०	नाम	उत्तीर्ण परीक्षा	नकद पुरस्कार की रकम
			रु.
1.	श्री टी. एस. नारायणस्वामी	प्रबोध	200
2.	श्री जी. सूर्यनारायणन	,,	100
3.	श्री. डी. सालमन पाल जयराज	,,	50
4.	कुमारी वी. सुधा	प्रवीण	100
5.	श्री एम. कदम्बवनसुंदरम	प्राज्ञ	300
6.	श्री एस. कुमार	प्राज्ञ	100

श्री टी. वेंकटकृष्णन जिनको कि 200 रुपये के नकद पुरस्कार की मंजूरी दी गई है वे समारोह में उपस्थित थे।

पुरस्कार वितरण करने के बाद इस कार्यालय की कुमारी बी. प्रभावती; श्रीमती अखिला राघवन, और श्रीमती कुसुमा से हिंदी में सुगम संगीत गाया।

श्री एस. वीरराघवन, वरिष्ठ लेखा परीक्षक ने हिंदी अनुभाग को धन्यावाद समर्पण किया।

यह कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत से समाप्त हुआ।

उल्लेखनीय है कि इस समारोह की सारी कार्यवाही राजभाषा हिंदी में हुई।

उप महालेखाकार
(प्रशासन)

महा डाकपाल, तमिलनाडु परिमण्डल के कार्यालय में हिन्दी दिवस

इस कार्यालय के कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति रूचि के लिये 14 सितंबर, 1984 को पहली बार हिन्दी दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाया। इस सिलसिले में हिन्दी में विभिन्न स्तर की योग्यता रखते वालों के लायक विभिन्न हिन्दी प्रतियोगितताएं चलाई गयी जैसे वाचन, अनुवाचन, आलेखन और टिप्पण, बाक तथा निबंध पर्धा। इस दिशा में कर्मचारियों ने खूब उत्साह दिखाया और लगभग एक सौ कर्मचारियों ने उपर्युक्त विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। सभी प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिये गये और सभी प्रतिभागियों को प्रशस्ति-पत्र भी दिये गये।

अपर महा डाकपाल, श्री एम. सुब्रहमण्यन ने अपने भाषण में कहा कि जितनी ही अधिक भाषाएं सीखें उसके लिए वह उतना ही लाभदायक है और विभाग की ओर से प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और प्रोत्साहन के साथ हिन्दी सीखने का केन्द्र सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है। उन्होंने यह भी बताया कि इस भूमि की भाषाओं और संस्कृति को सुरक्षित रखने में सदा ही "दक्षिण" का भाग प्रमुख रहा है। यद्यपि संस्कृत "उत्तर की भाषा" कहलाती है तथापि इतिहास साक्षी है कि कभी कांचीपुरमसंस्कृत का प्रमुख पीठ रहा है। संस्कृत को सीखने से कोई भी व्यक्ति अपने देश के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पक्ष की छिपी हुई धरोहर तक आसानी से पहुंच सकता है। हिन्दी के सीखने से संस्कृत को सीखना सरल हो जाता है।

तमिलनाडु परिमण्डल के महा डाकपाल के कार्यालय में आयोजित हिन्दी दिवस समारोह में "आलेखन और टिप्पण" प्रतियोगिता में प्रथम आने के उपलक्ष्य में श्रीमती एम. लक्ष्मी को पुरस्कार बाँटते हुए श्री एम. एस. रंगस्वामी, महा डाकपाल साथ में हैं। महा डाकपाल श्री. एम. सुब्रह्मण्यन ।

श्री के. पी. मिश्र, हिन्दी शिक्षण योजना के उप-निदेशक समारोह के विशेष अतिथियों में रहे। उन्होंने राजभाषा के रूप में हिन्दी की विशेषता और उसे सीखने की आवश्यकता पर छोटा सा भाषण दिया। उन्होंने कहा है कि केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों द्वारा हिन्दी आम जनता तक शीघ्र और आसानी से पहुंच जायेगी। अतः ये कार्यालय अपने कामों के व्यवहार के लिये यदि हिन्दी को अपना लें तो जनता भी स्वंय उसे अपना लेगी।

श्री मती प्रभावती नायडू विमन्स क्रिश्चियन कालिज की सेवानिवृत्त प्रोफेसर, जो कि हमारी विभिन्न प्रतियोगिताओं के निर्णयकों में मुख्य निर्णायक रहीं, ने भी समारोहों में विशेष अतिथि के रूप में पधारने की कृपा की थी। उन्होंने भी हिन्दी सीखने की आवश्यकता पर जोर दिया और बताया कि हिन्दी, अन्य प्रान्तीय भाषाओं के विकास में बाधक नहीं बनेगी बल्कि उसे नया विचार, नया दृष्टिकोण, और नये शब्दों से समृद्ध करेगी।

वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक के धन्यावाद समर्पण के बाद कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हिन्दुस्तानी सुगम संगीत, भजन, वृन्दगान आदि गाये गये जो दर्शकों को प्रिय लगे।

राष्ट्रगीत के साथ समारोह संपन्न हुआ।

कि. रा. रंगाड

निदेशक, डाक सेवा (मुख्यालय)

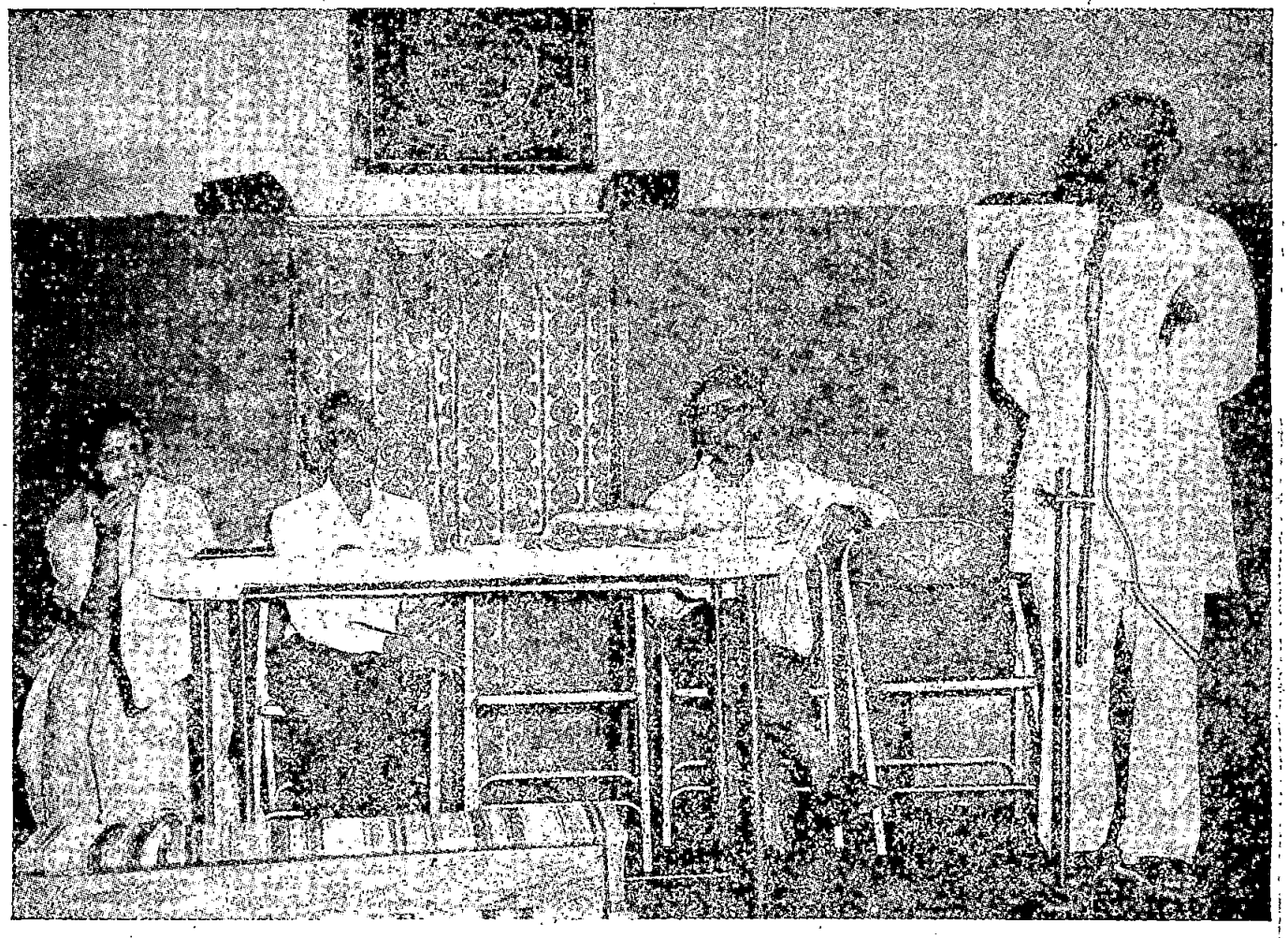

हिन्दी दिवस समारोह के अवसर पर बोलते हुए मुख्य अतिथि सरकवारे महाविद्यालय पुणे के हिन्दी विभागाध्यक्ष डा. अशोक कामत। उनके दाँए बैठे हुए–डा. जी. पी. श्रीवास्तव, श्री एच. एम. चौधुरी एवं श्रीमती आसुमती टुनाखे, सहायक निदेशक, हि, शि. यो. पुणे।

मौसम विज्ञान का अपर महानिदेशक के कार्यालय, पुणे में हिन्दी दिवस

भारत मौसम विज्ञान विभाग, पुणे एवं केन्द्रीय सचिवालय परिषद ने संयुक्त रूप से 14 सितम्बर, 1984 को हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन कार्यालय के उपहार गृह हाल में किया। इसका उदघाटन पुणे के विख्यात गरवारे कालेज के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष डा. अशोक कामत ने किया।

सरस्वती वंदना के साथ इस समारोह का शुभारंभ हुआ। सभी कार्यालयों के पांच सौ से अधिक कर्मचारियों द्वारा भाग लिया गया। समारोह में निम्नलिखित प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं।

(अ) निबंध प्रतियोगिता, विषय : आर्थिक सम्पन्नता में नैतिक पतन।

(ब) वाद-विवाद प्रतियोगिता, विषय : नारी का स्थान-घर या दफ्तर

(स) कविता पाठ/गायन प्रतियोगिता

(द) एकांकी नाटक : "परिवर्तन" (दहेज प्रथा से संबंधित) यह नाटक मौसम कार्यालय (पूर्वानुमान) के कर्मचारी श्री एम. एच. चौधरी द्वारा लिखित और निर्देशित था।

(अ) विभिन्न कार्यालयों के कुल 14 कर्मचारियों से निबंध प्राप्त हुये थे।

(ब) कविता पाठ/गायन में 12 प्रतियोगी शामिल हुए, जिन्होंने विविध विषयों पर स्वरचित तथा संकलित कविताओं का पाठ किया। इस कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि मौसम कार्यालय के सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने भी कविता पाठ में भाग लेकर सभी कर्मचारियों को कार्यालयीन कामकाज में हिन्दी का उपयोग करने की प्रेरणा दी।

(स) वाद-विवाद प्रतियोगिता में कुल 11 सदस्यों ने हिस्सा लिया और उन्होंने अपने विचार काफी अच्छे ढंग से पेश किये। यह कार्यक्रम बहुत दिलचस्प रहा।

(द) पुण के सभी कार्यालयों में काम करने वाले 12 कमचारियों ने पिछले काफी दिन तक मिलजुल कर कड़ी मेहनत करके "परिवर्तन" नामक नाटक का मंचन किया जिसकी बहुत प्रशंसा की गयी ।

मुख्य अतिथि श्री अशोक कामत जी ने सभी कार्यक्रमों की सराहना की।

बि. बि. चक्रवर्ती
सहायक मौसम विज्ञानी

आकाशवाणी, पुणे में हिन्दी दिवस

इस केन्द्र में 14 सितम्बर, 1984 को हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में सभी कर्मचारियों को अपना पूरा कार्य हिन्दी में करने तथा उसके उत्तरोत्तर प्रयोग में गति लाने के लिए संकल्प करने के बारे में अनुरोध किया गया। हिन्दी दिवस के समारोह में लगभग एक घंटे तक भाषण आदि का आयोजन किया गया । विशेष रूप से कार्यालय के हिन्दी अधिकारी, केन्द्र अभियंता, केन्द्र निदेशक तथा हिन्दी शिक्षण योजना के सहायक निदेशक श्री उधोराम सिंह, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के संयुक्त निदेशक श्री महेश्वर राव का भाषण हुआ। हिन्दी दिवस के अवसर पर आकाशवाणी के प्रथम हिन्दी कार्यशाला का उद्घाटन भी किया गया ।

इसके पश्चात् गीत और नाटक प्रभाग की ओर से शाम को 17.30 से 19.30 बजे तक "दुष्यन्त–शकुंतला" हिन्दी नाटक का मंचन किया गया । नाटक म सभी कलाकारों ने अच्छी भूमिका की और नाटक बहुत ही रुचिपूर्ण तथा सराहनीय रहा ।

केन्द्रीय उत्पाद, शुल्क तथा सीमाशुल्क समाहर्तालय, पुणे

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमाशुल्क समाहर्तालय, पुणे के मुख्यालय म दिनांक 14 सितम्बर 1984 को "हिन्दी दिवस समारोह" मनाया गया ।

इसी संदर्भ में स्टाफ सदस्यों के लिए दिनांक 14 अगस्त 1984 को हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता आयोजित की गयी, जिस के विषय निम्नलिखित थे।

1. हमारी फिल्में
2. नारी की नौकरी–एक समस्या ?
3. केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ
4. केन्द्रीय उत्पादशुल्क तथा सीमाशुल्क समाहर्तालय कार्य-संचालन

निबंध के साथ-साथ दिनांक 11 सितम्बर, 84 को हिन्दी टाइपिंग तथा देवनागरी लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गयीं । काफी संख्या में मुख्यालय तथा पुणे स्थित मंडल कार्यालयों के कर्मचारी इन प्रतियोगिताओं में सहभागी हुए ।

हिन्दी दिन समारोह के अवसर पर (बाएं से) :
उपसमाहर्ता (कार्मिक तथा स्थापना) श्री एस. एस. राधाकृष्णन, समाहर्ता श्री. स. द. मोहिले, प्रमुख अतिथि, पुणे विश्वविद्यालय हिन्दी विभाग के प्रोफेसर एवम् अध्यक्ष डॉ. आनन्द प्रकाश दीक्षित तथा हिन्दी अधिकारी श्री विश्वास भंडारी।

दिनांक 14 सितम्बर, 84 को दोपहर 14.30 बजे मुख्यालय में स्टाफ सदस्यों द्वारा "प्रश्नोतरी कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपसमाहर्ता (कार्मिक तथा स्थापना), श्री एस. एस. राधाकृष्णन के मार्गदर्शन में हिन्दी अधिकारी ने इस का संयोजन किया।

'हिन्दी दिन' समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में पुणे विश्वविद्यालय हिन्दी विभाग के प्रोफेसर एवम् अध्यक्ष डा. आनन्द प्रकाश दीक्षित जी उपस्थित रहे।

श्री गणेशवन्दना गीत से कार्यक्रम आरम्भ हुआ। "हिन्दी दिन" के आयोजन का महत्व और औचित्य हिन्दी अधिकारी ने स्पष्ट किया। इस के बाद उपरिनिर्दिष्ट विविध प्रतियोगिताओं के परिणाम घोषित किए गए तथा इन में प्रथम, द्वितीय, तृतीय क्रमांक की सफलता प्राप्त कर्मचारियों को मुख्य अतिथि के हाथों से पुरस्कार वितरित किए गए। इसी अवसर पर, हिन्दी कार्यशाला वर्गों में हिन्दी टिप्पण तथा मसौदालेखन प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों को प्रमाणपत्र वितरित किए गए।

समाहर्ता श्री मान एस. डी. मोहिलेजी ने अपने व्याख्यान में हिन्दी भाषा, केन्द्रीय उत्पादशुल्क तथा महाराष्ट्र का निकट संपर्क स्पष्ट करते हुए कुछ पुरानी स्मृतियों का उल्लेख किया। समाहर्ता ने सभी उपस्थित स्टाफ सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि हिन्दी केवल राजभाषा ही नहीं, बल्कि जनभाषा और हमारी सम्पर्क-भाषा है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि ऐसे कार्यक्रम निश्चित ही, स्टाफ को हिन्दी पत्राचार की प्रेरणा देने तथा अनुकूल वातावरण बनाने के लिए सहायक होते है। समाहर्ता ने सभी कर्मचारी वर्ग से कहा कि वे अपनी तरफ से किए जाने वाले पत्राचार में, हिन्दी का ही अधिक से अधिक प्रयोग करें तथा राजभाषा संबंधी निर्धारित सरकारी नीति को कार्यान्वित करें।

मुख्य अतिथि डा. आनन्द प्रकाश दीक्षित जी ने अपने विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान में हिन्दी भाषा की प्रकृति तथा शैली को स्पष्ट करते हुए हिन्दी की समृद्ध शब्दावली के कुछ उदाहरण प्रस्तुत गिए। उन्होंने अपने व्याख्यान में व्यक्त किया कि पत्राचार, मसौदा, परिपत्र आदि, लेखन मूलतः अंग्रेजी में लिखी गयी सामग्री का अनुवाद करने से इतनी सहजता उपलब्ध नहीं हो सकती। अभिव्यक्ति के लिए शब्दावली भी उतनी ही संपन्न होनी चाहिए और इस के लिए हिन्दी का प्राचीन तथा अर्वाचीन साहित्य, काव्य आदि पढ़ना आवश्यक है।

मुख्य अतिथि के व्याख्यान के बाद उपसमाहर्ता (कार्मिक तथा स्थापना) श्रीमान एस. एस. राधाकृष्णन ने आभार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि हिन्दी भाषा की अपनी प्राचीन परंपरा है। विविधभाषी भारतीयों ने हिन्दी भाषा तथा साहित्य की सेवा में अपना योगदान दिया है। महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि मेरे मन की खिड़कियां और दरवाजे, सभी भाषाओं के विचार ग्रहण करने के लिए हमेशा खुले हैं।

हिन्दी दिवस के इस समारोह अवसरह पर मुख्यालय में, स्टाफ सदस्यों के लिए क्रान्तिकारी हुतात्मा भगतसिंह की जीवनी पर आधारित "शहीद" हिन्दी चित्रपट प्रदर्शित किया गया।

वि. भा. भंडारी,
हिन्दी अधिकारी।

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, इंडियन आयल शाखा, बम्बई

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, इंडियन आयल शाखा, बंबई ने 14 सितम्बर, 84 को "हिन्दी दिवस" के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम और वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया। मार्केटिंग डिविजन के डाइरेक्टर (मार्केटिंग) श्री भीष्म बख्शी की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधान कार्यालय के प्रायः सभी सदस्य और कुछ विशेष आमंत्रित भी उपस्थित थे। मुख्य आयकर आयुक्त, बम्बई श्री सीताराम समारोह के प्रमुख अतिथि थे। इंडियन ऑयल शाखा द्वारा कर्मचारियों में राजभाषा हिन्दी के प्रचार और प्रसार के उद्देश्य से अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। उनमें हिन्दी निबंध प्रतियोगिता, हिन्दी भाषण प्रतियोगिता और हिन्दी टाईपिंग प्रतियोगिता मुख्य है। प्रधान कार्यालय, बम्बई के कर्मचारी इनमें बड़े उत्साह के साथ और बहुत बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। अध्यक्ष महोदय के कर कमलों द्वारा विजेताओं को नकद पुरस्कार दिये गये। ये कर्मचारी परिषद द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं में भी भाग लेते हैं।

अध्यक्ष महोदय ने अपने भाषण में कहा कि कार्यालयीन कामकाज के विभिन्न क्षेत्रों में हिन्दी का प्रयोग करने से ही यह भाषा और अधिक समृद्ध हो सकती है। उन्होंने सब कर्मचारियों से अपील की कि वे अपने-अपने कामकाज में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करें। प्रमुख अतिथि श्री सीताराम झा ने कहा कि हिन्दी केन्द्रीय सरकार की राजभाषा है और इसका प्रयोग करने में हर कर्मचारी को आत्मगौरव का अनुभव करना चाहिए। हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करने पर ही यह भाषा राजभाषा के स्थान पर वास्तविक रूप में आसीन होगी।

कार्यक्रम की शुरुआत में सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये सांस्कृतिक कार्यक्रम "भारत जननी एक हृदय हो" नामक समूह गान की सबने सराहना की। कार्यक्रम के द्वितीय चरण में प्रसिद्ध हास्यकवि श्री हुल्लड़ मुरादाबादी द्वारा काव्य गायन प्रस्तुत किया। पूरे कार्यक्रम का संचालन श्री अनवर बेग ने किया। कार्यक्रम के अंत में परिषद के उप प्रधान श्री विजय कर्णिक ने आभार प्रदर्शन किया।

अनिल कासखेडीकर,
सहायक प्रबन्धक।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, बम्बई

बम्बई में 15 सितम्बर, 1984 को तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के "हिन्दी अनुभाग" द्वारा "हिन्दी विदस" मनाया गया। इस समारोह में एस, आर. झा, मुख्य आयुक्त (आयकर विभाग, बम्बई) मुख्य अतिथि थे। डा. अनिल कुमार मल्होत्रा, सदस्य (बम्बई अपतट परियोजना) ने समारोह की अध्यक्षता की। आयोजन श्री सुशील कुमार मांगलिक, महाप्रबन्धक (उत्पादन) ने किया। श्री जौहरी लाल अति. निदेशक तथा राजभाषा अधिकारी ने स्वागत भाषण दिया। संचालन श्रीमती सुमन श्रीवास्तव ने किया। श्री वी. एस. सचदेव, निदेशक (कार्मि. एवं प्रशा.) ने अंत में सबको धन्यवाद दिया।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में "हिन्दी दिवस" के अवसर पर आयोजित समारोह में डा. अनिल कुमार मल्होत्रा (सदस्य) अध्यक्षीय भाषण देते हुए। पीछे बाएं से : श्री एस. आर. झा, मुख्य आयुक्त (आयकर विभाग), श्रीमती झा, श्री सुशील कुमार मांगलिक, महाप्रबन्धक (उत्पादन) तथा श्री बी. एस. सचदेव, निदेशक (कार्मि. एवं प्रशा.) हैं।

इस अवसर पर कवि सम्मेलन एवं विभागीय कर्मचारियों के लिए कविता–प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कविता का विषय "विविधता में एकता" दिया गया। इसी अवसर पर कवि सम्मेलन रखा गया। इस कवि सम्मेलन का संचालन श्री रामरिख मनहरजी ने किया। कवि सम्मेलन में आमंत्रित देश के प्रसिद्ध कवि एवं गीतकार श्री आत्मप्रकाश शुक्ल, साहित्यिक कवि श्री नन्दलाल पाठक, हास्य कवि श्री हुल्लड़ मुरादावादी, कवि शरद जोशी, श्री गोविन्द व्यास, संतोष आनन्द, कैलाश सेंगर, पी. किशोर, सुधीर झा तथा रामदास पुटाणे ने अपनी-अपनी कविताओं से लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया।

सुमन श्रीवास्तव,
हिन्दी अधिकारी।

भारत प्रतिभूति मुद्रणालय/चलार्थ पत्र मुद्रणालय, नासिक

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के अधीनस्थ कार्यालय भारत प्रतिभूति मुद्रणालय/चलार्थ पत्र मुद्रणालय, नासिक रोड में "14 सितम्बर 1984" हिन्दी दिवस के रूप में बनाया गया। इस अवसर पर संयुक्त रूप में एक समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें उक्त दोनों मुद्रणालयों और नासिक नगर के केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के 300 से अधिक प्रतिनिधि उपस्थित थे।

प्रमुख अतिथि के रूप में श्री के. के. पाण्डे, संयुक्त निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, उपस्थित थे। उन्होंने अपने प्रभावपूर्ण भाषण में हिन्दी राजभाषा कैसे हुई उसका आज की परिस्थितियों में क्या महत्व है और हिन्दी राष्ट्रीय एकात्म को भावना का कैसे निर्माण कर सकती है जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला। उन्होंने सरकार की राजभाषा नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि हिन्दी किसी पर थोपी नहीं जाएगी पर हमें यह विचार करना है कि हमें अंग्रेजी या द्विभाषी सूत्र कब तक चलते रहने देना है। उन्होंने कहा कि हिन्दी में कामकाज करना बहुत ही सरल है सिर्फ लिखना शुरू कर दें और छः माह के प्रयत्न से ही आप भी अच्छी हिन्दी लिख सकते हैं। हमें साहित्यकि हिन्दी नहीं लिखना है। सच्चे अर्थ में राजभाषा का जन्म सामान्य कर्मचारी के कलम से ही होगा ऐसा विश्वास उन्होंने इस अवसर पर व्यक्त किया।

इस अवसर पर श्री सु. द. ईडगुंजी, महाप्रबन्धक, चलार्थ पत्र मुद्रणालय, श्री अ. वा. बोडस. महाप्रबन्धक भारत सरकार मुद्रणालय, श्री घनश्याम तिवारी, उप नियंत्रक, मुद्रांक, भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, श्री एन. चट्टोपाध्याय, श्रम अधिकारी, चलार्थ पत्र मुद्रणालय, श्री डी. एल. शर्मा, सहायक निदेशक (सेवा निवृत्त) हिन्दी शिक्षण योजना पश्चिम क्षेत्र, व श्री आर. एस. जालान, हिन्दी अधिकारी, हिन्दी शिक्षण योजना, पश्चिम क्षेत्र ने हिन्दी कार्यान्वयन के संबंध में अपने विचार

व्यक्त किए। श्री गो. नारायण सामी, प्रशासन अधिकारी, भारत प्रतिभूति मुद्रणालय ने आभार प्रदर्शन किया।

इस अवसर पर दोनों मुद्रणालयों ने अन्तर्विभागीय हिन्दी चल शील्ड प्रतियोगिता हिन्दी लेखन प्रतियोगिता और हिन्दी टंकलेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया था। उसमें संपदा अनुभाग, भा. प्र. मु., वाणिज्य एवं लेखा अनुभाग, भा. प्र. मु., और श्रम कार्यालय, च. प. मु. को प्रमश: प्रथम, द्वितीय, और तृतीय स्थान प्राप्त हुए और उन्हें शील्ड प्रदान की गई। हिन्दी लेखन और हिन्दी टंकलेखन में सफल प्रथम तीन उम्मीदवारों को भी पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा हिन्दी में कार्य करने वाले कर्मचारियों को भी प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया।

घनश्याम तिवारी,
उप नियंत्रक मुद्रांक,
भारत प्रतिभूति मुद्रणालय,
नासिक रोड़

राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी, नागपुर

राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी, राजाजी मार्ग, नागपुर में भारतीय राजस्व सेवा के प्रशिक्षणरत 37वें बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने अकादमी के महानिदेशक श्री वि. जे. चाको की अध्यक्षता में आयोजित हिन्दी समारोह के अवसर पर राजभाषा के रूप में हिन्दी के विकास का अपना संकल्प दोहराया। परिवीक्षाधीन अधिकारियों का प्रतिनिधित्व श्री अरुण भटनागर ने किया। प्रमुख वक्ता के रूप में अपने उद्‌गार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी का विकास संपूर्ण राष्ट्र की अस्मिता से जुड़ा है। सभी भारतीय भाषाओं का राजभाषा के रूप में विकास अनिवार्य एवं अपेक्षित है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड में पोस्टिंग के बाद सभी परिवीक्षाधीन अधिकारी अपना सरकारी कामकाज हिन्दी माध्यम से करने का प्रयास करेंगे।

अध्यक्ष पद से अपने संबोधन में महानिदेशक एवं नागपुर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री वि. जे. चाको ने कहा,

> "मैं आप सब लोगों को हिन्दी दिवस पर बधाई देता हूं। यह दिन सिर्फ हिन्दी भाषा के लिए नहीं है सभी भारतीय भाषाओं के लिए है। मेरे देश का कामकाज धीरे-धीरे भारतीय भाषाओं में होना चाहिए। हम लोग केन्द्रीय सरकार की सेवा में हैं। हमारे कामकाज भी भाषा हिन्दी है। अब तक सरकार का कामकाज अंग्रेजी में होता रहा है। यदि हर कर्मचारी अपना थोड़ा-थोड़ा काम भी हिन्दी में करे तो हम काफी Progress कर सकते हैं। नई पीढ़ीं से मुझे बड़ी आशा है।

राजकिशोर
हिन्दी अधिकारी
राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी,
नागपुर

जीवन बीमा निगम, नागपुर

भारतीय जीवन बीमा निगम के नागपुर मंडल में दि. 26 सितम्बर, 1984 से 3 अक्तूबर, 1984 तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया। यह समारोह जीवन बीमा निगम तथा केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद द्वारा संयुक्त रूप से मनाया गया। दिनांक 14 सितम्बर, 1984, हिन्दी दिवस के दिन एक विशेष परिपत्र जारी किया गया, जिसमें कर्मचारियों से हिन्दी में ही कार्य करने व हिन्दी में अपने हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया गया। उन्हें उत्साहित करने के लिये हिन्दी सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये।

दिनांक 26 सितम्बर, 1984 को दोपहर के समय स्थानीय संस्था 'कला सागर' द्वारा हिन्दी नाटक "बदबू" प्रस्तुत किया गया। मंडल ही एक कर्मचारी श्री मुजीब सिधीकी ने यह नाटक लिखा व प्रस्तुत किया।

दिनांक 27 सितम्बर, 1984 को हिन्दी निबंध स्पर्धा की गई, जिसमें कर्मचारियों ने स्वेच्छा से भाग लिया। निबंध स्पर्धा के विषय पहले दिये गये थे तथा निबंध को निश्चित स्थान व समय पर ही लिखना था। निबंध स्पर्धा में कु. मंगला मथुरे प्रथम, श्री ए. एस. निजर द्वितीय व श्रीमती शैलजा मुले तृतीय स्थान पर रहे। इन लोगों को नकद पुरस्कार के साथ-साथ प्रमाण-पत्र भी दिये गये।

दि. 28 सितम्बर, 1984 को एक सरस कवि सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें अखिल भारतीय स्तर के कवियों ने भाग लिया।

दिनांक 29 सितम्बर, 1984 को कर्मचारियों के बच्चों द्वारा एक मनोरंजन कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कर्मचारियों के साथ उनके बच्चे भी उसमें भाग लें, इसलिए यह कार्यक्रम रखा गया।

1 अक्तूबर, 1984 को दोपहर में कर्मचारियों के लिये एक हिन्दी टिप्पण व प्रारूप लेखन स्पर्धा ली गई इस स्पर्धा में प्रथम श्री एम. के. जोशी, द्वितीय श्री ए. आर. शास्त्री तथा तृतीय श्री सी. एम. मेहता रहे। इन्हें भी नकद पुरस्कार तथा प्रमाण-पत्र प्रदान किये गये।

इसी दिन नागपुर मंडल के कर्मचारियों द्वारा एक विविध मनोरंजन का कार्यक्रम पेश किया गया। कार्यक्रम में श्रीमती ललिता लिमये, सर्वश्री घारे, बहिराट करंदीकर, फाटे, पुराणिक व अशरफ ने उत्कृष्ट कार्यक्रम प्रस्तुत किये।

दिनांक 3 अक्तूबर, 1984 को पिछले 15 दिनों से चली आ रही हिन्दी कार्यशाला तथा हिन्दी सप्ताह का समापन किया गया। इसी दिन हिन्दी शिक्षण योजना की विभिन्न परीक्षाओं के प्रमाण-पत्र भी बांटे गए।

इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधान सभा सदस्य श्री बनवारी लाल पुरोहित, अध्यक्ष, विदर्भ हिन्दी सम्मेलन थे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता नागपुर के वरिष्ठ मंडल प्रबन्धक श्री रवीन्द्रनाथ मित्तल ने की। समापन करते हुए विधायक श्री पुरोहित ने कहा कि हिन्दी भारतवर्ष में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली व समझी जाती है तथा उसमें राष्ट्रभाषा बनने के सभी गुण विद्यमान हैं। हमारी राष्ट्रीय एकता कायम रखने का कार्य केवल हिन्दी ही कर सकती है। प्रत्येक भारतीय का यह कर्त्तव्य है कि वह अपना अधिक से अधिक कामकाज हिन्दी में ही करे।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ मंडल प्रबन्धक श्री मित्तल ने बताया कि भारतीय जीवन बीमा निगम को भारत सरकार की सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की "राजभाषा शील्ड" प्रदान की गई है। कर्मचारियों को उनके सहयोग के लिये धन्यवाद देते हुए वरिष्ठ मंडल प्रबन्धक ने सबसे आग्रह किया कि वे अपना अधिक से अधिक कामकाज हिन्दी में करते रहे। □□□

हिन्दुस्तान कापर, कलकत्ता

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, प्रधान कार्यालय, 'कलकत्ता की ओर से भारतीय भाषा परिषद के सभागार में भव्य हिन्दी दिवस समारोह आयोजित किया गया।

मुख्य अतिथि पद से बंगला के सुप्रसिद्ध कथाकार श्री विमल मित्र ने हिन्दी को देश की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का आह्वान करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार के कार्यालय जब तक हिन्दी को माध्यम के रूप में नहीं अपनाते, तब तक देश की आम जनता की सेवा नहीं कर सकते। अंग्रेजी में सरकारी कामकाज करना हमारी गुलाम मानसिकता का प्रतीक है। समारोह के अध्यक्ष, कार्यपालक निदेशक (का. एवं प्र.) श्री राजसिंह निर्वाण ने अधिक से अधिक पत्राचार हिन्दी में करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि प्रारम्भ में हम अंग्रेजी पत्रों में हिन्दी में हस्ताक्षर करें, तो उसका भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने भारत सरकार के अन्य निर्देशों की तरह राजभाषा संबंधी निर्देशों का भी सम्यक पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया।

उप महाप्रबंधक (का. एवं प्र.) श्री गौतम त्रिपाठी ने कहा कि हिन्दी के माध्यम से ही देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जनता से सीधा संपर्क किया जा सकता है। वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी श्री बुद्धिनाथ मिश्र ने हिन्दी के प्रयोग के संबंध में हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।

इस अवसर पर आयोजित भाषण प्रतियोगिता में हिन्दीभाषी संवर्ग के अन्तर्गत श्री रवि गाडी (प्रथम) श्री कृष्ण चन्द्र खन्ना (द्वितीय) तथा श्री समर मित्र को (सांत्वना) तथा हिन्दी भाषी संवर्ग में श्री मदन-लाल उप्पल (प्रथम) श्री हरिश्चंद्र मिश्र (द्वितीय) को पुरस्कार प्रदान किए गए। हिन्दी निबंध प्रतियोगिता में विजयी अहिन्दीभाषी संवर्ग में श्रीमती रत्नादासगुप्ता (प्रथम), श्री रवि गाडी (द्वितीय) एवं पी. सी. लाला (तृतीय) को तथा हिन्दी भाषी संवर्ग में श्री हरिशचन्द्र मिश्र (प्रथम), श्री तारासिंह कमल (द्वितीय) एवं श्री मदनलाल उप्पल (तृतीय) को पुरस्कार दिये गये। इस अवसर पर हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों को प्रमाणपत्र वितरित किये गये। तत्पश्चात एक सरस काव्य गोष्ठी हुई, जिसमें श्री राजसिंह निर्वाण, डा. चंद्रदेव सिंह, श्री अरुण प्रकाश अवस्थी एवं श्री बुद्धिनाथ मिश्र ने काव्य पाठ किया।

कार्यक्रम का शुभारंभ सुश्री नमिता साहा के "बंदेमातरम्" गान से एवं समापन श्री शांतिरंजन साहा द्वारा मीरा के भजनों की आकर्षक प्रस्तुति से हुआ।

बुद्धिनाथ मिश्र,
वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी

लोहा और इस्पात नियंत्रक, कलकत्ता

इस कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों में हिन्दी के प्रयोग के प्रति अधिकाधिक जागरूकता तथा चेतना उत्पन्न करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राजभाषा विभाग के मार्गदर्शनानुसार 14 सितम्बर, 1974 को लोहा और इस्पात नियंत्रक, श्री दीपक कुमार घोष की अध्यक्षता में 'हिन्दी दिवस समारोह' का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डा. कृष्ण बिहारी मिश्र आमंत्रित थे। कार्यक्रम का प्रारम्भ सर्वश्री स्वपन बनर्जी, नवज्योति भट्टाचार्य, गोपाल चक्रवर्त्ती, श्रीमती केया घोष तथा कु. शिप्रा चन्दा द्वारा प्रस्तुत मंगलाचरण से हुआ। तत्पश्चात् डा, सुभाष चन्द्र मजुमदार, संयुक्त लोहा और इस्पात नियंत्रक ने समागत अतिथियों का स्वागत करते हुए इस कार्यालय के कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में हुई प्रगति पर संक्षेप में प्रकाश डाला। डा. मजुमदार ने अपने स्वागत-भाषण में शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग की दिशा में अधिकारियों/कर्मचारियों की जागरूकता की विशेष रूप से प्रशंसा की तथा कहा कि यह कर्मचारियों के सम्मिलित प्रयासों का ही फल है कि अहिन्दी भाषी 'ग' क्षेत्र में स्थित होने के बावजूद इस कार्यालय को वर्ष 1983-84 के दौरान राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में इस्पात विभाग द्वारा प्रशंसा-पत्र प्रदान किया गया है। इसके बाद श्री धीरेन्द्र कुमार झा ने मुख्य अतिथि का परिचय कराया। तत्-पश्चात श्री सनत कुमार सिन्हा, उप लोहा और इस्पात नियंत्रक ने मुख्य अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम के अन्तर्गत 'हिन्दी तथा राष्ट्रीय एकता' विषय पर एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन डा. कृष्ण बिहारी मिश्र ने किया। इस संगोष्ठी में इस कार्यालय के सर्वश्री जे. एल. बोस, क्षेत्रीय लोहा और इस्पात नियंत्रक, कलकत्ता, स्वपन बनर्जी, शीतल चन्द्र मोशा, अमरजीत सिंह तथा शम्भुनाथ प्रसाद ने भाग लिया। श्री जे. एल. बोस, क्षेत्रीय नियंत्रक, कलकत्ता ने इस संगोष्ठी में अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि राष्ट्रीय एकता के परिप्रेक्ष्य में हिन्दी की भूमिका को नजरअंदाज करना राष्ट्रीय हित में घातक होगा। श्री स्वपन बनर्जी ने टूटी-फूटी हिन्दी में अपने विचार प्रकट करके यह सिद्ध कर दिया कि राष्ट्रीय एकता के लिए हिन्दी से सशक्त और कोई माध्यम हो ही नहीं सकता, चूंकि बिना किसी पूर्व अभ्यास के सरलता से अन्तर्प्रान्तीय सम्पर्क के लिए अकुण्ठ भाव से इसका व्यवहार किया जा सकता है। इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में श्री नव-ज्योति भट्टाचार्य ने कबीर तथा मीराबाई के पदों का सुमधुर गायन प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। इसी क्रम में श्री गोपाल चक्रवर्ती द्वारा स्व. सुमित्रानन्दन पंत की 'भारत देश' कविता की संगीतबद्ध प्रस्तुति की गयी, जबकि श्री जयदेव विश्वास ने स्व. रामधारी सिंह 'दिनकर' रचित "मेरे नगपति! मेरे विशाल!" शीर्षक कविता की ओजपूर्ण प्रस्तुति से श्रोताओं को मुग्ध कर दिया।

रवीन्द्र भारती विश्वविद्यालय के दर्शन-शास्त्र के रीडर डा. मानस राय चौधरी ने अपनी स्वरचित हिन्दी कविता "मानव की ओर" का सस्वर पाठ किया, जिसे श्रोताओं ने भरपूर सराहा। इस कार्यालय के उप नियंत्रक, श्री बासुदेव, जो कि बंगला के एक सुपरिचित कवि भी

हैं, ने अपनी "लोडशेडिंग" कविता का पाठ किया। मुख्य अतिथि डा. कृष्ण बिहारी मिश्र ने अपने भाषण में इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस कार्यालय के सभी अधिकारी/कर्मचारी सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में हिन्दी को बढ़ावा देने के पुनीत कार्य में निष्ठापूर्वक जुटे हुए हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज के कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति तथा उनकी भागीदारी से मिलता है। श्री दीपक कुमार घोष लोहा और इस्पात नियंत्रक ने अपने अध्यक्षीय भाषण में इस बात पर बल दिया कि राजभाषा संबंधी आदेशों के कार्यान्वियन के मामले में हम निरन्तर सचेष्ट रहें तथा 'हिन्दी दिवस' का आयोजन औपचारिक रस्म अदायगी के तौर पर न करके 'संकल्प दिवस' के रूप में करें।

श्री धीरेन्द्र कुमार झा, हिन्दी अधिकारी ने कार्यक्रम में भाग लेने वालों तथा समागत अतिथियों के प्रति आभार-प्रदर्शित किया तथा राष्ट्र-गान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

आयकर आयुक्त-रेंज्ज बड़ौदा के विभिन्न कार्यालयों में हिन्दी दिवस

बड़ौदा चार्ज की आयकर आयुक्त श्रीमती संतोष सरूप के निदेशानुसार तथा डा. वेद प्रकाश लक्कड नि. स. आ. रेंज-2 के सहयोग से इस वर्ष हिन्दी दिवस समारोह के आयोजन की परंम्परा मुफस्सिल कार्यालयों में भी आरम्भ की गयी :—

1. आयकर कार्यालय, गोधरा—ता. 5 सितम्बर 1984 को आयकर कार्यालय गोधरा में हिन्दी दिवस का आयोजन किया गया।

आरम्भ में अतिथि श्री मदनलाल मीना, राजभाषा अधिकारी का स्वागत किया गया, तदुपरांत समारोह में उपस्थित स्टाफ सदस्यों को सम्बोधित करते हुए श्री मीनाजी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस वर्ष में कम से कम 40 प्रतिशत कार्यालयीन कामकाज हिन्दी में करना है। राजभाषा अधिकारी ने इस प्रसंग पर यह बात भी स्पष्ट की कि हिन्दी के प्रयोग के बारे में जारी किए गए आदेशों/अनुदेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाना चाहिए। इस समारोह के अध्यक्ष श्री बी. डी. खेंगार (आ. अ. सा. अ.), श्री दुबे (आ. अ.) आदि ने भी इस प्रसंग पर हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। अध्यक्षीय भाषण के दौरान श्री बी. डी. खेंगार ने राजभाषा अधिकारी को आश्वस्त किया कि वे हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के सब संभव प्रयत्न करेंगे जिससे हिन्दी का प्रयोग अपेक्षाकृत मात्रा में बढ़ेगा।

इस समारोह का अंतिम आकर्षण था वादविवाद प्रतियोगित जिसमें इस कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों ने उत्साह के साथ भाग लिया।

(2) आयकर कार्यालय भरूच में हिन्दी दिवस—ता. 10 सितम्बर 1984 को इस कार्यालय के प्रधान लिपिक श्री बालुभाई परमार द्वारा राजभाषा अधिकारी का स्वागत किया गया।

चार्ज के राजभाषा अधिकारी के भाषण के उपरांत श्री कन्हैया लाल नेस्ती, आयकर अधिकारी ने स्टाफ से यह अनुरोध किया कि वे अपने कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाएं। आपने इस बात का आश्वासन भी दिया कि हिन्दी का प्रयोग इस समारोह के बाद निश्चय ही बढ़ेगा।

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए श्री गोवर्धनजी शेठ (आ. अ.) ने भी श्री नेस्तीजी द्वारा दिए गए आश्वासन को दोहराया।

मुख्यालय के हिन्दी अनुवादक ने आयुक्त महोदया के हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के बारे में विचारों को स्टाफ के सामने रखा और कहा कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने का प्रयत्न करना है। इस दिशा में बढ़ने में आने वाली अड़चनों से मुख्यालय को तत्काल अवगत कराने का सुझाव भी हिन्दी अनुवादक ने दिया।

(3) आयकर कार्यालय नड़ियाढ़—11 सितम्बर 84 को इस कार्यालय की ओर से मनाए गए हिन्दी दिवस समारोह की अध्यक्षता आयकर अधिकारी श्री ठाकुर ने की।

अतिथि के रूप में बड़ौदा चार्ज के राजभाषा अधिकारी श्री मदनलाल मीना ने स्टाफ को इस बात से अवगत कराया कि राजभाषा विभाग द्वारा हिन्दी में कामकाज करने के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारी आयुक्त महोदया कृत संकल्प है। इस कार्यालय के स्टाफ से आपने यह भी अपेक्षा व्यक्त की कि वे अपना 40 प्रतिशत कामकाज हिन्दी में ही करें।

हिन्दी अनुवादक ने राजभाषा अधिकारी की इस बात को दोहराते हुए कि हमारी आयुक्त महोदया हिन्दी में कामकाज करने के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़संकल्प है, यह बात सोदाहरण समझाई कि इस चार्ज में हिन्दी में कामकाज की मात्रा बढ़ाने के लिए आयुक्त महोदया एवं रेंज-2 के नि. स. आ. प्रयासशील है एवं इस बारे में जारी किए जाने वाले अनुदेशों की अवहेलना को गंम्भीरता से लेते हैं।

ज. श. अग्रतिया,
आयकर अधिकारी (मुख्यालय),
बड़ौदा।

पंजाब नेशनल बैंक, अहमदाबाद

दिनांक 19-9-84 को बैंक की ओर से हिन्दी दिवस का एक सार्वजनिक समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हरसिद्धि को. ओ. बैंक के चेयरमैन श्री एन. सी. पटेल ने की तथा मुख्य अतिथि गुजरात सरकार के सूचना विभाग के उपनिदेशक श्री त्रिवेदी थे। कार्यक्रम का शुभारम्भ श्री एन. सी. पटेल ने मंगलदीप प्रज्जवलित करके किया। मंगलाचरण के पश्चात डा. विनोद दीक्षित द्वारा लिखित "नाटक की तैयारी" नाटक का मंचन किया गया जिसमें बैंक के कर्मचारियों ने अपना सफल अभिनय किया। इस नाटक का निर्देशन श्री राजेश शाह ने किया। इस नाटक के पश्चात बैंक के गायकों द्वारा गीतसंगीत का सुमधुर कार्यक्रम रखा गया। इसी प्रकार गुजरात की लोकनाटिका पर आधारित प्रहसन "होलिका" का भी प्रदर्शन किया गया जिसका निर्देशन बैंक के उदीयमान कलाकार श्री परेश शुक्ल ने किया। बैंक कर्मचारियों ने इस प्रहसन में अपने नाट्य कौशल का कुशल प्रदर्शन किया। जिसके फलस्वरूप हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

इस अवसर पर हिन्दी की विभिन्न परीक्षांय उत्तीर्ण करने पर प्रमाणपत्र भी वितरित किये गये।

अतिथियों का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय प्रबंधक श्री प्रेमशंकर अस्थाना ने बताया कि पंजाब नैशनल बैंक गुजरात में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने की दिशा में सतत प्रयत्नशील हैं जिसका उदाहरण यह कार्यक्रम हैं। आपने हिन्दी के महत्व को प्रतिपादित करते हुये कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन से पूर्व हमारे नेताओं ने सोचा कि स्वतंत्र राष्ट्र के लिये एक भाषा एक विधान और एक निशान की आवश्यकता है। इस दृष्टि से देश में सबसे अधिक लोगों के उपयोग में लाई जाने वाली भाषा को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। अपाने कहा कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से बैंकों के सामाजिक दायित्व बढ़ गये हैं और इन दायित्वों का निर्वाह जनभाषा के उपयोग से ही पूर्णरूप से हो सकता है। अपने नाटक में अभिनय करने वाले कलाकारों की भी सराहना की। श्री अस्थाना ने जनसमुदाय से अपील की कि वे अपना कारोबार बैंक के साथ अधिकाधिक हिन्दी में करें।

मुख्य अतिथि पद से बोलते हुये गुजरात सरकार के सूचना विभाग के उप निदेशक श्री त्रिवेदी ने कहा कि यह बड़े गर्व की बात हैं कि बैंकों में भी हिन्दी दिवस का समारोह सार्वजनिक कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है। श्री त्रिवेदी नें पंजाब नेशनल बैंक की परम्पराओं की सराहना की तथा बैंक के कलाकारों के उनके श्रेष्ठ प्रदर्शन की बधाई दी। आपने उदीयमान कलाकार श्री परेश शुक्ल के अभिनय की भूरी भूरी प्रशंसा की।

कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री एन. सी. पटेल ने कहा कि बैंकों पर आये सामाजिक दायित्व को पूरा करने में पंजाब नेशनल बैंक सदा अग्रणी रहा है तो हिन्दी के उपयोग में भी अग्रणी रहेगा।

प्रबंधक,
पंजाब नेशनल बैंक क्षेत्रीय कार्यालय, पंचवटी,
अहमदाबाद-6।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, चण्डीगढ़, पंजाब

अपनी भाषा, अपना झंडा और अपना राष्ट्रीय गान, ये तीनों स्वतंत्रता के प्रतीक होते हैं। इस दृष्टिकोण से 14 सितम्बर को भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम दिवस कहा जाए तो कोई अतिश्योक्ति न होगी। क्षेत्रीय कार्यालय पंजाब के लिए इस वर्ष भी यह दिन विशेष महत्वशाली रहा। हिन्दी प्रयोग के बढ़ते चरण के प्रसंग में वर्ष 1982-83 में भी निगम के "ख" "ग" "ग" क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में क्षेत्रीय कार्यालय पंजाब अग्रणी रहा। क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिऐ ये गौरव की बात है कि राजभाषा प्रतियोगिता की प्रथम शील्ड भी क्षेत्रीय कार्यालय पंजाब को ही प्राप्त हुई थी और दूसरी शील्ड प्राप्त करने का श्रेय भी उन्हें ही मिला। हिन्दी दिवस के इस पुनीत अवसर पर ही शील्ड समारोह का आयोजन किया गया ताकि हिन्दी दिवस की महत्ता को दृष्टिगत करते हुए इस प्रतीक दिवस पर पुनः संकल्प दोहराया जाए तथा प्रयोग की स्थिति का मूल्यांकन करने का अवसर भी मिल जाए। निगम मुख्यालय के माननीय श्री साम दत्त जी शर्मा, निदेशक (जन सम्पर्क) इस समारोह के मुख्य अतिथि थे।

मुख्य अतिथि के आगमन पर अधिकारियों और कर्मचारियों तथा अतिथिगण ने उनका करतल ध्वनि से स्वागत किया। उनके स्थान ग्रहण करते ही पृथ्वी राज सालवान ने मंगलाचरण से इस समारोह का शुंभारम्भ किया। क्षेत्रीय निदेशक श्री मदन गोपाल पुरी जी ने मुख्य अतिथि को माल्यार्पण से स्वागत किया।

इसके तुरन्त पश्चात महिला कर्मचारियों ने एक समूह गान में हिन्दी की प्रशंसा करते हुए तथा इसकी महानता पर बल देते हुए अपनी मधुरवाणी से उपस्थित जन-समूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के प्रतिनिधि श्री कंवर सेन ने हिन्दी की महत्ता की ओर इंगित करते हुए अपने विचार प्रस्तुत किए। श्री बृन्दावन दोहरे, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक ने भी शील्ड प्राप्ति के प्रसंग में संकल्प दोहराया कि हमें इसके लिए निरन्तर प्रयास करते रहना है। श्री आर. के. खन्ना, बीमा निरीक्षक नें शील्ड प्राप्ति पर अपनी प्रसन्नता प्रकट की। उन्होंने दोहराया कि हम सब कर्मचारी हिन्दी के प्रसार में पूर्णतः संलिप्त रहेंगे, और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में सदैव सचेष्ट रहेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि भविष्य में भी यह सम्मान बरकरार रखा जाए। इस अवसर पर "हिन्दी-हिन्द की जान है" की उद्घोषणा करते हुए कुमारी मालती उप्पल ने अपनी कविता में अनेकता में भी एकता का सुन्दर शब्दों में निरूपण किया और राष्ट्रीय एकता में हिन्दी की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया। श्रीमती विनोद बाला व उनकी सखियों ने हिन्दी का यशोगान व इसकी महत्ता को एक प्रभावपूर्ण कब्बाली के माध्यम से प्रस्तुत किया–"हम हिन्द के रहने वाले हैं और हिन्दी हमारी भाषा है" कब्वाली के यह शब्द निश्चय ही मन को छूने वाले और प्रेरणा स्त्रोत रहे।

2. श्री विनोद कुमार महाजन, हिन्दी अधिकारी पंजाब ने हिन्दी योग के प्रसंग में वर्ष 1982-83 में हुई प्रगति की वित्त रिपोर्ट पढ़ी जिसके आधार पर पंजाब क्षेत्र को शील्ड प्रदान की गई। श्री महाजन ने उल्लेख किया कि हिन्दी कर्मियों व हिन्दी शाखा के सामूहिक प्रयास, रुचि व लगन के फलस्वरूप ही शील्ड प्राप्ति का गौरव प्राप्त हो सका है, जिसके लिए उन्होंने कार्यालय के अधिकारी वर्ग व कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। इसके पश्चात श्री सोम दत्त जी. शर्मा ने क्षेत्रीय निदेशक, श्री मदन गोपाल पुरी को शील्ड प्रदान की और पुष्प हार पहना कर उनका अभिनन्दन किया। श्री पुरी ने विजयी मुस्कान के साथ मुख्य अतिथि का अभिवादन कर हिन्दी के प्रसार में क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रयासों व आगामी लक्ष्यों का उल्लेख किया और कहा कि हमें यह जो मान मिला है इसे हमें हर कीमत पर बनाए रखना है और राजभाषा हिन्दी को उचित स्थान दिला कर ही रहना है। उन्होंने हिन्दी प्रचार में श्री जीकन लाल शर्मा क. हि. अनुवादक की सराहनीय सेवाओं की प्रशंसा की जिनकी नियुक्ति के साथ हिन्दी कार्य को प्रभावी गति मिल सकी।

मुख्य अतिथि श्री शर्मा जी ने हिन्दी पखवाड़े के दौरान अपना अधिकाधिक कार्य हिन्दी में करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशस्तिपत्र प्रदान किए। निबंध प्रतियोगिता में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले प्रतियोगियों को 21, 21 व 11 रुपये का नकद पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र दिए गए।

श्री मदन गोपाल पुरी, पंजाब नेशनल बैंक के क्षेत्रीय निदेशक श्री सोम दत्त से शील्ड प्राप्त करते हुए

श्री शर्मा जी ने अपने उद्‌बोधन में कहा कि आज पंजाब क्षेत्र को शील्ड भेंट करते हुए उन्हें प्रसन्नता हो रही है और आशा व्यक्त की कि हिन्दी के प्रसार में यह क्षेत्र पूरे निगम में सिरमौर रहने का श्रेष्ठ प्रयास करेगा। उन्होंने हिन्दी की महत्ता को बड़े प्रभावपूर्ण ढंग से स्पष्ट किया और बल दिया कि इसके प्रयोग से ही हम उन्नति की ओर उन्मुख हो सकते हैं।

विनोद कुमार महाजन
हिन्दी अधिकारी

पंजाब नेशनल बैंक क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय, दिल्ली रोड रोहतक में हिन्दी दिवस

बैंक के काम-काज में हिन्दी के यथासंभव अधिक से अधिक प्रयोग के संबंध में भारत सरकार की राजभाषा नीति के पालन तथा अपने ग्राहकों के साथ भाषा के अंतर को कम करने के उद्देश्य से अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करने पर बल दिया जाता है। बैंक में हिन्दी के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने और कर्मचारियों में हिन्दी में काम करने की रुचि पैदा करने और उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न योजनायें चलाई गई हैं।

इसी दिशा में स्टाफ को प्रेरित करने के लिए प्रधान कार्यालय ने प्रत्येक वर्ष 14 सितम्बर को: हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन करने की हिदायतें दी थीं। हमें आपको यह सूचित करते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि हमने शुक्रवार 14 सितम्बर, 1984 को जिला परिषद हाल रोहतक में हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन किया। समारोह में रोहतक शहर में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, बैंक की विभिन्न शाखाओं एवं राज्य सरकार के कार्यालयों ने भाग लिया।

उक्त समारोह का उद्‌घाटन आकाशवाणी रोहतक के केन्द्र निदेशक श्री एम० ए० राकेश ने किया एवं समारोह की अध्यक्षता महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष प्रो. शशि भूषण सिंहल ने की। इस समारोह में महर्षि विश्वविद्यालय रोहतक के हिन्दी विभाग एवं अन्य कालेजों के हिन्दी विभाग के प्राध्यापकों ने भी भाग लिया।

आकाशवाणी रोहतक के केन्द्र निदेशक श्री एम ए राकेश ने अपने उद्‌घाटन भाषण में देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक लिपि एवं हिन्दी भाषा को एक समृद्ध भाषा बताया। उन्होंने इसके प्रचार एवं प्रसार करने पर जोर दिया। अन्य वक्ताओं ने भी हिन्दी को एक संपर्क भाषा के रूप में अपनाए जाने के महत्व पर बल दिया। सभी वक्ताओं का यह भी विचार था कि हिन्दी को सरल एवं सुबोध बनाया जाए। कई वक्ताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला कि हिन्दी ने स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके पश्चात इस क्षेत्रीय कार्यालय के हिन्दी अधिकारी श्री राजसिंह मान ने अपने स्वागत भाषण में हिंदी दिवस मनाये जाने के महत्व पर प्रकाश डालने के साथ-साथ पंजाब नैशनल बैंक द्वारा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए किये जा रहे कार्यों का उल्लेख किया और इस दिशा में अब तक प्राप्त की गई उपलब्धियों का वर्णन किया।

इसके पश्चात पत्र-पठन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें क्षेत्र की विभिन्न शाखाओं के अधिकारियों।कर्मचारियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता के लिए निर्णायक मण्डल के सदस्य विभिन्न कालेजों से लिये गये थे। प्रतियोगिता के परिणाम घोषित करते हुए निर्णायक मण्डल के एक सदस्य डा. पी. सी. शर्मा नें प्रतियोगिता के संबंध में टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रतियोगिता के पत्रों का स्तर काफी अच्छा रहा।

इसके पश्चात एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया जिसमें हिन्दी में कविता-पाठ, प्रहसन आदि प्रस्तुत किये गये। तत्पश्चात पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न हुआ। हिन्दू कालेज रोहतक के प्राधानाचार्य डा. एस. आर. मदान के कर कमलों द्वारा पुरस्कार वितरित किए गये। डा. मदान ने अपने भाषण में कहा कि हिन्दी एक समृद्धशाली भाषा है और इसके माध्यम से सभी विषय पढ़ाये जा सकते हैं। उन्होंने एवं अन्य व्यक्तियों ने भी पंजाब नैशनल बैंक द्वारा हिन्दी दिवस आयोजित किए जाने की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

क्षेत्रीय प्रबन्धक

सिंडिकेट बैंक आगरा द्वारा हिन्दी दिवस

हिन्दी समस्त भारतवासियों की भाषा है किसी प्रदेश की धरोहर नहीं-ये विचार केन्द्रीय हिन्दी संस्थान आगरा के प्रोफेसर न. वी. राजगोपालन ने सिंडिकेट बैंक द्वारा 25 सितम्बर, 1984 को आयोजित "हिन्दी दिवस समारोह" के अवसर पर व्यक्त किये।

प्रो. राजगोपालन ने कहा, संस्कृति और भाषा एक दूसरे से सम्बद्ध हैं। हमें अपनी संस्कृति से जितना लगाव है उतना ही स्नेह अपनी भाषा से होना चाहिये। यद्यपि भारतमाता अनेक भाषाओं को बोलती है, किन्तु उसका हृदय एक ही है। जब हम हृदय और संस्कृति से एक हैं तब भाषा की दृष्टि से अलग रहनें का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

राजभाषा भारती

भाषा के सांस्कृतिक और समाजिक महत्व की चर्चा करत हुए उन्होंने कहा कि भाषा राष्ट्रीय एकता और प्रगति का मूल है। इसे राजनीति का मुद्दा कतई नहीं बनाना चाहिये बस्कि राष्ट्रीय संचेतना के लिये भाषा की भूमिका पर सोचना चाहिए। देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए हमें अपनी भाषाएं अपनानी होंगी। चूंकि हिन्दी समग्र भारत में समझी जाती है अधिसंख्या में, बोली, पढ़ी व लिखी जाती है, अत: हिन्दी अपनाकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ कर सकते हैं।

हिन्दी की सरलता और सरसता पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हिन्दी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो अल्पावधि में सीखी जा सकती है। केवल 250 घटों के अध्ययन से कोई भी गैर हिन्दी भाषी व्यक्ति न केवल हिन्दी बोल व समझ सकता है बल्कि लिख और पढ़ भी सकता है। हिन्दी की सरलता और वैज्ञानिकता पर प्रकाश डालते हुए प्रो. राजगोपालन ने कहा कि हिन्दी का भाषिक स्वरूप इतना अधिक लचीला है कि यह सामाजिक, साहित्यिक वैज्ञानिक औषधीय और कार्यालयीय भाषाओं का स्वरूप आसानी से ग्रहण कर सकती है। आवश्यकता केवल इसे अपनाने की है, जिसके लिये हम सबको आगे आना होगा : उक्त समारोह अत्यन्त आकर्षक ढंग से मनाया गया जिसमें नगर की विभिन्न संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारी एवं हिन्दी विद्वान उपस्थित थे। समारोह का शुभारंभ श्री रमेश चन्द्र द्वारा सरस्वंती वंदना के साथ हुआ। तदुपरांत सिंडिकेट बैंक के मंडलीय राजभाषा अधिकारी (डा.) रामानुज भारद्वाज ने बैंक में हिन्दी की प्रगति एवं हिन्दी के कार्यान्वयन हेतु उठाये गये कदमों पर प्रकाश डाला। साथ ही भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। (डा.) भारद्वाज ने बताया, यद्यपि सिंडिकेट बैंक शुरू से ही कमजोर वर्ग का सहायक बैंक रहा है तथापि हमें जनता के और निकट पहुंचना है। जनता के निकट उसी की भाषा में पहूंचा जा सकता है और इसके लिये हिन्दी ही एक मात्र माध्यम है।

समारोह के आयोजन में सिंडिकेट बैंक के मंडलीय प्रबन्धक श्री वी. दक्षिणामूर्ति ने विशेष दिलचस्पी ली। आगन्तुकों का स्वागत करते हुए उन्होंने विश्वास दिलाया कि वे बैंक में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिये समर्पित हैं। उन्होंने कहा, हमारी हिन्दी में काम करने की भावना स्वेच्छा से होनी चाहिये न कि सरकारी आदेशों पर अथवा प्रोत्साहन मिलने पर।

समारोह की अध्यक्षता राजा बलवन्त सिंह कालेज, आगरा के हिन्दी विभागाध्यक्ष तथा आगरा विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के सचिव डा, बृज किशोर सिंह ने की, अपने अध्यक्षीय भाषण में अत्यन्त नपे-तुले शब्दों में उन्होंने हिन्दी के महत्व की चर्चा की तथा समारोह के आयोजकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि श्री मूर्ति साहब जैसे जागरूक एंव कर्मठ कार्यपालकों के नेतृत्व में हिन्दी निश्चय ही फूले -फलेगी।

वी. दक्षिणामूर्ति
मंडल प्रबन्धक,

इलाहाबाद बैंक, भोपाल

गत वर्ष की भांति इस बार भी इलाहाबाद बैंक में 14 सितम्बर, 1984 का दिन "हिन्दी दिवस" के रूप में मनाया गया। इस उपलक्ष में मण्डल कार्यालय, भोपाल में बैंक के सहायक महाप्रबंधक श्री रघुबीर दास की अध्यक्षता में एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साह से भाग लिया।

प्रतियोगी वक्ताओं ने बैंक के दैनिक कामकाज में हिन्दी प्रयोग की संभावनाएं, हिन्दी में काम करना सरल है–क्यों और कैसे, ग्राहक सेवा पर हिन्दी के प्रयोग का प्रभाव और ग्रामीण शाखाओं में हिन्दी प्रयोग के आयाम, आदि विषयों पर सारगर्भित और प्रखर शब्दों में अपने विचार प्रकट किये। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले वक्ताओं को 100 रु. की मूल्य की हिन्दी पुस्तकें पुरस्कार स्वरूप प्रदान की गई।

अपने समापन भाषाण में श्री दास नें कर्मचारियों का आह्वान किया कि हिन्दी आज एक राष्ट्रीय आवश्यकता है। गुलामी के जमाने में वह दासता की बेड़ियों में जकड़ी रही लेकिन अब आधुनिक भारत में उसे राष्ट्रभाषा होंने के नाते राजभाषा का गरिमामय पद प्राप्त हो गया है। अपने बैंक की नीतियों, कार्यक्रमों और सरकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए हमें एक जुट होकर हिन्दी का प्रसार-प्रचार करना है क्योंकि राष्ट्रभाषा हिन्दी के माध्यम से ही हम आम जनता की आर्थिक नब्ज को छू सकते हैं, उनकी बेहतर ढंग से सेवा कर सकते हैं।

सभा का संचालन राजभाषा अधिकारी श्री आर, के. खाण्डल द्वारा किया गया।

राजेश कुमार खान्डल,
राजभाषा अधिकारी,
मण्डलीय कार्यालय,
भोपाल।

सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली

सैन्ट्रल बैंक, आफ इंडिया, दिल्ली क्षेत्र द्वारा दिनांक 14-9-84 को क्षेत्रीय कार्यालय, लिंक हाउस, नई दिल्ली में एक समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिल्ली में कार्यरत कर्मचारियों के लिए आयोज़ित हिन्दी-वाद-विवाद प्रतियोगिता तथा हिन्दी सुलेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। वाद-विवाद प्रतियोगिता में कुमारी विद्या, श्री उमेश कुमार सोई तथा श्री अशोक कुमार अगरोई क्रमश: प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर रहे। हिन्दी सुलेखन प्रतियोगिता में श्री उबेद उल्लाह, श्री वेदप्रकाश बोंठियाल तथा श्री जगदीश पिपलानी को प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान मिला। हिन्दी दिवस समारोह के, अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भारत सरकार के उप सचिव श्री गोविन्द दास बेलिया को आमंत्रित किया गया था। उप सचिव महोदय ने आग्रह किया कि वे अपने दैनिक कार्यों में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करें, और कार्य करते समय शब्दों के लिए न अटके। भारत सरकार की नीति रही है कि कार्यालयों

में सरल शब्दों का प्रयोग किया जाये और दूसरी भाषाओं के प्रचलित शब्दों को भी उचित स्थान दिया जाए। श्री बेलिया ने सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में किये जा रहे कार्यों की सराहना की तथा इस बात पर प्रसन्नता प्रकट की कि सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया को भारतीय रिजर्व बैंक गर्वनर राजभाषा शील्ड मिली तथा गृह मंत्रालय द्वारा किये गये मूल्यांकन में भी प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। श्री बेलिया के कर कमलों से पुरस्कार दिये गये।

इस अवसर पर मंडल प्रबंधक श्री एस० पी० कक्कड़ ने भी कर्मचारियों को संबोधित किया। भारत सरकार के वार्षिक कार्यक्रम के अनुपालन में दिल्ली क्षेत्र द्वारा राजस्थान की सभी शाखाओं तथा दिल्ली की सभी नामित शाखाओं में 10-9-84 से 15-9-84 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया। इस सप्ताह के दौरान सभी शाखाओं में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित बैनर लगाये गये तथा ग्राहक और बैंक के आंतरिक कार्यों में भी हिन्दी का प्रयोग किया गया। सप्ताह के दौरान ग्राहकों की पासबुकें हिन्दी में भरकर दी गई एवं क तथा ख क्षेत्र पर ड्राफ्ट हिन्दी में बनाये गये। सप्ताह के दौरान बैंक अधिकारियों द्वारा शाखाओं का निरीक्षण हिन्दी के प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए किया गया।

के. एल. कालड़ा,

सहायक महा प्रबन्धक।

कोयला खान श्रमिक कल्याण संस्था धनबाद में हिन्दी दिवस

कोयला खान श्रमिक कल्याण संस्था के मुख्य कार्यालय में दिनांक 14-9-1984 को हिन्दी दिवस के पुण्य अवसर पर कोयला खान कल्याण आयुक्त एवं सर्वकार्यभारी अधिकारी, हिन्दी शिक्षण योजना श्री आर. एस. शिवानी की अध्यक्षता तथा उप-कल्याण आयुक्त एवं राजभाषा अधिकारी श्री टी. सी. जोशी के संचालन में हिन्दी दिवस समारोह एक राष्ट्रीय समारोह के रूप में मनाया गया। इस आयोजन का प्रारंभ सूर्यकांत "निराला" के वीणा वादिनी सरस्वती वंदना से किया गया। समारोह का उद्घाटन करते हुए श्री शिवानी ने कहा कि अपनी सुबोधता, सरलता तथा व्यापकता के कारण हिन्दी राष्ट्रीय एकता की कड़ी है और इस एकता की कड़ी को कायम रखने के लिए उन्होंने प्रतिदिन के सरकारी कार्यों को अधिक से अधिक मात्रा में हिन्दी में करने के लिए कर्मचारियों तथा पदाधिकारियों को प्रोत्साहित किया। राजभाषा विभाग, हिन्दी शिक्षण योजना, जबलपुर के उप-निदेशक श्री. एस. पी. त्रिपाठी भी इस समारोह में अपने दौरे के मध्य उपस्थित थे। उन्होंने सरकारी कामकाज में हिन्दी की प्रगति के बारे में अपना अमूल्य सुझाव दिया। इस समारोह में संस्था के हिन्दी तथा अहिन्दी भाषी अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले श्री जोशी जी ने हिन्दी दिवस की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए संस्थागत हुई हिन्दी की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।

इस राष्ट्रीय समारोह में सर्वश्री टी. एस. सेखों, निदेशक (वित्त एवं लेखा) टी. सी. जोशी, उप कल्याण आयुक्त, देवाशीष दत्त, कार्यपालक अभियंता, आनन्द कुमार शर्मा, चंचल, हिन्दी प्राध्यापक, सलीम अहमद, लेखा पाल, मदन प्रसाद, कनिष्ठ अभियंता, कृष्ण जी लाल, हिन्दी अनुवादक, प्रेम सागर प्रसाद, प्रधान लिपिक, डी. डी. गुप्ता, आशुलिपिक, वरिष्ठ लिपिक श्री एस. एन. मिश्रा. परशुराम राय. एवं एम. हसन ने बड़े उत्साह के साथ स्वरचित कविता, कहानी, आख्यायिका लेख आदि पढ़े। इसके अलावा हिन्दी के प्रति भारतीय महापुरुषों तथा विदेशी विद्वानों के विचार-कणों से लोगों को अवगत कराया गया।

उपस्थित जनसमुदाय ने राजभाषा हिन्दी को सही अर्थों में प्रतिष्ठित करने के लिए अनवरत संदेश देने वाला इस हिन्दी दिवस समारोह जैसे कार्यक्रमों को समय-समय पर आयोजित करने के लिये आयुक्त महोदय से अनुरोध किया।

आर. एस. शिवानी,

कोयला खान कल्याण

आयुक्त एवं सर्वकार्यभारी

अधिकारी।

कोयला खान कल्याण आयुक्त श्री आर. एस. शिवानी हिन्दी समारोह का उद्घाटन करते हुए।

इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि., इलाहाबाद

"हिन्दी भारत की राष्ट्रीय तथा भावात्मक एकता की एक सुदृढ़ कड़ी है। हमारे राष्ट्र नेताओं ने इसी लिए हिन्दी को राष्ट्र भाषा एवं राजभाषा का स्थान दिया। स्वतंत्रता पूर्व स्वाधीनता आंदोलन के साथ हिन्दी के लिए भी अभियान चला क्योंकि एक स्वतंत्र राष्ट्र का व्यक्तित्व और सांस्कृतिक स्वतंत्रता बिना अपने देश की एक भाषा के संभव नहीं थी। वर्तमान में जब कि भारत सरकार विशेष रूप से हिन्दी भाषी क्षेत्रों में सरकारी कामकाज में हिन्दी को पूरी तरह से व्यवहार में लाना चाहती है तो हम सभी सरकारी कर्मचारियों का कर्तव्य है कि हिन्दी के लिए सरकारी नीति को लागू करने में सहयोग करें। आइ. टी. आई. में प्रबंधक वर्ग की ओर से सदैव हर प्रकार का प्रोत्साहन और सहयोग हम देते रहेंगे।"

उपर्युक्त उद्‌गार इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि. नैनी के महाप्रबंधक ब्रिगे० के. बालासुब्रामनियम हैं जो संस्थान द्वारा आयोजित राजभाषा सप्ताह के समापन पर हिन्दी दिवस समारोह में बोल रहे थे। इस अवसर पर आपने इस वर्ष तथा इस सप्ताह के दौरान आयोजित विभिन्न 7 हिन्दी प्रतियोगिताओं के 32 विजयी प्रतियोगियों को पुरस्कार एवं प्रशस्तिपत्र प्रदान किए।

इस समारोह में संस्थान के उपमहाप्रबंधक, कार्मिक एवं प्रशासन तथा राजभाषा अधिकारी, श्री मदन लाल गुप्त ने आई. टी. आई. की हिन्दी क्षेत्र की उपलब्धियों की सराहना की जो नैनी एकक को आई. टी. आई. परिवार की अन्य यूनिटों और कार्यालयों तथा भारत सरकार के लगभग 100 सार्वजनिक उपक्रमों के बीच मिली है। श्री गुप्त ने आशा व्यक्त की कि हम एक आदर्श अनुकरणीय परम्परा का निर्वाह करेंगे।

समारोह में सर्वोच्च अहिन्दी भाषी हिन्दी प्रेमी अधिकारी के रूप में महाप्रबंधक श्री बालासुब्रामनियम एवं राजभाषा अधिकारी श्री गुप्त का भावपूर्ण रीति से सम्मान किया गया।

संत कुमार टण्डन,
हिन्दी अधिकारी।

आयकर विभाग, आगरा

14 सितम्बर, 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकार करने के उपलक्ष्य में आयकर विभाग, आगरा द्वारा दिनांक 19-9-1984 को माथुर वैश्य महासभा भवन पचकुंइयां में हिंदी दिवस सोल्लास मनाया गया। इस समारोह की अध्यक्षता आयकर आयुक्त, श्री त्रिलोकी नाथ पाण्डेय, आई. आर. एस. ने की तथा आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति डा. अगम प्रसाद माथुर प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित हुए।

समारोह का प्रारंभ प्रमुख अतिथि द्वारा वाक्‌देवी सरस्वती के माल्यार्पण एवं आयकर अधिकारी कुमारी शबरी राय द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वन्दना से हुआ। प्रमुख अतिथि का स्वागत करते हुए श्री कृष्ण स्वरूप सहायक आयुक्त ने ऐसे राजकीय समारोहों में शिक्षाविदों के द्वारा प्रदत्त सहयोग पर हर्ष व्यक्त किया और वर्तमान आयुक्त श्री त्रिलोकी नाथ पाण्डेय द्वारा आयकर विभाग में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में किए जा रहे प्रयत्नों से सभासदों को अवगत कराया।

प्रमुख अतिथि डा. माथुर ने संक्षेप में हिंदी के सामाजिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए विदेशी तत्वों द्वारा उत्पन्न अड़चनों को दूर करने का आह्‌वान किया। साथ ही इस पर भी बल दिया कि हिंदी का प्रयोग स्नेह एवं सौम्य वातावरण द्वारा बढ़ाया जाए और आम बोलचाल की हिंदी को अपनाया जाए।

आयकर आयुक्त श्री त्रिलोकी नाथ पाण्डेय ने अपने अध्यक्षीय भाषण में शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी के शोचनीय प्रयोग की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि मूलतः संस्कृत से और गौणतः प्रादेशिक भाषाओं व विदेशी भाषाओं के शब्दों को आत्मसात करने के कारण हिंदी का विशाल शब्द भंडार है। अपनी कोमल प्रकृति के कारण हिंदी अहिंदी भाषी लोगों के लिए भी सहज और सरल भाषा बनी हुई है। आयुक्त महोदय ने अधिकारियों व कर्मचारियों से मानसिक दासता को त्यागकर अपने कामकाज में अधिकाधिक हिंदी को अपनाने के लिए संकल्प करने का आहवान किया।

हिंदी दिवस के अवसर पर आयकर विभाग आगरा में हिंदी में आदेश, निबंध, उक्ति (स्लोगन) एवं पहेली प्रतियोगिताओं में विजेता कर्मचारियों/अधिकारियों को नकद पुरस्कार तथा प्रमाण-पत्र प्रमुख अतिथि द्वारा वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त प्रभाग में हिंदी के सराहनीय प्रयोग के लिए चल वैजयन्ती रेन्ज-1 को प्राप्त हुई, जो अपनी रेन्ज की ओर से श्री कृष्ण स्वरूप, निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त ने प्राप्त की। सराहनीय कार्य के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र भी दिए गए। इस अवसर पर श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल, आयकर अधिकारी, श्री अशरफ, सहायक निदेशक (आसूचना), श्री ओंकार सिंह, श्री राम प्रकाश भट्ट, व श्री हरीशंकर उपाध्याय ने अपनी सरस रचनाएं पढ़कर कार्यक्रम को मनोरंजक बनाया।

राम चन्द्र मिश्र,
हिन्दी अधिकारी।

हिन्दी सप्ताह

पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, केरल परिमंडल

तिरूवनंतपुरम नगर में स्थित केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों और स्थानीय केरल हिन्दी प्रचार सभा के संयुक्त तत्वावधान में तारीख 14-9-84 से 20-9-84 तक हिन्दी सप्ताह बड़े पैमाने पर धूमधाम से मनाया गया।

तारीख 15-9-84 को नगर में स्थित सभी कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए हिन्दी में अनुवाद, टिप्पण और आलेखन, टाइपिंग, वक्तृता, भाषण निबंध आदि मदों में प्रतियोगिताएं चलायी गयीं।

तारीख 16-9-84 को नगर में स्थित केन्द्र के सभी कार्यालयों के कर्मचारियों के बच्चों के लिए हिन्दी में वक्तृता, निबंध, भाषण, हस्तलेखन, गायन, संगीत आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गयीं। पुरस्कार विजेताओं को दूरसंचार महाप्रबंधक, प्रकाशन विभाग तथा क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय आदि की ओर से पुरस्कार एवं समारोह समिति की तरफ से प्रमाण पत्र प्रदान किये गये।

तारीख 17-9-84 को स्थानीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान में एक संगोष्ठी भी समायोजित की गयी, जिस में हिन्दी के जाने माने स्थानीय विद्वानों ने भाग लिया।

तारीख 18-9-84 को क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला में कर्मचारियों की बैठक बुलाकर उन्हें राजभाषा अधिनियम और नियम आदि से अवगत कराते हुए भाषण दिये गये। समारोह समिति के अध्यक्ष और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सचिव ने उक्त बैठक में भाग लिया।

तारीख 19-9-84 को भविष्य निधि के आयुक्त के कार्यालय में कर्मचारियों की बैठक बुलाकर राजभाषा नियमों के प्रावधानों से उन्हें अवगत कराया गया। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सचिव व दूसरे हिन्दी अधिकारियों ने कर्मचारियों से अनुरोध किया कि वे राजभाषा नियमों का अनुसरण करते हुए हिन्दी कार्यान्वयन के काम को आगे बढ़ाने के महान कार्य में यथासंभव अपना अपना योगदान करें।

इस बीच भारतीय भाषा सम्मेलन और भारतीय भाषा कवि-सम्मेलन का भी आयोजन करके हिन्दी के प्रचार-प्रसार के द्वारा देश की भावात्मक एकता को सुदृढ़ बनाने की बात पर जोर दिया गया।

हिन्दी सप्ताह समारोह के दौरान केरल डाक परिमंडल के कार्यालय में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तरफ से एक हिन्दी कार्यशाला चला कर कर्मचारियों को हिन्दी में टिप्पणी और आलेख लिखन का गहन प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला की समाप्ति पर केरल डाक परिमण्डल के डाक सेवा निदेशक ने प्रतियोगियों को प्रमाण पत्र बांटे उन्हें नियमानुसार कार्यालयीन काम हिन्दी में करने की सलाह दी गई।

यह उल्लेखनीय है कि हिन्दी सप्ताह समारोह के दौरान आकाशवाणी के स्थानीय केन्द्र से प्रति दिन हिन्दी के कार्यक्रम प्रसारित किये गये। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सचिव ने इस कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए राजभाषा हिन्दी और हिन्दी दिवस के महत्व के बारे में स्थानीय भाषा मलयालम में एक भाषण प्रसारित करके हिन्दी पढ़ने, पढ़ाने और हिन्दी का प्रयोग करने के लिए देशवासियों से आह्वान किया।

केरल दूरसंचार परिमंडल की तरफ से एक "सहायक साहित्य" ग्रन्थ इस मौके पर प्रकाशित किया गया। इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा एक राजभाषा प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया।

तारीख 20-9-84 को समापन सम्मेलन में अकाशवाणी के केन्द्र निदेशक ने हिन्दी में भाषण देकर यह स्पष्ट कर दिया कि कार्यालयीन काम हिन्दी में किया जा सकता है। रंगारंग कार्यक्रम के साथ हिन्दी सप्ताह समारोह सफलतापूर्वक समाप्त हुआ।

डी. कृष्ण पणिकर,
हिन्दी अधिकारी,
पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय
तिरुवनंतपुरम्

पुणे टेलीफोन्स

राजभाषा हिन्दी के पैंतीसवें जन्म-दिवस के अवसर पर पुणे टेलीफोंस में, दि. 14-9-84 से दि. 19-9-84 तक हिन्दी-सप्ताह का भव्य आयोजन किया गया।

दि. 14-9-84 को हिन्दी सप्ताह का विधिवत् उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में व्याख्यान देते हुए डा. चन्द्रकान्त बांदिवडेकर, हिन्दी-मराठी साहित्य के समीक्षक एवं रीडर, पुणे विद्यापीठ, ने मातृभाषा के प्रति प्रेम तथा राजभाषा एवं संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी के प्रति प्रेम पर विशेष बल दिया।

समारोह का उद्घाटन करते हुए पुणे टेलीफोन्स के महा-प्रबंधक माननीय आ. अ. शिवसुब्रमणियन ने इस आयोजन पर हार्दिक हर्ष प्रकट करते हुए समारोह के विभिन्न कार्यक्रमों में, पुणे टेलीफोन्स के कर्मचारियों को भाग लेने हेतु प्रेरित करते हुए समारोह की सफलता हेतु अपनी शुभकामनाएं व्यक्त कीं।

हिन्दी सप्ताह क दौरान, तात्कालिक वाक् प्रतियोगिता, कविता-वाचन, कर्मचारियों के बच्चों की ओर से कार्यक्रम, वाद-विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता एवं टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया ।

दिनांक 19-9-84 को हिन्दी सप्ताह के समापन के अवसर पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया । कवि सम्मेलन की अध्यक्षता, हिन्दी नई-कविता के प्रौढ़ कवि श्री हरिनारायण व्यास जी ने की । इस कवि सम्मेलन में सर्वश्री मनमोहन चौहाडा, उधोराम सिंह, ए. एच. पठाण, इब्राहिम फैज, डा. किशोर वासवानी श्रीमती प्रभा ठाकुर, मालती शर्मा, कु. सिंधू भिगारकर एवं पदमजा धोरपडे ने अपनी अपनी रचनाओं का पाठ किया । कवि सम्मेलन के उपरांत पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया । हिन्दी सप्ताह के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं में कुल 137 प्रतियोगियों ने भाग लिया, जिनमें से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर आने वाले 22 कर्मचारियों, को मुख्य अतिथि श्रीमती हेमा शिवसुब्रमणियन के कर कमलों से पुरस्कृत किया गया ।

किशोर वासवानी,
हिन्दी अधिकारी,
पुणे, टेलीफोन्स

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पुणे

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पूना स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में दिनांक 6 अगस्त, 1984 से 10 अगस्त, 84 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया । हिन्दी सप्ताह का उद्घाटन श्री वेद प्रकाश जी, चिकित्सा आयुक्त ने किया । इस दौरान अधिकांश सामान्य आदेश द्विभाषिक रूप में जारी किए गए, हिन्दी सप्ताह का बैनर लगाया गया और कार्ड-बोर्ड पर 'हिन्दी में कामकाज आसान है' । आप 'शुरू तो कीजिए' । लिख कर कार्यालय में सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर टंगवाया गया, और चैक हिन्दी में लिखे गए । पूरे दफ्तर में नेमी काम हिन्दी में शुरू हुआ ।

14 सितम्बर, 1984 को हिन्दी दिवस समारोह कार्यक्रम संपन्न हुआ । इस अवसर पर अध्यक्षता श्री व. बा. शिंदे ने की । मुख्य अतिथि श्री राजा राम बलगे, हिन्दी प्रमुख, आकाशवाणी, पुणे थे । इस अवसर पर मुख्यालय की तरफ से इस क्षेत्र को हिन्दी व्यवहार प्रतियोगिता में 'ख' क्षेत्र में द्वितीय स्थान प्राप्त करने के लिए ट्राफी प्रदान की गई । निगम मुख्यालय के प्रतिनिधि श्री राजकुमार मेहता ने आशा व्यक्त की कि इस कार्यालय द्वारा जो प्रयास हिन्दी बढ़ाने के लिए किये गए हैं वे बराबर बने रहने चाहिए ।

निदेशक श्री व. बा. शिंदे ने सभी कर्मचारियों व अधिकारियों के हिन्दी में सहयोग की प्रशंसा की । इस अवसर पर जिन कर्मचारियों ने अच्छा कार्य किया उन्हें पुरस्कार वितरित किए गए, और आशा व्यक्त की गई कि वे हिन्दी में काम करने के लिए और लगन और रुचि के साथ काम करेंगे । मुख्य अतिथि श्री नलगे ने हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने में महाराष्ट्र प्रदेश के योगदान को स्पष्ट करते हुए यह जोर दिया कि हिन्दी के आदेश और अनुदेश हिन्दी अनुभाग के लिए नहीं इनका समुचित अनुपालन सभी स्तरों पर किया जाना चाहिए तथा प्रशासन व्यवस्था को हिन्दी अधिकारी एवं हिन्दी कक्ष के इस कार्य-निष्पादन में सक्रिय सहयोग देना चाहिए ।

क्षेत्रपाल शर्मा
हिन्दी अधिकारी

गुजरात रिफाइनरी, बड़ौदा

गुजरात रिफाइनरी में 8 सितम्बर, 1984 से 14 सितम्बर, 1984 तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया, जिसमें कर्मचारियों ने बढ़चढ़ कर भाग लिया ।

निबंध व वाक् प्रतियोगिता की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि इसमें पुरस्कार विजेता अधिकांशत: अहिन्दी भाषी ही रहे । इसके अतिरिक्त एक कवि-सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ौदा के हिन्दी/उर्दू और गुजराती के लब्ध प्रतिष्ठित कवियों ने अपनी अपनी कविताओं द्वारा श्रोताओं को आनंदित किया ।

14 सितम्बर, 84 को केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बड़ौदा के समाहर्ता श्री ना. ब. सोनावणे एवं सरदार पटेल विश्वविद्यालय, विद्यानगर के हिन्दी विभागाध्यक्ष डा. शिवकुमार मिश्र तथा रिफाइनरी के महाप्रबंधक श्री जे. एल. वासुदेवा की उपस्थिति में हिन्दी दिवस मनाया गया । इस अवसर पर गुजरात रिफाइनरी द्वारा हिन्दी प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका "तेल मंथन" का महाप्रबंधक द्वारा विमोचन किया गया ।

समारोह के विशिष्ट अतिथि श्री सोनावणे ने कहा कि भारतवर्ष की सभी भाषाओं में हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है, जो सम्पर्क भाषा के रूप में सबसे अधिक लोगों के द्वारा बोली और समझी जाती है । हमारी बातचीत अक्सर हिन्दी या अपनी-अपनी मातृभाषा में होती है । अगर हमें अंग्रेजी नहीं आती तो कोई बात नहीं परन्तु अगर हमें हिन्दी नहीं आती तो हम दिक्कत में पड़ सकते हैं ।

डा. शिवकुमार मिश्र के अनुसार हिन्दी और अंग्रेजी में अपनी मां और सौतेली मां जैसा फर्क है । उन्होंने कई उदाहरण देते हुए सिद्ध किया कि विभिन्न अहिन्दी भाषी व्यक्ति जब आपस में मिलते हैं तो सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी ही बीच में आती है ।

अपने अध्यक्षीय भाषण में महाप्रबंधक श्री वासुदेवा ने कहा कि अपने देश में ही नहीं, बल्कि विदेश में आप कहीं भी चले जाइए, हिन्दी आपको हर जगह मिलेगी । उन्होंने सरल हिन्दी की तरफदारी करते हुए उसे अपने दफ्तरी काम में धीरे-धीरे अपनाने का अनुरोध किया ।

विनोद शंकर
उपप्रबंधक (प्रशा.)

रेलवे स्टाफ कालेज, बड़ोदरा

सरकार की नीति एवं आदेश तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के निर्णय के अनुसारण में रेलवे स्टाफ कालेज, बड़ोदरा में 10-9-84 से 14-9-84 तक हिंदी सप्ताह का आयोजन किया गया।

हिंदी सप्ताह के अवसर पर ही यहां राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठक भी आयोजित की गई। वयोवृद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, प्रबुद्ध साहित्यकार एवं हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य श्री गंगाशरण सिंह एवं श्री रतनचन्द धीर इस अवसर पर प्रेक्षक के रूप में बैठक में भाग लेने दिल्ली से बड़ोदरा पधारे।

विभिन्न मंडलों में भारतीय रेलों में हुई हिंदी प्रगति की एक प्रदर्शनी का यहां आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन श्री गंगाशरण सिंह जी के करकमलों से संपन्न हुआ। रेलवे स्टाफ कालेज में विभिन्न रेलों से आए प्रशिक्षण अधिकारियों व प्रोबेशनर अधिकारियों की प्रदर्शनी देख कर रेलों में उत्तरोत्तर हो रही हिंदी प्रगति की जानकारी हुई।

दिनांक 11-9-84 को रात्रि 8-30 बजे से कवि-गोष्ठी का आयोजन किया गया, बाबू गंगाशरण सिंह एवं श्री रतन चन्द धीर के अतिरिक्त स्थानीय कवियों, विभिन्न भारतीय रेलों से आए छात्राधिकारियों तथा कवियों ने अपनी सरल एवं मधुर कविताओं का पाठ किया और श्रोताओं को भाव-विभोर कर दिया।

हिंदी सप्ताह के अवसर पर प्रोबेशनर अधिकारियों, अन्य पाठ्यक्रमों के छात्राधिकारियों तथा इस संस्थान के कर्मचारियों के लिए हिंदी निबंध, हिंदी वाक् तथा हस्ताक्षर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। 38 अधिकारियों/कर्मचारियों ने इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया।

14-9-84 को प्रिंसिपल महोदय की अध्यक्षता में हिंदी दिवस समापन समारोह का गरिमामय ढंग से आयोजन किया गया। प्रबुद्ध वक्ताओं ने हिंदी दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला और रेलों पर होने वाले जनसंपर्क कार्य के संदर्भ में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग का महत्व स्थापित किया। विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कार व प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

इस हिंदी सप्ताह से संबंधित सभी कार्यक्रम पूर्ण गरिमामय ढंग से आयोजित किए गए और कार्यक्रम में सभी अवसरों पर उपस्थित रह कर संस्थान के प्रिंसिपल महोदय ने इनका गौरव बढ़ाया।

आयकर कार्यालय, नागपुर

14 सितम्बर, से 20 सितम्बर, तक आयकर भवन, नागपुर में हिन्दी सप्ताह' विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया गया।

14 सितम्बर को हिन्दी दिवस का आयोजन हिन्दी निबंध प्रतियोगिता द्वारा किया गया। उद्घाटन श्री केदारनाथ, आयकर आयुक्त द्वारा किया गया। इस में 23 प्रतियोगियों ने भाग लिया। विदर्भ के अन्य आयकर कार्यालयों में भी स्थानीय तौर पर ऐसी प्रतियोगिताएं की गई थी, इसी लिए बाहर के प्रतियोगी नागपुर नहीं आ सके। प्रतियोगिता में प्रथम श्री के. एस. अय्यर, द्वितीय कुमारी सुमन सरीन, एवं तृतीय श्री कृ. व. चंचोलकर रहे। सांतवना प्रमाण-पत्र श्री वि. ग. चौधरी, श्री बी. एल. मेश्राम तथा श्री जयदेव ने प्राप्त किया।

15 सितम्बर को हिन्दी टंकण प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन श्री टी. एस. श्रीनिवासन, आयकर आयुक्त (अपील) के द्वारा सम्पन्न हुआ।

17 सितम्बर को हिन्दी हस्ताक्षर अभियान का कार्यक्रम सुबह 10.00 बजे से दोपहर एक बजे तक चलाया गया। वकील, व्यापारी तथा अधिकारी एवं कर्मचारी मिलाकर 454 व्यक्तियों ने हिन्दी में हस्ताक्षर किये।

17 सितम्बर को आयकर भवन के मनोरंजन हाल में हिन्दी वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई। वादविवाद का विषय था समाज के संतुलित विकास के लिये सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण आवश्यक है। 113 सदस्यों ने पक्ष-विपक्ष में अपने मत व्यक्त किए तथा ठसाठस भरे सभागृह के श्रोताओं को रोचक संभाषण से लोटपोट करते रहे। वादविवाद के निर्णायक थे, श्री मोहन चन्द्र जोशी राजभाषा अधिकारी, श्री बी. पी. संधी आयकर अधिकारी तथा श्री एस. पी. शर्मा, हिन्दी अधिकारी, बैंक आफ इंडिया, नागपुर। वाद-विवाद में विपक्ष की ओर से प्रथम स्थान प्राप्त किया श्री विजय आनन्द देव तथा द्वितीय श्री के. जी. चिंचोलकर तथा तृतीय श्री ए. के. मेश्राम रहे। पक्ष की ओर से प्रथम स्थान श्री एम. ब. के. उके द्वितीय स्थान श्रीमती आर्वीकर ने प्राप्त किया।

20 सितम्बर को हिन्दी सप्ताह का समापन कार्यक्रम तिरपुड़े महाविद्यालय के हाल में आयोजित किया गया। प्रमुख अतिथि नागपुर विश्वविद्यालय हिन्दी विभाग के प्राध्यापक श्री डा. एम. एस. कडू थे। डा. कडू ने अपने भाषण में उल्लेख किया कि सरकारी काम करते समय तकनीकी शब्दाभाव के कारण हिन्दी के काम को नहीं रोकना चाहिये। आपने यह भी कहा कि जो शब्द हिन्दी में तकनीकी शब्दों की कमी को अन्य भारतीय भाषाओं से शब्द उधार लेकर पूरा किया जा सकता है डा. कडू ने बताया कि हिन्दी की अन्य भारतीय भाषाओं से प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि हिन्दी की समृद्धि होने पर भारत की सभी भाषायें और अधिक संपन्न बनेंगी। हिन्दी की प्रतिस्पर्धा तो केवल अंग्रेजी से है। इस अवसर पर विदर्भ के पहले आयकर आयुक्त श्री के. एन. अनन्तराम अय्यर भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री केदारनाथ जी ने श्री कडू तथा श्री अय्यर का पुष्पमालाओं से सत्कार किया। श्री केदारनाथ जी ने कहा 'हम सब हिन्दी को स्वेच्छा से अपनाने का संकल्प लेकर एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं'।

हिन्दी के इसी संगम कार्यक्रम में आयकर विभाग के नाट्य कलाकारों तथा अन्य सहयोगी कलाकारों ने 'वसीयतनामा' श्री पी. टी. एन. एनरी, आयकर अधिकारी के निर्देशन में प्रस्तुत किया तथा सखाराम वाइंडर का प्रस्तुतीकरण उषाकाल कला निकेतन नागपुर के सौजन्य से किया गया। इसके निर्देशक श्री रंजु पैठनकर तथा श्रीमती आशा दारव्हेकर का सहयोग सराहनीय रहा। दोनों हास्य एकांकी नाटक दर्शकों को बारबार हंसाते रहे।

इस कार्यक्रम में आयकर अपील प्राधिकरण, नागपुर के सदस्य श्री जी. आर. राघवन तथा केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क, नागपुर के समाहर्ता श्री कश्मीरा सिंह, श्री के. एन. अनन्तराम अय्यर, आयकर आयुक्त तथा श्री डी. एस. श्रीनिवासन, आयकर आयुक्त अपील विशेष की उपस्थिति के अलावा आयकर अधिकारी तथा उनके परिवार के सदस्य भी उपस्थित थे। हिन्दी सप्ताह को सफल बनाने में आयकर विभाग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारीयों का सहयोग सराहनीय रहा है। सम्पूर्ण हिन्दी सप्ताह के कार्यक्रम का कार्यान्वयन अच्छे ढंग से निपटाने में हिन्दी अधिकारी, श्री रा. ना. निखर का कार्य प्रशंसनीय रहा।

राष्ट्रदूत
23-9-84

नागपुर टेलीफोन्स

प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी नागपुर टेलीफोन्स में 14 सितम्बर, 1984 से 19 सितम्बर, 1984 तक 'हिन्दी सप्ताह' के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

दिनांक 14-9-84 को नागपुर टेलीफोन जिले के प्रबन्धक श्री हरिचन्द मेहता ने हिन्दी सप्ताह का विधिवत् उद्घाटन करते हुए कर्मचारियों को प्रेरणा दी कि वे अपना अधिक से अधिक सरकारी कामकाज सरल बोल-चाल की हिन्दी भाषा में आज से ही नहीं, वरन् अभी से आरम्भ कर हिन्दी सप्ताह को वास्तविक रूप से सार्थक बनाएं। उन्होंने कर्मचारियों को सलाह दी कि वे आरंभिक प्रयास के रूप में सरल हिन्दी का प्रयोग करें। बेझिझक, बेहिचक अन्य भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। अंग्रजी शब्दों को देवनागरी में लिख देने से भी प्रारम्भ में काम चल सकता है।

राजभाषा अधिकारी एवं मंडल इंजीनियर फोन (प्रशासन) श्री साधन कुमार मोइत्रा ने भी कर्मचारियों को सम्बोधित किया। आरम्भ में हिन्दी अधिकारी श्री शरदचंद्र पेंढ़ारकर ने हिन्दी सप्ताह के आयोजन की भूमिका स्पष्ट की। इस अवसर पर आयोजित हिन्दी टिप्पण व आलेखन प्रतियोगिता का उल्लेख करते हुए उन्होंने ऐसे कार्यक्रमों के समय-समय पर आयोजन करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस प्रतियोगिता में श्री मा. ल. क्षीरसागर ने प्रथम एवं श्रीमती मालती देशपांडे ने द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया।

हिन्दी सप्ताह के दूसरे दिन दिनांक 15-9-84 को नागपुर टेलीफोन जिले में तीन विभिन्न स्थानों पर तात्कालिक हिन्दी निबंध लेखन स्पर्धा आयोजित की गई। मुख्य टेलीफोन एक्सचेंज, इतवारी टेलीफोन एक्सचेंज तथा जिला प्रबंधक कार्यालय में आयोजित इस स्पर्धा में कर्मचारियों ने काफी उत्साह से भाग लिया। निबन्ध के विषय थे--(1) हिन्दी राष्ट्रीय एकता की एक कड़ी है, (2) दूरदर्शन जनता की आकाँक्षा के कितने दूर कितने पास, (3) टेलीफोन कर्मचारियों में सौजन्य एवं विनम्रता की आवश्यकता है। इस स्पर्धा के निर्णायक थे

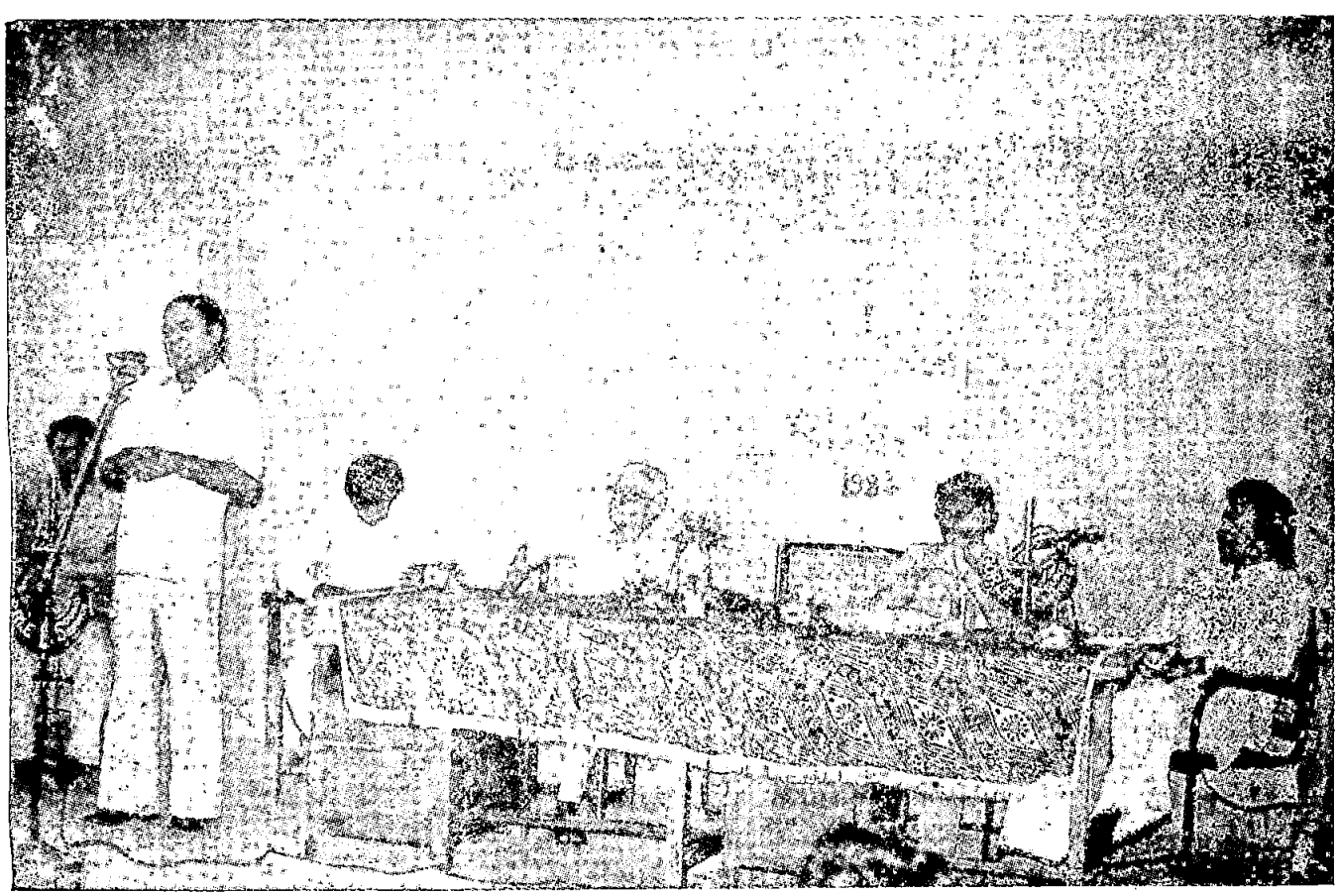

नागपुर टेलोफोन द्वारा 'हिन्दी सप्ताह' के अवसर पर आयोजित हिन्दी कवि सम्मेलन में कवि श्री मधुप पांडेय कविता पाठ करते हुए।

भारतीय रिजर्व बैंक के हिन्दी अधिकारी श्री तनवर। इस प्रतियोगिता में श्री गजानन पांडे ने प्रथम, श्री एस. डी. देशपाण्डे ने द्वितीय तथा श्री व्ही. एस. राव एवं श्री व्ही. एल. सक्सेना ने तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया।

दिनांक 17 सितम्बर, 1984 को टी. ए. एक्स. भवन में एक कवि सम्मेलन का संचालन श्री सागर, खादीवाला ने किया और अध्यक्षता दूर-संचार के निदेशक श्री केशव प्रसाद मिश्र ने की।

दिनांक 18-9-84 को हिन्दी शिविरों का आयोजन इतवारी एक्स-चेंज क्षेत्र एवं मुख्य एक्सचेंज क्षेत्र में स्थित विभिन्न यूनिट कार्यालयों में किया गया। उन्हें राजभाषा नियमों की जानकारी दी गई तथा उन्हें अधिक से अधिक कामकाज हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

दिनांक 19-9-84 को विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के साथ हिन्दी सप्ताह का समापन हुआ। समापन करते हुए जिला प्रबन्धक श्री हरिचन्द मेहता ने कहा कि 'हिन्दी सप्ताह' मनाने की सार्थकता उसी समय सिद्ध होगी, जब कर्मचारी हिन्दी सप्ताह का उत्साह आगे सतत् बनाए रखें। इसी महत् उद्देश्य को कार्यरूप देने के लिए हिन्दी सप्ताह के समापन के दिन ही 30 दिन तक चलने वाली हिन्दी कार्यशाला के छठवें सत्र का शुभारम्भ जिला प्रबन्धक श्री हरिचन्द मेहता ने किया।

इसके पूर्व हिन्दी सप्ताह के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। □□□

नगर हिन्दी सप्ताह समिति, बम्बई

(नगर हिन्दी सप्ताह समिति, बम्बई के द्वारा दिनांक 14 सितम्बर से 'हिन्दी सप्ताह' का आयोजन किया गया। आयोजन में थे हिन्दी शिक्षक पत्रिका के संपादक बम्बई के जाने माने हिन्दी सेवी श्री हरि शंकर। हिन्दी सप्ताह का उद्घाटन महाराष्ट्र विधान सभा के अध्यक्ष माननीय शरद दिघे ने किया। माननीय दिघे का भाषण हिन्दी के प्रचार और प्रसार में लगे व्यक्तियों का मनोबल ऊंचा करेगा और प्रेरणादायक सिद्ध होगा। इसी अभिप्राय से माननीय दिघे के भाषण को यहां उद्धृत किया जा रहा है)

हिन्दी-दिवस 14 सितम्बर की पूर्व-संध्या पर आज हमें 'हिन्दी सप्ताह' का शुभारम्भ करते हुए प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मुझे लग रहा है कि हिन्दी के लिए मनाया जा रहा यह सप्ताह हमें आज की विघटनकारी शक्तियों के बीच उसी प्रकार की प्रेरणा दे रहा है, जैसा कि देश की आजादी के पूर्व सारे देश को एक होकर आजादी के लिए लड़ने की प्रेरणा हमारे राष्ट्रीय नेता दिया करते थे। हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है, जिसे हम अंग्रेजी में नेशनल लैंग्वेज कहते हैं। परन्तु आजादी के 37 साल गुजर जाने के बाद भी यह अभी अपने स्थान को पूरी तरह नहीं प्राप्त कर सकी। इसका कारण कुछ भी हो—चाहे देश की परिस्थितियां, चाहे सरकारी नीतियां, चाहे हमारे राजनैतिक स्वार्थ अथवा हमारी विदेशी भाषा के प्रति मानसिक दासता, पर यह गलत नहीं है कि यह हमारी एक जबर्दस्त कमजोरी जरूर है, जो देश की आजादी हासिल करने के बाद भी हमें भाषा की गुलामी के शिकंजे में जकड़े हुए है।

महाराष्ट्र विधान सभा के अध्यक्ष श्री शरद दिघे बम्बई में दीप जलाकर 'हिन्दी सप्ताह' का उद्घाटन करते हुए

मैं किसी को इसके लिए जिम्मदार नहीं ठहराता, पर इतना जरूर कहूँगा कि यह हम सबकी कमजोरी है कि हम आज तक अपनी भाषा हिन्दी को, जो सर्वाधिक बोली-समझी जाती है और जिसे हमारे संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया था, उसे सही स्थान नहीं दिला पाये।

हमारे देश की जिन दिनों आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उन दिनों गांव में बैठे किसानों और खेतिहर मजदूरों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हमारे नेता हिन्दी का ही अधिकांश में प्रयोग करते थे और उसी भाषा के बल पर वे पूरे देश को स्वाधीनता की लड़ाई के लिए तैयार कर सके। यही कारण था कि हमारे संविधान बनाने वाले राष्ट्र नेताओं ने पूर्ण सहमति से हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था।

हमार देश की आजादी की लड़ाई से ही हिन्दी का महत्व बड़ा ऐसी बात नहीं है। हिन्दी शताब्दियों से इस देश की सम्पर्क भाषा रही है। नामदेव, कबीर, नानक, दादू आदि संतों ने भले ही वे महाराष्ट्र के रहे हों या पंजाब अथवा राजस्थान के, उन्होंने अपना उपदेश हिन्दी में ही दिया है, क्योंकि उन्हें अपनी बात जनसाधारण तक पहुंचानी थी।

इतना ही नहीं संतों और साधुओं की यही भाषा मुगल काल में दूर-दूर तक फैले सिपाहियों की सम्पर्क भाषा बनी। देशी रियासतों में भी सरकारी कामकाज इसी भाषा में होते थे। बही खाते और हुंडियाँ भी इसी भाषा में लिखी जाती थीं। सारा काम ठीक से चलता था। तीर्थ यात्री उत्तर से दक्षिण भारत में रामेश्वरम तक जाते थे। पश्चिम

में द्वारका और पूब में गंगासागर तक यही भाषा काम करती थी। दक्षिण के यात्री बद्रीनारायण और काशी जाते थे और इसी देवनागरी लिपि वाली भाषा का उपयोग करते थे। भले ही शैली-शब्दों में अंतर रहा हो, यह तो समय के साथ बदलता ही रहता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि हिन्दी संपर्क भाषा तो रही ही, एक तरह से वह उस समय राजभाषा भी रही।

परन्तु 1880 से 1947 के ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेजी सारे देश में सत्ता के कारण जम गई। हमारे संविधान में 1950 में हिन्दी को राजभाषा या संपर्कभाषा के रूप में पुनः स्वीकार किया। धीरे-धीरे बहुत जगहों में हिन्दी का उपयोग हो भी रहा है। सरकार हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त प्रयास भी कर रही है।

फिर भी जितना काम अब तक होना चाहिए था, नहीं हो पाया है। इसका कारण मैं समझता हूं हमारी मानसिकता है। यदि और साफ शब्दों में कहें तो राष्ट्रीयता का अभाव भी है। नतीजा यह हो रहा है कि हमारी प्रान्तीय भाषाओं की इससे बड़ी हानि हो रही है। हमें अपनी मातृभाषा चाहे वह मराठी हो या अन्य कोई, ठीक से नहीं आती। यह लज्जा का विषय है कि अपनी मातृभाषा ही न आए। दूसरे देश की भाषा हमें बखूबी आती है, पर अपनी मातृभाषा या राष्ट्रभाषा नहीं आती। यह कहने में बहुत से लोग बड़े गर्व का अनुभव करते हैं। बड़ी शान से कहते हैं कि मुझे तो केवल अंग्रेजी बोलने-लिखने और पढ़ने का अभ्यास है। कम से कम एक अंग्रेज कहे तो समझ में आ सकता है, पर यही बात जब एक भारतीय, भारत में ही जन्मा, पला और पढ़ा-लिखा कहने लगता है, तो लज्जा का ही अनुभव होता है। क्या कोई अंग्रेज यह कहेगा कि हमें केवल हिन्दी ही आती है।

यह बात तो ऐसी हुई कि हमें अपनी मां से प्यार नहीं है, परन्तु परायी मां बड़ी प्यारी लगती है? यह बात तो हो सकती है कि परायी मां के अच्छे गुण हम अपनी मां में भी देखने की इच्छा रखें, पर उसे अपनी मां से ज्यादा सम्मान दें, यह सम्मत नहीं हो सकता। और यह तो हरगिज स्वीकार हो ही नहीं सकता कि हम अपनी मां को त्याग कर परायी मां को अपनी मां के रूप में स्वीकार कर लें, और फिर गर्व का अनुभव करें।

हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारी प्रांतीय भाषाएं हमारे प्रान्तों में शिक्षा का माध्यम बनें और उच्च स्तर की शिक्षा राष्ट्रभाषा में दी जाए। भाषा सीखने के लिए एक विषय के रूप में कोई भी भाषा जिस स्तर तक चाहें, पढ़ें। किसी पर विदेशी भाषा का बोझ न लादा जाए। आज यही हो रहा है। विदेशी भाषा के माध्यम से हमारे छात्रों पर भाषा का अनावश्यक बोझ लाद दिया गया है। वे मजे में पिस रहे हैं।

कुछ शिक्षा के कथित निष्णात् कई बार यह कह जाते हैं कि विज्ञान और टैक्नोलोजी की शिक्षा अंग्रेजी में ही दी जा सकती है। उनकी यह बात हास्यास्पद लगती है। मैं पूछता हूं कि क्या सारे विश्व में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम है अथवा विज्ञान और टैक्नोलाजी का शिक्षण अंग्रेजी में ही दिया जा रहा है। चीन, जापान, रूस, इजरायल, मिस्र आदि छोटे और बड़े देशों की शिक्षा का माध्यम क्या अंग्रेजी है।

मेरा तात्पर्य किसी भाषा के विरोध से नहीं है। हर भाषा अपना महत्व रखती है, उसकी अपनी खासियत होती है, पर वह किसी दूसरे देश अथवा संस्कारों पर जब हावी होने लगती है, तब जिस देश पर वह हावी होती है, उसे नुकसान पहुंचाने लगती है।

इसी तरह जिसे जो भी भाषा प्यारी हो, पढ़े। पर उसे संपूर्ण देश की भाषा बनाया जाए, यह उचित नहीं। आज हमारे संस्कारों, सामाजिक व्यवहारों में जो बिखराव दिख रहा है, वह केवल विदेशी भाषा के अनावश्यक बढ़ते जा रहे प्रभाव के कारण है। जब तक हमारे बच्चे अपने देश की बात, अपने धर्म की बात, अपने पूर्वजों का इतिहास, अपनी भाषा में नहीं पढ़ेंगे, तब तक वे अपने समाज व धर्म अथवा अपने देश के प्रति लगाव कैसे रख पायेंगे? वे हमेशा उसी विदेशी 'हवा' के मुहताज रहेंगे, जिसकी भाषा पढ़ कर उन्होंने अपनी 'विदेशी प्यास' जागृत कर ली है। उस प्यास को शांत करने के लिए उन्हें भले ही अपने धर्म-समाज और देश से कटना पड़े, वे नहीं हिचकेंगे। अतएव हमारे सामाजिक बिखराव को रोकने तथा राष्ट्रीय भावना को पुनः जगाने के लिए शिक्षा माध्यम हमारी मातृभाषाओं को बनाना जरूरी हो गया है। राष्ट्र के प्रति प्रेम विदेशी भाषा नहीं जगा सकती, अपनी राष्ट्रभाषा ही जगा सकती है।

पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हमें वे शब्द याद आते हैं जब एक बार उन्होंने कहा था कि 'राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है'। पता नहीं हम अभी अपने राष्ट्र को कब तक गूंगा रहने देंगे।

मैं आज सभी भाई-बहनों से नम्र निवेदन करता हूं कि आप राष्ट्र म आज बढ़ रही बिलगाववादी प्रवृत्तियों के प्रति सावधान रहें और राष्ट्रभाषा के प्रति सदा की तरह सम्मान रखते हुए राष्ट्र-प्रेम को जगाने का प्रयास रखें। सभी भाषायें आपस में बहनें हैं, परन्तु राष्ट्रभाषा के नाते हिन्दी बड़ी बहन की तरह है, उसके ऊपर राष्ट्रप्रेम जगाने और अपनी सहोदर बहनों के प्रति ममता-प्यार रखने की जिम्मेदारी है। सभी भाषाओं को साथ मिल कर देश के वातावरण को ठीक रखने का दायित्व हिन्दी पर ज्यादा ही है। वह एकता की कड़ी की तरह है।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में हिन्दी को अपनाने का भरपूर प्रयत्न जारी रखें। तभी हम एक दिन उसे सम्मानपूर्वक राष्ट्रभाषा का पूर्ण दर्जा दिलाकर अपनी भाषायी गुलामी से मुक्त हो सकेंगे।

बैंक नोट मुद्रणालय, देवास

राजभाषा विभाग के वर्ष 1984-85 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसरण में इस वर्ष बैंक नोट मुद्रणालय, देवास में केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद बी एन की शाखा तथा मुद्रणालय द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 10-9-84 से 16-9-84 तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया।

सप्ताह प्रारम्भ होने से पूर्व इसके बारे में समस्त कर्मचारियों, श्रमिकों को इस तथ्य की जानकारी दी गई। दिनांक 11-9-84 को महाप्रबंधक श्री मु. व. चार ने एक अपील जारी करके समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों एवं श्रमिकों से अपना समस्त कार्य हिंदी में करने का अनुरोध किया।

इस अवधि में मुद्रणालय में राजभाषा संबंधी आठ सूक्तियां विभिन्न स्थानों पर स्थाई रूप से लिखवाकर लगवा दी गई। महा प्रबन्धक

महोदय के विशेष निर्देशानुसार हिन्दी अधिकारी द्वारा मुद्रणालय कार्य से संबंधित एक द्विभाषी चार्ट तैयार किया गया जिसे हिन्दी सप्ताह में समस्त अधिकारियों, अनुभागों और पर्यवेक्षकों में वितरित किया गया।

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद की देवास शाखा ने कर्मचारियों के लिए हिंदी निबंध, हिंदी सामान्य ज्ञान तथा हिंदी वाक् प्रतियोगिताएं आयोजित की गई एवं विद्यार्थियों के लिए हिंदी अन्त्याक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद की देवास शाखा ने यह निर्णय भी लिया कि कारखाने और कार्यालय के उन अनुभागों को चल मंजूषाएं प्रदान की जाएंगी जो वर्ष में सबसे अधिक कार्य हिंदी में करेंगे।

दिनांक 19-9-84 को बैंक नोट मुद्रणालय के कल्याण केन्द्र में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें देवास के जिलाधीश श्री पी. जाव. उम्मन, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

इसके अतिरिक्त देवास शाखा की ओर से हायर सेकेंडरी में हिन्दी विषय में सर्वाधिक अंक लाने वाली छात्रा को भी सम्मानित किया गया। इसी कार्यक्रम में वर्ष 1983-84 की वार्षिक टिप्पण एवं आलेखन प्रतियोगिता के कर्मचारियों को भी नकद पुरस्कार दिए गए तथा कुछ कर्मचारियों को उनके सराहनीय प्रयासों के कारण प्रशंसा पत्र भी दिए गए।

पुरस्कार वितरण समारोह में जिलाधीश, देवास ने मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए कहा कि भाषा हमारी भावना का वाहक है, हम भाषा से भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। भाषा की उपयोगिता हमारे जीवन के प्रत्येक कार्यकलाप से स्पष्ट हो जाती है। भाषा का मानदंड उसकी उपयोगिता है। हमें उचित और व्यावहारिक भाषा अपनानी चाहिए। अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य विदेशी भाषाओं का भी अध्ययन करना चाहिए।

इस अवसर पर महाप्रबन्धक श्री ए. वी. चार ने हिन्दी सप्ताह की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हिंदी परिषद उन हिंदीवालों की संस्था है जिन्हें राष्ट्र भाषा से प्रेम है, चाहे उनकी मातृभाषा तमिल या कन्नड़ अथवा गजराती हो या बंगला।

बैंक नोट मुद्रणालय के मुख्य लेखा एवं प्रशासन अधिकारी ने कहा कि हम हिंदी वास्तविक और व्यावहारिक प्रयोग हेतु प्रयत्नशील हैं।

डा. आलोक कुमार रस्तोगी
हिंदी अधिकारी,
बैंक नोट मुद्रणालय, देवास
(म. प्र.)

दी फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया, नई दिल्ली

दी फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमि. नई दिल्ली में दिनांक 14 से 20 सितम्बर तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया। 14 सितम्बर को हिन्दी सप्ताह के उद्घाटन के साथ-साथ हिन्दी कार्यशाला का उद्घाटन भी हमारे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री पी, एल. कुकरेजा द्वारा दीप जला कर किया गया जिसमें निगम के निदेशक (वित्त), सभी एककों के महाप्रबन्धक एवं केन्द्रीय कार्यालय के सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। हिन्दी सप्ताह का उद्घाटन करते हुए श्री कुकरेजा ने कहा कि हिन्दी हमारी अपनी भाषा है जिसे लिखने-बोलने में हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि आज आई. सी. सी. की बैठक की सम्पूर्ण कार्यवाही हिन्दी में की गई और इसमें उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने सभी एककों एवं प्रभागों से भी हिन्दी सप्ताह मनाने का अनुरोध किया।

इस हिन्दी कार्यशाला में 18 अधिकारियों ने भाग लिया, इसमें फकल्टी का चयन भी बड़े उच्च स्तर का किया गया। कार्यशाला के पहले दिन हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान श्री हरिबाबू कंसल ने हिन्दी कार्यशालाओं की उपयोगिता के बारे में बताया। साहित्य अकादमी के सचिव डा. इन्द्रनाथ चौधरी ने "कार्यालय की भाषा कैसी हो" विषय पर बड़े सुन्दर तरीके से अपने विचारों को रखा जिसे हमारे सभी भाग लेने वाले अधिकारियों ने बहुत पसन्द किया। डा. राजेन्द्र सिंह कुशवाहा राजभाषा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने हिन्दी को लागू करने की कठिनाइयों व उनके दूर करने के उपायों के बारे में बताया।

इसी प्रकार हिन्दी शिक्षण योजना के संयुक्त निदेशक श्री अशोक कुमार भट्टाचार्य ने "राजभाषा हिन्दी का कामकाजी रूप कैसा होता है" के बारे में बताते हुए कहा कि हमें हिन्दी को सरल भाषा बनाने के लिए दूसरी भाषा के शब्दों के लेने में संकोच नहीं करना चाहिए।

डा. आई. पांडुरंगराव ने "सार्वजनिक क्षेत्र में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग" के बारे में जो सुझाव दिए हैं वे बहुत ही उपयोगी रहे। इसी के साथ हिन्दी कार्यशाला का समापन भी किया गया। समापन के दिन अपने दीक्षान्त भाषण में महाप्रबन्धक कार्मिक एवं प्रशासन श्री बी. एन. कपूर ने अधिकारियों से कहा कि यदि एक बार उन्होंने हिन्दी में लिखना प्रारम्भ कर दिया तो उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी अपितु उन्हें गर्व का अनुभव होगा। अन्त में मुख्य जनसम्पर्क प्रबन्धक श्री यू. के. शरण ने सभी उपस्थित अधिकारियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस कार्यशाला से भाग लेने वाले अधिकारीगण लाभान्वित हुए होंगे तथा भविष्य में वे अधिक से अधिक हिन्दी का प्रयोग करने का प्रयास करेंगे।

हिन्दी कार्यशाला के अतिरिक्त इस अवधि में कर्मचारियों के लिए निबंध प्रतियोगिता तथा श्रुतलेख व वाक्यांश प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। हिन्दी सप्ताह के दौरान सभी कर्मचारियों ने अधिक से अधिक हिन्दी में काम करने का प्रयास किया। 20 सितम्बर को इस 'सप्ताह' के समापन के दिन कार्पो० के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री पी. एल. कुकरेजा ने विभिन्न प्रतियोगिता में विजयी कर्मचारियों को पुरस्कार बांटे तथा बधाई दी। श्री कुकरेजा ने कर्मचारियों को हिन्दी में अधिक से अधिक काम करने के लिए प्रोत्साहित किया।

हिन्दी कार्यशाला के समापन के दिन निगम के महाप्रबन्धक (का. एवं प्रशा.) श्री बी. एन. कपूर अधिकारियों को संबोधित करते हुए।

दिल्ली दूर संचार

डाकतार महानिदेशालय के आदेशानुसार दिल्ली दूर संचार में दिनांक 14 सितम्बर से 19 सितम्बर, 1984 तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया। इस सप्ताह में सभी कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए पूर्ण प्रयास किया गया। दिल्ली दूर संचार के मुख्यालय तथा क्षेत्रीय प्रबन्धकों एवं मंडल अभियन्ताओं के कार्यालयों से संपर्क करके कर्मचारियों को अधिक से अधिक काम हिन्दी में करने के लिए प्रेरित किया गया।

दिल्ली दूर संचार के कर्मचारियों व अधिकारियों को सरकारी काम में हिन्दी का प्रयोग करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने के अलावा यह भी निरंतर प्रयास किया जाता है कि हिन्दी में रुचि रखने वाले कर्मचारियों को विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का भी अवसर मिले। इसलिए प्रति वर्ष हिन्दी में अच्छे नोट और मसौदे लिखने वाले कर्मचारियों के लिए समय-समय पर नोट और मसौदा लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। कर्मचारियों की लेखन क्षमता का पता लगाने के लिए निबंध प्रतियोगिता तथा उनको अपनी सृजनात्मक क्षमता का प्रदर्शन करने का अवसर देने के लिए कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। उनके हिन्दी संबंधी ज्ञान का पता लगाने के लिए हिन्दी अन्ताक्षरी प्रतियोगिता तथा हिन्दी प्रश्न-मंच का आयोजन भी किया जाता है। हिन्दी अन्ताक्षरी प्रतियोगिता तथा हिंदी प्रश्न-मंच के आयोजन से कर्मचारियों को अपना ज्ञान प्रदर्शित करने तथा उसमें और वृद्धि करने का अवसर प्राप्त होता है। इसके साथ ही साथ नाटक, प्रहसन, गीत, संगीत, नृत्य आदि जैसे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करके कर्मचारियों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का जहां अवसर प्रदान किया जाता है, वहां दूसरे कर्मचारियों में भी हिन्दी के प्रति रुचि उत्पन्न की जाती है।

हिन्दी सप्ताह के अंतिम दिन दिनांक 19-10-84 को टी. आर. सी. के सभागार, खुर्शीद लाल भवन में हिन्दी पुरस्कार तथा प्रमाण-पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। दिल्ली दूर संचार के वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी श्री ए. एस. वर्मा ने प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत किया और विभाग में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समारोह में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा अंताक्षरी व हिन्दी प्रश्नमंच प्रतियोगिता हुई। इन दोनों प्रतियोगिताओं में दिल्ली टेलीफोन्स व केन्द्रीय तार घर की टीमों ने यह

कार्यक्रम बहुत ही रोचक तथा ज्ञान-वर्द्धक था। प्रश्न-मंच के कार्यक्रम का संचालन श्री दिनेश प्रताप श्रीवास्तव, उपमहाप्रबन्धक (प्रशासन) ने किया। प्रश्न मंच में केन्द्रीय तारघर की टीम व अंताक्षरी प्रतियोगिता में दिल्ली टेलीफोन्स की टीम प्रथम रहीं।

इस समारोह में डाक तार बोर्ड के सचिव श्री एस. एस. सिन्हा एवं श्रीमती सिन्हा ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। श्रीमती सिन्हा द्वारा दिल्ली दूर संचार में हिन्दी में काम करने वाले कर्मचारियों को उनके सराहनीय काम पर पुरस्कार तथा प्रशंसा पत्र प्रदान किये गये तथा विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विजेता व सफल कर्मचारियों को भी पुरस्कार दिये गये। मुख्य अतिधि श्री एस. एन. सिन्हा ने दिल्ली दूर संचार में इस प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन की बड़ी सराहना की। ऐसे कार्यक्रमों की विशेष प्रशंसा करते हुए अन्ताक्षरी तथा प्रश्नमंच प्रतियोगिता के स्तर की उन्होंने विशेष सराहना की।

अ. सिं. बर्मा,
वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी
दिल्ली दूर संचार,
नई दिल्ली।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, नई दिल्ली

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली में 10 से 15 सितम्बर, 1984 की अवधि को हिन्दी सप्ताह के रूप में मनाया गया। इस प्रकार के आयोजन के पीछे मुख्य ध्येय यही था कि केन्द्र सरकार द्वारा 'क' क्षेत्र के लिए निर्धारित किए गए 67 प्रतिशत हिन्दी पत्राचार के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक ऐसा उत्साहजमक वातावरण निर्मित होगा जिससे हम अपने प्रयासों को गति प्रदान करनें में सफल होंगे।

हिन्दी सप्ताह को अधिक उपयोगी और प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ मुख्य आकर्षण बिन्दु बनाए गए ताकि सभी स्टाफ सदस्य अपना रोजमर्रा का काम अधिकाधिक हिन्दी में करने के लिए प्रेरित हों। इस सप्ताह के प्रथम दिन कार्यालय के महा प्रबन्धक डा. एन. डी. जोशी ने उन सभी कर्मचारियों को प्रेरणात्मक पत्र के रूप में एक अर्द्ध सरकारी पत्र जारी किया, जिन्होंने कार्यालय के वर्तमान औसतन हिन्दी पत्राचार (33 प्रतिशत) में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। उन्होंने सभी कर्मचारियों को आह्वान किया कि सब सामूहिक रूप से कृत संकल्प होकर प्रतिदिन यथासंभव कार्य हिन्दी में करें और केन्द्र सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करनें में कोई कसर नहीं छोड़े। हिन्दी सप्ताह की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रकट करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हिन्दी सप्ताह के दौरान हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करना होगा।

इस आयोजन को बहुआयामी बनाने के लिए कार्यालय के सभी विभागों/अनुभागों में विभिन्न देशी तथा विदेशी विचारकों, विद्वानों द्वारा हिन्दी की राष्ट्रीय एंव अन्तर्राष्ट्रीय महत्ता पर दिए गए वक्तव्यों/कथनों के आकर्षक पोस्टर प्रदर्शित किए गए जिनकी सभी अधिकारियों ने काफी प्रशंसा की। इसकी प्रतिलिपि अधीनस्थ शाखा कार्यालयों को भेज दी गई। इसके अतिरिक्त हर रोज के लिए नए-नए कार्यक्रम बनाए गए:—

(1) 11 सितम्बर को सभी प्रकार के फार्म केवल हिन्दी में ही भरने का अभियान चलाया गया।

(2) 12 सितम्बर को सभी अनुभागों से यह कहा गया कि वे हर प्रकार की ड्राफ्टिंग अधिकाधिक हिन्दी में करें।

(3) 13 सितम्बर को हर तरह की नोटिंग हिन्दी में की गयी।

(4) 14 सितम्बर को उ. क्षे. का. की त्रैमासिक हिन्दी प्रत्रिका "प्रगति" के आवरण के लिए एक "पोस्टर प्रतियोगिता" आयोजित की गई।

(5) 15 सितम्बर को "आशु निबन्ध प्रतियोगिता" का आयोजन किया गया, जिसका विषय था "श्रम ही पूजा है"।

हिन्दी सप्ताह के दौरान आयोजित किए गए सभी कार्यक्रमों में स्टाफ सदस्यों ने पूरे उत्साह से भाग लिया और इसे सफल और सार्थक बनाने में पूर्ण सहयोग दिया। एकबार फिर सभी ने इस भावना को महसूस किया कि हिन्दी में सोचना और लिखना सरल और स्वाभाविक है। उ. क्षे. का. में हिन्दी सप्ताह मनाने की जिस स्वस्थ परंपरा का शुभारंभ हुआ है, उससे यह आशा बंधी है कि इस प्रकार के प्रयासों से रोजमर्रा के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को जो गति मिली है, उसे बरकरार रखते हुए हम केन्द्र सरकार के चुनौती पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करनें में अवश्य सफल होंगे।

पोस्टर प्रतियोगिता में कु. नीलम वर्मा, कु. गगू सबनानी व श्रीमती अमिता नरायन ने क्रमशः पहला, दूसरा व तीसरा स्थान प्राप्त किया। आशु निबंध प्रतियोगिता में यूं तो सभी निबन्ध स्तरीय थे, फिर भी श्रेष्ठता के आधार पर कु. ललिता खुल्लर, डा. सुषमा तथा सुशील कुमार गुप्ता ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया। सभी विजयी प्रतियोगियों को भा. औ. वि. बैंक उ. क्षे. का. के आगामी वार्षिक सांस्कृतिक समारोह में पुरस्कार प्रदान करने का निश्चय किया गया।

महाप्रबन्धक
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक,
नई दिल्ली।

मंडल रेल प्रबन्धक कार्यालय, जोधपुर

दिनांक 16-8-84 से 22-8-84 तक मंडल रेल प्रबन्धक कार्यालय, जोधपुर में राजभाषा सप्ताह मनाया गया, जिसमें मंडल रेल प्रबन्धक, उत्तर रेलवे, जोधपुर द्वारा 2 अधिकारियों और 35 कर्मचारियों को अपने कामकाज में हिन्दी का सराहनीय प्रयोग करने के उपलक्ष्य,

में नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान किये गये । इसके अतिरिक्त हिन्दी टिप्पणी/आलेखन, निबन्ध एवं वाक्, टंकण एंव आशुलिपि प्रतियोगिताओं में सफल प्रथम तीन प्रतियोगियों को भी नकद पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किये गये ।

श्री कैलाश सोमानी, सहायक मंडल रेल प्रबन्धक डा० शशि भूषण वर्मा से पुरस्कार प्राप्त करते हुए

उसी दिन संध्या को रेलवे क्लब में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो काफी सफल रहा ।

परमात्मा शरण,
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति,
उत्तर रेलवे, जोधपुर ।

डाक-तार, लेखा परीक्षा कार्यालय, लखनऊ

डाक-तार लेखा परीक्षा, कार्यालय, लखनऊ में दिनांक 27-8-1984 से 1-9-1984 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया ।

दिनांक 27-8-84 को डा. शिवमंगल सिंह 'सुमन' उपाध्यक्ष उत्तर-प्रदेश हिन्दी संस्थान लखनऊ द्वारा हिन्दी सप्ताह का उद्-घाटन किया गया । श्री कुलदीप सिंह उपनिदेशक महोदय ने मुख्य अतिथि एंव निदेशक डाक-लेखा कार्यालय, लखनऊ ने आमन्त्रित अतिथियों का स्वागत करते हुए डाक-तार लेखा परीक्षा कार्यालय, लखनऊ द्वारा हिन्दी की प्रगति एंव योगदान पर प्रकाश डाला । उन्होंने बताया कि इस कार्यालय के समस्त अनुभागों में हिन्दी के प्रयोग पर अत्यधिक बल दिया जा सकता है ।

अपने उद्घाटन भाषण में डा. सुमन ने हिन्दी के प्रयोग पर अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए राष्ट्रीय झंडे एवं राष्ट्रीय गीत की भांति उसकी अपनी सशक्त राष्ट्रीय भाषा का होना नितान्त आवश्यक है । भारत एक विशाल राष्ट्र है । इसके विभिन्न प्रान्तों में विभिन्न जातियों एवं सम्प्रदायों के लोग निवास करते हैं एवं प्रत्येक की भाषा एवं साहित्य अलग-अलग है । हिन्दी ही एक ऐसी सशक्त भाषा है जो कि इस राष्ट्र के सबसे अधिक क्षेत्र में विभिन्न जातियों एंव सम्प्रदायों में समान रूप से बोली एवं लिखी जाती है । हिन्दी भाषा का सरल भाषा में विकास एवं विस्तार कर हम इसे पूरे राष्ट्र में लोकप्रिय कर सकते हैं । अंत में श्री कुलदीप सिंह जी ने मुख्य अतिथि एंव अन्य उपस्थित जनों को धन्यवाद दिया ।

दिनांक 28-8-84 को 'हिन्दी का राष्ट्रीय एकता में योगदान विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया । इस प्रतियोगिता में कार्यालय के पांच कर्मचारियों ने भाग लिया । सभी प्रतियोगियों में बड़े सुन्दर ढंग से अपने-अपने विचारों को निर्णायक मंडल एवं उपस्थित जनों के सम्मुख प्रस्तुत किया । इनमें से सबसे अच्छे विचारों को व्यक्त करने पर श्री जी. एस. श्रीवास्तव को प्रथम, एवं श्री घनश्याम को द्वितीय स्थान निर्णायक मंडल द्वारा दिया गया । अन्त में उप-निदेशक महोदय ने निर्णायक मंडल के सदस्यों, विजेताओं एवं उपस्थित जनों को धन्यवाद दिया ।

दिनांक 29-8-84 को 'हिन्दी के प्रयोग से कार्यक्षमता में वृद्धि' विषय पर निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया । इस प्रतियोगिता में कार्यालय के 12 कर्मचारियों ने भाग लिया, जिसमें श्री ए. एन. पाण्डेय को प्रथम एंव श्री कालीदीन को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ ।

दिनांक 1-9-84 को लघु 'काव्य गोष्ठी' का आयोजन किया गया । इसकी अध्यक्षता श्री राघव लाल, निदेशक, डाक लेखा, उत्तर-प्रदेश परिमण्डल, लखनऊ द्वारा की गई । इस का संचालन सुप्रसिद्ध स्थानीय कवि श्री नरेन्द्र मिश्र ने किया । श्री राघव लाल जी द्वारा विचार गोष्ठी एंव निबन्ध प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए ।

श्री कुलदीप सिंह, उपनिदेशक,
डाक-तार, लेखा परीक्षा कार्यालय
लखनऊ ।

हिन्दी कार्यशालाएं

डाकपरिमंडल कार्यालय, तिरूवनंतपुरम

केरल राज्य की राजधानी तिरूवनंतपुरम नगर में स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों की सुविधा के लिए केरल डाक परिमंडल कार्यालय और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के संयुक्त तत्वावधान में इस साल हिन्दी सप्ताह समारोह के दौरान तारीख 14-9-84 से 20-9-84 तक एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

केरल डाक परिमंडल के हिन्दी अधिकारी और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सचिव श्री. डी. कृष्ण पणिक्कर इस हिन्दी कार्यशाला के प्रधान संयोजक थे। इस शहर में स्थित दूसरे सरकारी कार्यालयों व बैंकों के हिन्दी अधिकारियों, अधीक्षकों और हिन्दी प्राध्यापकों ने भी कार्यशाला के लिए पाठ्य सामग्री की तैयारी में और प्रशिक्षण कार्य में हाथ बंटाया।

कुल मिलाकर 30 कर्मचारी इस कार्यशाला के लिए नामांकित किए गए तो भी 28 प्रतिभागियों ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करके प्रमाण पत्र प्राप्त किए। पोस्ट मास्टर जनरल, केरल परिमंडल कार्यालय के अलावा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र, केन्द्रीय विद्यालय, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जनगणना निदेशालय, सहकारिता महाविद्यालय, क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय, भारतीय खाद्य निगम, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, लेखा डाक कार्यालय, डाक-तार-लेखा परीक्षा कार्यालय, केन्द्रीय तार घर, डाक भंडार डिपो, तिरूवनंतपुरम टेलीफोन के जिला प्रबंधक का कार्यालय और हिन्दी शिक्षण योजना के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी इस कार्यशाला में हिन्दी में टिप्पण और आलेखन लिखने का अच्छा अभ्यास प्राप्त किया। एक हफ्ते के सीमित समय में पत्राचार के विभिन्न प्रकारों की तैयारी के बारे में गहन प्रशिक्षण प्रयोगिक तौर पर दिया गया। इस कार्यालय में भाषा के बारे में कम बात की गई। हिन्दी भाषा में मूल रूप से कार्यालय-क्रियाविधि के ढांचे के अंदर विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्रशिक्षार्थियों से लिखवायी गई। इसके लिए काफी मार्गनिर्देश बीच-बीच में दिये जाते रहे। नीरसता से बचने के विचार से प्रायोगिक अभ्यास के बीच में राजभाषा हिन्दी संवैधानिक स्थिति, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम, अद्यतन वार्षिक कार्यक्रम "ख" क्षेत्र के दफतरों में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को आगे ले जाने के सरल तरीके इत्यादि विषयों पर सजीव चर्चाएं भी चलाई गई। विभिन्न प्रकार के आवेदन, अभ्यावेदन, साधारण टिप्पणियां, पदों का सृजन नियुक्ति प्रस्ताव, तैनाती के आदेश, स्थानीय खरीदारी, पदोन्नति स्थानान्तरण छुट्टी की मंजूरी नामंजूरी, अनुशासनिक मामला लेखा आपत्तियां इत्यादि विषयों से संबंधित, टिप्पणियां और मसौदे, ज्ञापन, कार्यालय ज्ञापन, अर्धसरकारी पत्र, परिपत्र आदि-आदि कर्मचारियों से लिखवाए गए इन सब के अंग्रेजी और हिन्दी रूप देकर पढ़ाये गए। उसके बाद हिन्दी रूप को वापस लेकर प्रशिक्षार्थियों से खुद हिन्दी रूप नये सिरे से लिखवाए गए। यही कार्याशाला के प्रशिक्षण का तरीका था।

केरल डाक परिमंडल के मुख्यालय निदेशक, श्री एम. तोमस वर्गीस ने प्रशिक्षार्थियों को प्रमाण पत्र बांट कर दीक्षान्त भाषण दिया। उन्होंने प्रतिभागियों से आह्वान किया कि वे कार्यशाला में प्राप्त अभ्यास के आधार पर अपने-अपने कार्यालयों या अनुभागों में राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन की महान जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाने की पूरी-पूरी कोशिश अवश्य करें। उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि इस डाक परिमंडल के क्षेत्रीय और मंडलीय कार्यालयों में हिन्दी के विशेष कर्मचारी या टाइपराइटर आदि की सुविधा न होने के बावजूद, वहां से हिन्दी में अच्छे अच्छे पत्रादि प्राप्त होते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस डाक परिमंडल के दफतरों में हिन्दी का प्रयोग दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसके लिए उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी और आगे बढ़ने का आह्वान किया।

कार्यशाला के प्रधान संयोजक श्री डी. कृष्ण पणिक्कर ने इस बात पर जोर दिया कि संघ सरकार के प्रशासन की भाषा हिन्दी ही है। नवसीखे कर्मचारियों और अधिकारियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न होने देने के वास्ते कुछ समय के लिए अंग्रेजी सह राजभाषा के रूप में इस्तेमाल की जा रही है। आये दिन, प्रशासनिक काम में पहले से प्रयुक्त अंग्रेजी की जगह में हिन्दी का प्रयोग धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। केन्द्र सरकार का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी इस परिवर्तन से अछूता नहीं रह सकता। इस परिवर्तन के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण दिया गया है। इस प्रकार हिन्दी में काम चलाऊ ज्ञान मात्र प्राप्त-व्यक्ति हिन्दी में कार्यलयीन काम करने के काबिल नहीं। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में बार-बार यह शिकायत आयी है। इस समस्या के समाधान के रूप में कार्यशाला सुझाई गई। यह सिर्फ शुरूआत है। आशा और विश्वास है कि शहर के दूसरे कार्यालयों में भी इस प्रकार की कार्यशालायें चलाई जाएगी। कार्यशाला में प्राप्त प्रशिक्षण का अपने कार्यलयीन काम में इस्तेमाल करके हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को जहां तक हो सकें आगे ले जाना ही सर्वोत्तम गुरू दक्षिणा है।

इस अवसर पर प्रशिक्षार्थियों ने राय दी कि इस कार्यशाला के प्रशिक्षण के फलस्वरूप कार्यलयीन काम हिन्दी में करने के काबिल हो

गए हैं। इस में कोई संदेह नहीं कि कार्यशाला बहुत ही उपयोगी है हिन्दी में काम करने की सबल प्रेरणा यहां से मिली है। आगे भी इस प्रकार की कार्यशालाएं चलाई जानी चाहिए। हिन्दी के कार्यालयीन व्यवहार की समस्याओं का यहां समाधान हो गया है, हिन्दी में दफतर में काम करने की अदम्य प्रेरणा मिली है और इच्छा भी पैदा हो गई है, कार्यालयीन भाषा के अनुवाद की कला में भी निपुण हो गए हैं, यह प्रशिक्षण सर्वोत्तम और सराहनीय है, इस कार्यशाला की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए, हर कार्यालय में अपनी-अपनी अलग कार्यशाला की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए, इस कार्यशाला के परिणामतः हर दिन कम से कम एक पत्र हिन्दी में लिखने की कसम हो। इससे सबसे बढ़कर हिन्दी में पत्राचार करने तथा अनुवाद कार्य में अभूतपूर्व आत्मविश्वास पैदा हो गया है, सीमित समय में असीमित अनुभव हिन्दी के क्षेत्र में प्रयोग से मिल गया है, मैं कसम खाता हूं कि मैं अगले दिन से अपने कार्यालय में हिन्दी में काम करने की कोशिश अवश्य करूंगा। अंत में यह भी राय है कि, "जहां चाह है वहां राह भी है।"

धन्यवाद–ज्ञापन के साथ कार्यशाला सानन्द समाप्त हुई।

डो. कृष्ण पणिक्कर
हिन्दी अधिकारी

दूरदर्शन केन्द्र बम्बई

दूरदर्शन केंद्र, बम्बई में प्रथम हिन्दी कार्यशाला का आयोजन दिनांक 27-8-84 से 14-9-84 तक किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन समारोह दिनांक 27-8-84 को अपराह्न दो बजे केन्द्र के निदेशक महोदय श्री ए. एस. तातारी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती ना. ज. राव, उपनिदेशक (पश्चिम) हिन्दी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृहमन्त्रालय, उपस्थित थीं। केन्द्र के अधीक्षक अभियन्ता श्री. म. य. थोटे, उपनिदेशक प्रशासन श्री. रमेन्द्रनाथ कुंडू, वरिष्ठ प्रस्तुतकर्त्ता समाचार विभाग, डा. गोविन्द गुण्ठे एंव अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों की उपस्थिति में मुख्य अतिथि श्रीमती राव ने "भारत सरकार की राजभाषा नीति एवं सरकारी कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन" विषय पर प्रकाश डालते हुए राजभाषा नीति के विभिन्न मुद्दों पर बड़े ही सरल एवं सहज रीति से उद्बोधन देते हुए यह बात स्पष्ट की कि राजभाषा अधिनियम की धाराओं का पालन हमारा सर्वोपरी कर्त्तव्य है–वह हमारे काम का अभिन्न हिस्सा है और इसके लिए हमें सारी हिचक छोड़कर सरल, बोलचाल की हिन्दी का प्रयोग करते हुए हिन्दी में अपना सरकारी कामकाज शुरू कर देना है। कार्यशाला आयोजन के लिए उन्होंने निदेशक महोदय एवं हिन्दी अधिकारी को धन्यवाद दिया एवं कार्यशाला की सफलता की कामना की।

कार्यशाला का विधिवत् उद्घाटन करते हुए निदेशक महोदय श्री ए. एस. तातारी ने यह विचार प्रकट किया कि इस कार्यशाला में प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी निश्चित रूप से हिन्दी में अपना काम आरंभ करेंगें और जब फाइलों पर काम हिन्दी में होने लगेगा तब स्वाभाविक रूप से आगे की टिप्पणियां एवं आदेश हिन्दी में ही लिखे जायेंगें।

दिनांक 27-8-84 को चार बजे कार्यशाला का प्रथम अभ्यास सम्पन्न हुआ। कार्यशाला में कुल बीस प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया एवं अभ्यास किये। केन्द्र की हिन्दी अधिकारी डॉ. विजयमाला पण्डित द्वारा आयोजित एवं संचालित इस प्रथम हिन्दी कार्यशाला में दिनांक 27-8-84 से दिनांक 13-9-84 तक प्रति-कार्य दिवस पर दुपहर चार बजे से पांच बजे तक सरकारी तथा अर्धसरकारी प्रतिष्ठानों के अधिकारियों, हिन्दी अधिकारियों ने कार्यशाला सदस्यों को अपने सरस, ज्ञानपूर्ण व्याख्यानों से उद्बोधित एंव अभ्यासों से लाभान्वित किया। दिनांक 27-8-84 को पश्चिम रेलवे, बम्बई के वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी, श्री. एम. एल. गुप्ता ने हिन्दी व अंग्रेजी के टिप्पण व आलेखन की शैलियों के अन्तर पर प्रकाश डालते हुए हिन्दी टिप्पण आलेखन का अभ्यास कराया। दिनांक 28-8-84 को आकाशवाणी बम्बई के हिन्दी अधिकारी श्री उमाकांत खुबालकर ने छुट्टी के विभिन्न प्रकार के आवेदनों को हिन्दी में लिखे जाने संबंधी जानकारी दी एवं अभ्यास कराये। दिनांक 30-8-84 को पश्चिम रेलवे, बम्बई के वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी श्री. ए. एच. सरदाना महोदय ने ज्ञापन, कार्यालय आदेश, विभिन्न मुख पत्र एवं राजभाषा अधिनियम 3(3) के अन्तर्गत आनेवाले कागजों के हिन्दी टिप्पण एवं आलेखन संबंधी विवेचन करते हुए इनके अभ्यास कराये। दिनांक 31-8-84 को मंडल कार्यालय, पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी श्री. जी. एन. चौरे ने फर्नीचर, लेखन सामग्री से संबंधित साधारण टिप्पणियां, विभिन्न प्रकार के मांगपत्र एंव कार्यालय के सामान्य प्रशासन संबंधी टिप्पण आलेखन की जानकारी दी एवं उनका अभ्यास कराया। दिनांक 1-9-84 को फिल्म प्रभाग, बम्बई के हिन्दी अधिकारी श्री राजेन्द्र रावत ने कार्यशाला सदस्यों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से संबंधित मामले, छुट्टी सेवा पंजी भरना, विभिन्न मामलों को फाईल पर टिप्पण आलेखन के रूप में प्रस्तुत करने संबंधी अभ्यास कराये। दिनांक 3-9-84 को पुनः एक बार आकाशवाणी बम्बई के हिन्दी अधिकारी श्री उमाकांत खुबालकर ने विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं अर्धसरकारी पत्रों के हिन्दी नमूने बताये एवं उनके अभ्यास कराये। दिनांक 4-9-84 को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, बम्बई के हिन्दी अधिकारी श्री कृष्णानारायण मेहता ने कार्यालय में सामान्य तौर पर प्रयुक्त होने वाले टिप्पणी फाईलों पर लिखे जाने वाले आदेश एवं निर्देश तथा उनके उत्तर आदि के बारे में जानकारी देते हुए उनके अभ्यास करवाये। दिनांक 5-10-84 को इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड के सहायक प्रबंधक (हिन्दी कार्यान्वयन) श्री अनिल कास-खेडीकर ने विभिन्न प्रकार के द्विभाषिक रूप में प्रयुक्त होने वाले प्रपत्रों के बारे में जानकारी दी और इन्हें हिन्दी में भरने का अभ्यास कराया। कार्यशाला में पधारने वाले सभी विव्दान वक्ताओं ने निर्धारित विषय एवं अभ्यासों के अतिरिक्त राजभाषा हिन्दी राजभाषा अधिनियम, बोलचाल की हिन्दी का प्रयोग आदि पर मार्मिक टिप्पणियों की जानकारी दी एवं अपने अनुभवों में सहभागी बनाते हुए कार्यशाला सदस्यों का मनोरंजन भी किया एवं उन्हें हिन्दी के प्रयोग हेतु तत्पर बनाया।

दिनांक 6-9-84 को दूरदर्शन केन्द्र बम्बई के प्रधान लिपिक श्री. सुरेशचन्द्र अधिकारी ने प्रशासन से संबंधित कार्य हिन्दी में किस तरह किया जा सकता है इसकी जानकारी दी एवं कुछ अभ्यास भी कराये।

दिनांक 12-9-84 को दूरदर्शन केन्द्र बम्बई के सहायक केन्द्र अभियन्ता श्री एस. पी. पाटिल ने अभियान्त्रिकी अनुभाग से संबंधित कार्य हिन्दी में किस तरह बढ़ाया जा सकता है इसके बारे में जानकारी दी। दिनांक 10-9-84 को केन्द्र की हिन्दी अधिकारी डॉ. विजयमाला पण्डित ने लेखा (बजट) से संबंधित कार्य को हिन्दी में किये जाने एवं बढ़ाये जाने, दिनांक 11-9-84 को लेखा (वित्त) से संबंधित कार्य को हिन्दी में किये और बढ़ाये जाने और दिनांक 13-9-84 को कार्यक्रम अनुभाग से संबंधित काम हिन्दी में किस तरह किया जा सकता है–इस संबंध में जानकारी दी और अभ्यास कराये।

दिनांक 14-9-84 को जो कि हिन्दी दिवस था, केन्द्र के निदेशक महोदय की अनुपस्थिति में केन्द्र के अधीक्षक अभियन्ता श्री. म. य. थोटे की अध्यक्षता में कार्यशाला का समापन समारोह सम्पन्न हुआ मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित विद्वान थे श्री. रामनारायण वि. तिवारी, मुख्य अधिकारी, राजभाषा विभाग, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नरीमन पाइंट, बम्बई। श्री तिवारीजी ने अपने अत्यंत सरस, भावपूर्ण उद्‌बोधन द्वारा कार्यशाला के सदस्यों को अभिभूत कर दिया। उन्होंने राजभाषा हिन्दी को राष्ट्र के भावात्मक पक्ष का, हृदयपक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाली अस्मिता निर्धारित करते हुए कहा कि जिसमें थोड़ा भी भारत प्रेम शेष है वह हिन्दी को अपनाये बिना नहीं रह सकेगा। राजभाषा नियम का उल्लंघन, भारतीय संस्कृति भारतीय भावना की अवमानना होगा:–अत: राजभाषा नियम का अनुपालन हम सब का केवल मात्र सरकारी कर्तव्य ही नहीं, नैतिक, राष्ट्रभावना के प्रति कर्त्तव्य भी है। कार्यक्रम के अन्त में श्रीमान अधीक्षक महोदय ने कार्यशाला सदस्यों को पुरस्कार स्वरूप केन्द्र की प्रथम हिन्दी कार्यशाला में सम्मिलित होने हेतु प्रमाण-पत्र वितरित किये और हिन्दी अधिकारी ने सभी उपस्थितों के प्रति आभार प्रकट करते हुए कार्यशाला के विधिवत समापन की घोषणा की।

कार्यशाला के अन्तिम दिन सभी कार्यशाला सदस्यों को एक प्रश्नावली दी गई जिसमें प्रस्तुत कार्यशाला के आयोजन, अवधि, अभ्यासों के प्रति उनके विचार आमंत्रित किये गये ताकि आगामी कार्यशाला आयोजन के समय इन सुझावों पर विचार करते हुए आवश्यक सुधार किये जा सकें। सभी कार्यशाला सदस्यों ने इस प्रश्नावली को उत्साह-पूर्वक लेते हुए अपने उत्तर लिखे एंव संपूर्ण कार्यशाला में भी उनका सहयोग उत्साह निरंतर बना रहा। दूरदर्शन केन्द्र बम्बई के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने इसे सफल बनाने में योगदान दिया।

डॉ. विजयमाला पण्डित
हिन्दी अधिकारी
दूरदर्शन केन्द्र, बम्बई-40

आयुध निर्माणी, वरनगांव

दिनांक 1-9-84 को आयुद्ध निर्माणी, वरनगांव में हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रथम बैच में निर्माणी के 32 कर्मचारियों (सीनियर स्टाफ) को प्रशिक्षण हेतु नामित किया गया। महाप्रबंधक श्री जे. जी. जगवानी ने अन्य उच्च अधिकारियों की उपस्थिति में कक्षा का उद्‌घाटन किया तथा सरकारी कर्मचारियों के लिए अपने दैनन्दिन प्रशासकीय कार्यों में राजभाषा की उपादेयता पर प्रकाश डाला।

दिनांक 1-9-1984 को ही निर्माणी स्थित केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद शाखा के तत्वाधान में हिन्दी पुस्तकालय का उद्‌घाटन समारोह भी महाप्रबंधक श्री जे. जी. जगवानी द्वारा विधिवत सरस्वती पूजा के साथ संपन्न किया गया। इस अवसर पर शाखा मंत्री श्री राजकृष्ण दीक्षित, कार्यशाला प्रबंधक ने निर्माणी में श्रेष्ठ साहित्य समृद्ध पुस्तकालय की आवश्यकता के संबंध में अपने उद्‌गार व्यक्त किए तथा इसे हिन्दी के प्रचार एंव प्रसार के साथ-साथ पाठको की साहित्यिक क्षुधा पूर्ति के लिए एक स्पृहणीय प्रयास की संज्ञा दी।

एन. के. वार्ष्णेय
कार्यशाला प्रबंधक, राजभाषा

दि इंडियन आइरन एण्ड स्टील कंपनी, बर्नपुर

कार्यालयों में हिन्दी में काम करना बहुत आसान है–यह देखने को मिला दि इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, बर्नपुर में 6 से 8 अगस्त तक आयोजित 5वीं कार्यशाला में।

इस कार्यशाला का उद्देश्य था भारत सरकार की नीति के अनुरूप कार्यालय में हिन्दी में काम करने के लिए कर्मियों के मन में संकोच तथा झिझक दूर करना। इसमें कोई संदेह नहीं कि श्री हरिबाबू कंसल, पूर्व उप सचिव, भारत सरकार के सफल संचालन में इस कार्यशाला ने अपने उद्देश्य की पूर्ति की है।

तीन दिनों तक चलने वाली इस कार्यशाला के छः सत्रों में भाग लेने वाले 35 स्टाफ तथा अधिकारियों ने पत्र, अर्ध सरकारी पत्र टिप्पणी, ज्ञापन, परिपत्र कार्यवृत्त आदि लिखने और बनाने का भरपूर अभ्यास किया।

श्री हरिबाबू कंसल ने उसे तुरंत देखकर तथा उस पर टिप्पणी देकर लौटा दिया। इससे भाग लेने वाले काफी उत्साहित हुए और उन्होंने दूसरे दिन, पहले दिन से अधिक काम किया और तीसरे दिन इससे भी अधिक काम किया। इसने काफी प्रेरणा का काम किया और इस पद्धति को काफी सराहा गया। यह कार्यशाला सफल हुई इसका प्रमाण यही है कि इसमें भाग लेने वाले कई कर्मियों ने पहले दिन से ही अपने कार्यालयों में हिन्दी में भी काम करना प्रारंभ कर दिया।

यह ज्ञातव्य है कि 'इसको' में विभागीय व्यवस्था के अंतर्गत हिन्दी कक्षाएं 1978 से ही चल रही हैं और इसमें काफी संख्या में अहिन्दी भाषी कर्मी प्रशिक्षित हुए हैं। इस कार्यशाला में विभागीय व्यवस्था के अंतर्गत प्रशिक्षित कर्मियों ने भी हिस्सा लिया तथा हिन्दी में काम करने का अभ्यास किया।

इस कार्यशाला का उद्‌घाटन 6 अगस्त को हुआ। सर्वप्रथम इस्को के सहायक प्रबंधक (हिन्दी), श्री पौहारी शरण सिन्हा ने प्रधान अतिथि, संचालक तथा भाग लेने वालों का स्वागत किया तथा कार्यशाला के कार्यक्रम की संक्षिप्त जानकारी दी। इसका उद्‌घाटन श्री कृष्ण तैरेसाई, सहायक महाप्रबंधक ने किया। इस मौके पर एक

इस्को बर्नपुर में आयोजित हिन्दी कार्यशाला में बोलते हुए राजभाषा विभाग के भूतपूर्व उपसचिव श्री हरिबाबू कंसल ।

घटना का जिक्र करते हुए कहा कि दूसरे देश के लोग अपनी भाषा का भरपूर सम्मान करते हैं, हमें भी करना चाहिए । श्री हरिबाबू कंसल ने भी हिन्दी के प्रयोग की उपयोगिता पर प्रकाश डाला । कार्यशाला समाप्ति के दिन इसमें भाग लेने वालों को प्रमाण-पत्रों का वितरण महाप्रबंधक (वर्क्स), श्री सी. आर. श्रीनिवासन ने किया । इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम लोगों को कार्यालयों का काम अधिक से अधिक हिन्दी में करना चाहिए । श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह, कनिष्ठ प्रबंधक (हिन्दी) द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के बाद कार्यशाला समाप्त हुई ।

अमरेन्द्र कुमार सिंह
कनिष्ठ प्रबंधक (हिन्दी)

यूनाइटेड बक आफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली

हिन्दी दिवस के अवसर पर यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर भारत क्षेत्र, नई दिल्ली द्वारा आयोजित दो दिवसीय हिन्दी कार्यशाला, का उद्घाटन 17-9-1984 को राजभाषा सचिव एवं भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार श्री राजकुमार शास्त्री ने दीप प्रज्वलित कर किया । उक्त हिन्दी कार्यशाला की अध्यक्षता रेल मंत्रालय के राजभाषा निदेशक श्री शिवसागर मिश्र ने की। यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया के महाप्रबंधक डा. एस. एन. घोषाल इस अवसर पर विशेष आमंत्रित व्यक्ति थे । उक्त कार्यशाला का आयोजन यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया के उत्तर भारत क्षेत्र की शाखाओं में कार्यरत उपप्रबंधकों में राजभाषा हिन्दी के प्रति अभिरुचि एंव जागरूकता पैदा करने की दृष्टि से किया गया था । इस अवसर पर यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया के मुख्य अधिकारी श्री सुधीन्द्र नाथ घोष एवं उत्तर भारत क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री सुधीर चन्द्र देव भी उपस्थित थे ।

इस अवसर पर विशिष्ट आमंत्रित व्यक्तियों, यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया के अधिकारियों एंव बैंक के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए अपने उद्घाटन भाषण में श्री शास्त्री जी ने इस ओर ध्यान दिलाया कि कार्यशाला का आयोजन ऐसे अवसर पर किया जा रहा है जो कि हिन्दी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है । 14 सितम्बर हिन्दी दिवस के रूप में देश के विभिन्न भागों में मनाया जा रहा है । अनेक स्थानों पर यह हिन्दी सप्ताह के रूप में भी मनाया गया है । यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया ने हिन्दी कार्यशाला के लिए ऐसा अवसर चुना है जिससे हिन्दी दिवस का महत्व भी बढ़ता है । इसके लिए उन्होंने बैंक को बधाई भी दी । अपने भाषण में उन्होंने हिन्दी कार्यशालाओं के महत्व और उपयोगिता की बड़े सरल शब्दों में व्याख्या की । उन्होंने इस पर बल दिया कि ऐसी कार्यशालायें हिन्दी में कार्य करने की मनोवैज्ञानिक झिझक को दूर करती है तथा हिन्दी में कार्य करने के लिए मनोबल बढ़ाती है । इससे हिन्दी के प्रति एक मानसिकता का वातावरण भी बनता है जो

कि निहायत जरूरी है। अब वह समय आ चुका है जब कि लोगों को मूलरूप से हिन्दी में कामकाज शुरू कर देना चाहिए। एक बार हिन्दी में काम शुरू कर देने पर फिर कोई कठिनाई नहीं होती। इसके लिए उन्होंने स्वयं अपना उदाहरण दिया। श्री शास्त्री जी ने अपने भाषण में राजभाषा नीति और राजभाषा के महत्व पर भी प्रकाश डाला और इस आशा के साथ अपना उद्घाटन भाषण समाप्त किया कि इस कार्यशाला के प्रतिभागी मूल रूप से हिन्दी में कार्य करना प्रारंभ कर देंगे जिससे एक ओर सरकार की नीति का कार्यान्वयन होगा तो दूसरी ओर बैंक के व्यवसाय को भी लाभ होगा।

अध्यक्ष पद से बोलते हुए श्री शिवसागर मिश्र ने हिन्दी के सम्पूर्ण भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र से जुड़े होने की बात बताते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि चाहे वह कन्याकुमारी हो अथवा लद्दाख, चाहे गुजरात हो अथवा नागालैंड, सभी जगह हिन्दी बोली और समझी जाती है। नागालैंड जहां कि राजभाषा अंग्रेजी है और तमिलनाडु जो कि अंग्रेजी का प्रबल समर्थक है वहां भी आम आदमी का दूसरे प्रदेश के व्यक्तियों के साथ सम्प्रेषण का माध्यम हिन्दी ही है। आप देश के किसी भी भाग में चले जायें हिन्दी से आपका सम्पर्क कार्य चल सकता है पर अंग्रेजी से नहीं। तमाम प्रयास के बाद भी अंग्रेजी जानने वालों की संख्या हमारे देश में दो प्रतिशत से अधिक नहीं है।

श्री मिश्र ने बैंक के अधिकारियों को सलाह दी कि वे ज्यादा से ज्यादा आम जनता से उनकी भाषा के माध्यम से जुड़ने का प्रयास करें। आम जनता से जुड़ने पर ही बैंक की उन्नति के साथ साथ देश की उन्नति भी होगी। और हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जिसे देश का प्रत्येक वर्ग प्रत्येक भाषा-भाषी आसानी से समझ जाता है। अतः अपने विकास के लिए बैंकों को अपने काम में हिन्दी को अधिकाधिक अपनाना चाहिए।

मुख्य अतिथि एवं अध्यक्ष का धन्यवाद करते हुए बैंक के महाप्रबंधक डा. घोषाल ने बताया कि उनका बैंक हिन्दी के महत्व को पूरी तरह समझता है। बैंक की अधिकांश शाखाएं और केन्द्रीय कार्यालय "ग" क्षेत्र में होने के बावजूद वह संघ की राजभाषा नीति के क्रियान्वयन में तन्मयता से लगा हुआ है। यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया, बैंक के रोजमर्रा के कामकाज में धीरे-धीरे हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भविष्य में और अधिक सक्रियता से राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की प्रगति की दिशा में कार्य किया जाएगा।

क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय की अस्वस्थता के कारण उक्त कार्यशाला के संयोजक एवं उत्तर भारत क्षेत्रीय कार्यालय के राजभाषा अधिकारी श्री दीना नाथ त्रिपाठी ने अपने बैंक में राजभाषा हिन्दी की प्रगति की झलक पेश करते हुए वस्तुस्थिति पर प्रकाश डाला और महाप्रबंधक डा. घोषाल द्वारा व्यक्त उनके अभिमत को पूर्ण करने का वायदा किया। उन्होंने विश्वास दिलाया कि बहुत शीघ्र ही यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया भी हिन्दी के माध्यम से अपने अधिकांश कार्यों को करने लगेगा। उन्होंने श्री शास्त्री जी, श्री मिश्र जी तथा डा. घोषाल का धन्यवाद किया कि व्यस्तता के बावजूद कार्यशाला में उपस्थित होकर उन्होंने बैंक के अधिकारियों को राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग एवं नीति संबंधी जानकारी से अवगत कराया।

केनरा बैंक, दिल्ली

केनरा बैंक द्वारा दिल्ली में 30 जुलाई से 11 अगस्त तक पांच हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गयीं जिसमें 100 से अधिक कर्मचारियों/अधिकारियों ने भाग लिया जिसमें उन्हें कामकाजी हिन्दी पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

दिनांक 30-31 जुलाई को आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के निदेशक श्री राजमणि तिवारी द्वारा किया गया। श्री तिवारी ने केनरा बैंक द्वारा हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिए उठाए गए कदमों की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज बैंक विशेष श्रेणी के लोगों के लिए नहीं, अपितु जनसाधारण की सेवा के लिए है और उत्तम सेवा के लिए जनता की भाषा का प्रयोग नितान्त आवश्यक है, विशेषकर हिन्दी भाषी प्रदेशों में। कार्यशाला के समापन पर वित्त मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग के उपनिदेशक श्री जगदीश सेठ पधारे जिन्होंने बैंक कर्मचारियों को प्रमाण पत्र वितरित किए तथा हिन्दी में काम करने की प्रेरणा दी।

दिनांक 1-2 को आयोजित कार्यशाला के शुभारम्भ पर केनरा बैंक प्रधान कार्यालय के महाप्रबंधक श्री आर. वेंकटेश्वरन् उपस्थित हुए जिन्होंने सरल एवं सुबोध हिन्दी में सभा को संबोधित करते हुए हिन्दी में अधिकाधिक काम करने पर बल दिया। इस कार्यशाला में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के श्री एम.एल. मैत्रेय को राजभाषा नीति पर चर्चा के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया।

तृतीय हिन्दी कार्यशाला का उद्घाटन दि. 6 अगस्त को राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के सचिव तथा भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार श्री आर. के. शास्त्री द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कार्यशाला में उपस्थित बैंक के अधिकारियों को संबोधित करते हुए श्री शास्त्री ने अपने ओजपूर्ण भाषण में केनरा बैंक के प्रयासों की प्रशंसा की और बैंकों द्वारा जनता को उत्तम सेवाएं प्रदान करने के लिए जनभाषा हिन्दी से जुड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि काउन्टर पर हिन्दी भाषी ग्राहकों को उनकी भाषा में सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। राजभाषा भारती के संपादक एवं गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग के वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी डा. राजेन्द्र सिंह कुशवाहा ने भी अधिकारियों को राजभाषा नीति के पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने की सलाह दी। इस कार्यशाला के उद्घाटन तथा समापन समारोह में दिल्ली अंचल के वरिष्ठतम कार्यपालक उप-महाप्रबंधक श्री मूलानाथन उपस्थित रहे जिन्होंने अंचल की बहुमुखी प्रगति में पूर्ण योगदान देने की प्रेरणा दी।

अंतिम कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर "पंजाब केसरी" समाचार पत्र के समाचार संपादक श्री आज्ञाराम प्रेम ने सभा को संबोधित करते हुए सामान्य जन की भाषा में काम करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि अंग्रेजी में काम करने की एक मानसिकता बनी हुई है जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है। यह मानसिकता उत्तर भारत में अधिक देखने को मिलती है। हालांकि दक्षिण के लोग जिन्हें हिन्दी का सामान्य ज्ञान है, हिन्दी में ही काम करना चाहते हैं किन्तु इस अंग्रेजी प्रेम के कारण हिन्दी के प्रचार प्रसार में रुकावट आती है।

अंग्रेजी में बात कर सम्मान पाने की एक धारणा स्वयं में खोखली है । इसी धारणा को निकाल फेंक हम हिन्दी को सम्मान दे सकते ।

11 अगस्त को अंतिम कार्यशाला के समापन समारोह पर भारत के प्रख्यात पत्रकार तथा हिन्दी सेवी श्री अक्षय कुमार जैन पधारे जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हिन्दी वालों ने हिन्दी को लाने की पहल ही नहीं की है। यह पहल उन व्यक्तियों द्वारा की गयी जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं थी। उन्होंने ऐसे हिन्दी सेवकों के नाम बताए जिन्होंने केवल एक ही भाषा का समर्थन किया। उन्होंने बताया कि सम्पूर्ण भारत के तीर्थ स्थानों पर, चाहे वे दक्षिण के हों, या उत्तर के– हिन्दी का ही प्रयोग प्रधान है। उन्होंने व्यावसायिक क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग की अनिवार्यता पर जोर दिया । उन्होंने संवैधानिक अनिवार्यताओं की पूर्ति के हेतु सभी के लिए हिन्दी का कामचलाऊ ज्ञान होना जरूरी बताया ।

श्री जैन ने सलाह दी कि हिन्दी का प्रयोग ग्राहकों, सामान्य जन की सुविधा के लिए किया जाना चाहिए । किसी की असुविधा के लिए हिन्दी का प्रयोग कदापि नहीं किया जाना चाहिए । व्यावसायिक क्षेत्रों में मानवीय दृष्टि से हिन्दी के प्रयोग की आवश्यकता पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों द्वारा हिन्दी का प्रयोग किया जाना सच्ची देश भक्ति है।

इन कार्यशालाओं का सफल आयोजन बैंक के हिन्दी अधिकारी श्रीमती जीवन लता जैन, श्री सुरजीत कुमार तुली तथा श्री रमेशचंद द्वारा किया गया । इन कार्यशालाओं में केनरा बैंक के दक्षिण भारतीय वरिष्ठ कार्यपालकों द्वारा उपस्थित होकर समय समय पर सहयोग दिया गया जो वास्तव में एक अनुकरणीय उदाहरण है।

के. एस. पै.
वरिष्ठ प्रबंधक, केनरा बैंक
नई दिल्ली
अंचल कार्यालय

वदरपुर थर्मल पावर स्टेशन, नई दिल्ली

एन. टी. पी. सी. के वदरपुर डिविजन में दिनांक 14–9–84 से 27-9-1984 तक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। 14 सितम्बर, को हिन्दी दिवस के शुभ अवसर पर राजभाषा विभाग के उप सचिव माननीय श्री गोविन्द दास वेलिया ने कार्यशाला को उद्घाटन किया । उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में संघ की राजभाषा नीति के बारे में विस्तार से बताया । उन्होंने अपने भाषण में कहा कि 14 सितम्बर, 1949 को देव नागरी लिपि में हिन्दी संघ की राजभाषा स्वीकार की गई। इसके अलावा उन्होंने संवैधानिक व्यवस्था, राजभाषा संकल्प, तथा नियमों आदि के संबंध में बताने के साथ-साथ राजभाषा हिन्दी के विकास के लिए सरकार की ओर से किए गए प्रयासों की भी जानकारी दी । उप सचिव महोदय ने वदरपुर डिविजन में हिंदी के प्रचार-प्रसार में राजभाषा विभाग की ओर से भरपूर सहयोग का आश्वासन भी दिया ।

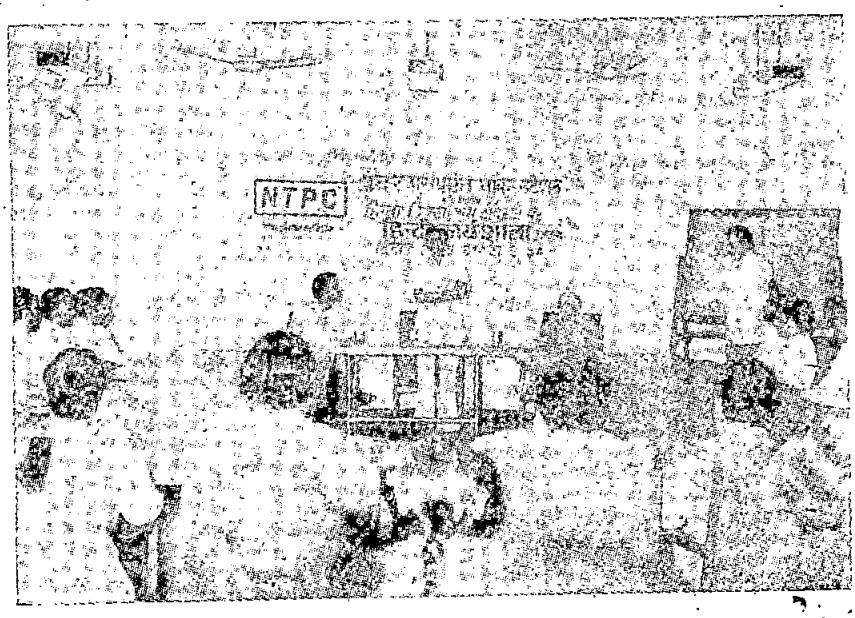

एन. टी. पी. सी., वदरपुर द्वारा आयोजित हिन्दी कार्यशाला में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए राजभाषा विभाग के उप सचिव श्री गोविन्द दास वेलिया।

इस अवसर पर उप महाप्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन) श्री ब्रजेन्द्र प्रसाद ठाकुर ने कहा कि हिंदी के विकास में राजर्षि पुरुषोतम दास टंडन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वे हिंदी के विकास के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग किया जाना चाहिए। हिंदी ही राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने वाली कड़ी है।

अपने स्वागत भाषण में महाप्रबंधक श्री वी. सुन्दर राजन ने सर्व प्रथम बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन में पधारने के लिए श्री बेलिया साहब का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राजभाषा के रूप में हिन्दी के विकास में जहाँ तक सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग का सवाल है पहली जिम्मेदारी हिन्दीभाषी लोगों की है। एकदम कार्यालय का काम हिंदी में करना हिन्दी भाषी कर्मचारियों के लिए भी मुश्किल पड़ता है। इस उद्देश्य की पूर्ति में हिन्दी कार्यशाला काफी सहायक सिद्ध होती है।

उप प्रबंधक (कार्मिक) श्री रवीन्द्र कुमार रस्तोगी ने कहा कि सभी कार्यालय आदेश केवल हिंदी में जारी करने के लिए यथाशीघ्र कार्रवाई की जा रही है। बी. पी. ई. ए. (ट्रेड यूनियन) के अध्यक्ष श्री सुभाष शर्मा ने कहा कि कर्मचारियों की सुविधा को देखते हुए परिपत्र तथा कार्यालय आदेशों के अलावा उनके साथ पत्र व्यवहार में भी हिंदी का अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। इस अवसर पर कार्यशाला में भाग लेने वाले श्री धर्मचन्द पाहुजा, केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद की बदरपुर शाखा की ओर से श्री कृष्ण दत्त गर्ग तथा समय पालन कार्यालय के पर्यवेक्षक श्री विमल कुमार सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

उद्घाटन समारोह के समापन पर सभी उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को धन्यवाद देते हुए कार्यशाला के आयोजक डा. राम मेहर सिंह विजयी ने कहा कि राजभाषा अधिनियम के अनुपालन तथा कर्मचारियों की सुविधा की दृष्टि से बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग हो सके इस दिशा में हिंदी कक्ष की ओर से हर संभव प्रयास किया जाएगा।

12 दिन तक चलने वाली इस कार्यशाला में राजभाषा अधिनियम की मुख्य बातें, प्रशासन में काम आने वाले अंग्रेजी शब्दों के हिंदी समानार्थी, फाइलों पर हिन्दी में टिप्पणी, आवेदन हिंदी में लिखना, पत्रों का मसौदा, हिंदी में परिपत्र, ज्ञापन तैयार करना, कार्यालय आदेश, बिलों का भुगतान तथा लेखा आपत्तियों संबंधी टिप्पणियां, हिंदी में तार भेजना, तथा सामग्री मंगाने संबंधी टिप्पणी इत्यादि विषयों पर वक्तव्य देने के लिए अधिकारी विद्वानों को बुलाया गया। प्रत्येक विषय से संबंधित साइक्लोस्टाइल की गई सामग्री प्रतिदिन वक्तव्य शुरु होने से पहले कर्मचारियों को उपलब्ध कराई गई। गद्य तथा पद्य में दो अलग-अलग तरह के पोस्टर हिंदी कक्ष द्वारा तैयार करके विभिन्न स्थानों पर लगाए गए। कार्यशाला में वित्त, सामग्री तथा कार्मिक एंव प्रशासनिक विभाग के कर्मचारियों को शामिल किया गया।

27 सितम्बर, 1984 को समापन समारोह में कार्यशाला के सभी कर्मचारियों को मुख्य कार्मिक प्रबंध श्री आर. डी. गुप्ता के कर कमलों से कार्यालय सहायिका प्रदान की गई। उन्होंने कर्मचारियों से अनुरो किया कि वे कार्यशाला के दौरान प्राप्त किए हिंदी ज्ञान का अ कार्यालय के काम में भरपूर उपयोग करें। मुख्य कार्मिक प्रबंध श्री एस. के. नरुला की ओर से हिंदी के विकास के लिए हर संभ सहयोग देने का आश्वासन दिया गया। कार्यशाला के आयोजन बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन में हिंदी का प्रयोग काफी बढ़ा है। उ सचिव श्री बेलिया साहब की प्रेरणा तथा महाप्रबंधक श्री वी. सुन्द राजन के हार्दिक समर्थन से भविष्य में राजभाषा संबंधी व्यवस्थाओं क समुचित अनुपालन हो सकेगा।

राम मेहर सिं
राजभाषा अधिका
बदरपु

नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन, नई दिल्ली

नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लि. के नई दिल्ली स्थित केन्द्री कार्यालय में 27–31 अगस्त, 1984 तक पांच दिनों की हिन्दी कार्यशाल का पहली बार आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में निगम विभिन्न विभागों के कुल 23 अकार्यपालक श्रेणी के कर्मचारियों भाग लिया।

कार्यशाला का विधिवत उद्घाटन निगम के निदेशक (कार्मिक श्री डी. आर. गुप्त ने किया। निगम के हर स्तर पर हिन्दी के प्रयोग की आवश्यकता एवं अनिवार्यता की ओर संकेत करते हुए श्री गुप्त कहा कि इस तरह की कार्यशालाओं का नियमित आयोजन समय-समा पर होते रहना चाहिए ताकि हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारियों को हिन्दी प्रारूप एवं टिप्पण लेखन का अभ्यास करवा क दफ्तर के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को लेकर उनमें जो झिझक है उसे दूर की जा सके। दफ्तर के दैनिक कामकाज में सरल एवं आ बोलचाल की हिन्दी का प्रयोग करने की सिफारिश करते हुए निदेशक महोदय ने बड़े ही सुलझे हुए रूप से कहा कि इसके लिए हमें अन्य भाषाओं के शब्दों का भी हिन्दी में स्वागत करना चाहिए। देश को एक सूत्र में बांधने के लिए संपर्क-भाषा की आवश्यकता पर बल देने के साथ ही हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने इस दिशा में अपना पूरा सहयोग देने का वायदा किया।

इस अवसर पर निगम के महा प्रबन्धक (कार्मिक एवं प्रशासन) एव केन्द्रीय कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य श्री राम विनय शाही ने अपने भाषण में निगम में हिन्दी के प्रयोग एव प्रचार-प्रसार के संबंध में हो रही गतिविधियों का विस्तृत ब्यौर देते हुए कहा कि निगम के प्रत्येक स्तर पर हिन्दी के व्यापक प्रसार के लिए हम पूरी तरह प्रयत्नशील हैं। हिन्दी के प्रति निगम के कर्मचारियों में जागरूकता पैदा करने के लिए हिन्दी निबंध प्रतियोगिता, हिन्दी कार्यशाला, हिन्दी दिवस-सप्ताह, हिन्दी पुस्तकालय आदि की शुरुआत

करके निगम का हिन्दी अनुभाग अपनी सही भूमिका निभा रहा है। हिन्दी के उत्तरोत्तर विकास के लिए कुछ अन्य प्रोत्साहन योजनाएं भी विचाराधीन हैं।

निगम के वरिष्ठ प्रबन्धक (कार्मिक व प्रशासन) एवं हिन्दी अनुभाग के विभागाध्यक्ष श्री सतीश कुमार नरुला ने कार्यशाला के सफल आयोजन के लिए निगम के हिन्दी–अनुभाग एवं राजभाषा अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्र को धन्यवाद देते हुए उद्घाटन समारोह के अध्यक्ष श्री गुप्त महा प्रबन्धक (कार्मिक व प्रशासन) श्री शाही के प्रति आभार प्रकट किया। इस अवसर पर उपस्थित सभी प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कार्यशाला की सफलता की कामना की।

कार्यशाला पांच दिनों तक चली। इसमें विद्युत विभाग, ऊर्जा मंत्रालय के हिन्दी अधिकारी श्री रमेश दत्त पाठक, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) के अनुसंधान अधिकारी श्री एम. एल. मैत्रेय, नेशनल हाइड्रो-इलैक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन के सहायक प्रबन्धक (हिन्दी) डा. जे. पी. गुप्त, कृषक भारती के हिन्दी अधिकारी श्री एन. एस. जैन, पेट्स के हिन्दी अधिकारी श्री कस्तूरिया एवं निगम के वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी डा. सुनील अब्रोल तथा लेखा अधिकारी श्री कपूर का भी सहयोग प्राप्त हुआ। उपरोक्त सभी अधिकारियों ने हिन्दी के व्यापक प्रचार-प्रसार की संभावनाओं से प्रतिभागियों को अवगत कराया।

31-8-84 को कार्यशाला का समापन-समारोह भी उद्घाटन–समारोह की तरह पूरे जोश एवं उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर निगम के पश्चिमी क्षेत्र के कार्यकारी निदेशक श्री के. सी. जैन निगम की राजभाषा कार्यन्वयन समिति के अध्यक्ष व निगम के महा प्रबंधक (इंजीनियरिंग) श्री सी. के. वर्धीस एवं हिंदी विभागाध्यक्ष श्री सतीश कुमार नरुला उपस्थित थे। राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष की हैसियत से श्री सी. के. वर्धीज ने कार्यशाला के सफल आयोजन की प्रशंसा करते हुए कहा कि निकट भविष्य में कार्यपालक श्रेणी के कर्मचारियों के लिए भी कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा ताकि हिंदी के प्रयोग को लेकर कार्यपालक एवं अकार्यपालक श्रेणी के बीच की खाई पाटी जा सके।

मनवीर सिंह

देना बैंक, नई दिल्ली

देना बैंक नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिनांक 24–25 सितम्बर, 1984 की वेतनमान–तीन के अधिकारियों के लिए हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें रायपुर, भोपाल, एवं नई दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार में प्रकाशन विभाग के निदेशक डा. श्याम सिंह शशि ने अपने उद्बोधन भाषण में कहा कि हमें अपने देश, अपनी संस्कृति और अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्वान मानव-शास्त्री के रूप में की गई अपनी विदेश यात्राओं के अनुभव बताते हुए उन्होंने कहा कि संसार के कुछ इने गिने देशों को छोड़कर कहीं भी अंग्रेजी का वर्चस्व नहीं है। दो हजार वर्ष पहले भारतवर्ष से गई हुई जिप्सी और रोमा जाति के लोगों ने आज तक भारतीयता और अपनी भाषा अवशेषों को बरकरार रखा है। आज भी वे हिन्दी, राजस्थानी आदि भारतीय भाषाओं के कई शब्दों को हुबहू इस्तेमाल करते हैं। प्रत्येक देश का स्वाभिमानी नागरिक अपनी भाषा पर गर्व करता है। यथा राजा तथा प्रजा का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि पहले वरिष्ठ अधिकारियों को हिन्दी कार्य करना होगा तभी दूसरे लोग इसे अपना सकेंगे। हिन्दी प्यार की भाषा है, हिन्दी बलिदान की भाषा है; हिन्दी अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है, जिसके प्रचार और प्रसार में अहिन्दी भाषियों का अत्यन्त महत्वपूर्ण योग है। हमें इसे अपनाना ही होगा।

इस दो दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री शची न. अडालजा ने कहा कि हम भारतवासियों की यह बहुत बड़ी कमजोरी है कि हम अभी तक अपनी भाषा को नहीं अपना सके हैं।

राजभाषा विभाग के प्रभारी अधिकारी डा. भायाणी ने इस अवसर पर देना बैंक में आयोजित अब तक हिन्दी कार्यशालाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया और कार्यशालाओं के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। श्री कमल आर्य राजभाषा अधिकारी ने मुख्य अतिथि एवं सभी आगन्तुकों का स्वागत एवं राजभाषा अधिकारी श्रीमती सरोज कुमारी ने सभी महानुभावों को धन्यवाद दिया।

कमल आर्य
राजभाषा अधिकारी
देना बैंक, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली

सेन्ट्रल बैंक, नई दिल्ली

सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया ने निजामुद्दीन प्रशिक्षण केन्द्र पर दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए 3 दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन दिनांक 25-10-84 से 27-10-84 तक किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन दिल्ली क्षेत्र के सहायक महा प्रबंधक श्री के. एल. कालड़ा ने किया। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे एक संकल्प लें कि उन्हें हिन्दी में काम करना है। अगर वे इस संकल्प के साथ काम करने लगें तो अन्य कठिनाइयां अपने आप दूर हो जायेंगी उन्होंने कहा कि आज देश में सिर्फ हिन्दी के माध्यम से ही राष्ट्रीय एकता को लाया जा सकता है।

कार्यशाला में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के उप निदेशक, डा. मोती लाल चतुर्वेदी को आमंत्रित किया गया। उन्होंने अधिकारियों को सरकार की राजभाषा नीति की विशद जानकारी दी।

कार्यशाला के समापन समारोह में हिन्दी के वरिष्ठ पत्रकार श्री दीवान द्वारका खोसला को आमंत्रित किया गया। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता प्रकट की कि बैंकों में हिन्दी का प्रयोग काफी गंभीरता

से किया जा रहा है तथा सेण्ट्रल बैंक इस विषय में अग्रणी है। उन्होंने यह भी कहा कि आज देश में राष्ट्रीय एकता की बात सभी कहते हैं किन्तु इस बात को समझने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है कि राष्ट्रीय एकता के लिए एक भाषा होना जरूरी है और यह स्थान सिर्फ हिन्दी को ही प्राप्त हो सकता है। कार्यशाला का संचालन संकाय प्रमुख श्री आर. पी. भुटानी, उप मुख्य अधिकारी राजभाषा, श्री कृष्ण मोहन मिश्र तथा राजभाषा अधिकारी श्री महेन्द्र कंसल ने किया।

गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग, नई दिल्ली

सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार सरकारी कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा हिन्दी में अधिक से अधिक कार्य करने हेतु इस विभाग में उक्त हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन राजभाषा विभाग के उप सचिव श्री गोविन्द दास बेलिया द्वारा किया गया। विभाग के संयुक्त सचिव, श्री रमेश ग्रोवर जी ने अतिथियों एवं प्रशिक्षणार्थियों का स्वागत किया तथा कार्यशाला से पूरा-पूरा लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया।

सरकार की राजभाषा नीति, हिन्दी वर्तनी, प्रशासन संबंधी कार्य, बिलों का भुगतान एवं लेखा जांच, छुट्टी, पेशगियां, विभिन्न प्रकार के आवेदन-पत्रों के प्रारूप, टिप्पणियां, मसौदे, वाक्यांश, हिन्दी में तार, अनुस्मारक, तकनीकी विषयों में हिन्दी का प्रयोग, पदों का सृ भर्ती, आरक्षण, डाक्टरी परीक्षा, चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन अ विषयों पर दस दिन तक अनुभवी व्याख्याताओं द्वारा प्रशिक्षण दि गया।

प्रशिक्षण के दसवें दिन समापन समारोह का शुभारंभ कुमा अरुणा शर्मा एवं श्रीमती इन्द्रा अरविन्दन द्वारा गाई गई सरस्व वन्दना से हुआ। समारोह में व्याख्याता, विशेष आमंत्रित व्यक्ति प्रशिक्षणार्थी एवं विभागीय अधिकारीगण शामिल थे। समारोह अध्यक्षता विभाग के माननीय सचिव, श्री महेश्वर दयाल ने की उन्होंने सभी उपस्थित व्यक्तियों का स्वागत करके समारोह में भा लेने के लिए उनके प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने हिन्दी कार्यशाल के संबंध में हिन्दी के अधिक से अधिक प्रयोग पर अपने विचार प्रक किए। तत्पश्चात् संयुक्त सचिव श्री एस. आर. फारूकी जी ने अध्य महोदय एवं उपस्थित निमंत्रित अतिथियों का स्वागत किया तथा सर हिंदी के प्रयोग पर जोर दिया।

समारोह के अंत में सचिव महोदय ने आशीर्वचन के साथ प्रमाण-प वितरित किए। हिंदी अधिकारी श्रीमती अग्रवाल ने समारोह में निमंत्रि अतिथियों, सचिव महोदय, संयुक्त सचिव एवं स्थापना अनुभाग क धन्यवाद दिया। □□□

"आरंभिक जीवन से ही मुझे यह निश्चय हो गया था कि राष्ट्रीय मेल और राजनीतिक एकता के लिए सारे देश में हिन्दी और नागरी का प्रचार आवश्यक है। तब मैंने अपने हानि-लाभ के विचारों को एक ओर रखकर हिन्दी का प्रचार करना प्रारंभ किया।"

लाला लाजपत राय

विनम्र श्रद्धांजलि सूरीनाम से

—बच्चू प्रसाद सिंह
सूरीनाम में भारत के राजदूत

बुधवार, दिनांक 31 अक्तूबर 1984, सुबह पांच बजे, *टेलीफोन की घंटी बजी—'महामहिम। एक बुरी खबर—सुना है इन्दिरा जी को गोली लगी है।'—और हम सभी मर्माहत अवसन्न। यह क्या हुआ? क्या ऐसा हो सकता है? दिल्ली से संपर्क की नाकाम कोशिश; फिर छह बजे ही बी. बी. सी. का प्रसारण। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई है। हत्यारे उनके अंगरक्षक थे। बस इस एक दुर्भाग्यपूर्ण वाक्य ने भारत के इतिहास को मर्माहत और मानवता को कलंकित कर दिया।.....बापू के बाद फिर वैसा ही—— विश्वशान्ति का योद्धा आतंकवाद का शिकार.....ममता और विश्वास पर कुठाराघात।

परिवार शोक निमग्न और आंसू की अविरल धारा.....फिर लगातार फोन पर जिज्ञासा और शोक संवेदना—कलेजे पर पत्थर रख औपचारिक तैयारियों के आदेश-अनुदेश। पत्रकारों और संचार माध्यम के प्रतिनिधियों का तांता; फिर, भारतीय नागरिकों एवं सूरिनाम के निवासियों द्वारा बार-बार मन को छू जाने वाली बातें—आज हमारी मां चली गई—हम अनाथ हो गए। अब क्या होगा?

रंजोगम का ऐसा इज़हार—फूल, पत्ते, सूरज की किरणें, पंछी के स्वर—सभी उदास, आहत और अवाक्। भारत का झंडा, सूरीनाम का झंडा—सभी झुक गए उस महान् आत्मा के सम्मान में, जो मात्र भारत की नहीं—दुनियां की तमाम अमन पसंद गरीब और तरक्कीयाफ्ता विशाल जनसमुदाय का सहारा थी। आशा की आखिरी किरण—कोलाहल और आपाधापी से भरी इस दुनियां में हृदय की बात, करोड़ों करोड़ जनमानस की आवाज—बुलन्द आवाज—हिम्मत, बहादुरी और देश भक्ति की साक्षात प्रतिमूर्ति। बेमिसाल।

दूतावास में शोक-संदेशों का अम्बार। दिवंगत प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी, चित्र के सम्मुख श्रद्धावनत सूरीनाम के नेता—प्रधानमंत्री, मंत्रिगण, महिलाएं, नौजवान, लेखक कवि, पत्रकार और राजनयिक। शोक पुस्तिका के पन्ने पर पन्ने भरते जा रहे हैं, और कतार-बद्ध सभी चले आ रहे हैं। धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संस्थाओं के प्रतिनिधि चित्र के सम्मुख, सादर झुकते हैं, अश्रुपूरित नेत्रों से श्रद्धा के पुष्प अर्पित करते हैं, फिर इस अनध्र वज्रपात पर हमें सान्त्वना देते हैं कि यह अविश्वसनीय, अपूरणीय क्षति मात्र भारत की नहीं—पूरे मानव जाति की है। लोकतंत्र, समाजवाद, सर्वधर्म, समभाव तथा विश्व शान्ति का सबसे बड़ा मसीहा आज संसार से उठ गया।

सूरीनाम के नेता और प्रधानमंत्री मुझे यह बताते हैं कि उनका प्रतिनिधि मंडल आज ही इन्दिरा जी के अन्तिम दर्शन को विशेष वायुयान द्वारा दिल्ली प्रस्थान करेगा और समवेदना के साथ-साथ वे तनावग्रस्त विश्व राजनीति के परिप्रेक्ष्य में इस दुखद घटना से उत्पन्न, परिस्थिति के प्रति चिन्ता भी व्यक्त करते हैं। इस दुर्दान्त, दारुण दुर्घटना के कारण हमारा मन बड़ा क्लान्त और क्षुब्ध है। हमारे देश का शक्ति-स्रोत आलोक-पुंज हमसे बिदा हो गया।

सरकार की ओर से जारी व्कतव्य में कहा गया कि श्रीमती गांधी के निधन की दुःखद सूचना पाकर पूरा सूरीनाम आज स्तंभित है; चूंकि वे मात्र भारत की—प्रधानमंत्री या गुट-निरपेक्ष देशों की अध्यक्ष ही नहीं बल्कि विरोधाभासों से ग्रस्त विश्वराजनीति में एकता, और सामंजस्य का मंत्र फूंकने वाली अद्भुत प्रतिभा सम्पन्न नेता थीं और उनकी वाणी के माध्यम से तीसरी दुनियां की धड़कनें अभिव्यक्त होती थीं। उनके विचार अमर हैं और वे सदैव रहेंगे। हिन्दुस्तान की इस बहादुर बेटी के महाप्रयाण पर हम विश्वसमुदाय को अपनी समवेदना अर्पित करते हैं।

देश भर के समाचार पत्र, रेडियो और टी. वी. इसी समाचार से ओत-प्रोत हैं और सभी को इसी की चिन्ता है कि यह दुखद घटना आखिर हुई कैसे? बरबस बापु के महाप्रयाण को याद कर वो मनको तसल्ली दे लेते हैं और फिर जुट जाते हैं शोक सभाओं प्रार्थना सभाओं के आयोजन में। मन्दिरों में गीता का पाठ, चर्चों में विशेष प्रार्थनाएं और मस्जिद की ओर से शोक-संदेश और फिर नागरिकों की आम सभा। भावना और श्रद्धा की अद्भुत लहरें देश के पूरे वातावरण में परिव्याप्त हैं। सभी अपने-अपने ढंग से अपनी भावना मौखिक और लिखित रूप से अभिव्क्त करते हैं। महिला समाज का संघ अपने प्रस्ताव में कहता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी नारी समाज का गौरव थीं। और उनके अभ्युदय एवं नेतृत्व द्वारा नारी जाति को सारे संसार में सम्मान और सुयश प्राप्त हुआ। सभी सोच रहे हैं कि अब उन असंख्य बेचारों-बेसहारों का क्या होगा जो उनके समक्ष अपने दुख की गाथा सुनाकर, उनके दर्शन कर चिन्ताओं से निजात पा जाते थे —वे मूक, भाव प्रवण, गांव-गांव के करोड़ों साधारण जन, जिनकी आस्था का आधार मंझधार में तिनके का सहारा, इंदिरा गांधी थीं। यह नाम जो कच्छ से कामरूप और कश्मीर से कन्याकुमारी तक नित्य प्रति किसी न किसी संदर्भ में झोंपड़ी से लेकर महलों तक गूंजा करता था। अब उसके बिना क्या होगा?

*सूरी नाम में भारत से साढ़े आठ घंटे बाद सूर्योदय होता है।

देश हमारा महान है देशवासी हमारे श्रद्धास्पद हैं, यह हमने इतनी दूर से पहली बार अभी-अभी देखा तथा गौरव का बोध हुआ। किन्तु मन अब भी अवसाद से भरा है; चूंकि मणियां और मोहरें इतिहास के पन्नों में अनेक बार हमने खोये हैं किन्तु मोती और जवाहर का यह खजाना खोकर आज हमने बहुत कुछ खो दिया है। प्रभु हमें सभी को शक्ति दे।

अंधकार और अवसाद के क्षणों में एक सुकून। एक बड़ी त्रासदी के बाद खबर आती है कि श्री राजीव गांधी भारत के प्रधान मंत्री चुन लिए गए हैं और उन्होंने अपनी मां—राष्ट्र की मां—इन्दिरा ज सपनों को साकार करने का संकल्प लिया है —इन्दिरा जी का स्वप्न भारत एक ऐसा देश बने जहां सदा-सर्वत्र एकता, शान्ति और खुशह का राज्य रहे। इस सूचना से भारत की परम्परा सम्पन्न राजनं और लोकतंत्री सिद्धान्तों में हमारे देश की अटूट आस्था सिद्ध हो जाती भारत के नए प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के शान्त स्थिर ३ सुचिन्तित विचारों को टी. वी. पर यहां देख सुन लेने से आशंकित अवसन्न मानस चिन्तामुक्त होने लगता है और गांधी—नेहरु का भा फिर से विश्वजनमानस में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है।

□ □ □

"भारत एक बहुभाषी देश है जहां सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग हरेक क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है। वाणिज्य-- व्यापार तथा राजनीति में इस भाषा का पहले से अधिक प्रयोग किया जा रहा है। हमारे देश में अनगिनत लोगों की मातृभाषा हिन्दी है। परन्तु बहुत से अहिन्दी भाषी लोग भी हिन्दी समझ, बोल और लिख सकते हैं।

कुछ लोगों को भ्रांति है कि सरकार के संरक्षण से किसी भाषा की उन्नति होती है। किसी भाषा का विकास तब होता है जब वह जनता के हृदय में स्थान पाती है। यह तभी संभव है जब वह भाषा अपने दरवाजे और खिड़कियां खुली रखे और दूसरी भाषाओं के शब्दों को आत्मसात् करे और बढ़ते हुए ज्ञान को अभिव्यक्त करे।"

—इन्दिरा गांधी

श्रीमती इंदिरा गांधी के अप्रत्याशित दुखद निधन पर सूरीनाम में भारत के राजदूत श्री बच्चूप्रसाद सिंह को सूरीनाम की ओर से शोक संवेदना ज्ञापित करते हुए, वहां के प्रधान मंत्री महोदय ।

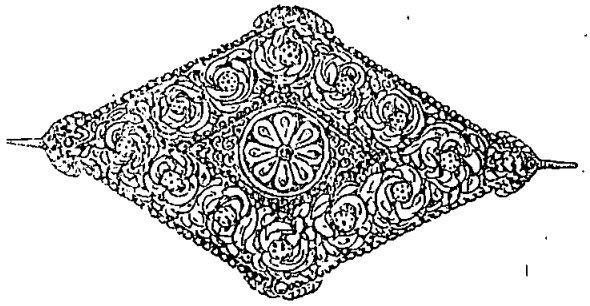

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के लिए श्री जयपालसिंह द्वारा लोकनायक भवन खान मार्केट, नई दिल्ली से प्रकाशित तथा प्रबन्धक भारत सरकार मुद्रणालय, शिमला द्वारा मुद्रित।